

प्रकाशक :
श्री सन्मति ज्ञानपीठ,
मोहामण्डो,
घागरा

मुद्रक :
प्रेम इलेक्ट्रिक प्रेस,
मण्टी साईदगाँ,
घागरा

प्रथम पदापेक्ष
सन् १९५६
वि० सं० २०१५
छापे १०००

मूल्ये चार रुपये

सन्मति साहित्य-रत्नमाला का चउवनवाँ रत्न—

जै न - दर्शन

श्री माधुषर्मा जैन श्रावक मंद
नं ना शहर - भी ना शर

मोहनलाल मेहता,
एम० ए० (दर्शन व मनोविज्ञान),
पी-एच० डी०, शास्त्राचार्य



श्री सन्मति ज्ञान पीठ
लोहामण्डी, आगरा

लेखक की अन्य कृतियाँ

Jaina Psychology

Outlines of Jaina Philosophy

Outlines of Karma in Jainism

प्रकाशक के दो बोल

आधुनिक युग की एक माँग है—एक सर्वोच्च अपेक्षा है—प्रत्येक दर्शन का एक प्रतिनिधि ग्रन्थ; तत्त्व-चिन्तकों के सम्मुख हो। इसी दिशा में ज्ञान पीठ की ओर ने जैन-दर्शन का प्रतिनिधि ग्रन्थ, जैन-दर्शन के नाम से प्रस्तुत करते हुए मैं परम आह्लाद की अनुभूति कर रहा हूँ। लेखक ने जैन-दर्शन के सम्पूर्ण तत्त्वों का सूक्ष्म चिन्तन-मूलक मुन्दर, सरस, भाव-भाषा और सौली की दृष्टि से अधुनातम ग्रन्थ प्रदान किया है। मैं मानता हूँ यह जैन-दर्शन के तत्त्वों का सर्वांगपूर्ण विश्लेषण है, और विद्वान् लोग इसे पसन्द करेंगे।

प्रस्तुत ग्रंथ गत मन् १९५८ के मार्च महीने में ही पाठकों की सेवा में पहुँच जाता, किन्तु प्रेस सम्बन्धी अड़चन तथा प्रूफ मंशोधनार्थ मेटर लेखक के पास पहुँचते रहने से विलम्ब होता गया। अस्तु जैन-दर्शन की अत्यधिक माँग होने पर भी हम समय पर पाठकों की ज्ञानपिपासा शान्ति में योग न दे सके, अतः पाठकगण हमें क्षमाप्रदान करें।

ग्रन्थ का यह प्रकाशन लेखक, प्रकाशक, सम्पादक या आलोचकों से नहीं नापा जा सकता। जैन-दर्शन अपने आप में कितना पूर्ण है—यह विद्वानों का चिन्तन ही बता सकेगा।

अन्त में मैं कृतज्ञता-प्रकाशन का यह लोभ-संवरण नहीं कर सकता कि प्रस्तुत प्रकाशन का यह नयनाभिराम सौन्दर्य तथा कलात्मक वर्गीकरण उपाध्याय श्री जी के अन्तेवासी-शिष्य सुबोध-मुनि जी के द्वारा ही मुखर हुआ है।

मन्त्री—सोनाराम जैन

सन्मति ज्ञान-पीठ,

आगरा

रु कुल्ल स्थलोपर महेता जी का चिन्तन स्वतन्त्र राह भी पकड़ लेता है, पर भी वह पाठक को चिन्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रेरणा देता है। इसमें तो कोई सन्देह है ही नहीं।

ग्रन्थ का अद्यतन सुन्दर रूप में प्रकाशित करने की ओर ज्ञानपीठ के विवेकशील अधिकारियों ने पर्याप्त ध्यान रखा है। आशा है दर्शन-क्षेत्र का विद्वान् पाठक प्रस्तुत जैन दर्शन का हृदय से समादर करेगा, और भविष्य में गंगता जी से अन्य कोई अभिनव भव्य कृति प्राप्त करने के लिए प्रेरणा-स्रोत बनेगा। घस, आज इतना ही। सरस्वती के महामन्दिर में सरस्वती के वरद पुत्र की यह भेंट चिरायु हो.....आनन्द !

प्रागरा
धीर जयन्ती :
१९५९

}

—उपाध्याय, ग्रमर मुनि

शुभाशी:

मुझे प्रसन्नता है, कि जैन विद्वान, आज के युग की नित्य-नूतन साहित्यिक प्रगति को देख कर अपनी शक्ति का सत्प्रयोग ठीक दिशा में करने लगे हैं। अपने धर्म, दर्शन तथा संस्कृति के गौरव की ओर उनका ध्यान केन्द्रित होने लगा है।

डाक्टर मोहन लाल जी मेरे निकट के परिचितों में से एक हैं। उनका मृदु स्वभाव, कोमल व्यवहार, और उनकी गहरी विद्वत्ता आज के समाज के लिए एक सन्तोष की बात है। विद्वत्ता के साथ विनम्रता मेहता जी की अपनी एक अलगही विशेषता है। कार्य-पटुता और कार्य-क्षमता—इन दोनों गुणों ने ही मेहता जी को इतना गौरव प्रदान किया है। डाक्टर मेहता अभी तरुण हैं। अतः भविष्य में वे और भी अधिक प्रगति कर सकेंगे, इसमें सन्देह नहीं किया जा सकता।

'सन्मति ज्ञान पीठ, आगरा' से उनका जैन-दर्शन प्रकाशित हो रहा है। यह ग्रन्थ मुझे बहुत पसन्द है। क्योंकि इसमें जैन दर्शन के प्रायः समग्र पहलुओं पर सुन्दर ढंग से प्रकाश डाला गया है। प्रमाण, प्रमेय, नय और सप्त भंगी जैसे गम्भीर विषयों पर मेहता जी ने लिखा है, और काफी विस्तृत, साथ ही रोचक भाषा में लिखा है। यह ग्रन्थ भाव, भाषा और शैली—सभी दृष्टियों से सुन्दर है। जैन दर्शन की उच्च कक्षाओं में स्थान पाने योग्य है।

जैन-दर्शन जीवन-दर्शन है। वह व्यर्थ के काल्पनिक आदर्शों के गगन की उड़ान नहीं, किन्तु कदम कदम पर जीवन के प्रत्येक व्यवहार में ढालने की वस्तु है। दर्शन का मूल अर्थ दृष्टि है, इस अर्थ में जैन-दर्शन स्व पर को पहचानने के लिए मनुष्य को विवेकदृष्टि देता है। आदमी जब स्व-पर को ठीक तरह पहचान जाता है, तभी वह अपने जीवन का एक उद्देश्य स्थिर करता है, और पूरी शक्ति के साथ उस ओर अग्र-चरण होता है। मैं समझता हूँ, मेहता जी दर्शन के उक्त पक्ष को समझाने में काफी सफल हुए हैं। यह ठीक

डाक्टर मेहता का यह प्रयास उचित दोनों ग्रन्थों के बीच की कड़ी कहा जा सकता है। यह गम्भीर भी है, और सरल भी। यह सर्वजन-भोग्य भी है, और विद्वज्जन-भोग्य भी। भाषा, भाव और शैली सभी दृष्टियों से सुन्दर है।

प्रस्तुत 'जैन दर्शन' में प्रमाण और प्रमेय का मासा अच्छा परिचय कराने के साथ ही, उनमें पूर्व और पश्चिम की दार्शनिक विचार धाराओं में 'जैन-दर्शन' का अपना स्थान क्या है ? इस विषय पर काफी स्पष्ट चर्चा की गई है। इतना ही नहीं, किन्तु धर्म, दर्शन और विज्ञान—इन तीनों के सम्बन्ध में भी डाक्टर मेहता ने स्पष्ट उदाहरण दिया है। धर्म, दर्शन और विज्ञान का परस्पर क्या सम्बन्ध है ? उनमें वैषम्य कहाँ तक है ? और साम्य कहाँ तक ? इसकी चर्चा भी सुन्दर ढंग से की गई है। अतः यह प्रस्तुत ग्रन्थ प्राथमिक पाठ्य ग्रन्थों की श्रेणी में भी सहज ही अपना एक विशिष्ट स्थान बना सकेगा। कालेज और महाविद्यालयों की उच्चतर कक्षाओं में भी यह ग्रन्थ उचित स्थान प्राप्त करेगा, इसमें जरा भी सन्देह नहीं।

'जैन-दर्शन' के परिशीलन, चिन्तन और मनन के अभाव में, अन्य दर्शनों का अध्ययन अपूर्ण ही रहता है। यह इसलिए कि जैन दर्शन में धारक ममस्त ग्रन्थ दर्शनों के मतभेद विद्युत् हो जाते हैं। जैन-दर्शन का अपना एक ही विशिष्ट दृष्टिकोण है, कि वह विभिन्न दार्शनिक दृष्टियों में प्रवृत्त मनुष्य को प्रकट कर देता है। अन्य दर्शनों में शोध-दर्शन, यही मुख्य नहीं है, किन्तु उन दार्शनिक मत भेदों के बीच मतभेद कहाँ है ? और वह दूर कैसे हो सकता है ? इन तथ्य का अनुसन्धान ही जैन दर्शन का अपना मुख्य विषय है। विभिन्न दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन, जो आज के युग की सबसे बड़ी आवश्यकता है, उसकी पूर्ति धार्मिक से आई हजार वर्षों में जैन-दर्शन निरन्तर करता आता है। यही कारण है, कि जन्-जन्तु धर्म के जैन दर्शन-सम्बद्ध ग्रन्थ केवल जैन-दर्शन का ही परिचय नहीं कराते, बल्कि जन्-जन्तु काल के अन्य दर्शनों का प्रायोगिक ज्ञान कराने में भी अपना योगदान रहे हैं। मूल मन्त्र में विद्युत् यौद्ध धर्मों और तद्गुण मन्त्रों की जानने का जितना अर्थ व्यक्त प्रतीकित जैन दर्शन की धर्म-शांति है उतना अन्य नहीं। विशेषता यह है, कि दार्शनिक मूल धर्म ने केवल धार्मिक, दार्शनिक और टीकानुटीकाओं के काम में ही निरन्तर एवं अथवा जैन दार्शनिकों ने अपने अन्य विषय हैं, और उन में अपने काम तक की मानव दार्शनिक मानवी की दृष्टि करने का पूरा सम्बन्ध दिया है।

पुरो वचन

आज के विकास-युग में, चारों ओर विकास, प्रगति और अभ्युदय ही रहा है। मानव प्रत्येक क्षेत्र में, विकास और प्रगति के पद चिन्ह छोड़ता चला जा रहा है। विज्ञान, दर्शन, साहित्य, कला और भाषा के क्षेत्र में भी मानव मस्तिष्क ने अद्भुत विकास एवं प्रगति की है।

जैन साहित्य भी उस विकास एवं प्रगति से अप्रभावित कैसे रह सकता था? यद्यपि जैन-विचारधारा का विराट् एवं विपुल साहित्य—संस्कृत, प्राकृत तथा भारत की अन्य प्रान्तीय भाषाओं में चिरकाल से उपचित होता चला आ रहा था, तथापि हिन्दी भाषा में वह अत्यन्त मन्दगति से आ रहा था। परन्तु हर्ष है, कि अब राष्ट्र भाषा हिन्दी में भी जैन साहित्य अपने विविध रूपों में द्रुत गति से अवतरित हो रहा है। मुझे आशा है, भविष्य में जैन विद्वान्, अपनी श्रेष्ठ कृतियों से राष्ट्रभाषा के भण्डार को भरते रहेंगे।

'जैन-दर्शन' पर संस्कृत एवं प्राकृत में विपुल मात्रा में लिखा गया है—सरल से सरल और कठिन से कठिन। किन्तु हिन्दी भाषा में इस विषय पर मुनिराज श्री न्यायविजय जी का 'जैन-दर्शन' सर्व प्रथम सफल प्रयास कहा जा सकता है। यह ग्रन्थ न बहुत गहरा है और न बहुत उथला। 'दर्शन' जैसे गम्भीर विषय को इसमें सरल, सुबोध्य एवं सुन्दर भाषा में सर्वजन भोग्य रूप में प्रस्तुत किया है।

डाक्टर महेन्द्र कुमार न्यायाचार्य का 'जैन-दर्शन' भी जनता के हाथों में पहुँच चुका है। उसकी भाषा, शैली और विषय सभी गम्भीर हैं। प्रमाण और प्रमाण के फल को इसमें काफी लम्बी चर्चा की गई है। पट् द्रव्य, सप्त तत्त्व, और सप्त नयों का संक्षिप्त,—परन्तु सारभूत परिचय दे दिया है। वह ग्रन्थ विस्तृत, गम्भीर, और तार्किक आलोचनात्मक है। सामान्य पाठक उससे उतना लाभान्वित नहीं हो सकता, जितना दर्शन-क्षेत्र का एक सुपरिचित व्यक्ति लाभान्वित हो सकता है।

डाक्टर मोहनलाल मेहता का 'जैन-दर्शन' अपनी नयी शैली, सुन्दर भाषा और उच्च भावनाओं को लेकर पाठकों के समक्ष आ रहा है। निःसन्देह

इस दृष्टि से भारतीय दार्शनिक चिन्तन धाराओं का क्रमिक विकास, और घात-प्रतिघात में निष्पन्न प्रत्येक दर्शन के विकास को जानने का साधन भी जैन-दर्शन है। दार्शनिकों का ध्यान अभी तक इस ओर गया नहीं है, अतः जैन दर्शन के महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ भी विद्वानों की उपेक्षा के विषय बने हुए हैं। परन्तु यह उपेक्षा घातक है, इसमें जरा भी संशय नहीं है। भारतीय राजनीति में सह अस्तित्व का सिद्धान्त स्वीकृत किया गया है। उसकी मूल दार्शनिक परम्परा की शोध जैन दार्शनिक ग्रन्थों से भली भाँति हो सकती है। नया राजनीतिक, नया सामाजिक, और नया दार्शनिक, आज के जीवन में सर्वत्र सह-अस्तित्व के सिद्धान्त की आवश्यकता है। आज के दार्शनिक विद्वानों को इस विषय पर गम्भीरता के साथ विचार करना होगा।

डाक्टर मेहता के प्रस्तुत 'जैन-दर्शन' को देख कर विद्वानों की दृष्टि यदि जैन-दर्शन के मौलिक ग्रन्थों के अध्ययन की ओर गई, तो उनका थम सफल होगा। मैं इस ग्रन्थ के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूँ। भविष्य में भी वे इसी प्रकार अपनी श्रृंखला कृतियाँ देते रहेंगे, यह आशा करता हूँ।

सम्नति ज्ञान पीठ के अधिकृत अधिकारीगण ने इस ग्रन्थ को प्रकाशित करके जैन दर्शन के अध्ययन की प्रगति में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। अतः वे भी धन्यवाद के योग्य हैं। मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में वे लोग सत्-साहित्य के प्रकाशन में अपना उदार योगदान देते रहेंगे।

वाराणसी
१८-३-५६

}

दलसुख भाई मालवणिया

मीमित न थे अपितु जीवन के सभी अंगों में प्रविष्ट हो चुके थे। एक जाति दूसरी जाति में, एक वर्ग दूसरे वर्ग से इतना अधिक कट चुका था कि दोनों में किसी प्रकार की एकता न रही। पारस्परिक विवाह-सम्बन्ध या गान-पान की बात तो एक घोर रही, परस्पर स्पर्श करना भी पाप माना जाने लगा। सुपाण्डु का रोग केवल एक वर्ग तक ही सीमित हो ऐसा भी नहीं था। दूर वर्गों के जितने लोग थे वे सब अन्य तीन वर्गों की दृष्टि में अस्पर्श्य थे। इसके अतिरिक्त तीनों वर्गों के लोगों में भी सुपाण्डु का व्यवहार प्रचलित था। ब्राह्मण वर्ग के लोग किसी भी वर्ग के हाथ का सुधा हुआ भोजन नहीं खा सकते। ब्राह्मणों की दृष्टि में किसी दृष्टि में तीनों वर्ग अस्पर्श्य थे। इतना ही नहीं अपितु एक ही वर्ग का एक वर्ग दूसरे वर्ग को समय विशेष पर प्रकृत समझता था। आज भी यही दशा समाज में देखी जाती है। यह तो दुर्दैवी-व्यवस्था की बात। इसके अतिरिक्त निग-भेद भी उम समय कम न था। स्त्री-जाति को पुण्य-जाति से घनेक अवसरों पर हीन समझा जाता था। स्त्रियों का व्यापार करना माथारण की बात थी। इसके अनेक उदाहरण धागमों में मिलते हैं। महावीर ने इन सारे भेदभावों को समाप्त करने का कार्य अपने हाथ में लिया। वर्षों घोर आश्रम की व्यवस्था की मिटाने का प्रयत्न किया। सभी लोगों को समान सामाजिक अधिकार दिए। अपने मंत्र में सब लोगों को जाने का अवसर दिया। उन्हें इस कार्य में उम समय सफलता भी मिली। उनके अनुगु-मंत्र में ब्राह्मण वर्ग के लोगों से लेकर दूध वर्ग के निम्नतम वर्ग, भेगी, बमार आदि जाति के लोग थे।

धार्मिक समस्या : धर्म के क्षेत्र में भी महावीर ने समानता लाने का प्रयत्न किया। अहिंसा की नीति पर गढ़ा होने वाला अपरिग्रहवाद उन्हें बहुत प्रिय था। उन्होंने परिग्रह को बहुत बड़ा पाप बताया। अपरिग्रह के लिये परिग्रह की मर्मांश का उपदेस दिया। यह मर्मांश अन्न-वस्त्र से लेकर मोना-भाँड़ी आदि तक थी। यह करना सम्भवतः उचित न होगा कि उन्होंने साम्प्रदाय का ही प्रचार दिया, क्योंकि आश्रम के साम्प्रदाय का प्रचार उम समय की समझ ही न थी। आज के युग का धार्मिक दौष उम युग के धार्मिक उषे में अति प्रचारित है। आज के युग का सामूहिक मोक्ष उम युग में प्रचलित न था। फिर भी यह बात धरम है कि उम समय धार्मिक समरानता समाज में विद्यमान थी। उम समरानता को दूर करने का महावीर

परिचय-रेखा

पाश्वंताथ श्री महावीर एक ही सांस्कृतिक परम्परा के प्रचारक—उपदेशक थे, यह बात आज निर्विवाद रूप से सिद्ध हो चुकी है। इस बात को प्रमाणभूत मान लेने पर यह स्वतः सिद्ध हो जाता है कि जैन-परम्परा के प्रवर्तक महावीर से भी पहले विद्यमान थे। यह परम्परा कितनी पुरानी है, इसका अन्तिम निर्णय हमारी ऐतिहासिक दृष्टि की मर्यादा से बाहर है। हम तो इतना ही निश्चित कर सकते हैं कि महावीर जैन विचारधारा के प्रवर्तक न थे, अपितु प्रचारक थे, उपदेशक थे, सुधारक थे, उद्धारक थे। जैन तत्त्वज्ञान को अर्द्धो तरह से समझने के लिये, यह आवश्यक है कि महावीर के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार किया जाय। प्रत्येक महापुरुष अपने सिद्धान्त का व्यापक प्रचार करने के लिये दो प्रकार के कार्य अपने हाथ में लेता है। पहला कार्य यह है कि अपने सिद्धान्त से विपरीत जितनी भी मान्यताएँ समाज में प्रचलित हों उनका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में खण्डन करना। यह निषेधात्मक कार्य है। दूसरा कार्य विधेयात्मक होता है, और वह है, अपने सिद्धान्तों का खुले रूप में प्रचार करना। महावीर के सामने भी ये दोनों प्रकार के कार्य थे। उन्होंने उस समय की सामाजिक कुरीतियाँ, धार्मिक अन्ध-भक्ति आदि पर कठोर प्रहार किया और साथ ही साथ लोगों को शान्ति एवं प्रेम का मार्ग बताया। महावीर ने जनता को शान्ति का जो सन्देश दिया, वह अपूर्ण अर्थात् किसी एक क्षेत्र तक ही सीमित न था। जीवन के जितने पक्ष थे, सब पर उसकी व्याप थी। क्या सामाजिक, क्या आर्थिक, क्या दार्शनिक, क्या धार्मिक—सभी क्षेत्रों के लिए उनका एक ही सन्देश था और वह था शान्ति और प्रेम का, वह था सद्भावना एवं मार्मजस्य का, वह था अहिंसा और अनेकान्त का। तत्कालीन मुख्य मुख्य समस्याओं पर इसका प्रयोग कैसे किया गया, इसे क्रमशः देखने का प्रयत्न करना ठीक होगा :—

सामाजिक परिस्थिति : महावीर के समय में सामाजिक विषमता काफी बढ़ी हुई थी, इसमें कोई संशय नहीं। वर्णभेद के नाम पर मनुष्य-समाज के अनेक खण्ड हो रहे थे। ये खण्ड केवल व्यवसाय या कर्म के क्षेत्र तक ही

भी यही बात कही जा सकती है। महावीर जब अपना परिचित क्षेत्र छोड़ कर अन्यत्र गए तो उन्हें काफी यातनाएँ सहनी पड़ीं। इसका कारण यह था कि उस क्षेत्र में केवल उनका व्यक्तिगत प्रभाव था, न कि राजवंश का कोई असर। महावीर ने जनता को अहिंसा-सन्देश दिया। उन्होंने कहा कि आत्मशुद्धि ही सुख का सच्चा एवं सीधा उपाय है। जब तक आत्मशुद्धि न होगी, वायुशुद्धि अथवा देवताओं की प्रसन्नता से कुछ नहीं हो सकेगा। यदि आप अपने लिए सुख चाहते हैं तो उसे अपने भीतर में ही निकालिए। वह कहीं बाहर नहीं है। दूसरे प्राणियों की हत्या से आपको सुख कैसे मिल सकता है? अपने कपाय की हत्या करिए, अपने रागद्वेष का वध करिए। इसी से आपको सच्चा सुख मिलेगा। दुःख के कारणों का नाश होने पर ही दुःख दूर होता है। जो दुःख के वास्तविक कारण हैं उन्हें नष्ट कीजिए—उनकी आहुति दीजिए। दुःख का कारण तो है राग-द्वेष-कपाय और आप नाश करते हैं दूसरे प्राणियों का। हे भोले जीवो! ऐसा करने से दुःख कैसे दूर होगा? स्वयं सुख चाहते हो और दूसरों को दुःख देते हो, यह कहाँ का न्याय है? जैसा हमें सुख प्रिय है वंसा दूसरों को भी सुख प्रिय है। इसलिए किसी को भी दुःख मत दो। किसी की भी हिंसा मत करो। जो दूसरे की हिंसा करता है वह सचमुच अपनी ही हिंसा करता है। हिंसा से दुःख बढ़ता है, घटता नहीं। महावीर का यह सन्देश आज के युग के लिये भी अत्यन्त उपयोगी है। इससे परलोक में कल्याण होता है, यही नहीं, अपितु इहलोक भी सुखी बनता है। भारतीय परम्परा में महावीर का अहिंसा-सन्देश आज भी किसी न किसी रूप में जीवित है।

दार्शनिक विवाद : महावीर के सामने अनेक प्रकार की दार्शनिक परम्पराएँ विद्यमान थीं। नित्य और अनित्य, एक और अनेक, जड़ और चेतन आदि विषयों का ऐकान्तिक आग्रह उनकी विशेषता थी। एक परम्परा नित्यवाद पर ही नारा बोक डाल देती थी तो दूसरी परम्परा अनित्यवाद को ही सब कुछ समझती थी। कोई परम्परा अन्तिम तत्त्व एक ही मानती थी तो किसी परम्परा में एक का सर्वथा निषेध था। कोई मारे मंसार की विभिन्नता का कारण एक मात्र जड़ को मानता था तो कोई केवल आत्मतत्त्व से ही सब कुछ निकाल लेता था। इस प्रकार विविध प्रकार के विरोधी वाद एक दूसरे पर प्रहार करने में ही अपनी सारी शक्ति लगा देते थे। परिणाम यह होता कि दार्शनिक जगत् में जरा भी शान्ति न रहती। पारस्परिक विरोध ही देशन का

का प्रयत्न उस युग की दृष्टि से महान् है। इतना होते हुए भी महावीर को इस कार्य में पूरी सफलता मिली हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि महावीर के जीवन के अन्तिम काल तक धार्मिक असमानता बनी रही। महावीर के बड़े बड़े भक्त-श्रावक इस असमानता के उदाहरण के रूप में उपस्थित किये जा सकते हैं। हाँ, जहाँ तक श्रमण-संघ का प्रश्न है, महावीर को अपरिग्रह के सिद्धान्त में पूरी सफलता मिली। श्रमण-संघ का कोई भी साधु श्रावणकता से अधिक उपभोग-परिभोग की सामग्री नहीं रख सकता था। इस सामग्री की मर्यादा का बन्धन भी बहुत कठोर था।

धार्मिक मान्यता : जिस समय महावीर ने धार्मिक धारणाओं का प्रचार करना शुरू किया उन समय भारत की भूमि पर वैदिक क्रियाकाण्डों का बहुत जोर था। यज्ञ के नाम पर किन किन प्राणियों के प्राणों की आहुति दी जाती थी, यह इतिहास के विद्वानों से छिपा नहीं है। वैदिक क्रिया-काण्डों का सुचारु रूप से पालन करवाने के लिए एक स्वतन्त्र सम्प्रदाय ही बन चुका था। इस सम्प्रदाय का नाम मीमांसा सम्प्रदाय है। यही सम्प्रदाय दर्शन-जगत् में पूर्व मीमांसा के नाम से प्रसिद्ध है। इसके अनेक ग्रन्थ इसी हेतु से बने कि अमुक क्रिया का अमुक विधि से ही पालन होना चाहिये। प्रत्येक प्रकार के विधि-विधान के लिए अलग अलग प्रकार के नियम थे। यज्ञ में आहुति देने की विशिष्ट विधियाँ थीं। लोगों की यह धारणा दृढ़ होती जा रही थी कि स्वर्ग-प्राप्ति के लिये ये क्रिया-काण्ड अनिवार्य हैं। बिना यज्ञ में आहुति दिए स्वर्ग-प्राप्ति असम्भव है। महावीर ने इन सब धारणाओं को देखा एवं वैदिक क्रिया-काण्ड के पीछे होने वाली भयंकर हत्याओं का विरोध करना प्रारम्भ किया। वे खुले रूप में हिंसापूर्ण यज्ञों का विरोध करने लगे। इस विरोध के कारण उन्हें जगह-जगह अपमानित भी होना पड़ता था। किन्तु उन्होंने किसी भी प्रकार की परवाह किए बिना अहिंसा का सन्देश घर-घर पहुँचाना बराबर चालू रखा। शान्ति और प्रेम के सन्देश में कभी हिलाई न आने दी। यद्यपि वैदिक क्रिया-काण्ड का समर्थक वर्ग बहुत बड़ा एवं प्रभावशाली था किन्तु महावीर को वह न दबा सका। इसका कारण यही मालूम होता है कि एक तो महावीर स्वयं दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति थे, दूसरी बात यह है कि महावीर का जन्म एक क्षत्रिय राज-परिवार में हुआ था और उसका आसपास में बहुत प्रभाव था। यदि ऐसा न होता तो सम्भवतः उन्हें इतनी जल्दी सफलता न मिलती। बुद्ध के विषय में

में हमारे सामने है। इसके अतिरिक्त जैनदर्शन की और भी कई विशेषताएँ हैं। उनका हम क्रमशः उल्लेख करेंगे।

सर्व प्रथम हम तत्त्व को लें। तत्त्व के सामान्य रूप से चार पक्ष होते हैं। एक पक्ष तत्त्व को सत् मानता है। सांख्य इस पक्ष का प्रबल समर्थक है। दूसरा पक्ष असत्वादी है। उसकी दृष्टि से तत्त्व सत् नहीं हो सकता। बौद्ध दर्शन की शाखा शून्यवाद को इस पक्ष का समर्थक कह सकते हैं। यद्यपि शून्यवाद की दृष्टि से तत्त्व न सत् है, न असत् है, न उभय है, न अनुभय है, तथापि उसका झुकाव निषेध की ओर ही है अतः वह असत्वादी कहा जा सकता है। तीसरा पक्ष सत् और असत्—दोनों का स्वतंत्र रूप से समर्थन करता है। यह पक्ष न्याय-वैशेषिक का है। इनकी दृष्टि से सत् भिन्न है, असत् भिन्न है। ये दोनों स्वतन्त्र तत्त्व हैं। सत् असत् से; सर्वथा भिन्न तथा स्वतन्त्र पदार्थ है। उसी प्रकार असत् भी एक भिन्न पदार्थ है। चौथा पक्ष अनुभयवाद का है। इस पक्ष का कथन है कि तत्त्व अनिर्दिचनीय है। वह न सत् कहा जा सकता है, न असत्। वेदान्त की माया इसी प्रकार की है। वह न सत् है न असत्। जैन दर्शन इन चारों प्रकार के एकान्तवादी पक्षों को अग्रणी मानता है। वह कहता है कि वस्तु न एकान्तरूप से सत् है, न एकान्तरूप से असत् है, न एकान्तरूप से सत् और असत् है, न एकान्तरूप से सत् और असत् दोनों से अनिर्दिचनीय है। यह तो जैनदर्शन-सम्मत तत्त्व की सामान्य चर्चा हुई।

विशेष रूप से जैनदर्शन छः द्रव्य (तत्त्व) मानता है। ये छः द्रव्य हैं—जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, काल और पुद्गल। जीवद्रव्य के विषय में जैन दर्शन की विशेष मान्यता यह है कि संसारी आत्मा देह-परिमाण होती है। भारत के किसी अन्य दर्शन में आत्मा को, स्वदेह-परिमाण नहीं माना जाता। केवल जैन दर्शन ही ऐसा है जो आत्मा को देह-परिमाण मानता है। धर्म और अधर्म की मान्यता भी जैनदर्शन की अपनी विशेषता है। कोई अन्य दर्शन गति और स्थिति के लिए भिन्न द्रव्य नहीं मानता। वैशेषिकों ने उत्क्षेपण आदि को द्रव्य न मान कर कर्म माना है। जैनदर्शन गति के लिए स्वतन्त्र द्रव्य-धर्मास्तिकाय मानता है और स्थिति के लिए स्वतन्त्र द्रव्य-अधर्मास्तिकाय मानता है। जैनदर्शन की आकाश-विषयक मान्यता में भी विशेषता है। लोकाकाश की मान्यता अन्यत्र भी है किन्तु अलोकाकाश (केवल आकाश) की मान्यता अन्यत्र नहीं मिलती। पुद्गल की मान्यता में यह विशेषता है कि वैशेषिकादि पृथ्वी

मूल था। महावीर ने सोचा कि बात क्या है? क्या कारण है कि सभी वाद एक दूसरे के विरोधी हैं? उन्हें ऐसा मालूम पड़ा कि इस विरोध के मूल में मिथ्या भाग्रह है। इसी भाग्रह को उन्होंने ऐकान्तिक भाग्रह कहा। उन्होंने वस्तुतत्त्व को ध्यान से देखा। उन्हें मालूम हुआ कि वस्तु में तो बहुत से धर्म हैं, फिर क्या कारण है कि कोई किसी एक धर्म को ही स्वीकार करता है तो कोई किसी दूसरे धर्म को ही यथार्थ मानता है? दृष्टि की संकुचितता के कारण ऐसा होता है, यह हल निकला। उन्होंने कहा कि दार्शनिक दृष्टि संकुचित न होकर विशाल होनी चाहिये। जितने भी धर्म वस्तु में प्रतिभासित होते हों, सब का समावेश उस दृष्टि में होना चाहिये। यह ठीक है कि हमारा दृष्टि-कोण किसी समय किसी एक धर्म पर विशेष भार देता है, किसी समय किसी दूसरे धर्म पर। इतना होते हुए भी, यह नहीं कहा जा सकता कि वस्तु में प्रमुख धर्म है, और कोई धर्म नहीं। वस्तु का पूर्ण विश्लेषण करने पर यह प्रतीत होगा कि वास्तव में हम जिन धर्मों का निषेध करना चाहते हैं वे सारे धर्म वस्तु में विद्यमान हैं। इसी दृष्टि को सामने रखते हुए उन्होंने वस्तु को अनन्त धर्मात्मक कहा। वस्तु स्वभाव से ही ऐसी है कि उसका अनेक दृष्टियों से विचार किया जा सकता है। इसी दृष्टि का नाम अनेकान्तवाद है। किसी एक धर्म का प्रतिपादन 'स्यात्' (किसी एक अपेक्षा से या किसी एक दृष्टि से) शब्द से होता है अतः अनेकान्तवाद को म्याद्वाद भी कहते हैं। दार्शनिक क्षेत्र में महावीर की यह बहुत बड़ी देन है। इससे उनकी उदारता एवं विशालता प्रकट होती है। यह कहना ठीक नहीं कि अनेकान्तवाद एकान्तवादों का समन्वय मात्र है। अनेकान्तवाद एक विलक्षण वाद है। इसकी जाति एकान्तवाद से भिन्न है। एकान्तवादों का समन्वय हो ही नहीं सकता। समन्वय तो सापेक्षवादों का हो सकता है। अनेकान्तवाद सापेक्षवादों का समन्वय अवश्य है। सापेक्षवाद अनेकान्तवाद से अभिन्न हैं। अनेक एकान्त दृष्टियों को जोड़ने मात्र से अनेकान्त दृष्टि नहीं बन सकती। अनेकान्त दृष्टि एक विशाल एवं स्वतन्त्र दृष्टि है, जिसमें अनेक सापेक्ष दृष्टियाँ हैं।

जैनदर्शन की विशेषता : महावीर ने जिस दृष्टि का प्रचार किया उस दृष्टि की विशेषताओं पर प्रकाश डालना आवश्यक है। जैनदर्शन की मुख्य विशेषता स्याद्वाद है, यह हमने देखा। महावीर ने वस्तु का पूर्ण स्वरूप हमारे सामने रखने की पूरी कोशिश की और उमी का परिणाम स्याद्वाद के रूप

प्रस्तुत ग्रंथ का प्रथम अध्याय धर्म, दर्शन और विज्ञान की तुलना के सा-
में है। इससे दर्शन के क्षेत्र का और उसकी पद्धति का ज्ञान होने में सहायता
मिलेगी। दूसरा अध्याय आदर्शवाद और यथार्थवाद के दार्शनिक दृष्टिकोणों
को समझने के लिए है। जैनदर्शन का क्या दृष्टिकोण है व दूसरे दृष्टिकोणों
से उसमें क्या विशेषता है, यह जानने की दृष्टि से इसे आवश्यक समझा गया
है। पाश्चात्य और प्राच्य विचारधाराओं की सामान्य भूमिका क्या है, यह भी
इससे ज्ञात होगा। तीसरा अध्याय जैनदर्शन के सामान्य स्वरूप व उसके आधा-
रित साहित्य पर है। इसमें आगम से लेकर आज तक के साहित्य का परिचय
दिया गया है। जैन-दर्शन के विकास को समझने के लिए यह जानना आव-
श्यक है। चौथा अध्याय तत्त्व पर है। तत्त्व के स्वरूप, भेद आदि का
संक्षिप्त विवेचन किया गया है। पाँचवाँ अध्याय ज्ञानवाद और प्रमाणशास्त्र
पर है। इसमें आगमिक मान्यता और तार्किक मान्यता—दोनों का विचार
किया गया है। छठा अध्याय स्याद्वाद पर है। आगमों में स्याद्वाद किस रूप
में मिलता है, भगवती आदि में सप्तभङ्गी किस रूप में है, सप्तभङ्गी आगम-
कालीन है या बाद के दार्शनिकों के दिमाग की उपज, आदि प्रश्नों को हल
करने का प्रयत्न किया गया है और साथ ही स्याद्वाद पर किये जाने
वाले प्राचीन एवं अर्वाचीन प्रहारों का सप्रमाण उत्तर दिया गया है।
सातवाँ अध्याय नय पर है। इसमें द्रव्याधिक और पर्यायधिक दृष्टि का
विवेचन करते हुए सात नयों का स्वरूप बताया गया है। आठवें अध्याय में
कर्मवाद पर प्रकाश डाला गया है। इस प्रकार इस ग्रंथ में जैन-दर्शन की मौलिक
समस्याओं पर प्रकाश डालने की पूरी कोशिश की गई है। प्रायः मुख्य मुख्य
सारी बातें इसमें आ गई हैं। कोई भी ऐसा महत्त्व का विषय नहीं है जिस पर
इसमें प्रकाश न डाला गया हो। ऐसी बातें अवश्य छोड़ दी गई हैं जो केवल
मान्यता की हैं, जिनका दार्शनिक दृष्टि से खास महत्त्व नहीं है। हिन्दी जगत
में इस प्रकार के ग्रन्थों की कमी है। प्रस्तुत ग्रंथ इस कमी को किमी अंश तक
दूर करने का नम्र प्रयास है। पृष्ठों के नीचे स्थल-निर्देश व उद्धरण दिए गये
हैं जिससे कोई भी बात निमूल माँलूम न हो। 'नामूलं लिख्यते किञ्चित्' का
यथा संभव पालन किया गया है।

ग्रंथ की पाण्डुलिपि मात वर्ष पूर्व ही तैयार हो चुकी थी किन्तु किन्हीं
कारणों से ग्रंथ प्रकाशित न हो सका। आज इसे इस रूप में हमारे सम्मुख

आदि द्रव्यों के भिन्न-भिन्न परमाणु मानते हैं जब कि जैनदर्शन पुद्गल के अलग-अलग प्रकार के परमाणु नहीं मानता। प्रत्येक परमाणु में स्पर्श, रस, गन्ध और रूप की योग्यता रहती है। स्पर्श के परमाणु रूपादि के परमाणुओं से भिन्न नहीं हैं। इसी प्रकार रूप के परमाणु स्पर्शादि परमाणुओं से अलग नहीं हैं। परमाणु की एक ही जाति है। पृथ्वी का परमाणु पानी में परिणत हो सकता है, पानी का परमाणु अग्नि में परिणत हो सकता है आदि। इसके अतिरिक्त शब्द को पौद्गलिक मानना भी जैनदर्शन की विशेषता है। तत्त्व-विषयक विशेषताओं के ज्ञान के लिए यह विवरण काफी है।

ज्ञानवाद की मान्यता में सब से बड़ी विशेषता यह है कि जैनतर दर्शन इन्द्रियज्ञान को प्रत्यक्ष मानते हैं जब कि जैनदर्शन वास्तव में आत्मा से होने वाले ज्ञान को ही प्रत्यक्ष मानता है अर्थात् जो ज्ञान इन्द्रियों की सहायता से न होकर सीधा आत्मा से होता है वही ज्ञान प्रत्यक्ष है। इन्द्रियज्ञान को व्यावहारिक प्रत्यक्ष कह सकते हैं। पारमाथिक अथवा निश्चय-दृष्टि से इन्द्रियज्ञान परोक्ष ही है। मतिज्ञान और श्रुतज्ञान इन्द्रिय और मन की अपेक्षा रखते हैं अतः परोक्ष हैं। अवधि, मनःनयन और केवलज्ञान इन्द्रिय और मन की अपेक्षा नहीं रखते, किन्तु आत्मा से उत्पन्न होते हैं अतः प्रत्यक्ष हैं।

प्रामाण्य की समस्या का उत्पत्ति और शक्ति की दृष्टि से जो समाधान जैन ताकिकों ने किया है वह भी दूसरों से भिन्न है। जैनदर्शन में प्रामाण्य और अप्रामाण्य की उत्पत्ति परतः मानी गई है जब कि शक्ति स्वतः और परतः दोनों प्रकार से मानी गई है। अभ्यास-दशा में शक्ति स्वतः होती है, अन-भ्यास दशा में परतः। प्रमाण और फल के सम्बन्ध में भी जैन दृष्टिकोण भिन्न है। प्रमाण फल से कश्चित् भिन्न है कश्चित् अभिन्न।

स्याद्वाद और नय की जैन दर्शन की देन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तथा विशिष्ट है, हम पहले ही कह चुके हैं। नय का आविष्कार करके जैनताकिकों ने सम्यक्-एकान्त की सिद्धि करने का सफल प्रयत्न किया है। अपनी दृष्टि तक सीमित रहते हुए भी दूसरों की दृष्टि पर प्रहार न करना, यही नय का सन्देश है।

कर्मवाद पर जैनदर्शन के आचार्यों ने जितना विशाल साहित्य तैयार किया है उतना किसी दूसरे दर्शन के आचार्यों ने नहीं किया। कर्म-सिद्धान्त का इतना व्यवस्थित एवं सर्वांगपूर्ण दिवेचन अन्य दर्शनों में नहीं मिलता।

3

.

.

.

.

.

.

.

प्रस्तुत करने का सारा श्रेय श्री सम्मति ज्ञानपीठ, आगरा को है। इसके लिए मैं ज्ञानपीठ का हृदय से आभारी हूँ। साथ ही श्रद्धेय उपाध्याय कवि प्रमर मुनिजी तथा अपने गुरु पं० दलसुख मालवणिया का भी अत्यन्त अनुग्रहीत हूँ जिनकी सस्त्रेरणा एवं शुभाशीर्वादों के फलस्वरूप ही यह कार्य निष्पन्न हुआ।

—मोहनलाल मेहता

शैक्षणिक एवं व्यावसायिक

परामर्श केन्द्र

राजस्थान, बीकानेर

३-१२-५८

श्रमण संस्कृति	७४
'श्रमण' शब्द का अर्थ	७६
जैन परम्परा का महत्त्व	७७
जैन दर्शन का आधार	८३
✓ आगम युग	८३
आगमों का वर्गीकरण	८५
आगमों पर टीकाएँ	८७
दिगम्बर आगम	८८
स्थानकवासी आगम ग्रन्थ	८९
आगमप्रामाण्य का सार	९०
आगम युग का अन्त	९०
आचार्य उमास्वाति और तत्त्वार्थ सूत्र	९१
तत्त्वार्थ पर टीकाएँ	९३
अनेकान्त-स्थापना-युग	९४
सिद्धसेन	९४
समन्तभद्र	९९
मल्लवादी	१०२
सिंहगणि	१०३
पात्रकेशरी	१०३
प्रमाणशास्त्र-व्यवस्था-युग	१०४
अकलंक	१०४
हरिभद्र	१०६
विद्यानन्द	१०७
शाकटायन और अनन्तवीर्य	१०८
माणिक्यनन्दी, सिद्धवि और अभय देव	१०९
प्रभाचन्द्र और वादिराज	१०९
जिनेश्वर, चन्द्रप्रभ और अनन्तवीर्य	११०
वादी देवसूरि	११०
हेमचन्द्र	१११

कहाँ—क्या—है ?

पृष्ठ संख्या

१—धर्म, दर्शन और विज्ञान	३-२२
धर्म की उत्पत्ति	५
धर्म का भ्रम	७
दर्शन का स्वरूप	११
विज्ञान का क्षेत्र	१५
धर्म और दर्शन	१६
दर्शन और विज्ञान	१८
धर्म और विज्ञान	२१
२—दर्शन, जीवन और जगत्	२३-६४
दर्शन की उत्पत्ति	२६
भारतीय परम्परा का प्रयोजन	३०
दर्शन और जीवन	३७
जगत् का स्वरूप	३८
आदर्शवाद का दृष्टिकोण	४१
कुछ मिथ्या धारणाएँ	४२
आदर्शवाद की विभिन्न दृष्टियाँ	४४
यथार्थवाद	५४
यथार्थवादी विचारधाराएँ	५६
जैन-दर्शन का यथार्थवाद	६३
३—जैन दर्शन और उसका आधार	६५-१२२
जैन धर्म या जैन दर्शन	६८
भारतीय विचार-प्रवाहों की दो धाराएँ	६९
ग्राहण संस्कृति	७२

			पृष्ठ संख्या
पुद्गल और आत्मा	१६२
औदारिक शरीर	१६३
वैक्रिय शरीर	१६३
आहारक शरीर	१६३
तेजस शरीर	१६३
कार्मण शरीर	१६३
धर्म	१६४
अधर्म	१६६
आकाश	१६७
अद्वासमय	१६६
५-ज्ञानवाद और प्रमाणशास्त्र	२०३-२७२
आगमों में ज्ञानवाद	२०६
मतिज्ञान	२११
इन्द्रिय	२१२
मन	२१३
अवग्रह	२१५
ईहा	२१६
अवाय	२२०
धारणा	२२१
श्रुतज्ञान	२२७
मति और श्रुत	२२६
अवधिज्ञान	२३२
मनःपर्ययज्ञान	२३५
अवधि और मनःपर्यय	२३७
केवलज्ञान	२३८
दर्शन और ज्ञान	२३६
आगमों में प्रमाणचर्चा	२४५
तर्कयुग में ज्ञान और प्रमाण	२५२

अन्य दार्शनिक	११२
नव्य-न्याय-युग	११४
सम्पादन एवं अनुसंधान-युग	११६
६—जैन-दर्शन में तत्त्व	१२३-२०२
जैन दृष्टि से लोक	१२६
सत् का स्वरूप	१२६
द्रव्य और पर्याय	१३३
भेदाभेदवाद	१३६
द्रव्य का वर्गीकरण	१४६
आत्मा का स्वतन्त्र अस्तित्व	१५१
आत्मा का स्वरूप	१५८
ज्ञानोपयोग	१५६
दर्शनोपयोग	१६२
संसारि आत्मा	१६३
पुद्गल	१७८
अणु	१७६
स्कन्ध	१८३
पुद्गल का काय	१८८
शब्द	१८८
बन्ध	१८६
सौक्ष्म्य	१९०
स्थूल्य	१९०
संस्थान	१९०
भेद	१९०
तम	१९०
छाया	१९१
आनप	१९१
उद्योत	१९१

द-कर्मवाद

	पृष्ठ संख्या
कर्मवाद, नियतिवाद एवं इच्छास्वातंत्र्य	३४३-३४७
कर्म का अर्थ	३४६
कर्म-बन्ध का कारण	३४७
कर्म-बन्ध की प्रक्रिया	३४७
कर्म-प्रकृति	३४८
कर्मों की स्थिति	३४४
कर्म-फल की तीव्रता मन्दता	३४९
कर्मों के प्रदेश	३४९
कर्म की विविध अवस्थाएँ	३४९
कर्म और पुनर्जन्म	३५०

			पृष्ठ संख्या
ज्ञान का प्रामाण्य	२५५
प्रमाण का फल	२५७
प्रमाण के भेद	२५८
प्रत्यक्ष	२६१
परोक्ष	२६२
१-स्याद्वाद	२७३-३२४
विभज्यवाद और अनेकान्तवाद	२७७
एकान्तवाद और अनेकान्तवाद	२८०
लोक की नित्यता अनित्यता	२८३
सान्तता और अनन्तता	२८३
जीव की नित्यता और अनित्यता	२८५
सान्तता और अनन्तता	२८७
पुद्गल की नित्यता अनित्यता	२८८
एकता और अनेकता	२९०
अस्ति और नास्ति	२९१
आगमों में स्याद्वाद	२९३
अनेकान्तवाद और स्याद्वाद	२९४
स्याद्वाद और सप्तभङ्गी	२९६
भङ्गों का आगमकालीन रूप	३००
सप्तभङ्गी का दार्शनिकरूप	३०८
दोष-परिहार	३१४
-नयवाद	३२५-३४२
द्रव्याधिक और पर्यायाधिक दृष्टि	३२८
द्रव्याधिक और प्रदेशाधिक दृष्टि	३२९
व्यावहारिक और नैश्चयिक दृष्टि	३३०
अर्थनय और शब्दनय	३३१
नय के भेद	३३२
नयों का पारस्परिक सम्बन्ध			

ज
न
द
र्श
न

श्री माधुमती ज्ञान शिवक संघ
बंगलाशहर - भीनाखर

एक :

धर्म, दर्शन और विज्ञान

धर्म की उत्पत्ति

धर्म का अर्थ

दर्शन का स्वरूप

विज्ञान का क्षेत्र

धर्म और दर्शन

दर्शन और विज्ञान

धर्म और विज्ञान

किसी का मत है कि मनुष्य ने जब प्रकृति के अद्भुत कार्य देखे तब उसके मन में एक प्रकार की विचारणा जाग्रत हुई। उसने उन सब कार्यों के विषय में सोचना प्रारम्भ किया। सोचते-सोचते वह उस स्तर पर पहुँच गया, जहाँ श्रद्धा का साम्राज्य था। यही धर्म की विचारधारा प्रारम्भ होती है। हम इस मत का विरोध करता है। उसकी धारणा के अनुसार धर्म की उत्पत्ति का मुख्य आधार प्राकृतिक कार्यों का चिन्तन नहीं, अपितु जीवन की कार्य-परम्परा है। मानव-जीवन में निरन्तर आने वाले भय व आशाएँ ही धर्म की उत्पत्ति के मुख्य कारण हैं। जीवन के इन दो प्रधान भावों को छोड़कर अन्य कोई भी ऐसा कार्य या व्यापार नहीं, जिसे हम धर्म की उत्पत्ति का प्रधान कारण मान सकें। हम इस मान्यता का विरोध करते हुए किसी ने केवल भय को ही धर्म की उत्पत्ति का कारण माना। इस मान्यता के अनुसार भय ही सर्व-प्रथम कारण था, जिसने मानव को भगवान् की सत्ता में विश्वास करने के लिए विवश किया। यदि भय न होता तो मानव एक ऐसी शक्ति में कदापि विश्वास न करता, जो उसकी सामान्य पहुँच व शक्ति के बाहर है। कान्ट ने इन सारी मान्यताओं का खण्डन करते हुए इस धारणा की स्थापना की कि धर्म का मुख्य आधार न आशा है, न भय है और न प्रकृति के अद्भुत कार्य ही ? धर्म की उत्पत्ति मनुष्य के भीतर रही हुई उस भावना के आधार पर होती है जिसे हम नैतिकता (Morality) कहते हैं। नैतिकता के अतिरिक्त ऐसा कोई आधार नहीं, जो धर्म की उत्पत्ति में कारण बन सके। जर्मन के दूसरे दार्शनिक हेगल ने कान्ट को इस मान्यता को विशेष महत्त्व न देते हुए इस मत की स्थापना की कि दर्शन और धर्म दोनों का आधार एक ही है। दर्शन और धर्म के इस अभेदभाव के सिद्धान्त का समर्थन क्रोस आदि अन्य विद्वानों ने भी किया है। हेगल के समकालीन दार्शनिक श्लैरमांकर ने धर्म की उत्पत्ति का आधार मानव की उस भावना को माना, जिसके अनुसार मानव अपने को सर्वथा परतंत्र (Absolutely dependent) अनुभव करता है। इसी ऐकान्तिक परतंत्र भाव के आधार पर धर्म व ईश्वर की उत्पत्ति

श्री माधुपर्गी त्रैलोक्य शिवक संघ
बंगाल शहर - भोलाखर

धर्म, दर्शन और विज्ञान

धर्म, दर्शन और विज्ञान परस्पर सम्बद्ध तो हैं ही, साथ ही साथ किसी न किसी रूप में एक दूसरे के पूरक भी है। यह ठीक है कि इन दृष्टियों के मार्ग भिन्न-भिन्न हैं। तीनों अपनी-अपनी स्वतंत्र पद्धति के आधार पर सत्य की खोज करते हैं। तीनों अपने-अपने स्वतंत्र दृष्टिबिन्दु के अनुसार तत्त्व की शोध करते हैं। इतना होते हुए भी तीनों का लक्ष्य एकान्त रूप से भिन्न नहीं है। इसी दृष्टि को सामने रखते हुए हम धर्म, दर्शन और विज्ञान के लक्षणों व सम्बन्धों का दिग्दर्शन कराने का प्रयत्न करेंगे।

धर्म की उत्पत्ति :

सर्वप्रथम हम यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि धर्म की उत्पत्ति का क्या कारण है। मानव-जीवन में ऐसे कौन से प्रश्न आये, जिनको सुलभाने के लिए मानव जाति को धर्म का आश्रय लेना पड़ा। ऐसी कौन सी कठिनाइयाँ आईं, जिन्हें दूर करने के लिए मनुष्य-जाति के हृदय में धर्म की प्रबल भावनाएँ जाग्रत हुईं।

“धारणात् धर्मः” अर्थात् जो धारण किया जाए वह धर्म है। ‘धृ’ धातु के धारण करने के अर्थ में ‘धर्म’ शब्द का प्रयोग होता है। जैन परम्परा में वस्तु का स्वभाव धर्म कहा गया है। प्रत्येक वस्तु का किसी न किसी प्रकार का अपना स्वतंत्र स्वभाव होता है। वही स्वभाव उस वस्तु का धर्म माना जाता है। उदाहरण के तौर पर अग्नि का अपना एक विशिष्ट स्वभाव है, जिसे उष्णता कहते हैं। यह उष्णता ही अग्नि का धर्म है। आत्मा के अहिंसा, संयम, तप आदि गुणों को भी धर्म का नाम दिया गया है। इनके अतिरिक्त ‘धर्म’ के और भी अनेक अर्थ होते हैं। उदाहरण के लिए नियम, विधान, परम्परा, व्यवहार, परिपाटी, प्रचलन, आचरण, कर्तव्य, अधिकार, न्याय, सद्गुण, नैतिकता, क्रिया, सत्कर्म आदि अर्थों में धर्म शब्द का प्रयोग होता आया है। जब हम कहते हैं कि वह धर्म में स्थित है तो इसका अर्थ यह होता है कि वह अपना कर्तव्य पूर्ण रूप से निभा रहा है। जब हम यह कहते हैं कि वह धर्म करता है तो हमारा अभिप्राय कर्तव्य से न होकर क्रिया-विशेष से होता है—अमुक प्रकार के कार्य से होता है, जो धर्म के नाम से ही किया जाता है। बौद्ध परम्परा में धर्म का अर्थ वह नियम, विधान या तत्त्व है जिसका बुद्ध प्रवर्तन करते हैं। इसी का नाम ‘धर्म-चक्र-प्रवर्तन’ है। बौद्ध जिन तीन शरणों का विधान करते हैं उनमें धर्म भी एक है।

इस प्रकार ‘धर्म’ शब्द का अनेक अर्थों में प्रयोग हुआ है। भिन्न-भिन्न परम्पराएँ अपनी-अपनी मान्यता के अनुसार विविध स्थानों पर ‘धर्म’ शब्द के विविध अर्थ करती हैं। ऐसी कोई व्याख्या नहीं है, जिसे सभी स्वीकृत करते हों। ऐसा कोई लक्षण नहीं है, जो सर्व-सम्मत हो।

१. वस्तुसहायो धम्मो

२. धम्मो मंगलमुद्दिट्ठं अहिंस संजमो तवो ।

३. Sanskrit - English Dictionary (Monier Williams)

४. धम्मं सरणं गच्छामि, बुद्धं सरणं गच्छामि, संघं सरणं गच्छामि ।

होती है। हेगल और श्लेयरमाकर की मृत्यु के कुछ ही समय उपरान्त धर्म की उत्पत्ति का प्रश्न डार्विन के विकासवाद के हाथ में चला गया। यह परिवर्तन दर्शन और विज्ञान की परम्परा के बीच एक गम्भीर संघर्ष था। धर्म की उत्पत्ति का प्रश्न, जो अब तक दार्शनिकों के हाथ में था, अकस्मात् विज्ञान के हाथ में आ गया। विज्ञान की शाखा मानव-विज्ञान (Anthropology) अपनी विकासवाद की धारणा के आधार पर धर्म की उत्पत्ति का अध्ययन करने लगा। इस मान्यता के अनुसार आध्यात्मिक श्रद्धा ही धर्म की उत्पत्ति का मुख्य आधार मानी गई।

इस प्रकार धर्म की उत्पत्ति के मुख्य प्रश्न को लेकर विभिन्न धारणाओं ने विभिन्न विचार-धाराओं का समर्थन किया। इन सब विचार-धाराओं का विश्लेषण करने से यह प्रतीत होता है कि धर्म की उत्पत्ति का प्रधान कारण न तो प्राकृतिक कार्यों की विचित्रता है, न आश्चर्य है और न आशा ही है अपितु मानव को असहाय अवस्था है, जिसमें एक प्रकार के भय का मिश्रण रहा हुआ है। इसी अवस्था से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य एक प्रकार की श्रद्धा-पूर्ण भावना का निर्माण करता है। यही भावना धर्म का रूप धारण करती है। भारतीय परम्परा में धर्म की उत्पत्ति का प्रधान कारण दुःख माना गया है। मनुष्य सांसारिक दुःख से मुक्ति पाने की आशा से एक श्रद्धापूर्ण मार्ग का अवलम्बन लेता है। यही मार्ग धर्म का रूप धारण करता है। जिसे पाश्चात्य परम्परा में असहायवस्था कहा गया है, वही भारतीय परम्परा में दुःख-मुक्ति की अभिलाषा है। इस ढंग से दोनों परम्पराओं में बहुत साम्य है।

धर्म का अर्थ :

धर्म की उत्पत्ति से सम्बन्ध रखने वाली विभिन्न धाराओं का अध्ययन कर लेने के बाद यह जानना आवश्यक हो जाता है कि धर्म का वास्तविक अर्थ क्या है? 'धर्म' शब्द का ठीक-ठीक अर्थ समझे बिना उसकी उत्पत्ति विषयक मान्यता स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आ सकती। धर्म का व्युत्पत्तिमूलक अर्थ है

यह धर्म की सामाजिक व्याख्या है। व्यक्ति केवल व्यक्तिगत साधन से धार्मिक नहीं हो सकता। धार्मिक बनने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति समाज की सेवा करे। जो व्यक्ति समाज की उपेक्षा करके धर्म की आराधना करना चाहता है वह वास्तव में धर्म से बहुत दूर है। यह दृष्टिकोण समाजवादी विचारधारा का पोषक और समर्थक है। इसे हम एकान्त समाजवाद (Absolute Socialism) का नाम दे सकते हैं। हबर्ट स्पेन्सर ने इसी धारणा को दृष्टि में रखते हुए धर्म का स्वरूप इस ढंग से बताया कि धर्म विश्व को व्यापक रूप से समझने की एक काल्पनिक धारणा है। संसार के समस्त पदार्थ, एक ऐसी शक्ति की अभिव्यक्ति है, जो हमारे ज्ञान से परे है। स्पेन्सर की यह धारणा आदर्शवादी दृष्टिकोण के बहुत समीप है। हेगल के समान स्पेन्सर ने भी धर्म के साथ दर्शन की विचारधारा का समन्वय किया है, ऐसा प्रतीत होता है। मकटागार्ट ने इसी लक्षण को जरा और स्पष्ट करते हुए कहा : धर्म चित्त का वह भाव है जिसके द्वारा हम विश्व के साथ एक प्रकार के मेल का अनुभव करते हैं। जेम्सफ्रेजर के शब्दों में धर्म, मानव से ऊँची गिनी जाने वाली उन शक्तियों की आराधना है, जो प्राकृतिक व्यवस्था व मानव-जीवन का मार्गदर्शन व नियंत्रण करने वाली मानी जाती हैं। धर्म का उपरोक्त स्वरूप विचारात्मक व भावात्मक न होकर क्रियात्मक है, ऐसा मालूम होता है। आराधना या पूजा मानसिक होने की अपेक्षा विशेष रूप से कायिक होती है, तथापि उसके अन्दर इच्छाशक्ति का सर्वथा अभाव नहीं होता। यदि ऐसा होता तो शायद आराधना करने की प्रेरणा ही न मिलती। जहाँ तक प्रेरणा की जागृति का प्रश्न है, इच्छाशक्ति अवश्य कार्य करती है। जिस समय वह प्रेरणा कार्यरूप में परिणत होती है, उस समय उसका क्रियात्मक रूप हो जाता है और वह कायिक श्रेणी में आ जाती है। जेम्सफ्रेजर की उपरोक्त व्याख्या मानसिक व कायिक दोनों दृष्टियों से आराधना का विधान करती है, यह बात इस विवेचना से स्पष्ट हो जाती है। विलियम जेम्स ने किसी उच्च शक्तिविशेष की आराधना का विधान न करके विश्वास के आधार पर ही धर्म की नीव

वस्तुतः 'धर्म' से हमारा अभिप्राय इस समय उस शब्द से है, जिसे अंग्रेजी में 'रिलीजन' कहते हैं। अंग्रेजी के 'रिलीजन' शब्द से हमारे मन में जो स्थिर अर्थ जम जाता है, 'धर्म' शब्द से वैसा नहीं होता, क्योंकि 'रिलीजन' शब्द का एक विशेष अर्थ में प्रयोग होता है। 'रिलीजन' शब्द के एक निश्चित अर्थ को दृष्टि में रख कर ही भिन्न-भिन्न विचारक उस अर्थ को अपनी-अपनी दृष्टि से भिन्न-भिन्न रूपों में अभिव्यक्त करते हैं। उन सब रूपों में उस अर्थ की मूल भित्ति प्रायः एक सरीखी ही होती है। 'धर्म' शब्द के विषय में एकान्त रूप से ऐसा नहीं कहा जा सकता। 'रिलीजन' अर्थात् 'धर्म' शब्द का पाश्चात्य विचारकों ने किन-किन रूपों में क्या अर्थ किया है; इसे जरा देख लें। कान्ट के शब्दों में अपने समस्त कर्तव्यों को ईश्वरीय आदेश समझना ही धर्म है। हेगल की धारणा के अनुसार 'धर्म' सीमित नस्तिष्क के भीतर रहने वाले अपने असीम स्वभाव का ज्ञान है अर्थात् सीमित नस्तिष्क का यह ज्ञान कि वह वास्तव में सीमित नहीं अपितु असीम है, धर्म है। मेयर्स ने धर्म की व्याख्या करते हुए कहा कि मानव-आत्मा का ब्रह्माण्ड-विषयक स्वस्थ और साधारण उत्तर ही धर्म है। इन तीन मुख्य व्याख्याओं के अतिरिक्त और भी ऐसी व्याख्याएँ हैं जिन्हें देखने से हमारी धर्मविषयक धारणाएँ बहुत कुछ स्पष्ट हो सकती हैं। व्हाइटहेड ने धर्म की व्याख्या करते हुए कहा है : व्यक्ति अपने एकाकी रूप के साथ जो कुछ व्यवहार करता है वही धर्म है अर्थात् जिस समय व्यक्ति अपने को एकान्त में सर्वथा अकेला पाता है और यह गमभक्ता है कि जो कुछ उसका स्वरूप है वह यही व्यक्तित्व है, ऐसी अवस्था में उसका अपने साथ जो व्यवहार होता है; व्हाइटहेड की भाषा में वही धर्म है। यह धर्म का वैयक्तिक लक्षण है। व्यक्ति का अंतिम मूल्य व्यक्ति स्वयं ही है, ऐसा मानकर धर्म की उपरोक्त व्यवस्था की गई है। यह दृष्टिकोण एकान्त व्यक्तिवाद (Absolute Individualism) का सूचक है। अमेरिका के एक मनोविज्ञान-शास्त्री ग्रामेस ने धर्म की ठीक इससे विपरीत व्याख्या करते हुए कहा : जो ईश्वर से प्रेम करता है वह अपने भाई से अवश्य प्रेम करता है।

दृष्टि। इसी दृष्टि को अंग्रेजी में विजन (Vision) कहते हैं। साधारणतया प्रत्येक व्यक्ति देखता ही है। जिसके आँखें होती हैं वह उनका उपयोग करता ही है। हम यहाँ पर जिस 'दृष्टि' का प्रयोग कर रहे हैं, वह 'दृष्टि' साधारण दृष्टि नहीं है। आँखों से देखना ही हमारी 'दृष्टि' का विषय नहीं है। दर्शन के अर्थ में प्रयुक्त होने वाली दृष्टि का एक विशिष्ट अर्थ होता है। इस दृष्टि का उत्पत्ति स्थान आँखें न होकर बुद्धि है, विवेक है, विचार-शक्ति है, चिन्तन है। साधारण दृष्टि में जहाँ आँखें देखती हैं, दार्शनिक दृष्टि में देखने का काम विचार-शक्ति करती है। दूसरे शब्दों में कहा जाय तो साधारण दृष्टि बाह्य चक्षुओं को अपना करण बनाती है और दार्शनिक दृष्टि आन्तरिक चक्षु से काम लेती है। विवेक, विचार और चिन्तन इसी आन्तरिक चक्षु के पर्याय हैं।

मनुष्य अपने आसपास अनेक प्रकार की वस्तुएँ देखता है। वह संसार के बीच अपने को अकेला नहीं पाता, अपितु अन्य पदार्थों से घिरा हुआ अनुभव करता है। वह यह समझता है कि मेरा संसार के सब पदार्थों से कोई न कोई सम्बन्ध अवश्य है। किसी न किसी रूप में मैं सारे जगत् से बँधा हुआ हूँ। जिस समय मनुष्य इस सम्बन्ध को समझने का प्रयत्न करता है उस समय उसका विवेक जाग्रत हो जाता है, उसकी बुद्धि अपना कार्य संभाल लेती है, उसकी चिन्तन-शक्ति उसकी सेवा में लग जाती है। इसी का नाम दर्शन है। दूसरे शब्दों में दर्शन जीवन और जगत् को समझने का एक प्रयत्न है। दार्शनिक जीवन और जगत् को खण्डशः न देखता हुआ दोनों का अग्रगण्य अध्ययन करता है। उसकी दृष्टि में जगत् एक अग्रगण्य सत्ता होती है जिसका प्रभाव जीवन के प्रत्येक कार्य पर पड़ता है। जीवन और जगत् के इस सम्बन्ध को समझना ही दर्शन है। एक सच्चा दार्शनिक विज्ञानवेत्ता की तरह सत्ता के अमुक्त रूप या अंश का ही अध्ययन नहीं करता, कवि या कलाकार की भाँति सत्ता के सौन्दर्य अंश का ही विदलेपण नहीं करता, एक व्यापारी की भाँति केवल लाभ-हानि का ही हिसाब नहीं करता, एक धर्मोपदेशक की तरह केवल परलोक की ही बातें नहीं करता, अपितु सत्ता के सभी धर्मों

रखी। जेम्स के शब्दों में धर्म एक श्रद्धा है, जिसे धारण कर मनुष्य सोचता है कि जगत एक अदृष्ट नियम के आधार पर चलता है जिसके साथ मेल रखने में ही हमारा उत्कृष्ट हित है। इस व्याख्या के अनुसार धर्म का, आराधना या पूजा से कोई सम्बन्ध नहीं है। मनुष्य जगत् के साथ मैत्री का व्यवहार करे, यही इस व्याख्या का अभिप्राय है। संसार का सारा कार्य एक ऐसे नियम के अनुसार चलता है जिसका स्पष्ट दर्शन हमारी योग्यता से बाहर है। हम लोग अपनी साधारण बुद्धि के आधार पर उस नियम तक नहीं पहुँच सकते। उस नियम का पूर्ण विश्लेषण हमारी शक्ति से बाहर है। अपनी इस अयोग्यता को दृष्टि में रखते हुए संसार के समस्त प्राणियों के प्रति सदभावना व मित्रता का व्यवहार रखना ही धर्म है। धर्म का यह लक्षण नैतिकता का पोषण करनेके लिए बहुत उपयोगी है।

इन सब व्याख्याओं को देखने से यह सहज ही समझ में आ सकता है कि धर्म का सर्वसम्मत एक लक्षण निर्धारित करना कठिन है। इतना होते हुए भी हम यह कह सकते हैं कि धर्म, मानव विचार और आचार का आवश्यक अंग है।

यह ठीक है कि धर्म के कुछ चिह्न सामान्य होते हैं और कुछ विशेष। सामान्य चिह्न के आधार पर ही सम्पूर्ण समाज की उन्नति होती है। विशेष चिह्न या लक्षण विशेष परिस्थिति या समय की दृष्टि से उपयोगी एवं ग्राह्य होते हैं। ऐसे लक्षणों का सामान्य रूप से उपयोग नहीं हो सकता। धर्म के चिह्न आभ्यन्तर और बाह्य दोनों प्रकार के होते हैं। आभ्यन्तर चिह्न विचार-प्रधान होते हैं और बाह्य चिह्न आचार-प्रधान। दोनों में श्रद्धा का प्रमुख स्थान है, यह कहने की आवश्यकता नहीं।

दर्शन का स्वरूप :

धर्म का स्वरूप बताना जितना कठिन है, प्रायः दर्शन का स्वरूप-निरूपण भी उतना ही कठिन है। दर्शन का सीधा अर्थ होता है :

है। भौतिक विज्ञान की भाँति दर्शन केवल जगत् का विश्लेषण या स्पष्टीकरण ही नहीं करता अपितु उसकी उपयोगिता का भी विचार करता है। उपयोगितावाद दर्शन की मौलिक सूक्त है। इसी सूक्त के बल पर दर्शन जीवन की वास्तविकता समझने का दावा कर सकता है। जीवन की वास्तविकता जगत् की वास्तविकता से सम्बद्ध है। अतः जीवन की वास्तविकता समझने वाला जगत् की वास्तविकता भी समझ लेता है, यह स्वतः सिद्ध है।

विज्ञान का क्षेत्र :

वरट्टन्ड रसल लिखता है : विज्ञान के दो प्रयोजन होते हैं। एक ओर तो यह इच्छा रहती है कि अपने क्षेत्र में : सके उतना जान लिया जाय। दूसरी ओर यह प्रयत्न रहता है जो कुछ जान लिया गया है उसे कम से कम 'सामान्य नियमों' में गूँथ लिया जाय। रसल के इस कथन में विज्ञान का क्षेत्र दो भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम भाग में विज्ञान के अध्ययन की सामग्री की ओर संकेत है। यह तो प्रायः स्पष्ट ही है कि विज्ञान जितनी भी सामग्री एकत्र करता है, अपने अवलोकन के आधार पर। अवलोकन (Observation) को छोड़कर उसके पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिसकी सहायता से वह अपनी सामग्री जुटा सके। धर्म और दर्शन की तरह केवल श्रद्धा या चिन्तन से विज्ञान का कार्य नहीं चल सकता। विज्ञान तो प्रत्येक प्रयोग को अवलोकन की कसौटी पर कसता है। दूसरे शब्दों में कहा जाय तो विज्ञान प्रत्यक्ष अनुभववादी है। जिस चीज का प्रत्यक्ष अनुभव होता है वही चीज विज्ञान की दृष्टि से ठीक होती है। उसकी सामग्री का आधार प्रत्यक्ष अनुभव है। इन्द्रियों की सहायता से मनुष्य जितना अनुभव प्राप्त करता है वही विज्ञान का विषय है। आत्मप्रत्यक्ष, योगिप्रत्यक्ष या अन्य प्रत्यक्ष में उसका विश्वास नहीं होता। विज्ञान का सर्व प्रथम कार्य यही है कि वह अनुभव के आधार पर जितना ज्ञान प्राप्त हो सकता है, प्राप्त करने की कोशिश करता है। अपने अभीष्ट विषय को दृष्टि में रखते हुए इन्द्रियों और अन्य भौतिक-साधनों की सहायता

का एक साथ अध्ययन करता है। अपनी विचार-शक्ति व बुद्धि की योग्यतानुसार जगत् के प्रत्येक तत्त्व की गहराई तक पहुँचने का प्रयत्न करता है। उसकी खोज किसी समय-विशेष या स्थान-विशेष तक ही सीमित नहीं होती। प्लेटो के शब्दों में वह सम्पूर्ण काल व सत्ता का द्रष्टा है। उसका दृष्टिकोण इतना विशाल एवं विस्तृत होता है कि उसके अन्दर सब समा सकते हैं, किन्तु बाहर कोई नहीं निकल सकता। उसकी खोज कहीं से प्रारम्भ होती है, इसे हरेक समझ सकता है, किन्तु वह कहीं तक चला जाता है, यह समझना दूसरों के लिए बहुत कठिन है। वह कहीं से चलता है, यह तो दिखाई देता है, किन्तु कहीं पहुँचता है, इसका पता नहीं लगता। उसकी खोज किसी सीमा-विशेष से सीमित नहीं होती। इस विवेचन से हम सहज ही समझ सकते हैं कि दर्शन का क्षेत्र ज्ञान की सब धाराओं से विशाल है। मानव-बुद्धि की सभी शाखाएँ दर्शन के अन्तर्गत आ सकती हैं। जहाँ मानव-मस्तिष्क सोचना प्रारम्भ करता है, वहीं दर्शन का प्रारम्भ हो जाता है। दर्शन ज्ञान की प्रत्येक धारा का अध्ययन करता है, ऐसा कहने का यह अर्थ नहीं कि वह प्रत्येक वस्तु को पूरी गहराई तक जानता है, क्योंकि ऐसा करना मानव की शक्ति के बाहर है। दर्शन सम्पूर्ण विश्व का अध्ययन करता है, इसका अर्थ यही है कि विश्व के मूलभूत सिद्धान्तों की खोज ही उसका प्रधान लक्ष्य है। जगत् के मूल में कौनसा तत्त्व काम कर रहा है, जीवन का उस तत्त्व के साथ क्या सम्बन्ध है, आध्यात्मिक और भौतिक तत्त्वों की सत्ता में क्या अन्तर है, दोनों की समानता और असमानता का क्या रहस्य है, अन्तिम और वास्तविक तत्त्व की क्या कसौटी है, ज्ञान व बाह्य पदार्थ के बीच क्या सम्बन्ध है, ज्ञेय ज्ञान से भिन्न है या अभिन्न.....इत्यादि की खोज ही दर्शन का प्रधान उद्देश्य है। जीवन और जगत् की मौलिक समस्याएँ मानव-मस्तिष्क की प्रयोगशाला में किस तरह हल हो सकती हैं; इसका चिन्तन करना ही दर्शन का मुख्य काम

वे नियम अन्तिम रूप से सही समझ लिए जाते हैं। ऐसे प्रमाणित नियम ही विज्ञान की दृष्टि में प्रमाणभूत सामान्य नियम माने जाते हैं। इन्हीं नियमों को सर्वव्यापी या सार्वत्रिक नियम (Universal Rules) कहते हैं। ये सार्वत्रिक नियम ही विज्ञान के प्राण हैं। यह हम पहले ही देख चुके हैं कि इन नियमों का मुख्य आधार हमारा अनुभव है। अनुभव के साथ नियमों का मेल ही विज्ञान का कार्य है। ऐन्स्टीन के शब्दों में विज्ञान का कार्य यही है कि वह हमारे अनुभवों का अनुसरण करता है और साथ ही साथ उन्हें एक तर्कसंगत प्रणाली में जमा देता है।

धर्म और दर्शन :

धर्म और दर्शन के प्रश्न को लेकर मुख्य रूप से दो प्रकार की विचारधाराएँ कार्य कर रही हैं। एक विचारधारा के अनुसार धर्म और दर्शन अभिन्न हैं। दूसरी विचारधारा इस मत से बिलकुल विपरीत है। वह इस मत की पुष्टि करती है कि धर्म और दर्शन का एक दूसरे से कोई सम्बन्ध नहीं। धर्म का क्षेत्र बिलकुल अलग है और दर्शन का क्षेत्र उससे बिलकुल भिन्न है। दोनों अपने-अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हैं। उदाहरण के तौर पर हरमन स्पष्ट शब्दों में कहता है कि धार्मिक व्यक्ति का इससे कोई प्रयोजन नहीं कि दर्शन की अमुक शाखा ईश्वरवाद का समर्थन करती है या अनीश्वरवाद को स्थापना करती है। हेगल ने ठीक इससे विपरीत बात कही। उसके मतानुसार धर्म की सत्यता दर्शन में ही पाई जाती है। इस प्रकार की विरोधी विचारधाराओं को देखने से यही मालूम होता है कि भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण से भिन्न-भिन्न विचारकों ने धर्म और दर्शन की भिन्न-भिन्न व्याख्या की है। उस व्याख्या के अनुसार अमुक विचारक धर्म को दर्शन से अभिन्न मानता है तो अमुक विचारक धर्म से दर्शन को भिन्न मानता है। वास्तव में धर्म और दर्शन का क्षेत्र भिन्न-भिन्न है। यदि दोनों एक ही होते तो दो दृष्टियों की आवश्यकता ही न होती। धर्म की अपनी दृष्टि होती है और दर्शन की अपनी दृष्टि होती है। दोनों को एकान्त रूप से अभिन्न कहना तर्क और शब्दों का साकार्य करना है। दोनों के भेद का सर्वथा नाश करना, विचार-

से जितना ज्ञान इकट्ठा हो सकता है, इकट्ठा करने का प्रयत्न करता है। यह विज्ञान की पहली भूमिका है। इस भूमिका का ज्ञान विखरा हुआ होता है। ज्ञान की सामग्री का कोई साधारणीकरण नहीं होता। जो ज्ञान जिस रूप में अवलोकन के आधार पर प्राप्त होता है वह ज्ञान उसी रूप में विखरा हुआ पड़ा रहता है। उसकी कोई बुद्धिजन्य व्यवस्था नहीं होती—उसका किसी प्रकार का साधारणीकरण नहीं होता। जहाँ पर बुद्धिजन्य व्यवस्था प्रारंभ होती है वही से दूसरी भूमिका का आरम्भ होता है। यही दूसरी भूमिका रसल ने दूसरे भाग में रखी है। इस भूमिका में विज्ञान, प्राप्त सामग्री के आधार पर, यह निर्णय करने का प्रयत्न करता है कि यह सारी सामग्री कितनी कक्षाओं में विभाजित हो सकती है? कितनी ऐसी श्रेणियाँ बन सकती हैं जिनमें सारी सामग्री ठीक-ठीक बैठ सके? यह एक प्रकार की वर्गीकरण की भूमिका होती है, जिसमें ऐसे कुछ वर्ग बनाए जाते हैं जिनका सामान्य आधार होता है। इस प्रकार के वर्गीकरण को ही साधारणीकरण कहते हैं। मानव जाति हमेशा व्यवस्थित प्रणाली पसन्द करती है। अव्यवस्थित ज्ञान या पद्धति से किसी जाति या समाज का कार्य सुचारु रूप से नहीं चल सकता, क्योंकि जाति या समाज का अर्थ ही व्यवस्था होता है। विज्ञान की इस द्वितीय भूमिका में यही कार्य होता है। सारी अव्यवस्थित सामग्री एक व्यवस्थित रूप धारण कर लेती है। अनुभवजन्य ज्ञान के इस व्यवस्थित रूप को सामने रखकर ही विज्ञान अपने क्षेत्र में आगे बढ़ता है। यहीं से प्रयोग (Experiment) प्रारंभ होता है। प्रयोग का अर्थ होता है नियन्त्रित अवलोकन। सामान्य नियम या साधारणीकरण के आधार पर उसी प्रकार की अन्य सामग्री का परीक्षण करना, इसी का नाम नियन्त्रित अवलोकन या प्रयोग है। यदि प्रयोग में वह सामान्य नियम ठीक उतरता है तो समझ लिया जाता है कि अमुक नियम ठीक है। प्रयोग में यदि कुछ कमी मालूम होती है तो समझ लिया जाता है कि साधारणीकरण में कुछ त्रुटि है। इस ढंग से प्रयोगशाला (Laboratory) विज्ञान के नियमों का कसौटी-स्थल है। जिन नियमों को प्रयोगशाला प्रमाणित कर देती है

अपना प्रभुत्व रखती हैं। कभी-कभी दर्शन इस प्रकार की मान्यताओं का खण्डन करने का प्रयत्न करता है तो धर्म के साथ उग्र विरोध हो जाता है और उस विषय में वह उसकी बात मानने के लिये तैयार नहीं होता। परिणाम स्वरूप धर्म समय पर टकराते भी रहते हैं। उस टक्कर होती है तो कभी दर्शन की। धर्म और दर्शन का यह संघर्ष हमेशा से चलता आया है।

इस ढंग से हम इस निरांय पर पहुँचते हैं कि धर्म और दर्शन में मौलिक एकता होते हुए भी दोनों के साधनों में अन्तर है। दोनों का विषय एक होते हुए भी वहाँ तक पहुँचने की पद्धति व मार्ग में अन्तर है। मानव-जीवन की दो मुख्य शक्तियों—श्रद्धा और तर्क में से एक का आधार श्रद्धा है और दूसरे का आधार तर्क है। एक का आधार विचारशक्ति है और दूसरे का आधार भावुकता है। एक का आधार स्थिरता है और दूसरे का आधार गति है। धर्म हमेशा श्रद्धा, भावुकता व स्थिरता का आश्रय लेता है। दर्शन का आश्रय तर्क, विचारशक्ति व गति है।

दर्शन और विज्ञान :

दर्शन और विज्ञान दो भिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हैं। दर्शन विश्व-को एक सम्पूर्ण तत्त्व समझ कर उसका ज्ञान कराता है और विज्ञान दृश्य जगत् के विभिन्न अंगों का अलग-अलग अध्ययन करता है। इस प्रकार दर्शन का क्षेत्र विज्ञान से कई गुना अधिक है। ज्ञान की कोई भी धारा जिसका मानव-मस्तिष्क से सम्बन्ध है, दर्शन के क्षेत्र से बाहर नहीं हो सकती। दर्शन हमेशा ज्ञान की धारा में पीछे रहे हुए अन्तिम तत्त्व को खोजने की कोशिश करता है और उसी के आधार पर उस धारा को स्पष्ट करता है। विज्ञान दृश्य जगत् तक ही सीमित है, अतः उसका कार्य हमेशा पदार्थों का एकत्रीकरण, व्यवस्था और वर्गीकरण ही रहेगा। जो चीजे वास्तविक लोकत और प्रयोग के आधार पर जमी सिद्ध होंगी, विज्ञान उन चीजों को उसी रूप में लेता रहेगा। इस ढंग से विज्ञानप्रदत्त ज्ञान हमेशा दृश्य जगत्-विषयक होगा। विज्ञान ने अध्ययन की सुविधा

व्यक्ति और श्रद्धापूर्ण आचरण के भेद को समाप्त करना है। यह ठीक है कि धर्म और दर्शन के कुछ विषय सामान्य हैं। ईश्वर, निर्भव इत्यादि अनेक प्रश्न दोनों के सामने आते हैं। इतना होते हुए भी दोनों की पद्धति में बहुत अन्तर है। एक धार्मिक व्यक्ति ईश्वर के सम्बन्ध में जिस ढंग का व्यवहार करता है, एक दार्शनिक वैसा ही कर सकता है। धार्मिक व्यक्ति का श्रद्धापूर्ण आचरण दर्शनशास्त्री को विवश नहीं कर सकता कि वह भी ईश्वर की सत्ता में विश्वास करे। एक दार्शनिक की तर्क-शक्ति एक श्रद्धालु धार्मिक को अपने मूल्य से नहीं डिगा सकती। धर्म और दर्शन में खास अन्तर यह है कि धर्म में आचरण या व्यवहार प्रधान होता है और सिद्धान्त या ज्ञान गौण होता है। धर्म की दृष्टि में क्रिया का जो मूल्य होता है, ज्ञान का वह मूल्य नहीं होता। इसके विपरीत दर्शन में ज्ञान का मूल्य अधिक होता है और क्रिया का कम। ज्ञान और क्रिया की यह हीनाधिकता ही दर्शन और धर्म की सीमा-रेखा है। दार्शनिक विचारधारा की सफलता की कुंजी बुद्धि है, जब कि धर्म के क्षेत्र में यह कार्य श्रद्धा करती है। धार्मिक श्रद्धा और दार्शनिक सिद्धान्त में मौलिक भेद यह है कि दार्शनिक दृष्टिकोण शुद्ध रूप से बौद्धिक होता है जब कि धार्मिक श्रद्धा का मूल आधार भावुकता है, जो सिद्धान्त को बदलने से भी नहीं चूकती। उसकी दृष्टि में सिद्धान्त का कोई मूल्य नहीं होता। ज्यों ही श्रद्धा बदलती है, सिद्धान्त भी बदल जाता है। इतना होते हुए भी यह नहीं कहा जा सकता कि धर्म और दर्शन एकान्त रूप से भिन्न हैं। धर्म पर जब किसी प्रकार का बाह्य संकट आता है उस समय दर्शन उसे बचाने के लिए सबसे पहले आगे आता है। दर्शन की सहायता के बिना धर्म अधिक काल तक नहीं टिक सकता। जिस श्रद्धा के पीछे तर्क-बल नहीं होता वह चिरस्थायी नहीं हो सकती। तर्क की कसौटी पर कसी हुई श्रद्धा ही लम्बे काल तक जीवित रह सकती है। धर्म और दर्शन, का इस प्रकार का सम्बन्ध होते हुए भी यह नहीं कहा जा सकता कि दर्शन धर्म की प्रत्येक मान्यता को अपने तर्क-बल से सिद्ध कर सकता है। भावुकता-प्रधान मान्यताएँ धर्म के क्षेत्र में ही

आधार केवल व्याप्ति है जबकि दर्शन व्याप्ति (Induction) की निगमन (Deduction) दोनों को आधार मान कर चलता है। इस प्रकार दर्शन विज्ञान की व्याप्ति-पद्धति को तो अपनाता ही है, साथ ही साथ निगमन-पद्धति का भी उपयोग करता है।

विज्ञान और दर्शन में दूसरा मुख्य भेद यह है कि विज्ञान अपने निर्णय का प्रदर्शन अपूर्ण रूप में करता है, जबकि दर्शन अपने विषय का स्पष्टीकरण पूर्ण रूप से करता है। वैज्ञानिक निर्णय पूर्ण इसलिए नहीं होता कि उसका आधार सत्य का एक अंश-दृश्य अंश ही है। इस अंश के पीछे रहने वाला दूसरा महत्त्वपूर्ण अंश-अलीकृत अथवा पारमार्थिक जगत् (Noumenon) विज्ञान को दिखाई नहीं देता, परिणामस्वरूप विज्ञान का दर्शन अंधूरा होता है। दर्शन मनुष्य के दोनों अंशों को देखता है और उन्हीं अंशों के आधार पर अपना निर्णय देता है, फलस्वरूप दर्शन का निर्णय पूर्ण होता है।

१—विशेष घटनाओं को देखकर उनके आधार पर एक सामान्य नियमका निर्माण करना व्याप्ति (Induction) है, उदाहरण के लिए पृथ्वी और अग्नि के कार्य-कारण भाव को ले सकते हैं। हम अनेक स्थानों पर पृथ्वी और अग्नि को एक साथ देखते हैं तथा कहीं पर भी बिना अग्नि के पृथ्वी को नहीं देखते। इस अवलोकन से हम इस निर्णय पर पहुँचते हैं कि पृथ्वी अग्नि का ही कार्य है। इस प्रकार के कार्य-कारणभाव के ग्रहण का नाम व्याप्ति ग्रहण है। इसी को अंग्रेजी में (Induction) कहते हैं। इसके विपरीत एक दूसरी पद्धति है जिसे निगमन (Deduction) कहते हैं। इसके अनुसंधान सामान्य नियम के आधार पर विशेष घटना की कमीटी होती है। उदाहरण के लिये मानवता की लीजिए। 'मानवता' एक सामान्य सिद्धान्त या गुण है जिसमें हम यह गुण देखते हैं उसी को मानव कहना पसन्द करते हैं। निगमन विधि की विशेषता यह है कि वह हमारे अनुभव के आधार पर नहीं बन पावितु हमारा अनुभव उसको आधार मान कर आगे बढ़ता है। दूसरे शब्दों में व्याप्ति संयोजनात्मक (Synthetic) है, जबकि निगमन विश्लेषणात्मक (Analytic) है। व्याप्ति अनेक घटनाओं के संयोजन से एक नियम बनाती है; निगमन का कार्य एक बने हुए नियम का विश्लेषण पूर्वक विविध घटनाओं के साथ सेन स्थापित करना है।

दृष्टि से जगत् को तीन भागों में बाँट रखा है—भौतिक (Physical); प्राण-सम्बन्धी (Biological) और मानसिक (Mental)। इन तीनों शाखाओं का ज्ञान ही आज के विज्ञान का पूर्ण ज्ञान है। यह ज्ञान पूर्ण होते हुए भी दृश्य जगत् तक ही सीमित होता है, अतः इसे विश्व का सम्पूर्ण और सच्चा ज्ञान नहीं कह सकते। विश्व के अदृश्य और गूढ़ सिद्धान्त विज्ञान की दृष्टि से ओझल रहते हैं, अतः इन सिद्धान्तों के अभाव में विज्ञान का ज्ञान पारमार्थिक दृष्टि से पूर्ण नहीं कहा जा सकता। व्यावहारिक सत्य की दृष्टि से भले ही हम विज्ञान को पूर्ण व सर्वांगी कह सकते हैं, किन्तु अन्तिम सत्य की दृष्टि से वैसा कहना ठीक नहीं। इस प्रकार वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमेशा अपूर्ण व एकांगी होता है और इसीलिए दार्शनिक ज्ञान, जो पूर्ण व सर्वांगी होता है, उसकी तुलना में वह संकुचित मालूम होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमें यह नहीं मोचना चाहिए कि दर्शन और विज्ञान का केवल क्षेत्र ही भिन्न है। जिस प्रकार इन दोनों का क्षेत्र भिन्न है उसी प्रकार इनकी विधि भी भिन्न है। विज्ञान की विधि हमेशा आनुभविक (Empirical) एवं व्याप्तिसूचक (Inductive) होती है। उसका आधार हमेशा बाह्य अनुभव होता है, जो अवलोकन एवं प्रयोग पर खड़ा होता है। दर्शन की विधि का आधार केवल अनुभव नहीं होता, अपितु युक्ति और अनुभव दोनों होते हैं। युक्ति और अनुभव के सम्मिलित प्रयत्न से प्राप्त किया हुआ ज्ञान ही दर्शन की भूमिका का निर्माण करता है। आधारण अनुभव का तर्क के साथ विरोध होने पर दर्शन अनुभव को छोड़ने के लिए तैयार हो सकता है, किन्तु तर्क का त्याग उसके लिए संभव नहीं। विज्ञान की विधि इससे विपरीत होती है। अनुभव का त्याग विज्ञान की दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। वह युक्ति को कोई महत्त्व नहीं देता अपितु अनुभव को ही सब कुछ समझता है। इस प्रकार दर्शन की विधि का आधार केवल अनुभव नहीं है, अपितु युक्ति और अनुभव दोनों हैं जबकि विज्ञान केवल अनुभव पर टिका हुआ है। दूसरी बात यह है कि विज्ञान का

विज्ञान के समन्वय का काल था। मध्यकालीन विज्ञान के अग्रदूत गैलीलियो, कोपरनिकस और रोजरबेकन बहुत बड़े महन्त थे। मतरह अठारहवीं शताब्दी में धर्म और विज्ञान ने अपना-अपना झगड़ा खोल दिया। दोनों के बीच एक प्रकार का समझौता हो गया, जिसके अनुसार भौतिक जगत् का भार विज्ञान के कंधों पर पड़ा और आध्यात्मिक जगत् का भार धर्म के लिए बच गया। डार्विन के विकासवाद ने धर्म और विज्ञान के बीच इतनी गहरी खाई खोद दी कि दोनों के पुनर्मिलन की आशा हमेशा के लिए अस्त हो गई।

आज हम धर्म और विज्ञान के बीच जो कलह या संघर्ष देखते हैं, वह वास्तव में धर्म और विज्ञान का संघर्ष नहीं है, अपितु उन दोनों वस्तुओं के बीच एक प्रकार की खटपट है, जो धर्म और विज्ञान के नाम से सिखाई जाती है। जिस प्रकार कला और विज्ञान के बीच कोई कलह नहीं है, कला और धर्म में कोई झगड़ा नहीं है, उसी प्रकार धर्म और विज्ञान में भी कोई संघर्ष नहीं है। दोनों की अपनी अपनी दृष्टि है और उसी दृष्टि के आधार पर दोनों तत्त्व के अन्तर्गत अर्थों को ग्रहण करने का प्रयत्न करते हैं। साधारणतया यह माना जाता है कि धर्म आन्तरिक अनुभव (Inner Experience) को अपना आधार बनाकर चलता है और विज्ञान बाह्य अनुभव (Outer Experience) पर-बढ़ा होता है, किन्तु इस भेद पर विचार-जोर देना ठीक नहीं, क्योंकि कभी-कभी धर्म बाह्य अनुभव को भी प्रमाण मानता हुआ आगे बढ़ता है। धर्म और विज्ञान में सच्चा अन्तर यह है कि विज्ञान का समन्वय वस्तु के अस्तित्व धर्म से होता है। विज्ञान, वस्तु को 'क्या है' केवल इसी रूप में ग्रहण करता है। धर्म, इस 'क्या है' के साथ-ही-साथ उसका 'क्या मूल्य है' का सत्य को भी प्रतिपादित करने का प्रयत्न करता है। विज्ञान की दृष्टि में वस्तु का अपना अस्तित्व होता है, मूल्य नहीं। मूल्य निर्धारण करना धर्म की अपनी विशेषता है।

दर्शन और विज्ञान में इस प्रकार महत्त्वपूर्ण अन्तर होते हुए भी दोनों में कुछ साम्य भी है। विज्ञान और दर्शन दोनों का उद्देश्य एक है, सामान्य है और वह है स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण का अर्थ होता है—ज्ञान का संयुक्तीकरण। ज्ञान का संयुक्तीकरण अर्थात् विशेष सत्यों का सामान्य सत्य के सिद्धान्तों में परिवर्तन। यद्यपि दर्शन और विज्ञान दोनों स्पष्टीकरण के सामान्य उद्देश्य को सामने रख कर आगे बढ़ते हैं, किन्तु विज्ञान उसके अन्तिम छोर तक नहीं पहुँच पाता, जबकि दर्शन विज्ञान को पीछे छोड़ कर आगे बढ़ जाता है और सत्य के अन्तिम किनारे तक जा पहुँचता है। कई दार्शनिकों की यह धारणा भी है कि वास्तव में दर्शन का कार्य वहीं से प्रारंभ होता है जहाँ पर विज्ञान का कार्य समाप्त होता है। दृश्य जगत् का जितना अनुभवजन्य और साधारण विवेचन तथा स्पष्टीकरण हो सकता है, वह सब विज्ञान के क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। जहाँ पर विज्ञान का अनुभव कुछ कार्य नहीं कर सकता, वैज्ञानिक अवलोकन की गति मन्द ही नहीं अपितु बन्द हो जाती है, वहाँ से दर्शन की खोज प्रारम्भ होती है। दर्शन की खोज का अन्त स्वयं सत्य का अन्त है। जहाँ तक सत्य है वहाँ तक दर्शन है और जहाँ तक दर्शन है वहीं तक सत्य है।

धर्म और विज्ञान :

इतिहास के प्रारम्भ में धर्म और विज्ञान साथ-साथ चला करते थे। दोनों के शिक्षण का उत्तरदायित्व एक ही व्यक्ति पर होता था। धर्मगुरु के नाम से जाना जाने वाला व्यक्ति ही धर्म और विज्ञान दोनों की शिक्षा देता था। वास्तव में देखा जाय तो उस समय धर्म और विज्ञान के बीच कोई विशेष अन्तर ही न था। धर्म के अन्दर विज्ञान तथा अन्य ज्ञानधाराओं का स्वाभाविक समावेश हो जाता था। विज्ञान हो या धर्म, इतिहास हो या साहित्य सबका सम्बन्ध शिक्षक से रहता था। चूँकि सब धाराओं की शिक्षा का भार एक ही व्यक्ति पर होता था, अतः शिक्षक के अभेद से विषय का भी अभेद होता था। सब चीजें धर्म के नाम पर ही चला करतीं। ग्रीस के इतिहास में पंथागोरस का काल धर्म और

दर्शन, जीवन और जगत्

दर्शन की उत्पत्ति

भारतीय परम्परा का प्रयोजन

दर्शन और जीवन

जगत् का स्वरूप

आदर्शवाद का दृष्टिकोण

कुछ मिथ्या धारणाएँ

आदर्शवाद की विभिन्न दृष्टियाँ

यथार्थवाद

यथार्थवादो विचारधाराएँ

जैन दर्शन का यथार्थवाद

नहीं, इस अंश का मूल्य व्यावहारिक अंश से कई गुना अधिक है अथवा यों कहिए कि उसका मूल्यांकन करना सामान्य मानव की शक्ति से दूर है। काव्य, कला, दर्शन आदि इसी अंश की प्रतिष्ठा व सेवा करते हैं। इसी का परिवर्धन व परिष्कार करते हैं। ये जीवन के व्यावहारिक अंश को भी कभी-कभी मार्गदर्शन करते हैं। इस दूसरे अंश को हम आध्यात्मिक जीवन (Spiritual Life) अथवा आन्तरिक जीवन (Inner Life) कह सकते हैं। दर्शन की उत्पत्ति में यही जीवन प्रयत्न कारण है, ऐसा कहे तो अनुचित न होगा। सामान्यरूप से इतना समझ लेने पर आगे यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि इस जीवन के कौन-कौन से विशिष्ट दृष्टिकोण दर्शन को उत्पन्न करने में सहायक बनते हैं। उन कारणों को समझ लेने पर आध्यात्मिक जीवन का पूरा चित्र सामने आ जाएगा।

दर्शन की उत्पत्ति :

सोचना मानव का स्वभाव है। वह किस रूप में सोचना है यह एक अलग प्रश्न है, किन्तु वह सोचता अवश्य है। जहाँ सोचने प्रारम्भ होता है वहाँ से दर्शन शुरू हो जाता है। इस दृष्टि से दर्शन उतना ही प्राचीन है जितना कि मानव स्वयं। इस सामान्य कारण के साथ-ही-साथ मानव जीवन के आसपास की परिस्थितियाँ एवं उससे परम्परागत संस्कार भी दर्शन की दिशा का निर्माण करने में कारण बनते हैं। प्रत्येक दार्शनिक की विचारधारा इसी आधार पर बनती है और इन्हीं कारणों की अनुकूलता-प्रतिकूलता के अनुसार आगे बढ़ती है। स्वभाव-अचिन्त्य और परिस्थिति विशेष के कारण ही विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं में भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण होते हैं। सोचने के लिए जिस ढंग की सामग्री उपलब्ध होती है उन्हीं ढंग से चिन्तन प्रारम्भ होता है। इस सामग्री के विषय में अलग अलग मत हैं। कोई आदर्श को चिन्तन का अग्रतम्यन-समझता है, तो कोई नदेह को उसका आधार मानता है। कोई आत्मा जगत् को महत्त्व देता है, तो कोई केवल आत्म-तत्त्व को ही सब कुछ समझता है। इन नव दृष्टिकोणों के निर्माण में मानव का व्यक्तित्व एवं बाह्य परिस्थितियाँ काम करती हैं।

दर्शन, जीवन और जगत्

दर्शन मानव-जाति के बौद्धिक क्षेत्र को एक विचित्र उपज है। विचित्र इसलिए कि अन्य ज्ञानधाराओं की अपेक्षा दर्शन का सम्बन्ध हमारे व्यावहारिक जीवन से बहुत कम है। जीवन को सुव्यवस्थित रूप से व्यतीत करने के लिए दर्शनशास्त्र शायद उतना उपयोगी नहीं है जितना कि विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र इत्यादि। दर्शनशास्त्र के अध्ययन के बिना भी यदि हमारा जीवन चल सकता है तो फिर दर्शनशास्त्र की उत्पत्ति के लिए मानव-मस्तिष्क ने चिन्तन का यह भार क्यों उठाया ? यह ठीक है कि हमारे व्यावहारिक जीवन में दर्शन का अधिक मूल्य नहीं है, किन्तु साथ-ही-साथ यह भी याद रखना चाहिए कि मानव-जीवन व्यवहार के साथ ही समाप्त नहीं हो जाता। मनुष्य के जीवन का एक दूसरा अंश भी है, जो व्यवहार से भिन्न होता हुआ भी मनुष्य के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि व्यावहारिक अंश। इतना ही

सन्देह करने वाला भी अवश्य होता है। इसी प्रकार उसने वादा जगन् और ईश्वर का अस्तित्व भी मिद्ध किया। डेकार्टे का दार्शनिक विवेचन वेकन की अपेक्षा अधिक स्पष्ट एवं आगे बढ़ा हुआ था। इसीलिए वह पश्चिम के अर्वाचीन दर्शन का जनक (Father of Modern Philosophy) गिना जाता है।

व्यावहारिकता—आश्चर्य और सन्देह के सिद्धान्त पर विश्वास करने वाले कुछ दार्शनिक ऐसे भी हैं, जो व्यावहारिकता को ही दर्शन की उत्पत्ति का कारण मानते हैं। वे कहते हैं कि जीवन के व्यवहार पक्ष की सिद्धि के लिए ही दर्शन का प्रादुर्भाव होता है। दर्शन की यह विचारधारा व्यावहारिकतावाद (Pragmatism) के नाम से प्रसिद्ध है। वास्तव में यह विचारधारा दर्शन की अपेक्षा विज्ञान के अधिक समीप है। इसका दृष्टिकोण भौतिकता-प्रधान है। भारतीय परम्परा में चार्वाक दर्शन का आधार व्यावहारिकतावाद ही था।

बुद्धिप्रेम—दर्शन का आधार बुद्धिप्रेम (Love of wisdom) है ऐसा कई दार्शनिक मानते हैं। उनकी धारणा के अनुसार दर्शन की उत्पत्ति का कोई बाह्य कारण नहीं है, जिसको आधार बनाकर दर्शन का प्रादुर्भाव हो। मानव अपनी बुद्धि से बहुत प्रेम करता है। वह अपनी बुद्धि का प्रत्येक दृष्टि से हित चाहता है। वह कभी अहं नहीं चाहता कि उसकी बुद्धि अविकसित दशा में पड़ी रहे। यह दूसरी बात है कि लोगों को अपनी बुद्धि के विकास के लिए उचित वातावरण व साधन नहीं मिलते। बुद्धिप्रेम की यह अभिव्यक्ति दर्शन के रूप में प्रकट होती है। इस धारणा के अनुसार दर्शन का कोई अन्य प्रयोजन नहीं होता। बुद्धि को सन्तोष प्राप्त हो, बुद्धि का सब विकास हो—यही दर्शन का एक मात्र प्रयोजन होता है। दर्शन अपने आप में पूर्ण होता है। उसका साध्य कोई दूसरा नहीं होता। वह स्वयं ही साधन व स्वयं ही साध्य होता है। अंग्रेजी शब्द 'फिलोसोफी' जो कि दर्शन का पर्यायवाची है, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिल कर बना है। वे शब्द हैं 'फिलोम' और 'सोफिया'। फिलोम (Philos) का अर्थ होता है—प्रेम (Love) और सोफिया (Sophia) का अर्थ होता है—बुद्धि (Wisdom)। इन दोनों शब्दों को जोड़ने से 'बुद्धि

आश्चर्य—कुछ दार्शनिक यह मानते हैं कि मानव के चिन्तन का मुख्य आधार एक प्रकार का आश्चर्य है। मनुष्य जब प्राकृतिक कृतियों एवं शक्तियों को देखता है तब उसके हृदय में एक प्रकार का आश्चर्य उत्पन्न होता है। वह सोचने लगता है कि यह सारी लीला कैसी है? इस लीला के पीछे किसका हाथ है? जब उसे कोई ऐसी शक्ति प्रत्यक्षरूप से दृष्टि-गोचर नहीं होती, जो इस लीला के पीछे कार्य कर रही हो, तब उसका आश्चर्य और भी बढ़ जाता है। इस प्रकार आश्चर्य से उत्पन्न हुई विचारधारा क्रमशः आगे बढ़ती जाती है और मनुष्य नाना प्रकार की युक्तियुक्त कल्पनाओं द्वारा उस विचार-परम्परा को सन्तुष्ट करने का प्रयत्न करता है। यही प्रयत्न आगे जाकर दर्शन में परिवर्तित हो जाता है। प्लेटो तथा अन्य प्रारंभिक ग्रीक दार्शनिकों ने आश्चर्य के आधार पर ही दार्शनिक भित्ति का निर्माण किया था।

सन्देह—कुछ दार्शनिकों का विश्वास है कि दर्शन की उत्पत्ति आश्चर्य से नहीं, अपितु सन्देह से होती है। जिस समय बुद्धिप्रधान मानव बाह्य-जगत् अथवा अपनी सत्ता के किसी भी अंश के विषय में सन्देह करने लगता है, उस समय उसकी विचारशक्ति जिस मार्ग का आलम्बन लेती है, वही मार्ग दर्शन का रूप धारण करता है। पश्चिम में अर्वाचीन दर्शन का प्रारम्भ सन्देह से ही होता है। यह प्रारम्भ बेकन से सम्भूत चाहिए, जिसने विज्ञान और दर्शन के सुधार के लिए धार्मिक उपदेशों (Teachings of the Church) को सन्देह की दृष्टि से देखना शुरू किया। उसने सुधार का मुख्य आधार सन्देह माना और इसी आधार पर अपनी विचार-धारा फैलाई। इसी प्रकार डेकार्ट ने भी सन्देह के आधार पर ही दर्शन की नींव डाली। उसने स्पष्टरूप से कहा कि दर्शन का सर्वप्रथम आधार सन्देह है। पहले पहल उसने अपने स्वयं के अस्तित्व पर ही सन्देह किया कि मैं हूँ या नहीं? इसी सन्देह के आधार पर उसने यह निर्णय किया कि मैं अवश्य हूँ, क्योंकि यदि मेरा खुद का अस्तित्व ही न होता तो सन्देह करता ही कौन? जहाँ सन्देह होता है वहाँ

१. "Cogito ergo sum"—I think therefore I exist.

भारतीय परम्परा का प्रयोजन :

आश्चर्य, जिज्ञासा और संशयादि कारण, जिनसे दर्शन का प्रादुर्भाव होता है, मुख्यरूप से पाश्चात्य परम्परा का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब हम यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि भारतीय परम्परा इस विषय में क्या मानती है? सामान्य रूप से देखने पर यही प्रतीत होता है कि भारत के प्रायः सभी दर्शनों ने दर्शन की उत्पत्ति में दुःख को कारण माना है। दुःख से मुक्ति पाना, यही भारतीय दर्शनशास्त्र का मुख्य प्रयोजन है और इसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए विविध दार्शनिक विचारधाराओं की उत्पत्ति हुई है। यद्यपि दुःख सब दर्शनों की उत्पत्ति का सामान्य कारण है, किन्तु दुःख क्या है, उसका क्या रूप है, उसके कितने भेद हैं, उससे छुटकारा पाने की क्या विधि है? इत्यादि प्रश्नों के आधार पर सब दर्शनों ने भिन्न-भिन्न ढंग से अपनी विचारधारा का निर्माण किया। प्रत्येक दर्शनशास्त्र की उत्पत्ति का रहस्य समझने के लिए इस विचारधारा का ज्ञान आवश्यक है।

चार्वाक - भारतीय दर्शनों में चार्वाक दर्शन एकान्त रूप से भौतिकवादी दर्शन है। इसने अपनी विचारधारा का आधार भौतिक सुख रखा। यद्यपि चार्वाक दर्शन के मौलिक ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हैं किन्तु अन्य दर्शनग्रन्थों में पूर्वपक्ष के रूप में इसकी मान्यता का जो उल्लेख मिलता है, उसे देखने से यह मालूम पड़ता है कि इसकी भित्ति शुद्ध भौतिकवाद है। सुख दुःख इसी जन्म तक सीमित है, ऐसा उसका पक्का विश्वास है। इसी आधार पर चार्वाक दर्शन यह मानता है कि इसी जन्म में अधिक में अधिक सुख भोगना यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। मृत्यु के बाद फिर पैदा होना पड़ता है—ऐसा कहना मिथ्या है, क्योंकि शरीर के रस हो जाने पर कौन सी चीज बचती है जो फिर जन्म लेती है? आत्मा की धारणा सर्वथा भ्रान्त है, क्योंकि चार भूतों के अतिरिक्त कोई स्थित्तन्त्र आत्मा नहीं है। जिस समय चारों भूत अमुक मात्रा में अमुक रूप से मिलते हैं उस समय शरीर बन जाता है और उसमें चेतना पा जाती है।

का प्रेम' (Love of Wisdom) अर्थ निकलता है। यहाँ पर 'बुद्धि' शब्द से सामान्य विचारशक्ति (Rationality) या प्राकृतिक बुद्धि (Intellect) नहीं समझकर 'विवेकयुक्त बुद्धि' समझना चाहिए।

आध्यात्मिक प्रेरणा—कुछ दार्शनिक ऐसे भी हैं, जो दर्शन को केवल बुद्धि का खेल नहीं समझते। उनकी धारणा के अनुसार दर्शन का प्रादुर्भाव मनुष्य के भीतर रही हुई आध्यात्मिक शक्ति के कारण होता है। अपने आसपास के वातावरण से अथवा जगत् के भीतर रही हुई अन्य भौतिक साधन-सामग्री से जब मनुष्य की आत्मा को पूर्ण संतोष नहीं होता, वह सारी सामग्री में किसी-न-किसी प्रकार की न्यूनता का अनुभव करता है, उसकी आन्तरिक आवाज के अनुसार उसे शाश्वत शांति व संतोष नहीं मिलता, तब वह नई खोज प्रारंभ करता है, आध्यात्मिक पिपासा की शान्ति के लिए नवकूप का निर्माण करना शुरू करता है, आन्तरिक प्रेरणा को सन्तुष्ट करने के लिए नई राह पकड़ता है। मनुष्य के इसी प्रयत्न को दर्शन का नाम दिया गया है। वह एक ऐसी चीज देखना चाहता है जिसे सामान्य चक्षु नहीं देख सकती, ऐसी वस्तु का अनुभव करना चाहता है जिसे साधारण इन्द्रियाँ नहीं पा सकतीं। भारतीय परम्परा के एक बहुत बड़े भाग का दार्शनिक आधार यही है। वर्तमान से असंतोष और भविष्य की उज्ज्वलता का दर्शन, यही आध्यात्मिक प्रेरणा का मुख्य आधार है। जिसे वर्तमान से संतोष होता है वह भविष्य की आशा में वर्तमान को कदापि खतरे में नहीं डाल सकता। इसीलिए आध्यात्मिक प्रेरणा की सबसे पहली शर्त है, वर्तमान से असंतोष। केवल वर्तमानकालिक असंतोष से ही काम नहीं चलता, क्योंकि जबतक भविष्य की उज्ज्वलता का दर्शन नहीं होता तब तक वर्तमान को छोड़ने की भावना उत्पन्न नहीं हो सकती। इसीलिए वर्तमानकालीन असंतोष के साथ-ही-साथ भविष्यकालीन उज्ज्वलता का दर्शन भी आवश्यक है। इस प्रकार की प्रेरणा से जिस दर्शन का निर्माण होता है, वह दर्शन बहुत गम्भीर होता है, एवं उसका स्तर बहुत ऊँचा होता है। भौतिक विचारधारा का व्यक्ति उससे बहुत दूर भागने का प्रयत्न करता है। उसे उसी रूप में ग्रहण करना, उसके लिए शक्य नहीं होता।

बौद्ध—बुद्ध की शिक्षाओं का ध्येय भी यही है कि प्राणी संसार दुःख से मुक्त हो। दुःख प्रथम आर्यसत्य है। संसारावस्था के पाँच स्तन को छोड़ कर दुःख और कुछ नहीं है। ये पाँच स्कन्ध हैं—विज्ञान, वेदना संज्ञा, मंस्कार और रूप। जिस समय ये पाँचों स्कन्ध समाप्त हो जाते हैं, दुःख स्वतः समाप्त हो जाता है। ये स्कन्ध कैसे समाप्त हो सकते हैं? इनकी परम्परा किन कारणों से बराबर चलती रहती है? समाप्त होने के बाद क्या अवस्था होती है? इत्यादि प्रश्नों के फलस्वरूप तीन अन्य आर्य सत्य प्रादुर्भूत होते हैं। इन चारों आर्य सत्यों के आधार पर सम्पूर्ण बौद्धदर्शन विकसित होता है। आर्यसत्यों के नाम ये हैं—दुःख, समुदय, मार्ग और निरोध। दुःख का स्वरूप पाँच स्कन्धों के रूप में बताया गया है। समुदय उसे कहते हैं जिसके कारण रागादि भावनाएँ उत्पन्न होती हैं। यह मेरी आत्मा है, ये मेरे पदार्थ हैं—इत्यादि रूप ममत्व ही समुदय है। मार्ग का स्वरूप बताते हुए कहा गया है कि 'सारे मंस्कार क्षणिक हैं—कुछ भी नित्य नहीं है' इस प्रकार की वास्तविक ही मार्ग है। सब प्रकार के दुःखों से मुक्ति मिलने का नाम ही निरोध है। निरोधावस्था में आत्मा का एकान्त अभाव हो जाता है। बुद्ध आधुनिक विचारक इस एकान्त अभाव की परम्परा को चुनौती देते हैं। उनका कथन है कि बौद्धदर्शन प्रतिपादित मोक्षावस्था भावात्मक है। उनकी विचारधारा के अनुसार माध्यमिक का शून्यवाद (Nihilism) अर्थ ठीक नहीं। जो कुछ भी हो। यहाँ पर हम इस समस्या को अति महत्व न देते हुए इतना ही कहना चाहते हैं कि बौद्धदर्शन का मूल

१—दुःखं संसारिणः स्कन्धास्ते च पंच प्रकीर्तिताः ।

विज्ञानं वेदना मंज्ञा, मंस्कारो रूपमेव च ॥

—पद्मदर्शनममुषयः बौद्धदर्शन

२—गमृदेति मनो लोके, रागादीना गणोदयिनः ।

आत्माऽऽग्नीयभावाख्यः, समुदयः स उदाहृतः ॥

—यही

३—क्षणिकाः सर्वं मंस्कारा, इत्येव धामना यका ।

स मार्ग इह विज्ञेयो निरोधो मंज्ञ उच्यते ॥

—यही

धाराओं भूतों के वापिस बिखरे जाने पर चेतना समाप्त हो जाती है। जो दुःख है वह या तो भूत है या भौतिक है। भूतों का अच्छे-से-अच्छे रूप में उपयोग करना, उनसे खूब सुख प्राप्त करना, जीवन में खूब आनंद प्राप्त करना, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। इसी लक्ष्य की सिद्धि के लिए दर्शन का प्रादुर्भाव होता है। दर्शनशास्त्र हमारे लिए ऐसी व्यवस्था करता है जिससे हमें अधिक-से-अधिक सुख मिल सके। इस प्रकार चार्वाक मत के अनुसार ऐहिक सुख की सिद्धि के लिए ही दार्शनिक विचारधारा का प्रादुर्भाव होता है।

जैन—जैन दर्शन का प्रधान प्रयोजन यह है कि जीव सांसारिक दुःखों से मुक्त होकर अनन्त आध्यात्मिक सुख का उपभोग करे। यह दर्शन छः मौलिक तत्त्वों के आधार पर सारे जगत् की व्यवस्था करता है। इन छः तत्त्वों में जीव और पुद्गल ये दो तत्त्व ऐसे हैं, जिनके पारस्परिक सम्बन्ध के आधार पर प्राणियों को नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। जगत् के अन्दर प्राप्त होने वाला तयाकथित सुख भी इन्हीं के सम्बन्ध का परिणाम है। जैन दर्शन की ऐसी मान्यता है कि जब तक ये दोनों तत्त्व एक दूसरे से सर्वथा भिन्न नहीं हो जाते, अनन्त आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति असम्भव है। अनादिकाल से परस्पर सम्बद्ध ये दोनों तत्त्व किस प्रकार अलग हो जाएँ—इसका दिग्दर्शन करना, यही दर्शन का मुख्य प्रयोजन है। जैन दर्शन के अनुसार सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य ये तीनों मिलकर उम मार्ग का निर्माण करते हैं, जिस पर चलने से जीवन और पुद्गल अन्ततोगत्वा अलग-अलग हो जाते हैं। पुद्गल से सर्वथा मुक्त जीव ही शुद्ध आत्मा है, सिद्ध है, परमात्मा है। इस प्रकार की आत्मा अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख और अनन्त वीर्य से युक्त होती है। वह फिर कभी भी पुद्गल से सम्बद्ध नहीं होती। हमेशा स्वतन्त्र रहती है। इस प्रकार जैन दर्शन का उद्देश्य भी यही है कि प्राणी दुःख से छुटकारा पाकर सुख का उपभोग करे।

१—अथ चत्वारि भूतानि भूमिवायेनलानिलाः ।

चतुर्म्यः खलु भूतेभ्यश्चेतन्यमुपजायते ॥३॥

—सर्वदर्शनसंग्रहः चार्वाकदर्शन

२—सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्याणि मोक्षमार्गः ।

—तत्त्वार्थ सूत्र, १/१/

योग—सांख्य और योग में ईश्वर-विषयक एकाध विषयों को छोड़ कर विशेष अन्तर नहीं है। सांख्य ज्ञान-प्रधान है जबकि योग त्रिया के प्रधानता स्वीकार करता है। ऐसी स्थिति में पतंजलि के योगसूत्रों में सांख्य से मिलती-जुलती बातें हों, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। पतंजलि ने स्पष्ट लिखा है कि संसार आदि से अंत तक दुःखमय ही है जिसे हम लोग सुख समझते हैं वह वास्तव में सुख नहीं है अपितु दुःख ही है। इस बात को साधारण लोग नहीं समझ सकते। विवेकी यह अन्तर्दृष्टि से जानता है कि सांसारिक सुख परिणाम में दुःख ही देता है। यह जीवन नाना प्रकार की वृत्तियों एवं वासनाओं से परिपूर्ण है। विविध प्रकार की वृत्तियां एवं वासनाएं चित्त के भीतर परस्पर कलह करती हैं। एक वृत्ति की पूर्ति से चित्त में सुख होता है तो दूसरी के भंग से चित्त खिन्न हो जाता है। इन सब दुःखों का मूलकारण इंद्र और दृश्य, पुरुष और प्रकृति का संयोग है। उस संयोग का मुक्त होना अविद्या है—मिथ्याज्ञान है। उसको दूर करने का एक मात्र उपाय विवेक-व्याप्ति—तत्त्व ज्ञान—सच्चा ज्ञान। इस विवेक-व्याप्ति से ही कर्म और बन्धनों की निवृत्ति होती है।^१ इस प्रकार सांख्य और योग एक उद्देश्य प्रायः एक है। योग ने सांख्यदर्शन के मूल सिद्धान्तों को अपने कान्धों लेकर त्रियापक्ष पर जोर दिया। विवेक-व्याप्ति के लिए त्रिया को आवश्यक माना। त्रिया के आधाररूप में ईश्वर की मत्ता स्वीकार की। योग का यह ईश्वर-न्यायवैशेषिक के ईश्वर के समान जगत्-सर्वज्ञ होकर प्रेरणा-प्राप्ति का माधनमात्र है।

न्याय—गोतम ने अपने न्यायसूत्र में भी यही लिखा है कि दर्शन का प्रयोजन भयवर्ग-प्राप्ति है। उसने प्रमाण-प्रमेय-संशय-प्रयोजन-दृष्टान्त-सिद्धांत-अवयव-तर्क-निर्गम्य-वाद-जल्प-वितर्क-हेतुवाभाग-क्षण-जाति-निग्रह-संशय-इस प्रकार से मोलह पदार्थों की मत्ता मानी और कहा कि इन मोल

१—परिणामतापगतवारदुःखैर्गुणवृत्तिविरोधात्स दुःखमेव सर्वं विवेकिनः स्पष्टदृश्योः संशयो हेतुर्गुणः। नस्य हेतुरविद्या। विवेकव्याप्तिं विज्जवा ह्यमोषायः।

आधार भी दुःखमुक्ति ही है। संसार में रहने वाले प्राणी को स्कन्धरूप दुःख से मुक्त करना—यही बौद्ध-विचारधारा का उद्देश्य है।

सांख्य—सांख्य दर्शन का प्रयोजन भी दुःखनिवृत्ति है। 'कपिल' स्वरचित 'सांख्यसूत्र' में सबसे पहिले लिखा है कि जीवन का सर्वश्रेष्ठ उपाय तीन प्रकार के दुःखों की आत्यन्तिक निवृत्ति है। 'ईश्वरकृष्ण' रचित 'सांख्यकारिका' का प्रथम श्लोक भी इसी बात का समर्थन करता है। संसार में अनेक प्रकार के दुःख होते हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार इनकी तीन राशियाँ होती हैं—आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक। आध्यात्मिक दुःख दो प्रकार के होते हैं—शारीरिक एवं मानसिक। पाँच प्रकार के वात, पाँच प्रकार के पित्त, पाँच प्रकार के क्लेष्मा—इनके वैपम्य से जो रोग पैदा होते हैं, वह शारीरिक दुःख है। काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर आदि से जो क्लेश उत्पन्न होता है; वह मानसिक दुःख है। यक्ष, राक्षस, विनायक, ग्रह आदि के आवेश से जो दुःख होते हैं वे आधिदैविक दुःख हैं और अन्य जंगम प्राणियों से तथा प्राकृतिक स्थावर पदार्थों से जो दुःख मिलता है, वह आधिभौतिक दुःख है। आध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत सदा अमेद्य रूप से परस्पर बद्ध हैं। कभी किसी की प्रधानता होती है, तो कभी किसी की। जिस समय जिसकी प्रधानता होती है उस समय उसी का नाम लिया जाता है। इन तीनों प्रकार के दुःखों का ऐकान्तिक-आत्यन्तिक नाश दृष्ट उपायों से नहीं हो सकता। इसीलिए ऐसे उपाय की जिज्ञासा होती है जिससे इनका समूल सार्वदिक विनाश हो जाय—ये हमेशा के लिए जड़ से खत्म हो जाएं। यह कैसे हो सकता है? सांख्य दर्शन अपनी मान्यता के अनुसार इसका उत्तर देता है कि यह कार्य सच्चे ज्ञान से ही हो सकता है। यह ज्ञान क्या है? उसकी प्राप्ति के क्या उपाय हैं? आदि प्रश्नों के समाधान के रूप में पुरुष और प्रकृति के आचार पर सांख्य-विचारधारा आगे बढ़ती है। यही सांख्यदर्शन की उत्पत्ति और गति का आधार है।

१—अथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिः अत्यन्तपुरुषार्थः ।

२—दुःखत्रयाभिघाताज्जिज्ञासा तदपघातके हेतुः ।

३—ज्ञानेन चापवर्गो.....

समझने के लिए, यह जानना जरूरी है कि धर्म क्या है, उसके नाम क्या हैं, धर्माभास और साधनाभास क्या हैं, धर्म का अन्तिम प्रारोह कैसे पूर्ण किया जा सकता है, मतभेद और विवाद में पड़े हुए धर्म का उद्धार कैसे किया जा सकता है ? आदि । इन प्रश्नों की मीमांसा-युक्ति-युक्त परीक्षा का नाम ही दर्शन है । यद्यपि मीमांसाशास्त्र का साक्षात् सम्बन्ध कर्मकाण्ड में है, इतना होते हुए भी उसका अन्तिम लक्ष्य वही है जो अन्य भारतीय दर्शनों का है ।

वेदान्त—‘मीमांसासूत्र’ में जो पहला सूत्र है, ठीक वही सूत्र ब्रह्मसूत्र में भी है, अन्तर केवल इतना ही है कि पहले में धर्म शब्द है जो दूसरे में ब्रह्म शब्द । वेदान्त का प्रयोजन है ब्रह्मज्ञान । वह ब्रह्म क्या है ? कोई भी वस्तु जिसके अधिकार के बाहर नहीं है, जो नब नुब है, सब वृद्ध जिसमें है । जिसका स्वरूप चेतना है, जो चित्शक्ति है, जो आत्मा ही है । ब्रह्म को जानने का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक एक अलग पदार्थ है, और जानने वाला एक अलग तत्त्व है । ब्रह्म को जानने वाला स्वयं ही ब्रह्म हो जाता है । वहां जाता और ज्ञेय का कोई भेद नहीं रहता । शांकर वेदान्त का कथन है कि भेद ही मनुष्यों का मूल है । जहां द्वैत रहता है वहीं दुःख रहता है । धर्म ही सच्चा सुख है ।

इस विवेचन से स्पष्ट है कि भारतीय परम्परा की साधना का मुख्य प्रयोजन दुःखमुक्ति है । चार्वाक की दृष्टि-भौतिकवादी है । उसका मुख्य लक्ष्य भौतिक सुख की वृद्धि करना है । इसी जन्म-मरण-अधिक-से-अधिक सुख का भोग करना-उसे इष्ट है । वह इसी सुख को जीवन-लक्ष्य समझता है । दर्शनशास्त्र का जन्म इसीलिए होता है कि वह हमारे इस ध्येय को गति प्रदान करता है । दर्शन शास्त्र हमारे लिए ऐसी व्यवस्था करता है, जिसके आधार पर हमें अधिक-से-अधिक सुख मिलता है । जैन दर्शन की धारणा अनन्त सुख की प्राप्ति की है ही । पुद्गल-तत्त्व को धारम-तत्त्व से सर्वथा विच्छिन्न कर देना, यही मयमे बड़ा सुख है । जब तक ये दोनों तत्त्व एक दूसरे में मयमे धारण नहीं हो जाते, अनन्त सुख की प्राप्ति या प्रादुर्भाव सम्भव है । घनादि काल से एक दूसरे से मिले हुए ये दोनों तत्त्व वि

दर्शनों का सच्चा ज्ञान होने से दुःख और उसके कारणों की परम्परा का क्रमशः क्षय होता है। इस क्षय के अनन्तर अपवर्ग-मोक्ष-निःश्रेयस अलता है। मोक्षावस्था में आत्मा को न दुःख होता है, न सुख। दुःख-सुखादि, जो कि संसारावस्था में आत्मा के साथ समवाय सम्बन्ध से रहते हैं, अपवर्ग में उससे अत्यन्त विच्छिन्न हो जाते हैं। आत्मा के बुद्धि-आदि गुणों का अत्यन्त उच्छेद ही मोक्ष है। इस अवस्था में रहने वाली आत्मा अपने असली स्वरूप में होती है, जहाँ उसके साथ बुद्धि-आदि गुण नहीं रहते।

वैशेषिक—‘वैशेषिक-सूत्र’ के रचयिता कणाद के शब्दों में भी यही अर्थ है कि निःश्रेयस की प्राप्ति के लिए ही धर्म का प्रादुर्भाव होता है। भारतीय परम्परा में धर्म और दर्शन में उतना भेद नहीं है जितना कि आश्चात्य परम्परा में। धर्म शब्द में दर्शन का समावेश व दर्शन शब्द में धर्म का समावेश हमारी परम्परा में बहुत साधारण बात है। कणाद ने अपने सूत्रों में जगह-जगह धर्म शब्द का प्रयोग किया है। ऐसा होते हुए भी उसका सम्प्रदाय वैशेषिक दर्शन के नाम से प्रसिद्ध है, न कि वैशेषिक धर्म के रूप में। धार्मिक मान्यताओं की तर्कयुक्त सिद्धि ही हमारे यहाँ दर्शन के नाम से प्रसिद्ध है। कणाद ने लिखा है—धर्म वह उपदार्थ है जिससे सांसारिक अभ्युदय और पारमार्थिक निःश्रेयस दोनों मिलते हैं।^१ वैशेषिक दर्शन का यही प्रयोजन है।

पूर्व मीमांसा—‘मीमांसासूत्र’ का सर्व प्रथम सूत्र है—‘अथातो धर्म-जिज्ञासा’। इसके भाष्य के रूप में शबर ने कहा है—‘तस्माद् धर्मो जिज्ञासितव्यः। स हि निःश्रेयसेन पुरुषं संपुनवतीति प्रतिजानीमहे।’ धर्म पुरुष को निःश्रेयस की प्राप्ति कराता है—कल्याण से जोड़ता है अतः धर्म अवश्य जानना चाहिए, यही भाष्यकार का अभिप्राय है। मनुष्य धर्म द्वारा ही कल्याण-मार्ग की आराधना कर सकता है, अतः उसे धर्म का ज्ञान होना आवश्यक है। धर्म के स्वरूप को ठीक तरह से

१—न्यायसूत्र, १/२।

२—मतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः।

सोचना मानव का आवश्यक स्वभाव बना रहेगा तब तक मानव-जीवन में हमेशा दर्शन रहेगा। चिन्तन मानव के जीवन से दूर हो जाये यह अभी तक तो संभव प्रतीत नहीं होता। ऐसी दशा में हम दर्शन निर्णय पर पहुँच सकते हैं कि जहाँ-जहाँ मानव रहेगा, दर्शन प्रकट रहेगा। दर्शन के अभाव में मानव का अस्तित्व ही असंभव है। एक दूसरा प्रश्न है कि दर्शन का स्तर क्या है? किसी समाज के विचारधारा अधिक विकसित हो जाती है, तो किसी की प्रारम्भिक अवस्था में ही रहती है। इन्हीं अवस्थाओं के आधार पर हम दर्शन के स्तर का भी निर्णय करते हैं। जीवन में दर्शन रहेगा अथवा चाहे वह किसी भी स्तर पर रहे।

दार्शनिक इतिहास को देखने से पता चलता है कि मनुष्य के विचारधारा या चिन्तन-शक्ति का प्रमुख केन्द्र उसका जीवन रहा है। उसने सोचना प्रारम्भ तो किया अपने जीवन पर, फिर जीवन के साथ-साथ रहने वाली या तत्सम्बद्ध अनेक समस्याओं पर भी उसे सोचना पड़ा, क्योंकि उन समस्याओं का समाधान बिना जीवन का पूरा चिन्तन संभव न था। जीवन के सर्वोच्च चिन्तन के लिए यह अत्यन्त आवश्यक था कि जीव से सम्बन्धित जगत् के अन्य तत्त्वों का भी अध्ययन किया जाता और हुआ ऐसा ही। ऐसा होते हुए भी मनुष्य ने दूसरी समस्याओं को इतना अधिक महत्त्व नहीं दिया कि जीवन का मूल प्रश्न गौण हो जाय। कहीं-कहीं पर उममे यह त्रुटि अवश्य हुई, किन्तु यह शोध ही संभव न गया और अपने क्षेत्र को बराबर संभालता रहा। दर्शन का मूल प्रयोजन, जीवन का चिन्तन या मनन है, ऐसा कहने का अर्थ इतना है कि उस चिन्तन या मनन का केन्द्र जीवन है। जीवन के साथ-साथ अन्य चीजों को भी लिया जाता है, किन्तु गौण रूप में, अर्थात् उममीमा तक जहाँ तक कि जीवन के चिन्तन में वे चीजें महात्त्व बनें। साधक बनने की हानन में उन्हें छोड़ दिया जाता है। जीवन के मूल तत्त्वों का अध्ययन करना और उन्हें मनन करने का प्रयत्न करना और विवेक की कमीटी पर कैसे हुए तत्त्वों के अनुसार धारण करना—यही दर्शन का जीवन के माध्य यान्तविक मन्व्य है।

भिकार अलग-अलग हो सकते हैं, यह दिखाना दर्शन का मुख्य प्रयोजन है। दूसरे शब्दों में आत्मा अपने असली रूप में किस प्रकार आ सकती है, इसका दिग्दर्शन कराना दर्शन का ध्येय है। बुद्ध की शिक्षाओं का सार भी यही है कि दुःख से कैसे मुक्ति मिले। पाँच स्कन्धों की परिसमाप्ति ही दुःखमुक्ति है। इस परिसमाप्ति का मार्ग बताना दर्शनशास्त्र का ध्येय है। सांख्य की मान्यता के अनुसार आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक—इन तीन प्रकार के दुःखों की आत्यन्तिक निवृत्ति कैसे संभव है? इस बात की खोज करने के लिए दर्शन का प्रादुर्भाव होता है। योगदर्शन भी इसी बात का समर्थन करता है। वह क्रिया-पक्ष पर विशेष भार देता है। न्याय-दर्शन का प्रयोजन अपवर्ग—प्राप्ति है। दुःख और उसके कारणों की परम्परा का क्षय करना उसका ध्येय है। दुःख के कारणों की परम्परा का क्षय होने पर अपवर्ग अर्थात् निःश्रेयस मिलता है। वैशेषिक लोग भी निःश्रेयस की प्राप्ति को जीवन-लक्ष्य मानते हैं। सांसारिक अभ्युदय और पारमाथिक निःश्रेयस—इन दोनों की प्राप्ति ही दर्शन का प्रयोजन है। मीमांसक भी निःश्रेयस की प्राप्ति को महत्त्व देते हैं। वे कहते हैं कि धर्म से पुरुष को निःश्रेयस की प्राप्ति होती है, अतः धर्म अवश्य जानना चाहिए। धर्म के स्वरूप का ठीक ठीक ज्ञान करना—इसी का नाम दर्शन है। वेदान्त का प्रयोजन ब्रह्मज्ञान है। यही सबसे बड़ा सुख है, यही सबसे बड़ा तत्त्व है। इस तत्त्व का साक्षात्कार करना—ब्रह्ममय ही जाना, यही वेदान्त को इष्ट है।

दर्शन और जीवन :

जीवन के साथ दर्शन का क्या सम्बन्ध है, इसका ठीक-ठीक उत्तर प्राप्त हो जाने पर हम यह सहज ही में समझ सकते हैं कि जीवन में दर्शन का क्या महत्त्व है। जब हम यह मानते हैं कि मनुष्य का स्वभाव सोचना या चिन्तन है अथवा यों कहिए कि चिन्तन से ही मनुष्य सचमुच मनुष्य बनता है, चिन्तन ही एक ऐसा विशेष गुण है, जो मनुष्य का वास्तविक रूप में मनुष्य बनाता है तो यह समझना कठिन नहीं है कि जीवन और दर्शन कितने समीप हैं। जबतक चिन्तन या

प्रश्नों को लेकर आधुनिक वैज्ञानिकों ने जो नई-नई खोजें की हैं उन्हें लेकर दार्शनिक क्षेत्र में एक नई हलचल मच गई है। कुछ भी है आज भी दर्शन की दोनों विचारधाराएँ समान बल से अपने-अपने पक्ष को लेकर आगे बढ़ रही हैं और अपनी-अपनी धारणा एवं तर्क-शक्ति के बल पर जगत् के स्वरूप को समझने का प्रयत्न कर रही हैं। साधारण व्यक्ति भौतिक या जड़ जगत् की सत्ता में कभी संदेह नहीं करता। वह कदापि यह नहीं सोचता कि जिस भौतिक जगत् का हम अपनी इन्द्रियों द्वारा अनुभव कर रहा हैं वह जगत् उस रूप में भूया या प्रतीतिमात्र है। उसका वास्तविक आधार चेतना या चेतनत्व है। वर्गसां ने तो यहाँ तक कह दिया कि हमारी भाषा ठोस पदार्थों की भाषा है। 'हम अपनी भाषा द्वारा ठोस पदार्थों का ही ठीक-ठीक वर्णन कर सकते हैं। हम कई बार मानसिक प्रवृत्तियों (Mental process) का वर्णन कर सकते हैं और उन प्रवृत्तियों के लिए भावना, प्रेरणा, भावुकता आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। किन्तु वास्तव में इन सारी प्रवृत्तियों का मौलिक आधार व महत्त्व भौतिक ही होता है। इन प्रवृत्तियों के मूल में भौतिक प्रेरणा ही कार्य करती है, अथवा यों कहिए कि इन प्रवृत्तियों का प्रादुर्भाव भौतिक प्रेरणा को आलम्बन बनाकर ही होता है। भौतिक आधार के अभाव में ये प्रवृत्तियाँ साधारण व्यक्ति की समझ में आ ही नहीं सकतीं। इतना ही नहीं, इनका कथन भी भौतिक आधारशिला पर ही टिक सकता है। आदर्शवाद और यथार्थवाद में मौलिक भेद इस भौतिक तत्त्व का है। आदर्शवाद भौतिक तत्त्व की स्वतंत्र सत्ता का स्वीकार नहीं करता। यथार्थवाद इस धारणा को खुली चुनौती देता है। उसकी दृष्टि में भौतिक तत्त्व उसी रूप में स्वतन्त्र एवं सत्य है, जिस रूप में आध्यात्मिक तत्त्व स्वतंत्र एवं सत्य है। पाश्चात्य परम्परा का दार्शनिक इतिहास देखने से पता लगता है कि सर्वोपरोक्त पहले ग्रीक दार्शनिक पारमेनाइड्स ने ईसा से ५०० वर्ष पूर्व इस धारणा की घोषणा की थी कि ज्ञान और ज्ञेय (Thought and the

दार्शनिक होने का अर्थ विचारक होना तो है ही, साथ-साथ ही यह समझना भी है कि जीवन का उन विचारों के साथ कितना सामंजस्य है ? जीवन के मूल तत्त्वों पर उनका क्या प्रभाव है ? जीवन की मौलिकता से वे कितने मिले हुए हैं ? उनकी दौली जीवन को कितनी शक्ति प्रदान करती है ? वृत्तियों के नियन्त्रण में उनका कितना हाथ रहता है ? इन सारे प्रश्नों का चिन्तन ही सच्चे विचारक की कसौटी है । सच्चा दार्शनिक जीवन के इन मौलिक तत्त्वों व प्रश्नों को आधार बना कर ही अपने चिन्तन क्षेत्र में आगे बढ़ता है और बढ़ता-बढ़ता यहाँ तक बढ़ जाता है कि चिन्तन की सीमा को साहस के साथ पार करता हुआ बहुत दूर निकल जाता है, जहाँ से वापिस लौटना संभव नहीं । चिन्तन व मनन के नियन्त्रित क्षेत्र को पार कर जीवन का साक्षात्कार करता हुआ न जाने कहाँ चला जाता है ? जाता हुआ दिखाई देता है, किन्तु कहाँ जाता है, इसका पता नहीं लगता ।

जगत् का स्वरूप :

दर्शन और जीवन का सम्बन्ध समझ लेने के पश्चात् हमारे लिए यह आवश्यक हो जाता है कि जिस जगत् में हमारा जीवन व दर्शन फलता-फूलता है, उस जगत् का स्वरूप भी समझें । जगत् का स्वरूप समझते समय हमें यह भी मालूम हो जायगा कि व्यक्ति के जीवन का जगत् के साथ क्या सम्बन्ध है । जीवन और जगत् का सम्बन्ध ज्ञात हो जाने पर दर्शन का जगत् के भूल्यांकन में कितना हाथ है, यह भी समझ में आ जायगा । दर्शन के क्षेत्र में जगत् का विश्लेषण करने वाली दो मुख्य विचारधाराएँ हैं । एक विचारधारा यथार्थवाद के नामसे प्रसिद्ध है और दूसरी विचारधारा आदर्शवाद के रूप में जानी जाती है । यथार्थवाद और आदर्शवाद का भगड़ा कोई नया नहीं है । यह भगड़ा बहुत लम्बे काल से चला आ रहा है । इस भगड़े का मुख्य आधार भौतिक सत्ता (Material Existence) है । हाल ही की वैज्ञानिक शोधों ने इस भगड़े को और प्रोत्साहन प्रदान किया है । जड़ या भूत के स्वरूप और जगत् की रचना के

में वैसे ही प्रतिभासित होता है जैसा कि हम उसे जानते हैं। हमारे ज्ञान पदार्थ और विचार के पारस्परिक सम्बन्ध से उत्पन्न होता। ऐसी हालत में वस्तुतः में पदार्थ क्या है, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, यह हम अपने साधारण ज्ञान से कैसे जान सकते हैं। इन पर यह फलित होता है कि पदार्थ अपने आप में (Thing-in-itself Ding an sich) क्या है, यह जानना हमारे लिए असम्भव है। इस अर्थ यह हुआ कि हम सत्य का स्पष्टीकरण करने में सफल नहीं सकते। वास्तव में सत्य क्या है, इसका अन्तिम निर्णय करना हमें अधिकार से बाहर है। हम जगत् को जिस रूप में देखते हैं वह केवल चैतन्य के माध्यम द्वारा हमारे सामने आता है। इस आशय पर हम यह कह सकते हैं कि जगत् का अन्तिम रूप आध्यात्मिक होना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिकता के अभाव में ज्ञान का संभावना ही नहीं रहती। आध्यात्मिक (चैतन्य) और जड़ दो प्रकारों की स्वतन्त्र सत्ता मानने पर उनमें परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता! दो परस्पर विरोधी सत्ताएं आपस में ज्ञाता और ज्ञेय का सम्बन्ध स्थापित नहीं कर सकतीं। इसके अतिरिक्त सम्बन्ध का स्वरूप है और वह दोनों सत्ताओं को कैसे जोड़ता है; इसके लिए किन्हीं अन्य सम्बन्ध की आवश्यकता रहती है अथवा नहीं; इत्यादि प्रश्नों को हल करना बहुत कठिन है। तात्पर्य यही है कि आदर्शवाद अनुमान द्वारा इस निर्णय पर पहुँचता है कि जगत् का अन्तिम और वास्तविक स्वरूप आध्यात्मिक है। वह आध्यात्मिक सत्ता से स्वतन्त्र जड़ तत्त्व की सत्ता स्वीकार नहीं करता। यह आध्यात्मिक तत्त्व क्या है, व्यक्ति और जगत् की अभिव्यक्ति का आधार क्या है; ज्ञान, विचार, अनुभव, बुद्धि आदि का आध्यात्मिक सत्ता में कैसे अन्तर्भाव होता है—इत्यादि प्रश्नों पर भिन्न-भिन्न आदर्शवादियों ने भिन्न-भिन्न प्रकार के विचार व्यक्त किए हैं। हम उन्हें समझने का प्रयत्न करेंगे।

आदर्शवाद की विभिन्न दृष्टियाँ :

आदर्शवाद के अनेक दृष्टिकोणों में एक दृष्टिकोण प्लेटो का भी है। प्लेटो ग्रीक दार्शनिक है। उसकी यह धारणा थी कि तत्त्व विचारों का एक

Object of Thought) में कोई भेद नहीं है। ज्ञान को छोड़कर ज्ञेय कोई भिन्न पदार्थ नहीं है। ज्ञान और ज्ञेय वास्तव में एक ही हैं। लेटो ने आध्यात्मिक तत्त्व की सत्ता पर जोर दिया, किन्तु पूर्ण रूप में आदर्शवादी बन सका। एरिस्टोटल तो यथार्थवादी था ही। गौदहवीं शताब्दी में निकोलस को आदर्शवाद की थोड़ी-सी झलक मिली, किन्तु वह वहीं शान्त हो गई। आदर्शवाद और यथार्थवाद का जो रूप आज हमारे सामने है उसका बीज डेकार्ट की विचार-धारा में मिलता है। डेकार्ट ने विस्तार (Extension) और विचार (Thought) के भेद से भौतिक तत्त्व और आध्यात्मिक तत्त्व में भेद डाला। वह यथार्थवादी था किन्तु उसके बाद धीरे-धीरे आदर्शवाद का जोर बढ़ता गया।

आदर्शवाद का दृष्टिकोण :

कुछ लोग यह समझते हैं कि आदर्शवाद वह सिद्धान्त है, जो अष्ट रूप से दिखाई देने वाले जगत् को यथार्थ न समझ कर उसके अस्तित्व या स्वरूप-निर्णय में कुछ कमी कर देता है। जगत् का स्वरूप जैसा दिखाई देता है, वैसा नहीं है, किन्तु अलग ही प्रकार का है, जो दृश्यमान जगत् से थोड़ी कमी लिए हुए है—अर्थात् बहुत सी ऐसी बातें हमें इस जगत् में दिखाई देती हैं, जो वस्तुतः जगत् में नहीं हैं। कुछ दार्शनिकों का यह मत है कि 'आदर्शवाद' पद का प्रयोग, उन अज्ञान-दर्शनशास्त्रों के लिए किया गया है, जो यह मानते हैं कि विश्व की व्यवस्था के निर्माण में आध्यात्मिक तत्त्व का प्रमुख हाथ है। उनकी धारणा के अनुसार प्रकृति का अवलम्बन या आधार आत्म-तत्त्व है। ऐसी अवस्था में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आदर्शवाद का वास्तविक स्वरूप क्या है? 'आदर्शवाद' पद से हमें क्या बोध होना चाहिए? आदर्शवाद वह सिद्धान्त या विश्वास है जिसके अनुसार विचार-शक्ति (Thought) या तर्क (Reason) तत्त्व की अभिव्यक्ति का माध्यम है अर्थात् तत्त्व का यही स्वभाव है कि

१. Prolegomena to an Idealistic Theory of Knowledge, पृ० १.

इसी प्रकार आकार आदि के विषय में भी समझ लेना चाहिए। इस प्रकार के गुणों को लोक की भाषा में (Primary qualities) (Objective qualities) कहते हैं। बर्कले ने लोक की इस धारणा का खण्डन किया। उसने स्पष्ट शब्दों का भेद डालना निरी भ्रान्तता है। आत्मगत होते हैं। हम यह नहीं कह सकते अपने गुण है और अमुक गुण हमारी हैं। हमें तथाकथित वस्तुगत धर्म का है जिस प्रकार कि आत्मगत धर्म का। ऐसी स्थिति में हम यह कह सकते हैं कि अमुक धर्म तो वस्तु का अपना धर्म है जो बर्कले के द्वारा आरोपित है। वास्तव में वस्तु में ऐसा आत्मगत न हो। दूसरे शब्दों में कहा जायता सारा आत्मगत है क्योंकि विविध धर्मों या गुणों से अतिरिक्त या भिन्न अपने आप में कुछ नहीं है। तात्पर्य यह है कि बर्कले के मतानुसार स्वयं ही वस्तु का निर्माण करता है। ज्ञाता के दर्शन या ज्ञान से कोई बाह्य पदार्थ नहीं होता। ज्ञाता का ज्ञान खुद ही बाह्य पदार्थ का आकार धारण करता है और वह ऐसा प्रतिभासित होता है मानों अपने से भिन्न कोई बाह्य पदार्थ हो। वास्तव में जितने भी बाह्य पदार्थ किसे को दिखाई देते हैं—किसी के अनुभव में आते हैं, सब अनुभवकर्ता अपने दिमाग की उपज है—ज्ञाता की अपनी विचारधारा की कृति है बर्कले की इस धारणा का स्पष्ट मन्तव्य यह है कि व्यक्ति की विचारधारा ही बाह्य पदार्थों की सत्ता का निर्माण करती है। जगत् अपने आप कुछ नहीं है। व्यक्ति स्वयं जगत् का निर्माण करता है और स्वयं मिटा है। वास्तव में व्यक्ति का चित्त या मन (Mind) ही अन्तिम तत्त्व है सारा संगार उसी का खेल है। बर्कले के इस आदर्शवाद को आत्म आदर्शवाद या स्वगत आदर्शवाद (Subjective Idealism) कह सकते

कान्ट का आदर्शवाद दूसरे ही प्रकार का है। उसकी धारणा अनुसार हमें वास्तविक पदार्थ का ज्ञान हो ही नहीं सकता। हम जितना भी ज्ञान या अनुभव है वह इत्यजगत् तक ही सीमित है। वैसे ? इसका स्पष्टीकरण करते हुए कान्ट कहता है कि हमारे ज्ञान

संगठित राज्य है। प्रत्येक विचार (Idea) अनादि-अनंत एवं अपरिवर्तन-शील है। जब हम यह कहते हैं कि विचार ही तत्त्व है तो इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि वे वैयक्तिक मस्तिष्क के आश्रित एवं परतंत्र हैं। विचार अपने आपमें स्वतंत्र, अनादि, अनंत एवं अपरिवर्तनशील हैं; इसीलिए समझकर ही हमें प्लेटो की दार्शनिक विचार-धारा का अध्ययन करना चाहिए। ये विचार ही हमारे इस दृश्य जगत् का निर्माण करते हैं। यह निर्माण क्यों व कैसे होता है? इसका उत्तर देते हुए प्लेटो कहता है कि इस प्रश्न का इसके अतिरिक्त कोई सन्तोपजनक उत्तर नहीं है कि किसी-न-किसी प्रकार ऐसा हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि हमें जिस जगत् का अनुभव करते हैं, वह जगत् वास्तव में अन्तिम सत्य नहीं है। अन्तिम सत्य तो विचारों का एक संगठित समाज है जो नित्य एवं अनादि-अनंत है।

बकले का नाम भी आदर्शवादी दार्शनिक के रूप में लिया जा सकता है; यद्यपि वह पूर्ण आदर्शवादी नहीं है। ऐसा होते हुए भी वह प्रायुक्तिक युग के आदर्शवाद का निर्माता है, इसमें कोई सन्देह नहीं। बकले ने अपने पूर्वज लोक के इस मत का खण्डन किया कि वस्तु में दो प्रकार के धर्म होते हैं—आत्मगत एवं वस्तुगत। आत्मगत धर्म का अर्थ होता है—ऐसे गुण, जो वास्तव में पदार्थ में तो नहीं होते किन्तु ज्ञाता के ज्ञान का ऐसा स्वभाव होता है कि वह उन गुणों का वस्तु में आरोप कर देता है। उदाहरण के रूप में वर्ण को लीजिए। वास्तव में पदार्थ में वर्ण नहीं होता किन्तु ज्ञाता के नेत्र, मस्तिष्क व दर्शन का ऐसा स्वभाव होता है कि उसे इन सब कारणों की उपस्थिति में वस्तु में वर्ण दिखाई देता है। इसी प्रकार से रस आदि गुणों को भी समझ लेना चाहिए। इन गुणों को लोक ने (Secondary qualities) या (Subjective qualities) नाम दिया है। वस्तुगत धर्म, वह धर्म या गुण है, जो वास्तव में पदार्थ में होता है। दृष्टान्त के लिए संख्या ले लीजिए। यदि मेरे सामने पांच घट पड़े हैं तो वास्तव में वे पांच हैं। मेरी दृष्टि उन्हें पांच नहीं बना देती, अपितु वे अपने आप में पांच हैं।

menon) और पारमार्थिक जगत् (Noumenon) के रूप में विभाजित करता है।

हेगल ने जगत् का अन्तिम तत्त्व विचार माना। उसने कहा कि विचार की भूमिका पर ही सारा जगत् टिक सकता है। यह विचार तत्त्व बर्कले की तरह वैयक्तिक न होकर सार्वत्रिक है। साथ ही सापेक्ष न होकर निरपेक्ष है। हेगल यह भी मानता है कि तर्क, हेतु आदि इसी विचार के पर्याय हैं। विचार, तर्क, हेतु आदि में कोई भी नहीं है। यह निरपेक्ष विचार (Absolute Thought) स्थितिशील (Static) न होकर गतिशील (Dynamic) है। इसी कारण हेगल के दर्शन में डाइलेक्टिक (Dialectic) जो 'वधि (Thesis), निषेध (Anti-thesis) और सिन्थेसिस (Synthesis) के रूप में परिणत होता है। निरपेक्ष सार्वत्रिक सत्य पहुँचने के लिए यह आवश्यक है कि विधि और निषेध हुए समन्वय तक पहुँचा जाय। यह समन्वय की भूमिका है। इस भूमिका पर पहुँचते ही जगत् को सारी विप्रतिपत्ति (Antithesis) शान्त हो जाती है। विश्व का सम्पूर्ण विरोध, और निषेध रूप से हमारे सामने आता है, स्वतः शान्त हो जाता है। विधि और निषेध वास्तव में तभी तक परस्पर विरोधी मालूम होते। जब तक कि वे हमारे सीमित अनुभव के स्तर पर रहते हैं। प्रतीति स्तर पर पहुँच जाने पर उनका विरोध अपने आप ही शान्त हो जाता। क्योंकि वहाँ पर एक प्रकार की आध्यात्मिक एकता (Spiritual Unity) रहती है। सार्वत्रिक निरपेक्ष तत्त्व के पेट में सब समा जाते हैं। इसी स्थिति का नाम समन्वय है। समन्वय की इस स्थिति में विरोध का नाश या अभाव नहीं होता अपितु सबको उचित स्थान प्राप्त हो जाता है। यही हेगल का निरपेक्ष आदर्शवाद या विचारवाद है।

हेगल के बौद्धिक नेतृत्व का अनुसरण करते हुए श्रोडले ने यह सिद्ध किया कि द्रव्य, गुण, कर्म, आकाश, काल, कार्य, कारण आदि का आधार अनेक विरोधी विचारों को उत्पन्न करता है। उसने इन सब प्रतीयमान तत्त्वों को आभास (Appearance) कहा। वास्तविक तत्त्व

स्पष्टि में बहुत से ऐसे कारण हैं जिनकी उपस्थिति में हमें पदार्थ अपने रूप में क्या है अर्थात् पदार्थ का अपना वास्तविक स्वरूप क्या है, इसका ज्ञान नहीं हो सकता। मान लीजिए, मैं एक घट का ज्ञान कर रहा हूँ। मेरा यह घटज्ञान किस प्रकार का होगा? इस घटज्ञान में समय अवश्य रहेगा, क्योंकि मैं किसी-न-किसी समय में ही घट का अनुभव कर सकता हूँ। इसके अतिरिक्त इसमें स्थान का हिस्सा भी रहेगा ही, क्योंकि मेरा यह घटज्ञान किसी न किसी जगह पर पड़े हुए घट के विषय में ही होगा। इन दोनों कारणों के अतिरिक्त मैं उस घट को अस्तित्व या नास्तित्व अर्थात् है या नहीं है अथवा कार्य या कारण या अन्य किसी रूप में ही जानूँगा, अथवा इन सब रूपों में जानूँगा। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरा घटज्ञान काल, आकाश और विचार की किसी न किसी श्रेणी या वर्ग का उल्लंघन नहीं कर सकता। कान्ट ज्ञान की उत्पत्ति में तीन प्रकार की अवस्थाओं की सीमा स्वीकृत करता है। ज्ञान किसी न किसी काल में उत्पन्न होता है, किसी न किसी आकाश-स्थान से सम्बन्ध रखता है और बारह विचार-कोटियों (Twelve Categories of Thought) में से किसी न किसी विचार-कोटि का आश्रय लेता है। आकाश और काल को वह अन्तर्दृष्टि (Intuition) के दो अखण्ड रूप मानता है।

इस विवेचन को समझ लेने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारा ज्ञान कैसा है? हम किसी भी पदार्थ को उसी रूप में जानते हैं, जिस रूप में कि हमें उसका उपरोक्त स्थिति में ज्ञान होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाय तो हमारे ज्ञान में काल की मर्यादा है, आकाश की मर्यादा है और साथ-ही-साथ विचार की भी मर्यादा है। हमें इन सब मर्यादाओं के बीच पदार्थ जैसा दिखाई देता है, हम उसे उसी रूप से जानते हैं। वास्तव में पदार्थ कैसा है अर्थात् काल, आकाश और विचार-की सीमाओं से परे उसका क्या रूप है, इसका ज्ञान हमें नहीं हो सकता। हम दृश्यजगत् का ज्ञान कर सकते हैं किन्तु पारमार्थिक—वास्तविक जगत् का ज्ञान करना हमारे अधिकार से बाहर है। जगत् जिस रूप में हमारे सामने प्रतिभासित होता है उस रूप में हम उसे जान सकते हैं, अपने असली रूप में नहीं। इस प्रकार कान्ट का आदर्शवाद जगत् का दृश्यजगत् (Pheno-

कि तत्त्व का मानसिक प्रवृत्ति पर नियन्त्रण रहता है तो हम दोनों की एकता ला सकते हैं।'

बोसांकेट की धारणा के अनुसार विचार या तर्क का लक्ष्य पूर्ण (Whole) है। यह 'पूर्ण' स्वभाव से ही निर्माण करने वाला है। इस यह विचार अपनी पूर्ण शक्ति का प्रयोग करता है—पूर्णांता तक पूर्ण जाता है, तभी तत्त्व की सम्पूर्णाता का निर्माण होता है। यह पूर्ण आध्यात्मिक अद्वैत के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यह आध्यात्मिक अद्वैत ही अनुभव की एकता है। यह अन्तिम आध्यात्मिक तत्त्व वास्तविक तत्त्व है। वास्तविक जगत् अनुभव की एकता के अतिरिक्त कुछ नहीं है। बोसांकेट ने अनुभव की एकता (Value) पर भी जोर दिया और कहा कि आध्यात्मिक तत्त्व में एकता (Unity of Values) का भी समावेश है। इस प्रकार बोसांकेट का आदर्शवाद बुद्धि—तर्क—विचार पर विशेष भार देता है। आध्यात्मिक एकता की ओर बढ़ जाता है। आदर्शवाद की इस धारणा को हम आध्यात्मिक अद्वैतवाद कह सकते हैं।

इस प्रकार हमने संक्षेप में पाश्चात्य आदर्शवादी विचारधारा का परिचय देने का प्रयत्न किया है। अब हम यह चाहते हैं कि इसी प्रकार से भारतीय आदर्शवादी परंपरा का भी संक्षिप्त परिचय हो जाय।

बौद्धदर्शन की महायान शाखा और अद्वैत वेदान्त, भारतीय आदर्शवाद के प्रतिनिधि हैं। इन दोनों परम्पराओं में भारतीय आदर्शवाद अच्छी तरह समा मकता है, ऐसा कहा जाय तो कोई प्रत्युक्ति होगी। बौद्धदर्शन की मुख्यरूप से दो धाराएँ हैं—हीनयान और महायान। इनमें से हीनयान गुले रूप से यथार्थवादी है, इसमें कोई संशय नहीं। महायान के पुनः दो भेद हैं—माध्यमिक और योगाचार। माध्यमिक विचारधारा के अनुसार तत्त्व 'चतुष्कोटिविनिमुक्त' कहा गया है। मानवीय बुद्धि की चारों कोटियाँ तत्त्व-ग्रहण की योग्यता

१—Life and Philosophy in Contemporary British Philosophy, पृष्ठ ६१

२—चतुष्कोटिविनिमुक्त तत्त्व माध्यमिक विदुः।

Reality) के लिए यह आवश्यक है कि वह सम्बन्ध-निरपेक्ष (None-relational) हो, ऐसा कह कर ब्रेडले ने यह सिद्ध किया कि सार्वत्रिक 'अनुभव' ही अन्तिम तत्त्व है। इस 'अनुभव' के भीतर बुद्धि, वेदना और इच्छा तीनों रहते हैं। अपनी प्रसिद्ध कृति अपियरेन्स एंड रियलिटी (Appearance and Reality) में इस विषय पर ब्रेडले ने बहुत अच्छा प्रकाश डाला है। हमारी साधारण बुद्धि को किस प्रकार अनेक विप्रतिपत्तियों का सामना करना पड़ता है, इसका बहुत सुन्दर चित्रण किया गया है। उसमें यही सिद्ध किया गया है कि निरपेक्ष अन्तिम सत्य का ग्रहण हमारी सामान्य बुद्धि से बाहर की गीज है। वह मत्पतीत होते हुए प्रत्यक्ष अनुभव अथवा साक्षात्कार का विषय है। बुद्धि को सारी विप्रतिपत्ति यहाँ विलीन हो जाती है। अथवा हमें कहिए कि हमारी साधारण बुद्धि, जो कि विप्रतिपत्ति से परिपूर्ण है, यहाँ इस रूप में नहीं रहती। उस दशा में वह तत्त्व के साथ एकरूप हो जाती है। जगत् के पदार्थ तभी तक आभासरूप प्रतीत होते हैं जब तक कि उनका ज्ञान, अनुभव या ग्रहण सामान्य बुद्धि द्वारा होता है। इस प्रकार की प्रतीति अपने सीमित रूप में 'आभास' कही जाती है। इस प्रकार का आभास माया या भ्रम नहीं है, अपितु सीमित एवं सापेक्ष सत्य है। उसे हम पूर्ण सत्य अथवा तत्त्व नहीं कह सकते। पूर्ण सत्य निरपेक्ष एवं असीम होता है, और वही सत्य अन्तिम तत्त्व है। इस प्रकार ब्रेडले के मतानुसार तत्त्व के अनेक स्तर या क्रम (Degrees) होते हैं। अन्तिम क्रम निरपेक्ष एवं पूर्ण होता है और वही अन्तिम तत्त्व है।

बोसांकेट ने ब्रेडले की पद्धति का अनुसरण करते हुए तत्त्व को तार्किक एवं बौद्धिक नींव पर खड़ा किया। उसने बौद्धिक शक्ति पर विशेष जोर दिया। इतना होते हुए भी बाह्य जगत् की सत्ता का अपलाप नहीं किया। उसने कहा कि विचार या तर्क का सार मानसिक शक्ति में नहीं, अपितु वस्तु की बाह्य व्यवस्था में है। यदि हम यह कहें

आधार के लिए इसे किसी अन्य की आवश्यकता नहीं रहती। यह अप्रतिष्ठित और अनाश्रित है।^१ इस तत्त्व का ज्ञान तत्त्वमान होने पर ही हो सकता है, तत्त्व से अलग रहने पर नहीं। इमीति कहा गया है कि ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है— ब्रह्मविद् ब्रह्म एव भवति। उस अवस्था में ज्ञाता और ज्ञेय का भेद नहीं रहता।

यथार्थवाद :

यह स्पष्ट ही है कि यथार्थवाद आदर्शवाद की तरह जड़ तत्त्व का अपलाप नहीं करता। चार्वाक-जैसे कुछ यथार्थवादी दर्शन ऐसे तो मिल सकते हैं, जो स्वतन्त्र चेतन तत्त्व न मानते हों, किन्तु ऐसा कोई भी यथार्थवादी दर्शन न मिलेगा, जो जड़ तत्त्व का अपलाप करता हो। तात्पर्य यह है कि यथार्थवादी दृष्टिकोण के अनुसार जड़तत्त्व असत् नहीं है, अपितु सत् है। भौतिक तत्त्व आभास नहीं अपितु यथार्थ है। इस भौतिक या जड़ तत्त्व का आधार कोई चेतन तत्त्व या विचारधारा नहीं है, अपितु यह स्वयं अपने आप में अपना आधार है। इसका कोई अन्य आध्यात्मिक आश्रय नहीं है, अपितु यह स्वाश्रित है—स्वप्रतिष्ठित है।

अब प्रश्न यह है कि क्या सचमुच जड़ या भौतिक तत्त्व है ? जिसे मैं गुलाब का फूल समझ रहा हूँ, या गुलाब के फूल के रूप में देख रहा हूँ, क्या वह सचमुच कोई ऐसी चीज है, जो मेरे ज्ञान में भिन्न स्वतन्त्र जड़ पदार्थ है ? जिस समय मैं उसे नहीं देखता हूँ, क्या उस समय भी वह फूल उसी रूप में मौजूद है ? क्या वह फूल वास्तव में फूल रूप से सत्य है, या केवल मेरी कल्पना की उत्पत्ति ही है, जिसका स्वप्न के पदार्थ की तरह वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है ? उसका आधार सार्वत्रिक चेतना है, या वह स्वयं अपना आधार है ? यथार्थवाद इन सब प्रश्नों को हल करने का प्रयत्न करता है। उसकी दृष्टि में गुलाब के फूल की उसी तरह स्वतन्त्र सत्ता है, जिन

१—'अप्रतिष्ठितोऽनाश्रितो भूमा वचिदपि'

रहित है। हमारी सामान्य बुद्धि में इतनी योग्यता नहीं कि वह अन्तिम तत्त्व तक पहुँच सके। यह केवल संवृति-सत्य (प्रपंच) तक ही सीमित है। यह संवृतिसत्य वास्तविक एवं अन्तिम सत्य नहीं है। हमारा साधारण ज्ञान परमार्थ सत्य तक नहीं पहुँच सकता। यह अन्तिम सत्य क्या है? इस प्रश्न को लेकर विद्वानों में कुछ मतभेद है। कुछ विचारक कहते हैं कि माध्यमिक परम्परा इस अन्तिम तत्त्व को शून्य मानती है अर्थात् यह अन्तिम तत्त्व विघ्नरूप न होकर निषेधरूप है। दूसरे शब्दों में शून्य का अर्थ यह हो सकता है कि वह तत्त्व सर्वथा असत् है—अभावात्मक है। इस प्रकार इन विचारकों की मान्यतानुसार माध्यमिक का दूसरा अर्थ शून्यवाद हो जाता है और यही कारण है कि माध्यमिक शून्यवाद के नाम से प्रसिद्ध है। कुछ विचारक ऐसे हैं, जो माध्यमिक प्रतिपादित तत्त्व को असत् या शून्य नहीं मानते। उनकी धारणानुसार यह अन्तिम तत्त्व विघ्नरूप है—सत् है। वे शून्य शब्द का प्रयोग अवश्य करते हैं किन्तु असत् की सिद्धि के लिए नहीं, अपितु सत् की सिद्धि के लिए। वे कहते हैं कि शून्य का दो अर्थों में प्रयोग करना चाहिये—एक स्वभाव-शून्य और दूसरा प्रपंच-शून्य। प्रातिभासिक तत्त्व स्वभावशून्य है अर्थात् उसका अपना कोई स्वभाव अथवा स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। वह केवल प्रपंच या प्रतिभासमात्र है, इसलिए वह अन्तिम तत्त्व नहीं है। वास्तविक तत्त्व प्रपंचशून्य है अर्थात् सब प्रकार के प्रपंच या प्रतिभास से रहित है। वह अपने आप में अन्तिम सत्य है। वही अन्तिम तत्त्व है। जैसा कि कहा गया है : “बुद्ध ने दो सत्यों के आधार पर धर्म-देशना की। उनमें एक लोकसंवृति सत्य है और दूसरा पारमार्थिक सत्य है।” “पारमार्थिक सत्य आत्म-साक्षात्कार का विषय है, शान्त है, प्रपंच रहित है, निर्विकल्प है, एक है। यही तत्त्व का लक्षण है।”^१

१—द्वे सत्ये समुपाश्रित्य बुद्धानां धर्मदेशना ।

लोकसंवृतिमत्यं च सत्यं च परमार्थतः ॥

—माध्यमिककारिका, २४।८

२—अपरप्रत्ययं शान्तं प्रपंचैरप्रपंचितम् ।

निर्विकल्पमनानार्थमेतत् तत्त्वस्य लक्षणम् ॥

—वही, १८।६

दाग्रों के साथ-साथ इन्द्रिय की भी मर्यादाएँ होती हैं। यदि हम
 में स्वतन्त्र रूप से बाह्य पदार्थ न हो तो ये सारी सीमाएँ
 जाएँगीं। भ्रम, स्वप्न या अन्य किसी विकृत अवस्था का
 हरण देकर इस सत्य को अन्यथा सिद्ध नहीं किया जा सकता
 क्योंकि इन सब अवस्थाओं का वास्तविक आधार साधारण
 जाग्रत अवस्था है। जब तक हम यह नहीं समझ लेते कि हम
 जाग्रत दशा का साधारण और अविकृत ज्ञान या अनुभव क्या है—
 यथार्थ है—तब तक हमें यह कहने का कोई अधिकार नहीं है—
 स्वप्न या भ्रमावस्था का विकृत ज्ञान झूठा है—अथवा
 मिथ्या है—भ्रम है। जाग्रत दशा का ज्ञान हमें स्पष्ट रूप से
 बताता है कि हमारे इन्द्रिय-प्रत्यक्ष का विषय बाह्य पदार्थ है
 आध्यात्मिक या विचारमात्र न होकर भौतिक स्वरूप का।
 मेरे चक्षुरिन्द्रिय-प्रत्यक्ष-का विषय, जिसे मैं गुलाब
 आध्यात्मिक या विचारमात्र न होकर भौतिक स्वभाव वाला है।
 उसकी भौतिक रूप सत्ता न होती, तो मैं किसी भी जगह, कि
 भी समय, किसी भी इन्द्रिय से उसका प्रत्यक्ष कर लेता। वह
 चक्षुरिन्द्रिय की मर्यादाओं से सीमित न होता, उसी प्रकार
 चक्षुरिन्द्रिय भी उसकी सीमाओं से मर्यादित न होती। ज्ञान
 पदार्थ, विषयी और विषय, ज्ञाता और ज्ञेय—इन सारी समस्याओं
 का सतोपजनक समाधान यही है कि जगत् में एक ही तत्त्व नहीं है
 अपितु अनेक तत्त्व है।

दूसरी बात यह है कि एक ही वस्तु अनेक व्यक्तियों के ज्ञान
 का विषय बनती है। यदि उस वस्तु की स्वतन्त्र भौतिक सत्ता
 है तो यह कैसे संभव हो सकता है? उदाहरण के तौर पर, मैं
 सामने एक मेज पड़ी हुई हूँ। जिस समय मैं उस मेज को देख रहा
 हूँ, उस समय मेरे पास बैठे हुए, दो मित्र भी उसी मेज को देख रहे
 हैं। अपने पर मद्द भी निश्चित हो रहा है कि जितनी दूरी मैं
 सामने से है ठीक उतनी ही दूरी उनके सामने से भी है, क्योंकि हम
 लोग बिलकुल सीधी पंक्ति में बैठे हुए हैं। रंग भी प्रायः एक
 दिशा में दे रहा है। (प्रायः इसलिए कि रंग का कोई बाह्य माप)

कि मेरी उससे भिन्न स्वतन्त्र सत्ता है। जिस प्रकार मेरी शक्ति अपने अस्तित्व के लिए फूल की सत्ता पर निर्भर नहीं सो प्रकार फूल की सत्ता भी अपने अस्तित्व के लिए मुझ पर नहीं है। इतना ही नहीं, अपितु किसी अन्य चैतन्य शक्ति, विचारधारा या आध्यात्मिक तत्त्व पर भी अवलम्बित नहीं है। वह अपने आप में सत् है, जड़ रूप से सत् है, भौतिक रूप से सत् है, आध्यात्मिक तत्त्व से भिन्न स्वतन्त्र रूप से सत् है। उसकी सत्ता का आधार न कोई वैयक्तिक विचारधारा है, और न किसी प्रकार की सार्वभौम ज्ञानधारा या सार्वत्रिक आध्यात्मिक सत्ता है। वह स्वयं सत् है, स्वयं यथार्थ है, स्वयं तत्त्व है। हाँ, यह ठीक है कि उसका किसी अन्य तत्त्व से सम्बन्ध हो सकता है, वह किसी ज्ञान के लिए जेय बन सकता है, किन्तु उसकी सत्ता या अस्तित्व किसी पर निर्भर नहीं है। वह अपने कारणों से उत्पन्न होता है, और ज्ञान अपने कारणों से उत्पन्न होता है। चेतन और जड़ में ज्ञातज्ञेय सम्बन्ध हो सकता है, उत्पाद्योत्पादक सम्बन्ध नहीं।

वाह्य भौतिक पदार्थों की सिद्धि के लिए यथार्थवादी अनेक हेतु उपस्थित करते हैं। उनमें प्रधान हेतु यह है कि यदि वाह्य पदार्थ न हो, तो इन्द्रिय-प्रत्यक्ष (Sensation) नहीं हो सकता। इन्द्रिय-प्रत्यक्ष के लिए यह आवश्यक है कि उस प्रत्यक्ष का कोई वाह्य कारण विद्यमान हो। वाह्य कारण के अभाव में यह व्यवस्था नहीं हो सकती कि अमुक इन्द्रिय-प्रत्यक्ष का अमुक विषय है। इन्द्रिय-प्रत्यक्ष उसी पदार्थ को अपना विषय बनाता है, जो उसकी सीमा के भीतर होता है। प्रत्येक इन्द्रिय की भिन्न-भिन्न योग्यता होती है, और उसी योग्यता के अनुसार वह इन्द्रिय किसी पदार्थ को अपना विषय बनाती है। चक्षुरिन्द्रिय की अपनी सीमा है, घ्राण-न्द्रिय की अपनी योग्यता है, रसनेन्द्रिय का अपना क्षेत्र है। इसी प्रकार दूसरे इन्द्रियों की भी अपनी-अपनी मर्यादाएँ हैं। वाह्य पदार्थ अमुक दूरी पर अमुक स्थिति में अमुक योग्यता वाला हो तो वह अमुक परिस्थिति में अमुक व्यक्ति की अमुक इन्द्रिय का अमुक सीमा तक विषय बन सकता है। इस प्रकार वाह्य पदार्थ की मर्या-

जिसका मुझे इंद्रिय-प्रत्यक्ष हो रहा है। यह इंद्रिय-प्रत्यक्ष ज्ञान क्योंकि मैं उस प्रत्यक्ष का अनुभव कर रहा हूँ—मुझे उसका स्वरूप हो रहा है। एक आदर्शवादी की दृष्टि से पत्थर से लगा कर इतना तक सब कुछ एक ही कोटि में है। जो ज्ञान का स्वभाव है वह पत्थर का स्वभाव है। पत्थर ज्ञान से कोई भिन्न वस्तु नहीं है। यह एक अलग प्रश्न है कि पत्थर, जो कि ज्ञान रूप है, मेरे ज्ञान तक ही सीमित है, या उसका क्षेत्र सारा विश्व है। जहाँ तक उसके स्वभाव का प्रश्न है, वह ज्ञानरूप है, चेतनारूप है, विचाररूप है। एक आध्यात्मिक धर्मों को छोड़कर उसके भीतर ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसे हम वास्तविक कह सकें। यथार्थवादी इसका निराकरण करने हुए कहता है कि पत्थर भी ज्ञान है और मेरा तद्विषयक प्रत्यक्ष भी ज्ञान है। ऐसी स्थिति में मैं उस पत्थर से दूसरे व्यक्ति का कि फोड़ सकता हूँ, किन्तु तद्विषयक अपने ज्ञान से नहीं, ऐसा क्यों? आदर्शवादी इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं दे सकता यथार्थवादी स्पष्ट रूप से कहता है कि ज्ञान का स्वभाव और वह पदार्थ का स्वभाव दोनों विलकुल भिन्न हैं। दो ऐसे तत्त्व कि जिनका स्वभाव गर्वथा भिन्न है, एक नहीं हो सकते। भौतिक तत्त्व का स्वभाव भिन्न है, आध्यात्मिक तत्त्व का स्वभाव भिन्न है। ऐसी दशा में दोनों एक नहीं हो सकते।

इन मत्र हेतुओं के आधार पर यह कहना अनुचित नहीं कि भौतिक पदार्थों की ज्ञान से भिन्न स्वतन्त्र सत्ता है। जिस प्रकार आध्यात्मिक तत्त्व की सत्ता का कोई अन्य आधार नहीं है, किन्तु यह स्वयं सत् है, ठीक उसी प्रकार जड़ या भौतिक तत्त्व भी अपनी सत्ता के लिए किसी दूसरे तत्त्व का मुँह नहीं ताकता। यह स्वयं सत् है, स्वतन्त्र है, अपने बल पर टिका हुआ है। सामान्य रूप में यथार्थवाद का यही दृष्टिकोण है। यह भौतिक तत्त्व एक है या अनेक है, उसका ज्ञान और आत्मा के साथ क्या सम्बन्ध है, अनेक होने पर उनका परस्पर क्या सम्बन्ध है, आत्मा भौतिक तत्त्व से भिन्न एक स्वतन्त्र पदार्थ है या केवल उसी का परिणाम है, इत्यादि अनेक समस्याओं को मुन्यमाने के लिए यथार्थवादियों में भिन्न-भिन्न

ों है) लम्बाई-चौड़ाई भी सबको एक सरीखी दिखाई दे रही
इत्यादि। इसका क्या कारण है? इसका कारण यही
 कि हमारे सामने कोई ऐसी वस्तु अवश्य पडी हुई है, जो हमारे
 धन का विषय बन रही है। वह वस्तु हम सबसे भिन्न कोई स्वतंत्र
 पदार्थ है। रसल के शब्दों में "यद्यपि विभिन्न व्यक्ति एक मेज को
 लड़ी-सी विभिन्नता से देख सकते हैं, फिर भी जिस समय वे मेज
 को देखते हैं, प्रायः एक सरोखी चीज ही देखते हैं। इससे सहज ही
 इस निर्णय पर पहुँचा जा सकता है कि सब व्यक्तियों के ज्ञान का
 विषय एक ही स्थिर पदार्थ है।"

भौतिक पदार्थों को स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार करने का दूसरा
 कारण यह है कि इस प्रकार की मान्यता के आधार पर गणित-
 शास्त्र की प्रक्रिया शीघ्र ही समझ में आ सकती है। यदि बाह्य
 पदार्थों की वास्तविक सत्ता न मानी जाय, तो गणित का कोई भी
 नियम किसी स्थान पर लागू नहीं हो सकता। यह ठीक है कि गणित-
 शास्त्र की उत्पत्ति का आधार विचार-व्यापार (Conceptional
 process) है, किन्तु विचार-व्यापार का आधार क्या है, यह सोचने
 लेनी ही पड़ती है। विचार का
 धार पर चलता है। हमारा कोई
 जिसकी जड़ में ठोस वस्तु की सत्ता
 पना केवल कल्पना है, वास्तविक
 ल्पना' भी अपने आप में किसी-न-
 ।

ात्मिक तत्त्व के स्वरूप में इतना
 हो ही नहीं सकते। आत्मा का
 न जड़ रूपादि गुणों से युक्त है।
 रहता है, जबकि भौतिक पदार्थ
 प्रौर बाह्यसत्ता का उपभोग करते
 इस समय एक पत्थर पड़ा हुआ है,

नानार्थवाद, तत्त्व की संख्या को दो तक ही सीमित नहीं रखता। उमकी दृष्टि दो से आगे बढ़ती हुई असंख्य और अनन्त तक फैल जाती है। वाद के ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रीटस आदि परमाणुवाद (Atomists) नानार्थवाद के अन्तर्गत आते हैं। नानार्थवादी अनेक तत्त्वों को अन्तिम सत्य मानते हैं। वे एक या दो तत्त्वों को मुख्य मानकर अनेक तत्त्वों को मुख्य और स्वतन्त्र मानते हैं। सभी अपने अपने आप में पूर्ण और स्वतन्त्र होते हैं। उन्हें अपने पूर्णता के लिए दूसरे तत्त्व पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। साइबेरियाई नानार्थवादी तो था, किन्तु भौतिकवाद का कट्टर विरोधी था, उसे हम यथार्थवाद की दृष्टि से नानार्थवादी नहीं कह सकते। उन अनन्त मोनाड (Infinite Monads) आध्यात्मिक प्रकृति के अन्तः हम उसे आध्यात्मिक नानार्थवादी कह सकते हैं। भारत परम्परा में चार्वाक, जैन, हीनयान बौद्ध, वैशेषिक, नैयायिक आदि दार्शनिक विचारधारों नानार्थवादी कही जा सकती हैं।

इस प्रकार संक्षेप में यथार्थवाद के तीनों दृष्टिकोणों को मर्म लेने के बाद भारतीय यथार्थवादी विचारधारा को जरा अधिक करने का प्रयत्न करते हैं।

मीमांसा के अनुसार ज्ञान और ज्ञेय भिन्न-भिन्न तत्त्व हैं। ज्ञेय के अभाव में ज्ञान उत्पन्न हो नहीं हो सकता। यह ज्ञेय तत्त्व इन्द्रिय के साथ सम्बद्ध होता है, तभी ज्ञान उत्पन्न होता है। प्रश्न कर और कुमारिल दोनों आचार्यों ने ज्ञान और ज्ञेय के इस सम्बन्ध को माना है और अपनी-अपनी कृतियों में इस सिद्धान्त का प्रथम समर्थन किया है।

सांख्य दर्शन स्पष्टरूप से दो तत्त्व मानता है। ये दोनों अपने अपने आप में सत् हैं। ये तत्त्व हैं—पुरुष और प्रकृति। दोनों शाश्वत हैं और एक दूसरे में स्वतन्त्र हैं। पुरुष की सत्ता प्रकृति पर निर्भर

१—'अध्यात्मिगुणेष्विन्द्रियसंयोगोत्था ना प्रत्यक्षा प्रतीतिः'

ष्ट्रकोणों का आश्रय लिया है। अब हम इन दृष्टिकोणों को सम-
ने का प्रयत्न करते हुए इस प्रकरण को समाप्त करेंगे।

व्यर्थवादी विचारधाराएँ :

सामान्य रूप से व्यर्थवाद के तीन भेद हैं—(१) जड़तत्त्व
(२) द्वैतवाद (३) नानार्थवाद। जड़तत्त्व केवल एक तत्त्व
स्वीकार करता है। वही तत्त्व जगत् का मुख्य कारण है। चैतन्य
आदि अन्य जितने भी तथाकथित तत्त्व हैं, उसी तत्त्व का रूपान्तर
मात्र हैं। प्रारंभिक ग्रीक दार्शनिक थेलिस, एनाक्सिमेनेस, हेराक्लिटस
एक ही तत्त्व में विश्वास करते थे। थेलिस केवल अप् तत्त्व को
प्रधान मानता था। उसकी दृष्टि में अन्य सारे पदार्थ उसी के रूपा-
न्तर मात्र थे। एनाक्सिमेनेस ने वायु को प्रधान तत्त्व माना। इसी
प्रकार हेराक्लिटस की दृष्टि में तेज ही सब कुछ था। आत्मा भी
तेज का ही एक रूप है, ऐसा उसका दृढ़ विश्वास था। एनाक्सि-
मण्डर ने सामान्य जड़मात्र स्वीकार किया। उसने उस सामान्य
तत्त्व को विशेष नाम न देकर जड़ या भूतसामान्य के रूप में
ही रखा।

द्वैतवाद इस सिद्धान्त को न मानकर कुछ आगे बढ़ता है और
जड़ तत्त्व के साथ एक चेतन तत्त्व भी जोड़ देता है। उसकी दृष्टि में
जगत् में दो मुख्य तत्त्व होते हैं—एक जड़ और दूसरा चैतन्य
जितने भौतिक पदार्थ हैं, सभी जड़ तत्त्व के अन्तर्गत आ जाते हैं।
जितना आध्यात्मिक तत्त्व है, सारा चैतन्य के अन्दर आजाता है ॥
ग्रीक दार्शनिक एनाक्सिगोरस ने जड़ तत्त्व के साथ-ही-साथ आत्म-
तत्त्व भी स्वीकृत किया जिसे उसने (Nous) नूस कहा है। गति
और परिवर्तन का मुख्य कारण यही नूस है, ऐसा उसने प्रतिपादित
किया है। एम्पिडोकल्स के विषय में थोड़ा सा मतभेद है, फिर भी
यह निश्चित है कि उसने राग और द्वेष (Love and Hate)
नामक तत्त्व की सत्ता स्वीकृत की। एरिस्टोटल को भी द्वैतवादी
कह सकते हैं। मध्यकालीन दार्शनिक धारा तो द्वैतवाद के जल से
ही प्रवाहित होती है। भारतीय दर्शन में सांख्य, मीमांसा द्वैतवाद
के पक्के समर्थक हैं।

होनामान बौद्ध विचारधारा के दो भेद हैं—वैभाषिक और सौत्रान्तिक। वैभाषिक सर्वास्तिवादी हैं। सर्वास्तिवादी का अर्थ 'सब कुछ है'—इस मिद्धान्त को मानने वाला। यहाँ पर सब कुछ तत्पर्य जड़ और चैतन्य से है। आन्तरिक और बाह्य दोनों जड़ ज्ञान और जड़ रूप में सत् हैं। ये नित्य न होकर अनित्य हैं, अर्थात् स्थायी न होते हुए क्षणिक हैं। सौत्रान्तिक भी यही मानता है कि ज्ञान और जड़ पदार्थ दोनों ही क्षणिक हैं। वैभाषिक और सौत्रान्तिक में मुख्य भेद यह है कि वैभाषिक बाह्य अर्थ का सीधा प्रत्यक्ष मान लेता है, जबकि सौत्रान्तिक की मान्यता के अनुसार ज्ञान के आकार से बाह्य अर्थ का अनुमान लगाया जाता है। अर्थ के अनुसार ज्ञान में आकार आता है और उस आकार से अर्थ का ज्ञान होना है। अर्थ का ज्ञान सीधा अर्थ से नहीं होता, अपितु तद्वत् बुद्धि से होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाय तो वैभाषिक की मान्यता के अनुसार ज्ञान, बुद्धि या चेतना निराकार है, जबकि सौत्रान्तिक उसे साकार मानता है। जैसा पदार्थ होता है वैसा ही बुद्धि में आकार आ जाता है। उगो आकार से हमें बाह्य पदार्थ का आकार का ज्ञान होता है। वैभाषिक की धारणा के अनुसार बाह्य पदार्थ का सीधा प्रत्यक्ष होना है। सौत्रान्तिक के मतानुसार बाह्य पदार्थ का सीधा प्रत्यक्ष न होकर बुद्धि के आकार के द्वारा ज्ञान होता है। वैभाषिक का पदार्थज्ञान प्रत्यक्ष (Direct) और सौत्रान्तिक का पदार्थज्ञान परोक्ष (Indirect)—ऐसा भी कहा जा सकता है। तात्पर्य यह है कि वैभाषिक और सौत्रान्तिक दोनों ही बाह्य अर्थ की स्वतंत्र सत्ता में विश्वास रखते हैं, जो कि यथावत वाद के लिए आवश्यक है।

चार्वाक पूर्ण रूप में जड़वादी है। वह चेतना या आत्मा नामक भिन्न तत्त्व नहीं मानता। जिसे हम सांग आत्मा कहते हैं वह ज्ञान में जड़ से भिन्न तत्त्व नहीं है अपितु उसी का रूपान्तर है। चार चार भूतों की ही रचना है। ये चार भूत अन्तिम मत्त हैं। इन अतिरिक्त अन्य कोई स्वतंत्र तत्त्व या मत्त नहीं है। ये चार भूत हैं—पृथ्वी, अग्नि, तेज और वायु। इन चार भूतों का एक विशिष्ट मत्त

हीं है, और प्रकृति की सत्ता पुरुष से भिन्न है। पुरुष न तो वास्तव में बद्ध होता है, न मुक्त। संसार का जितना भी प्रपंच और खेल है, सब प्रकृति की ही माया है। पुरुष तो एक द्रष्टामात्र है, जो उपनाप सब कुछ देखा करता है। वह न तो कुछ करता है, न वास्तव में कुछ भोगता है। प्रकृति जड़ है और पुरुष चित् है। प्रकृति से महत्, महत् से अहंकार, अहंकार से दम इन्द्रियाँ, मन और पाँच तन्मात्राएँ, ये सोलह और इन सोलह में से पाँच तन्मात्राओं से पाँच भूत, इन प्रकार एक ही प्रकृति से सारे संसार की उत्पत्ति होती है।

रामानुज भी चित् तत्त्व और जड़ तत्त्व दोनों को स्वतन्त्र मानता है। चित् ज्ञान का आश्रय है। ज्ञान और चित् दोनों का आश्रय तत्त्व है। जड़ तत्त्व तीन भागों में विभक्त है— पहला वह, जिसमें केवल तत्त्व है। दूसरा वह, जिसमें तीनों गुण-सत्त्व, रजस् और तमस् हैं। तीसरा वह, जिसमें एक भी गुण नहीं है। यह तत्त्व नित्य है, ज्ञान से भिन्न है और चित् से स्वतन्त्र है। यह परिवर्तनशाल है। यद्यपि रामानुज विशिष्टाद्वैतवादी है, किन्तु वह यह कभी नहीं मानता कि जड़ और चित् किसी समय ब्रह्म में मिलकर एक रूप हो जाएँगे। दोनों तत्त्व हमेशा स्वतन्त्र रूप से जगत् में रहेंगे। इस दृष्टि से दोनों तत्त्वों का आधार ब्रह्म भले ही हो, किन्तु दोनों कभी भी एक रूप न होंगे। अतः रामानुज को यथार्थवादी कहना उचित ही है।

मध्व तो स्पष्ट रूप से द्वैतवादी है। वह रामानुज की तरह विशिष्टाद्वैत में विश्वास नहीं रखता। उसकी दृष्टि में जड़ और चित् दोनों सर्वथा स्वतन्त्र एवं भिन्न-भिन्न तत्त्व हैं। उनका कोई सामान्य आधार नहीं है। वे अपने आप में पूर्ण स्वतन्त्र एवं सत् हैं। वे ब्रह्म या अन्य किसी भी तत्त्व के गुण नहीं हैं अपितु स्वयं द्रव्य हैं।

न्याय और वैशेषिक पक्षके यथार्थवादो हैं, इसमें तनिक भी संशय नहीं। वैशेषिक दर्शन द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव—इस प्रकार सात पदार्थों को यथार्थ मानता है। नैयायिक लोग प्रमाण प्रमेय आदि सोलह पदार्थ मानते हैं।

पदार्थ, अर्थ आदि शब्दों का प्रायः एक ही अर्थ में प्रयोग हुआ आगमों में 'सत्' शब्द का प्रयोग बहुत कम है। वहीं प्राकृत शब्द का ही प्रयोग है और द्रव्य को ही तत्त्व कहा गया है।

भगवती सूत्र में महावीर और गौतम के बीच एक संवाद है। गौतम महावीर से पूछते हैं—'भगवन् ! यह लोक क्या है ?' महावीर उत्तर देते हैं—'गौतम ! यह लोक पचास्तिकाय रूप है। पचास्तिकाय ये हैं—धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय'। यहाँ पर काल की स्वतन्त्र रूप से गणना नहीं की गई है। कई स्थानों पर काल की स्वतन्त्र रूप से गणना किया गया है। कहीं कहीं पर काल के स्थान में अद्वासमय शब्द का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार काल को मिला देने से कुल छः द्रव्य मिल जाते हैं। प्रत्येक द्रव्य जीव और अजीव के विस्लेषण में बनते हैं। जीवद्रव्यको जीवास्ति काय कहा गया। अजीवद्रव्य के पाँचों को विस्लेषण किया गए—धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय और काल (अद्वासमय)।

जीव की भिन्न-भिन्न वृत्तियों के अनुसार उमकी भिन्न-भिन्न अवस्थाएँ होती हैं और उन्हीं अवस्थाओं के आधार पर काल के नवभेद किये गये हैं। इन अवस्थाओं में अजीव का भी दखल रहता है। नव भेद ये हैं—जीव, अजीव, आस्रव, वंश, पुण्य, संवर, निर्जरा और मोक्ष। इन नव भेदों में कुछ उमकी अपनी अवस्थाएँ हैं, कुछ अजीव की अपनी अवस्थाएँ हैं, कुछ दोनों की मिश्रित अवस्थाएँ हैं। इन प्रकार जैन दर्शन विभिन्न दृष्टिकोणों में विभिन्न तत्त्व मानता है। इतना ही नहीं, भी यह निश्चित है कि उमका दृष्टिकोण पूर्ण रूप में यथायथ है। वह चेतन और अचेतन दोनों तत्त्वों को यथायथ मानता है। इन्हीं तत्त्वों को जीव और अजीव कहा गया है।

आत्मोत्पत्ति का कारण है। यद्यपि इन चारों तत्त्वों में भिन्न-भिन्न रूप की चेतना नहीं है, तथापि जिस समय ये चारों तत्त्व एक विशिष्ट रूप में एकत्र होते हैं उस समय उनसे चेतना उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार चेतना भूत से भिन्न नहीं है, अपितु भौतिक है। चार्वाक दर्शन का यह पक्का विश्वास है कि दुनियाँ में ऐसी कोई चीज नहीं है, जो न भूत हो न भौतिक हो। प्रत्येक पदार्थ या तो भूत है या भौतिक है। जो न तो भूत है न भौतिक ही है वह केवल असत् है—अभाव है। चार्वाक की इस मान्यता को दृष्टि में रखते हुए हम उसे जड़-तत्त्ववादो कह सकते हैं किन्तु यह जड़तत्त्व ग्रीक दार्शनिक थेलिस, एनाक्सिमनेस, हेराक्लिटस आदि के ढंग का न होकर नानार्थवाद के ढंग का है। उसे चतुर्भूतवादी या चतुर्भूतजड़तत्त्ववादी कहना भी अनुचित नहीं है।

जैन दर्शन का यथार्थवाद :

साधारणतया जैन दर्शन दो तत्त्व मानता है—जीव और अजीव। जीव तत्त्व का अर्थ है वह तत्त्व जिसमें चेतना है, ज्ञान है, उपयोग है। चेतना, ज्ञान और उपयोग प्रायः एक ही अर्थ के घाचक हैं। अजीव तत्त्व अचेतन है—जड़ है। इन दो तत्त्वों के आधार पर ही पाँच, छः या नव तत्त्व बनते हैं। मुख्य रूप से दो ही तत्त्व हैं, किन्तु इन दोनों तत्त्वों के विच्छेपण या अवस्थाविशेष से भिन्न-भिन्न संख्यक तत्त्वों की रचना ब बोध होता है। अनुयोगद्वारा (सूत्र १२३) में कहा गया है—‘अविसेसिए द्रव्ये, विसेसिए जीवद्रव्ये अजीवद्रव्ये य’ अर्थात् सामान्यरूप से द्रव्यद्रव्य रूप से एक है, विशेषरूप से द्रव्य जीवद्रव्य और अजीवद्रव्य रूप से दो हैं। यह विभाजन अपेक्षाकृत है। केवल द्रव्य की दृष्टि से देखा जाय तो एक ही तत्त्व होगा और वह होगा द्रव्यसामान्य। यह द्रव्य सामान्य वेदान्त या चार्वाक की तरह केवल चेतन या केवल जड़ नहीं है, अपितु उसके भीतर जड़ और चेतन दोनों आते हैं और दोनों ही यथार्थ हैं। इसीलिए विशेषरूप से द्रव्य के दो भेद किए गए हैं—जीवद्रव्य और अजीवद्रव्य। यहाँ पर इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जैन दर्शन में तत्त्व, द्रव्य, सत्,

जैनदर्शन और उसका आधार

जैन धर्म या जैन दर्शन
भारतीय विचार-प्रवाह की दो धाराएँ

बाह्य-संस्कृति

धर्म शब्द का अर्थ

जैन परम्परा का महत्त्व

जैन दर्शन का आधार

आगम युग

आगमों का वर्गीकरण

आगमों पर टीकाएँ

दिगम्बर आगम

स्थानकवासी आगमग्रन्थ

आगमप्रामाण्य का सार

आगमयुग का अन्त

आदि.....

अनेकान्तिस्थापना-युग

सिद्धसेन आदि आचार्य

और दूसरी ओर बुद्धि एवं तर्क-शक्ति के संतोष के लिए विचार विकास होता है। श्रद्धालु व्यक्तियों की सन्तुष्टि के लिए प्राचार्य सहायक होता है, तथा चिन्तनशील व्यक्तियों की तृप्ति के लिए विचार-परम्परा का पूर्ण सहयोग मिलता है।

जैन धर्म या जैन दर्शन :

बौद्ध परम्परा में हीनयान और महायान के रूप में आचार्य विचार की दो धाराएँ मिलती हैं। हीनयान मुख्यरूप से प्राचार्य पर भार देता है। महायान का विचारपक्ष पर अधिक भार है। बौद्ध दर्शन में प्राण डालने का कार्य यदि किसी ने किया है तो महायान परम्परा ने ही। शून्यवाद-माध्यमिक तथा योग्य विज्ञानादर्शनवाद ने बौद्ध-विचारधारा को इतना दृढ़ एवं पुष्ट किया कि आज भी दर्शन जगत् उसका लोहा मानता है। पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसा के नाम से वेदान्त में भी यही हुआ। विद्वानों का यह विश्वास है कि मीमांसा और वेदान्त एक मान्यता के दो बाजू हैं। एक बाजू पूर्वमीमांसा (प्रवर्तित मीमांसा) है और दूसरा बाजू उत्तरमीमांसा (वेदान्त) है। मीमांसा आचार्य पक्ष है एवं उत्तरमीमांसा विचार पक्ष है। मीमांसा मूत्र और वेदान्तमूत्र एक ही ग्रन्थ के दो विभाग हैं—दो घट हैं। आचार्यपक्ष की स्थापना मीमांसा मूत्र का विषय है। वेदान्तमूत्र का प्रयोजन विचार पक्ष की सिद्धि है। सांख्य और भी विचार और आचार का प्रतिनिधित्व करते हैं। सांख्य का प्रयोजन तत्त्वनिर्णय है। योग का मुख्य ध्येय चित्तवृत्ति का निवृत्ति है—'योगश्चित्तवृत्ति-निरोधः'। इसी प्रकार जैन परम्परा भी आचार्य विचार के भेद से दो भागों में विभाजित की जा सकती है। यद्यपि इस प्रकार के दो भेदों का स्पष्ट उल्लेख इस परम्परा में मिलता, तथापि यह निश्चित है कि आचार्य और विचार एक धाराएँ इनमें बराबर प्रवाहित होती रही हैं। आचार्य के नाम बहिष्कार का जितना विकास जैन परम्परा में हुआ है, उतना भार

जैन-दर्शन और उसका आधार

जैन परम्परा दर्शन के अन्तर्गत आती है या उमका समावेश धर्म के अन्दर होता है ? यह हम जानते हैं कि दर्शन तर्क और हेतु-साद पर अवलम्बित है, जब कि धर्म का आधार मुख्य रूप से श्रद्धा है। श्रद्धा और तर्क दोनों का आश्रय मानव है, तथापि इन दोनों में आकाश और अन्धकार-जितना अन्तर है। श्रद्धा जिस बात को सर्वथा प्रत्यक्ष मानती है, तर्क उसी बात को फूँक से उड़ा देता है। श्रद्धा के लिए जो सर्वस्व है, तर्क की दृष्टि में उसीका सर्वथा अभाव हो सकता है। जो वस्तु श्रद्धा के लिए आकाश-कुसुमवत् होती है, हेतु उसी के पीछे अपनी पूरी शक्ति लगा देता है। ऐसी स्थिति में क्या यह संभव है कि एक ही परम्परा धर्म और दर्शन दोनों हो सके ? भारतीय विचारधारा तो यही बताती है कि दर्शन और धर्म साथ-साथ चल सकते हैं। श्रद्धा और तर्क के सहानुभूति रूप विरोध को भारतीय परम्परा आचार और विचार के विभाजन से शान्त करती है। प्रत्येक परम्परा दो दृष्टियों से अपना विकास करती है। एक और आचार की दिशा में उसकी गति या स्थिति का निर्माण होता है,

तो कभी नवीनता का विशेष आदर हुआ। दोनों एक दूसरे प्रभावित भी होते रहे, और वह प्रभाव काफी स्थायी भी होना शुरू। विविधताओं के वैसे तो अनेक रूप रहे हैं, किन्तु ये मारी विविधता दो रूपों में बाँटी जा सकती है :—एक वैदिक परम्परा और दूसरी अश्वेदिक परम्परा। ये दोनों परम्परारूप क्रमशः ब्राह्मण-परम्परा और श्रमण-परम्परा के नाम से प्रसिद्ध हैं। ब्राह्मण-परम्परा प्राचीन है या श्रमण-परम्परा ? इस प्रश्न का सन्तोषप्रद उत्तर जग कठिन है।

ब्राह्मण-परम्परा का प्राचीनतम उपलब्ध आधार वैदिक साहित्य है। वेदों से अधिक प्राचीन साहित्य दुनिया के किसी भी भाग उपलब्ध नहीं है। दुनिया की कोई भी दूसरी संस्कृति इतने प्राचीन साहित्य का दावा नहीं कर सकती। यह एक ऐतिहासिक मस्य है इसी मस्य के आधार पर ब्राह्मण-संस्कृति का यह दावा है कि दुनिया की प्राचीनतम संस्कृति है।

दूसरी और श्रमण-संस्कृति के उपासक यह दावा करते हैं कि श्रमण-संस्कृति किसी भी दृष्टि में वैदिक संस्कृति से कम प्राचीन नहीं है। उपनिषदिक साहित्य, जो कि वेदों (संहिता-मंत्रभाग) के बाद का साहित्य है, श्रमण-परम्परा में पूर्णरूप से प्रभावित है। वैदिक मान्यताओं का उपनिषद् के तत्त्वज्ञान में बहुत विरोध है जो आचार और विचार वैदिक भाग में उपलब्ध होते हैं, उनसे भिन्न आचार-विचार उपनिषदों में मिलते हैं। यह ठीक है कि उपनिषद् ब्राह्मण-परम्परा द्वारा मान्य है, किन्तु हमका यह दावा नहीं कि ये श्रमण-परम्परा के प्रभाव में सर्वथा अस्तित्व में हैं। वास्तव में उपनिषद् का निर्माण करने वाले ऋषियों ने वैदिक मान्यताओं के प्रति एक प्रकार का द्वेषा विद्रोह किया और उन विद्रोह के ही श्रमण-परम्परा का मुख्य हाथ था।

ब्राह्मण-परम्परा का यह दावा कि यह भारत की या विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति है, ठीक नहीं। उसी प्रकार श्रमण-परम्परा की यह धारणा कि उसी के प्रभाव से उपनिषदों के ऋषियों ने दृष्टि में मान्यता परिवर्तन हुआ, मिथ्या है। ये दोनों मान्यताएँ

परम्परा की किसी अन्य धारा में शायद ही हुआ, अथवा यों कहिए नही हुआ। यह जैन परम्परा के लिए गौरव का विषय है। विचार की दृष्टि से अनेकान्तवाद का जो समर्थन जैन दर्शन के अहित्य में मिलता है, उसका शतांश भी अन्य दर्शनों में नहीं मिलता; यद्यपि प्रायः सभी दर्शन किसी न किसी रूप में अनेकान्तवाद का समर्थन करते हैं। अनेकान्तवाद के आधार पर फलित होने वाले अन्य अनेक विषयों पर जैनाचार्यों ने प्रतिभायुक्त ग्रन्थ लिखे हैं, जिनका अभावसर परिचय दिया जायगा। इतना ही नहीं अपितु कई बातें जैन दर्शन में ऐसी भी हैं, जो आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से भी अविषय हैं। यद्यपि वैज्ञानिक पद्धति से जैनाचार्य किसी प्रकार के आविष्कारात्मक प्रयोग न कर सके, किन्तु उनकी दृष्टि इतनी सूक्ष्म तथा अर्थग्राही थी कि उनकी अनेक बातें आज भी विज्ञान की कसौटी पर कसी जा सकती हैं। शब्द, अणु, अन्धकारादि विषयक अनेक ऐसी मान्यताएँ हैं, जो आज की वैज्ञानिक दृष्टि से विरुद्ध नहीं हैं। यह एक अलग प्रश्न है कि वैज्ञानिक सत्य कहां तक ठीक है? तात्पर्य यह है कि जैनपरम्परा धर्म और दर्शन दोनों का मिला-जुला रूप है। दर्शन की कुछ मान्यताएँ विज्ञान की दृष्टि से भी ठीक हैं। आचार में अहिंसा और विचार में अनेकान्तवाद का प्रतिनिधित्व करने वाली जैन परम्परा धर्म और दर्शन दोनों को अपने अंक में छिपाए हुए हैं। अन्तु, धर्म की दृष्टि से वह जैन धर्म है। दर्शन की दृष्टि से वह जैन दर्शन है।

भारतीय विचार-प्रवाह की दो धाराएँ :

भारतीय संस्कृति अनेक प्रकार के विचारों का ऐतिहासिक विकास है। इस संस्कृति में न जाने कितनी धाराएँ प्रवाहित होती रही हैं। अनेकता में एकता और एकता में अनेकता—यही हमारी संस्कृति की प्राचीन परम्परा है। यहाँ पर अनेक प्रकार की विचार-धाराएँ वहीं। प्राचीनता और नवीनता का संघर्ष बराबर होता रहा। इस संघर्ष में नवीनता पनपती रही, किन्तु प्राचीनता सर्वथा नष्ट न हो सकी। नवीनता और प्राचीनता दोनों का ही यथोचित सम्मान होता रहा। किसी समय प्राचीनता को विशेष सम्मान मिला

उठ जाता अथवा नीचे नहीं गिर जाता, तब तक यह इन दोनों धाराओं में प्रवाहित होता ही रहता है। ब्राह्मण संस्कृति या वैदिक संस्कृति दोनों धाराओं में से एक धारा को प्रतीक है। श्रमण संस्कृति या संत-संस्कृति दूसरी धारा पर अधिक भार देती है। एक समय ऐसा आता है जिस समय पहली धारा का मानव मन पर अधिक प्रभाव रहता है। दूसरा समय ऐसा होता है, जब दूसरी धारा का विशेष प्रभाव होता है। यह परम्परा न कभी प्राप्त हुई है और न कभी समाप्त होगी। यह प्रवाह घनादि है, घन है। दोनों धाराएँ इस प्रवाह में रही हैं, आज भी हैं और प्राणें रहेंगी। उन पर न काल का विशेष प्रभाव है, न विकास का कोई दास असर है। काल और विकास उन्हीं के दो रूप हैं।

ब्राह्मण संस्कृति :

ब्राह्मण और श्रमण परम्पराओं में उतना ही अन्तर है, जितना भोग और त्याग, हिमा और अहिमा, धोषण और पोषण, अन्धकार और प्रकाश में अन्तर है। एक धारा मानव-जीवन के वास्तविक स्वरूप का पोषण करती है तो दूसरी धारा मनुष्य के आत्मिक विकास को बल प्रदान करती है। एक का आधार वैषम्य है तो दूसरी का आधार साम्य है। इस प्रकार ब्राह्मण और श्रमण परम्परा का वैषम्य एवं साम्यमूलक इतना अधिक विरोध है कि महाभाष्यकार पतंजलि ने अहि-नकुल एवं गो-व्याघ्र जन्म सादरत विरोध जैसे उदाहरणों में ब्राह्मण-श्रमण को भी स्थान दिया। जिस प्रकार अहि और नकुल, गो और व्याघ्र में जन्मजात विरोध है, ठीक उसी प्रकार ब्राह्मण और श्रमण में स्वाभाविक विरोध है। मानव हेमचन्द्र भी अपने ग्रन्थ में इसी बात का समर्थन करते हैं।^१ उदाहरणों को उपस्थित करने का अर्थ यह नहीं कि ब्राह्मण और श्रमण, समाज में एक साथ नहीं रह सकते। इसका अभिप्राय वैषम्य प्रदाना ही है कि जीवन के ये दो पक्ष एक दूसरे के विरोधी हैं।

१—महाभाष्य २, ४, ६

२—गिरहम ३, १, १४१

सलिए मिथ्या हैं कि इनका आधार मात्र ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। कुछ सहस्र वर्षों के उपलब्ध साहित्य को देखकर, केवल उसी पर से किसी अन्तिम निर्णय पर पहुँच जाना, सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूल है। कौन धारा प्राचीन है, इसका जब हम निर्णय करते हैं, तो उसका अर्थ होता है—कौन सबसे प्राचीन है। जहाँ पर सबसे प्राचीनता का प्रश्न आता है, वहाँ पर ऐतिहासिक दृष्टि कभी सफल नहीं होती, क्योंकि वह स्वयं अधूरी है। जब तक वह अपने-आपको पूर्ण न बनाये, उसका निर्णय हमेशा अधूरा रहेगा—सापेक्ष रहेगा—सीमित रहेगा। अपनी मर्यादा का उल्लंघन किए बिना उसका जो निर्णय होगा, वह संभवतः सत्य हो सकता है। इतिहास का आधार वाह्य सामग्री है। जितनी सामग्री उपलब्ध होगी, उतने ही परिमाण में उसका निर्णय सत्य या असत्य होगा। वर्तमान समय का इतिहास इस बात का दावा नहीं कर सकता कि उसकी सामग्री पूर्ण है, क्योंकि जहाँ पूर्णता है वहाँ मतभेद नहीं हो सकता और जहाँ मतभेद नहीं है वहाँ इतिहास स्वयं समाप्त हो जाता है। बात यह है कि जहाँ मतभेद नहीं है वहाँ सब कुछ एक है, और जहाँ सर्वस्व है वहाँ पूर्णता है—वहाँ न भूत है, न वर्तमान है, न भविष्य है।

सत्य यह है कि अपने-आप में दोनों विचारधाराएँ अनादि हैं। न तो ब्राह्मण-परम्परा अधिक प्राचीन है और न श्रमण-परम्परा। दोनों सदैव साथ-साथ चली हैं और साथ-साथ चलती रहेंगी। ये दोनों परम्पराएँ ऐतिहासिक परम्पराएँ नहीं हैं, अपितु मानव-जीवन की दो धाराएँ हैं। इन दोनों धाराओं का आधार दो सम्प्रदाय-विशेष नहीं है, अपितु सम्पूर्ण मानवजाति है। मानव स्वयं इन दो धाराओं का स्रोत है। दूसरे शब्दों में ये दोनों धाराएँ मनोवैज्ञानिक सत्य पर अवलम्बित हैं। मानव का स्वाभाविक प्रवाह ही ऐसा है कि वह इन दोनों धाराओं में प्रवाहित होता है। कभी वह एक धारा को अधिक महत्त्व देता है तो कभी दूसरी को। सत्तारूप से दोनों धाराएँ उसमें हमेशा मौजूद रहती हैं। जब तक कि वह मानवता के स्तर पर रहता है, उससे सर्वथा ऊपर नहीं

रहा है। यह आदर्श मनुष्य की स्वार्थ-पूर्ति का सबसे बड़ा धारक है। यह आधार कृत्रिम नहीं, अपितु स्वाभाविक है। इसी वास्तविक मात्स्य-न्याय-मत्स्य-गलागल (Logic of fish) है। नैतिक गतिविधि में इस न्याय का सबसे अधिक भाग है—सबसे बड़ा है। हमारी साधारण प्रवृत्तियों का यही आधार है। हमारे ही वृत्ति वर्ग-समूहों को उत्पन्न करती है। इसी वृत्ति के कारण जन्म में वैषम्य पैदा होता है। यही भावना उच्च और नीच, छोटा और बड़ा, श्रेष्ठ और निकृष्ट, स्पृश्य और अस्पृश्य, सेवक और स्वामी, शोषक और शोषित वर्गों के प्रति उत्तरदायी है।

श्रमण संस्कृति :

यह धारा मानव के उन गुणों का प्रतिनिधित्व करती है, जो उसके वैयक्तिक स्वार्थ से भिन्न है। दूसरे शब्दों में श्रमण-परम्परा साम्य पर प्रतिष्ठित है। यह साम्य मुख्य रूप से तीन बातों में देखा जा सकता है :—(१) समाज विषयक (२) साध्य विषयक (३) प्राण-जगत् के प्रति दृष्टि विषयक। समाज-विषयक साम्य का अर्थ है समाज में किसी एक वर्ण का जन्मसिद्ध श्रेष्ठत्व या कनिष्ठत्व मान कर गुणकृत एवं कर्मकृत श्रेष्ठत्व या कनिष्ठत्व मानना। श्रमण-संस्कृति, समाज-रचना एवं कर्म-विषयक अधिकार की दृष्टि से जन्मसिद्ध वर्ण और लिंगभेद को महत्त्व न देकर व्यक्ति द्वारा माने चरित कर्म और गुण के आधार पर ही समाज-रचना करता है। जन्मकी दृष्टि से जन्म का उतना महत्त्व नहीं है, जितना कि गुण और गुण का। मानव-समाज का सही आधार व्यक्ति का प्रयत्न एवं कर्म है, न कि जन्मसिद्ध लक्षणसिद्ध श्रेष्ठत्व। केवल जन्म कोई श्रेष्ठ या हीन नहीं होता। हीनता और श्रेष्ठता का वास्तविक आधार स्वयं कर्म है। साध्य विषयक साम्य का अर्थ है, श्रमण का एक मरीचा रूप। श्रमण-संस्कृति का साध्य-विषयक धर्म यह ध्येय है, जहाँ किसी प्रकार का भेद नहीं रहता। यह धर्म

१—जैन धर्म का प्राण, पृ० १

२—भगवती गूण, ६, ९, ३५३

जीवन की ये दो वृत्तियाँ विरोधी आचार और विचार को प्रकट करती हैं। ये दोनों धाराएँ मानव-जीवन के भीतर रही हुई दो भिन्न स्वभाव-वाली वृत्तियों की प्रतीक मात्र हैं।

ब्राह्मण परम्परा का उपलब्ध मान्य साहित्य वेद है। वेद ही हमारा अभिप्राय उस भाग से है, जो संहिता-मंत्रप्रधान है। यह परम्परा मूल में 'ब्रह्मन्' के आसपास शुरू और विकसित हुई है, ऐसा प्रतीत होता है। 'ब्रह्मन्' शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। यहाँ पर हम केवल दो अर्थों को समझने का प्रयत्न करेंगे। पहला स्तुति या प्रार्थना और दूसरा यज्ञयागादि कर्म। वैदिक मन्त्रों और सूक्तों की सहायता से जो नाना प्रकार की प्रार्थनाएँ एवं स्तुतियाँ की जाती हैं, वह 'ब्रह्मन्' कहलाता है। वैदिक मन्त्रों द्वारा होने वाला यज्ञ-यागादि कर्म भी 'ब्रह्मन्' कहलाता है। इसका प्रमाण यह है कि उन मन्त्रों एवं सूक्तों का पाठ करने वाला एवं यज्ञयागादि कर्म कराने वाला पुरोहितवर्ग 'ब्राह्मण' वर्ग कहलाता है।

इस परम्परा के लिए 'शर्मन्' शब्द का प्रयोग भी होता है। यह श्रुं धातु से बनता है, जिसका अर्थ होता है—हिंसा करना। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि 'शर्मन्' का अर्थ हिंसा करने वाला तो ठीक है, किन्तु किसकी हिंसा? इस प्रश्न का उत्तर—'शृणाति अशुभम्' प्रर्थात् जो अशुभ की हिंसा करे वह 'शर्मन्' इस व्युत्पत्ति से मिलता है। जहाँ तक अशुभ की हिंसा का प्रश्न है वहाँ तक तो ठीक है, किन्तु प्रशुभ क्या है, इस प्रश्न का जहाँ तक सम्बन्ध है, वैदिक परम्परा में मनुष्य के बाह्य स्वार्थ में बाधक प्रत्येक चीज अशुभ हो जाती है। याज्ञिक हिंसा का समर्थन इसी आधार पर हुआ है। "मा हिंस्यात् सर्वभूतानि" कह कर "वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति" का नारा लगाने का आधार मनुष्य का भौतिक स्वार्थ ही है। यज्ञ का अर्थ उत्सर्ग या त्याग है, यह ठीक है, किन्तु किसका उत्सर्ग? यहाँ पर फिर वैदिक परम्परा वही आदर्श सामने रखती है। त्याग और उत्सर्ग के नाम पर दूसरे प्राणियों को सामने रख देती है और भोग और आनन्द के नाम पर मनुष्य स्वयं सामने आ धमकता है। अपने सुख के लिए दूसरे की आहुति देना, यही इस परम्परा का आदर्श

में कोई कमी न रही। इनके अतिरिक्त अन्य अनेक परम्परा भी श्रमण संस्कृति को आधार बनाकर प्रचलित हुईं जिनमें से कुछ वैदिक परम्परा के प्रभाव से प्रभावित हो उसमें समा गईं। वेदांग और शैव सम्प्रदायों का इतिहास इस मत की बहुत कुछ पुष्टि करता है। कुछ लोग मान्य सम्प्रदाय के विषय में भी यही धारणा रखते हैं। कुछ भी हो, इतना निश्चित है कि श्रमण संस्कृति की दो मूल शाखाएँ आज भी जीवित हैं और वे हैं जैन और बौद्ध। ये परम्पराएँ आज भी सुले तीर पर यह कहती हैं कि हम अवेदि हैं।

जैन और बौद्ध, दोनों परम्पराएँ वेदों को प्रमाण नहीं मानतीं; वे यह भी नहीं मानतीं कि वेद का कर्ता ईश्वर है। यथार्थ से अपौरुषेय है। ब्राह्मण वर्ग का जाति की दृष्टि से या पुरोहित के नाते गुरुपद भी स्वीकार नहीं करतीं। उनके अपने-अपने ग्रन्थ हैं जो निर्दोष आप्त व्यक्ति की रचनाएँ हैं। उनके लिए वे ही प्रमाणभूत हैं। जाति की अपेक्षा व्यक्ति की पूजा करना दोनों के मान्य है और उस व्यक्ति-पूजा का आधार है गुण और बर्ण। दोनों परम्पराओं के साधक और त्यागी वर्ग के लिए श्रमण, निष्प्रभंगार, यति, साधु, परिव्राजक, अर्हत्, जिन आदि शब्दों का प्रयोग होता रहा है। एक 'निर्ग्रन्थ' शब्द ऐसा है, जिसका प्रयोग बौद्ध परम्परा के साधकों के लिए ही हुआ है। यह शब्द जैन ग्रन्थों में 'निगम्य' और बौद्ध ग्रन्थों में 'निगमठ' के नाम से मिलता है। इसीलिए जैनशास्त्र को 'निर्ग्रन्थ प्रवचन' भी कहा गया है। 'निर्ग्रन्थ पावयण' का संस्कृत रूप है।

'श्रमण' शब्द का अर्थ :

श्रमण-परम्परा के लिए प्राच्य साहित्य में 'श्रमण' शब्द का प्रयोग हुआ है। जैन-ग्रन्थों में जगह-जगह 'श्रमण' शब्द, धारा है जिसका अर्थ होता है साधु। उक्त 'श्रमण' शब्द के तीन रूप मिलते हैं :—श्रमण, श्रमन और श्रमन्। श्रमण शब्द 'श्रम' शब्द से बनता है। 'श्रम' का अर्थ होता है—परिश्रम करना।

ऐसा आदर्श है—जहाँ ऐहिक एवं पारलौकिक मभी स्वार्थों का अन्त हो जाता है। वहाँ न इस लोक के स्वार्थ सताते हैं, न परलोक का लोभन व्याकुलता उत्पन्न करता है। वह ऐसी साम्यावस्था है, जहाँ कोई किसी से कम योग्य अथवा अधिक योग्य नहीं रहने पाता। वह अवस्था योग्यता और अयोग्यता, अधिकता और न्यूनता और श्रेष्ठता—सभी से परे है।

जहाँ विपमता मूलतः नष्ट हो जाती है वहाँ भेदभाव का कोई अर्थ नहीं। प्राणी-जगत् के प्रति दृष्टिविषयक साम्य का अर्थ है—जीव जगत् के प्रति पूर्ण साम्य। ऐसी समता कि जिसमें न केवल मानवसमाज या पशु-पक्षीसमाज ही समाविष्ट हो, अपितु वनस्पति-जैसे अत्यन्त सूक्ष्म जीवसमूह का भी समावेश हो। यह दृष्टि विश्व-प्रेम की अद्भुत दृष्टि है। विद्वय का प्रत्येक प्राणी चाहे वह मानव हो या पशु, पक्षी हो या कीट, वनस्पति हो या अन्य क्षुद्र जीव—सब आत्मवत् है। किसी भी प्राणी का वध करना अथवा उसे कष्ट पहुँचाना, आत्मवध व आत्मपीड़ा के समान है। 'आत्मवत् सर्वभूतेषु' की भूमिका पर प्रतिष्ठित यह साम्यदृष्टि श्रमण-परम्परा का प्राण है। सामान्य जीवन को ही अपना चरम लक्ष्य मानने वाला साधारण व्यक्ति इस भूमिका पर नहीं पहुँच सकता। यह भूमिका स्व और पर के अभेद की पृष्ठभूमि है। यही पृष्ठभूमि श्रमण-संस्कृति का सर्वस्व है।

श्रमण-परम्परा की अनेक शाखाएँ रही हैं और आज भी मौजूद हैं। जैन, बौद्ध, चार्वाक, आजीवक आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। जैन और बौद्ध परम्पराएँ तो स्पष्ट रूप से श्रमण संस्कृति की शाखाएँ हैं। चार्वाक और आजीवक भी इसी परम्परा की शाखाएँ हैं, किन्तु दुर्भाग्य से आज उनका मौलिक साहित्य उपलब्ध नहीं है। यहाँ कारण है कि निश्चित रूप से इनके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसा होते हुए भी इतना अवश्य मानना पड़ेगा कि ये दोनों परम्पराएँ वैदिक परम्परा की विरोधी रही हैं। इन परम्पराओं ने भी वैदिक परम्परा से लोहा लेने

भारतीय जीवन से विशेष सम्बन्ध नहीं रह गया है। यद्यपि उमर थोड़ा बहुत प्रभाव किसी न किसी रूप में आज भी मौजूद है और आगे भी रहेगा, किन्तु भारतीय जीवन के निर्माण और परिदृष्टि में जैन-परम्परा का जो हाथ अतीत में रहा है, वर्तमान में है और भविष्य में रहेगा, वह कुछ विलक्षण है। यद्यपि आज की प्रचलित जैन विचारधारा, भारत के बाहर अपना प्रभाव न जमा सकी, किन्तु भारतीय विचारधारा और आचार-को बदलने में इसने जो महत्त्वपूर्ण काम किया है, वह इस देश के जन-जीवन के इतिहास में बहुत समय तक अमर रहेगा।

जैन-परम्परा और बौद्ध-परम्परा श्रमण-संस्कृति के अन्तर्गत हैं किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि जैन-परम्परा और बौद्ध-परम्परा दोनों एक हैं। जैन-परम्परा जैन-परम्परा है और बौद्ध-परम्परा बौद्ध-परम्परा है। श्रमण-परम्परा दोनों में प्रवाहित होने वाली एक सामान्य परम्परा है। श्रमण-परम्परा की दृष्टि से दोनों एक हैं, किन्तु परमा की अपेक्षा से दोनों भिन्न हैं। बुद्ध और महावीर दोनों भिन्न-भिन्न व्यक्ति हैं। बुद्ध की परम्परा आज बौद्ध-धारा के नाम से प्रसिद्ध है और महावीर की परम्परा जैन-धारा के नाम से प्रसिद्ध है। परन्तु वात हम भारतीयों के लिए विवाद से परे है। हम लोग इन दोनों परम्पराओं को भिन्न परम्पराओं के रूप में देखते आए हैं। इनमें विरुद्ध कुछ विदेशी विद्वान् यहाँ तक लिखने लग गये थे कि बुद्ध और महावीर एक ही व्यक्ति है, क्योंकि जैन और बौद्ध परम्परा की मान्यताओं में बहुत भारी समानता है। प्रो० लासेन आदि की इस मान्यता का खंडन करते हुए प्रो० वेथर ने यह खोज की कि जैनधर्म बौद्धधर्म की एक शाखा-मात्र है। प्रो० याकोबी ने इन दोनों मान्यताओं का खण्डन करते हुए यह सिद्ध किया कि जैन और बौद्ध दोनों सम्प्रदाय स्वतन्त्र हैं। इतना ही नहीं, अपितु जैन सम्प्रदाय बौद्ध सम्प्रदाय से भी प्राचीन है। जारुपुत्र महावीर तो उस सम्प्रदाय के अन्तिम तीर्थंकर मात्र हैं। इस प्रकार जैन-परम्परा का स्वतन्त्र

तपस्या का दूसरा नाम परिश्रम भी है ।^१ जो व्यक्ति अपने ही श्रम से उत्कर्ष की प्राप्ति करते हैं, वे श्रमण कहलाते हैं । समन का अर्थ होता है समानता । जो व्यक्ति प्राणी साथ के प्रति समभाव रखता है, विषमता से हमेशा दूर रहता है, जिसका जीवन विश्व-प्रेम और विश्व-बन्धुत्व का प्रतीक होता है, जिसके लिए स्व-पर का भेद-भाव नहीं होता, जो प्रत्येक प्राणी से उसी भाँति प्रेम करता है जिस प्रकार खुद से प्रेम करता है, उसको किमी के प्रति द्वेष नहीं होता और न किसी के प्रति उसका राग ही होता है, वह राग और द्वेष की तुच्छ भावना से ऊपर उठकर सबको एक दृष्टि से देखता है । उसका विश्व-प्रेम घृणा और आसक्ति की छाया से सर्वथा अछूता रहता है । वह सबसे प्रेम करता है किन्तु उसका प्रेम राग की कोटि में नहीं आता । वह प्रेम एक विलक्षण प्रकार का प्रेम होता है, जो राग और द्वेष दोनों की सीमा से परे होता है । राग और द्वेष साथ-साथ चलते हैं, किन्तु प्रेम अकेला ही चलता है ।

शमन का अर्थ है—शान्त करना । जो व्यक्ति अपनी वृत्तियों को शान्त करने का प्रयत्न करता है, अपनी वासनाओं का दमन करने की कोशिश करता है और अपने इस प्रयत्न में बहुत कुछ सफल होता है वह श्रमण-संस्कृति का सच्चा अनुयायी है । हमारी ऐसी वृत्तियाँ, जो उत्थान के स्थान पर पतन करती हैं, शान्ति की वजाय अशान्ति उत्पन्न करती हैं, उत्कर्ष की जगह अपकर्ष लाती हैं वे जीवन को कभी सफल नहीं होने देती । ऐसी अकुशल वृत्तियों को शान्त करने से ही सच्चे लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है । इस प्रकार की कुवृत्तियों को शान्त करने से ही आध्यात्मिक विकास हो सकता है । श्रमण संस्कृति के मूल में श्रम, सम और शम, ये तीनों तत्त्व विद्यमान हैं । यहीं 'श्रमण' शब्द का रहस्य है ।

जैन-परम्परा का महत्त्व :

श्रमण संस्कृति की अनेक धाराओं में जैन-परम्परा का बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है । यह हम देख चुके हैं कि श्रमण संस्कृति की दो मुख्य धाराएँ आज भी जीवित हैं । उनमें से बौद्ध परम्परा का

१—'श्राम्यन्तीति श्रमणः तपस्यन्तीत्यर्थः' दशमकालिकवृत्ति १, ३

जैन-परम्परा की अपनी देन है, जो आज भी अधिकांश भाग जनता के जीवन में विद्यमान है। जैन-परम्परा के अनुयायी इससे पूरे-पूरे प्रभावित हैं ही, इसमें कोई संशय नहीं।

अहिंसा को केन्द्र मानकर अमृतावाद, अस्तेय, अमैथुन अपरिग्रह का आदर्श सामने रखा गया। यथाशक्ति जीवन स्वावलम्बी, मादा और सरल बनाने के लिए ही अमण-परम ने इन सब बातों को अधिक महत्त्व दिया। असत्य का लक्षण अनधिकृत वस्तु का अग्रहण और संयम का परिपालन अहिंसा पूर्ण माधना के लिए आवश्यक हैं। साथ-ही साथ अपरिग्रह का आदर्श है, वह बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। परिग्रह के साथ आत्मविकस की घोर शत्रुता है। जहाँ परिग्रह रहता है वहाँ आत्मविकस रह सकता। परिग्रह मनुष्य के आत्मपतन का बहुत बड़ा कारण। दूसरे शब्दों में परिग्रह पाप का बहुत बड़ा संग्रह है। जितना अहिंसा परिग्रह बढ़ता जाता है उतना ही अधिक पाप बढ़ता जाता। मानव-समाज में वैषम्य उत्पन्न करने का सबसे बड़ा उत्तरदायी परिग्रह-बुद्धि पर है। परिग्रह का दूसरा नाम ग्रन्थि भी है। जितना अधिक गाँठ बाँधी जाती है उतना ही अधिक परिग्रह बढ़ता। किसी की गाँठ मन तक ही सीमित रहती है तो कोई बाह्य बल की गाँठें बाँधता है। यह गाँठ जब तक नहीं खुलती तब विकास का द्वार बन्द रहता है। महावीर ने ग्रन्थिभेदन पर अधिक भार दिया। इसीलिए उनका नाम निग्रन्थि पड़ गया। उनकी परम्परा भी निग्रन्थि-सम्प्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हुई। यह परम्परा को छोड़ अन्य किसी परम्परा को यह नाम नहीं दिया गया। अपरिग्रह का मार्ग विद्वयशान्ति का प्रशस्त मार्ग है। मार्ग का उल्लंघन करने वाला संसार को स्थायी शान्ति नहीं सकता। वह स्वयं पतनोन्मुख होता है, साथ ही साथ अन्य प्राणि को भी अपदस्थ करता है—नीचे गिराता है। स्वाधीनता की रक्षा लिए अपरिग्रह अत्यन्त आवश्यक है।

आचार की इस भूमिका पर कर्मवाद का जन्म होता है। कर्मवाद का अर्थ है कार्य-कारणवाद। प्रत्येक कार्य का कोई न

स्वत्व स्वीकार करने में अब किसी को आपत्ति नहीं रही है। जैना ही नहीं अपितु ऐतिहासिक मामग्री के आधार पर तो यह भी सिद्ध किया जा सकता है कि बौद्ध-परम्परा पर जैन-परम्परा का प्रभाव है। कुछ भी हो, जैन-परम्परा का स्वतन्त्र अस्तित्व है, यह निर्विवाद सत्य है। इस परम्परा का भारतीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रभाव है। आचार और विचार दोनों पर इसकी अभिप्राय है। अब हम यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि जैन परम्परा के आचार और विचार की भित्ति क्या है। जैन-परम्परा द्वारा मान्य आचार और विचार के मौलिक सिद्धान्त क्या हैं। किन सिद्धान्तों पर जैनाचार और जैन विचार सजे हैं ?

जैनाचार की मूलभित्ति अहिंसा है। अहिंसा का जितना सूक्ष्म अन्वेषण जैन-परम्परा में मिलता है उतना शायद ही किसी अन्य परम्परा में हो। प्रत्येक आत्मा, चाहे वह पृथ्वी-सम्बन्धी हो, चाहे वह जलगत हो, चाहे उसका आश्रय कोट अथवा पतंग हो, चाहे वह मनु और पक्षी में रहती हो, चाहे उसका निवासस्थान मानव हो—तात्त्विक दृष्टि से उसमें कोई भेद नहीं है। जैनदृष्टि का यह साम्यवाद भारतीय संस्कृति के लिए गौरव की चीज है। इसी साम्यवाद के आधार पर जैन-परम्परा यह घोषणा करती है कि सभी जीव जीना चाहते हैं। कोई वास्तव में मरने की इच्छा नहीं करता। इसलिए हमारा यह कर्तव्य है कि हम मन से भी किसी का वध करना न सोचें।^१ शरीर से किसी की हत्या कर देना तो पाप है ही, किन्तु मन से तद्विषयक संकल्प करना, यह भी पाप है। मन, वचन और काया से किसी जीव को मन्ताप न पहुँचाना, उसका वध न करना, उसे पीड़ा न पहुँचाना—यही सच्ची अहिंसा है।^२ वनस्पति से लेकर मानव तक की अहिंसा की यह कहानी जैन परम्परा की विशिष्ट देन है। विचारों में एक आत्मा—एक ब्रह्म का आदर्श अन्यत्र भी मिल सकता है किन्तु आचार पर जितना भार जैन परम्परा ने दिया है उतना अन्यत्र नहीं मिल सकता। आचार-विषयक अहिंसा का यह उत्कर्ष

१—आचारांग सूत्र—१, १, ६

२—आचारांग सूत्र १, ४, १

दृष्टि का अन्तिम स्वरूप है, समभाव का अन्तिम विकास है, समानता का अन्तिम दावा है ।

विचार में साम्यदृष्टि की भावना पर जो जोर दिया गया है उसमें से अनेकान्त दृष्टि का जन्म हुआ है । अनेकान्त दृष्टि तत्त्व चारों ओर से देखती है । तत्त्व का स्वभाव ही ऐसा है कि वह ऐसे प्रकार से जाना जा सकता है । वस्तु के अनेक धर्म होते हैं । किसी समय किसी की दृष्टि किसी एक धर्म पर भार देती है, ता किसी समय दूसरे की दृष्टि किसी दूसरे धर्म पर जोर देती है । अनेक दृष्टि से उस वस्तु में सारे धर्म हैं । इसीलिए वस्तु को अनेक धर्मात्मक कहा गया है । अपेक्षा-भेद से दृष्टिभेद का प्रतिपादन करना और उस दृष्टिभेद को वस्तु धर्म का एक ही समझना, यही अनेकान्तवाद है । अपेक्षाभेद को दृष्टि में रखा जाए तो अनेकान्त-धर्मात्मक तत्त्व का प्रतिपादन 'स्याद्' शब्द द्वारा हो सकता है, अतः अनेकान्तवाद का नाम स्याद्वाद भी है । स्याद्वाद का यह सिद्धान्त जैनदर्शन के अतिरिक्त अन्य दर्शनों में भी मिलता है । मीमांसा, सांख्य और न्यायदर्शन में यत्र-तत्र अनेकान्तवाद विखरा हुआ मिलता है । बुद्ध का विभज्यवाद स्याद्वाद का ही निषेधात्मक रूपान्तर है । इतना होते हुए भी किसी दर्शन ने स्याद्वाद को सिद्धान्तरूप से स्वीकृत नहीं किया । अपने पक्ष को निन्दित करने के लिए उन्हें यत्रतत्र स्याद्वाद का आश्रय अवश्य लेना पड़ा ; परन्तु उन्हें जानबूझ कर उसे अपनाया ही ऐसी बात नहीं है । जैन परम्परा जैसे अहिंसा पर अधिक भार दिया है वैसे ही अनेकान्तवाद पर अत्यधिक भार दिया है । हमारे शब्दों में अनेकान्तवाद जैन-दर्शन का प्राण है । जैन-परम्परा का प्रत्येक आचार और विचार अनेकान्त दृष्टि से प्रभावित है । जैन-विचारधारा का कोई ऐसा क्षेप नहीं, जिस पर अनेकान्त-दृष्टि की छाया न हो । जैन-दार्शनिकों ने इस विषय पर एक नहीं, अनेकों ग्रन्थ लिखे हैं । अनेकान्त-दृष्टि के आधार पर नयवाद का विकास हुआ है । स्याद्वाद और नयवाद जैन परम्परा की अमूल्य सम्पत्ति है । जैन दार्शनिक साहित्य के मुख्य प्राण अनेकान्त दृष्टि की भूमि में उत्पन्न होने वाले एवं बढ़ने वाले हैं ।

करण होता है और प्रत्येक कारण किसी न किसी कार्य को उत्पन्न करता ही है। यह कारण और कार्य का पारस्परिक सम्बन्ध ही कर्म की विविधता और विचित्रता की भूमिका है। हमारा कोई कर्म व्यर्थ नहीं जाता। हमें किसी भी प्रकार का फल बिना कर्म के ही मिलता। कर्म और फल का यह अविच्छेद्य सम्बन्ध ही चारणास्त्र की नींव है। यह एक अलग प्रश्न है कि व्यक्ति के कर्मों का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है और समाज के कर्म व्यक्ति के जीवन-निर्माण में कितने अंश में उत्तरदायी हैं? इतना निश्चित है कि बिना कर्म के किसी प्रकार का फल नहीं मिल सकता। बिना कारण के कोई कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता। कर्मवाद का अर्थ यही है कि वर्तमान का निर्माण भूत के आधार होता है और भविष्य का निर्माण वर्तमान के आधार पर। व्यक्ति अपनी मर्यादा के अनुसार वर्तमान और भविष्य को परिवर्तित कर सकता है, किन्तु यह परिवर्तन भी कर्मवाद का ही अंग है। जैन-परम्परा नियतिवाद (Determinism) में विश्वास न करके इच्छा-स्वातन्त्र्य (Freedom of will) को महत्त्व देती है किन्तु अमुक सीमा तक। प्राणी की राग-पात्मक भावनाओं को जैनदर्शन में भावकर्म कहा गया है, उक्त भावकर्म के द्वारा आकृष्ट सूक्ष्म भौतिक परमाणु द्रव्यकर्म है। इस प्रकार जैनदर्शन का कर्मवाद चैतन्य और जड़ के सम्मिश्रण द्वारा अनादिकालीन परम्परा से विधिवत् अग्रसर होती हुई एक कारण की द्वन्द्वात्मक आन्तरिक क्रिया है। इस क्रिया के आधार पर पुनर्जन्म का विचार किया जाता है। इस क्रिया की समाप्ति मोक्ष है। जैनदर्शन-प्रतिपादित चौदह गुणस्थान इसी क्रिया का क्रमिक विकास है, जो अन्त में आत्मा के असली रूप में परिणत होता है। आत्मा का अपने स्वरूप में वास करना, यही जैनदर्शन का अमेश्वर-पद है। प्रत्येक आत्मा के भीतर यह पद प्रतिष्ठित है। आवश्यकता है उसे पहचानने की। 'जे अप्या से परमप्या' अर्थात् 'जो आत्मा है वही परमात्मा है'—जैन परम्परा की यह घोषणा साम्य-

रचनाएँ प्रमाणभूत मानी जाती हैं। दूसरी बात यह है कि दशपूर्वधर (पूर्ण श्रुतज्ञानी) और दशपूर्वधर वे ही हैं, जो नियमतः सम्यग्दृष्टि होते हैं। अतः उनके ग्रन्थ विरुद्ध नहीं हो सकते। इस प्रकार गणधरकृत एवं स्थविरकृत दोनों प्रकार के आगमों का प्रामाण्य स्वीकृत किया गया है।

आज आगमों के जो संस्करण उपलब्ध हैं, वे अपने प्रस्तुत में देवधिगणि धमा-श्रमण के समय के हैं। कालक्रम से स्मृति लोप होते हुए देखकर महावीर के निर्वाण से लगभग ६६० वाद पाटलिपुत्र में लम्बे काल के दुर्भिक्ष के बाद जैन-श्रमण एकत्रित हुआ। एकत्रित हुए श्रमणों ने परस्पर पूछ कर ११ व्यवस्थित किए। बारहवें अंग दृष्टिवाद का कुछ कारणों से न हो सका। यह प्रथम वाचना है।

दूसरी वाचना मथुरा में हुई। बारह वर्ष के दुष्काल के कारण ग्रहण-गुणन-अनुप्रेक्षा के अभाव में सूत्र नष्ट होने लगे। आगम स्वर्ण के नेत्रत्व में मथुरा में साधुसंघ एकत्रित हुआ। जिसको जो याद सका उसके आधार पर श्रुत पुनः व्यवस्थित कर लिया गया। वाचना का काल सम्भवतः वीर निर्वाण संवत् ८२७ से ८४० के बीच का है।

लगभग इसी समय वल्लभी में भी नागार्जुन सूरि ने श्रमणों को एकत्रित करके आगमों को व्यवस्थित करने का प्रयत्न किया था।

लगभग डेढ़ बी वर्ष के उपरान्त पुनः वल्लभीनगर में देवधिगणि धमाश्रमण की अध्यक्षता में श्रमणसंघ एकत्रित हुआ। इस संघ में पूर्वोक्त दोनों वाचनाओं के समय एकत्रित किए गए सिद्धान्तों उपरान्त जो जो ग्रन्थ-प्रकरण मौजूद थे उन सबको भी लिखा सुरक्षित करने का निश्चय किया गया तथा दोनों वाचनाओं सिद्धान्तों का परस्पर समन्वय किया गया। वर्तमान में जो आगम ग्रन्थ उपलब्ध हैं, उनका अन्तिम स्वरूप इसी समय स्थिर हुआ।

द और नयवाद हैं। आगमिक साहित्य से लेकर आज तक का साहित्य स्याद्वाद और नयवाद के मौलिक सिद्धान्तों से भरा हुआ है। इन विद्वानों का यह दृष्टिकोण विश्व की दार्शनिक परम्परा में द्वितीय है।

दर्शन का आधार :

जैन दर्शन पर आज जो साहित्य उपलब्ध है, उसे मोटे तौर पर पाँच भागों में बाँटा जा सकता है। यह साहित्य महावीर से आकर आज तक के विकास को हमारे सामने उपस्थित करता है। विकास का क्रम इस प्रकार है :—(१) आगमयुग, (२) अनेकान्त-स्थापनयुग, (३) प्रमाणशास्त्र-व्यवस्थायुग (४) नवीनन्याय^१युग, (५) आधुनिक युग—सम्पादन एवं अनुसंधान।

आगमयुग :

इस युग की काल-मर्यादा महावीर के निर्वाण अर्थात् वि० पू० ५७० से प्रारम्भ होकर प्रायः एक हजार वर्ष तक जाती है। महावीर के विचारों का सार उनके गणधरों ने शब्दबद्ध किया। स्वयं महावीर कुछ नहीं लिखा। जैनागम तीर्थकर^२ प्रणीत^३ कहे जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि अर्थरूप से तीर्थकर प्रणीत है और ग्रन्थरूप से गणधर। आगमों का प्रामाण्य गणधर-कृत होने से नहीं, अपितु तीर्थङ्कर को वीतरागता एवं सर्वज्ञत्व के कारण है। गणधरों के प्रतिरिक्त अन्य स्थविर भी आगम-रचना करते हैं। स्थविर-कृत आगम 'अंगवाह्य' कहलाते हैं और गणधरकृत आगम 'अंगप्रविष्ट' कहलाते हैं। तीर्थङ्कर के मुख्य दिव्य गणधर कहलाते हैं। अन्य प्रकार के श्रमण, जो या तो सम्पूर्ण श्रुतज्ञानी होते हैं या दशपूर्व-धर, वे स्थविर कहलाते हैं। गणधर और स्थविर दोनों के ग्रन्थों का आधार तीर्थङ्कर-प्रणीत तत्त्वज्ञान ही होता है। इसीलिए उनकी

१—जैन दार्शनिक साहित्य का सिंहावलोकन, पृ० १

२—नन्दीसूत्र, ४०

३—विशेषावश्यक भाष्य, गा० ५५०

चार्यकृत है। दशाश्रुत, बृहत्कल्प और व्यवहार के कर्त्ता भद्रा स्वामी है। ज्ञान की प्रायः सभी शाखाएँ उपयुक्त सूत्रों में आ जाती हैं। कुछ सूत्रों का सम्बन्ध जैन आचार से है जैसे आचारांग, दशकालिक आदि। कुछ उपदेशात्मक हैं—जैसे उत्तराध्ययन, प्रकीर्णक आदि। कुछ सूत्र तत्कालीन भूगोल और खगोल पर लिखे गए हैं—जैसे अन्तरीपप्रज्ञप्ति, सूर्यप्रज्ञप्ति आदि। जैन साधुओं के आचार सम्बन्धी श्रात्सर्गिक और आपवादिक नियमों के लिए छेदसूत्र लिखे गए। पुरुषसूत्र ऐसे हैं जिनमें आदर्श चरित्र दिए गए हैं—जैसे उपासकदशा, पुरुषोत्तरोपपातिक दशा आदि। कुछ सूत्र ऐतिहासिक और कल्पित कथाओं का संग्रह हैं—जैसे ज्ञानधर्मकथा आदि। विपाकसूत्र शुभ और अशुभ कर्मों का कथायुक्त वर्णन है। भगवती सूत्र में महावीर के साथ हुए प्रश्नों एवं संवाद संगृहीत हैं।

सूत्रकृत, प्रज्ञापना, राजप्रश्नीय, भगवती, नन्दी, स्थानांग, रामकर्म और अनुयोग मुख्य रूप से दार्शनिक विषयों की चर्चा करते हैं।

सूत्रकृतांग में तत्कालीन दार्शनिक मन्तव्यों का निराकरण किया गया है। भूताद्वैतवाद का निराकरण करके आत्मा की पृथक् सिद्धि गई है। ब्रह्माद्वैतवाद के स्थान पर नानात्मवाद की स्थापना की गई। कर्म और उसके फल की सिद्धि की गई है। जगदुत्पत्ति-विषयक ईश्वरत्व का खण्डन करके यह दिखाया गया है कि संसार अनादि-अनन्त तत्कालीन त्रियावाद, अत्रियावाद, विनयवाद, अज्ञानवाद आदि का निराकरण करके तर्कसंगत त्रियावाद की स्थापना की गई है।

प्रज्ञापना में जीव के विविध भावों पर विस्तृत प्रकाश डाला गया। राजप्रश्नीय में पार्श्वनाथ की परम्परा के केशीश्रमण ने श्रावस्ती राजा प्रदेगी द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में नास्तिकवाद का निराकरण करके आत्मा और परलोक आदि विषयों को दृष्टांत एवं मुक्तिपूर्वक समझाया है।

भगवती सूत्र में नय, प्रमाण, सप्तभंगी, अनेकान्तवाद आदि विषयों पर अच्छा प्रकाश डाला गया है।

नन्दीसूत्र ज्ञान के स्वरूप और उसके भेद आदि का वर्णन करके अज्ञानना एक अच्छा ग्रन्थ है।

शागमों का वर्गीकरण :

अंगप्रविष्ट और अंगवाह्य आगमों का उल्लेख हो चुका है । १२ अंग अंगप्रविष्ट हैं और शेष ग्रन्थ अंगवाह्य । इसके अतिरिक्त निम्न वर्गीकरण विशेष प्रसिद्ध है :—

(१) अंग :

१-आचार, २-सूत्रकृत, ३-स्थान, ४-समवाय, ५-उपासक
शागमा, ६-भगवती, ७-ज्ञातृघर्मकथा, ८-अन्तकृद्दशा, ९-अनुत्तरोप-
पातिक दशा, १०-प्रश्नव्याकरण, ११-विपाक, और १२-दृष्टि-
शागमाद (जो उपलब्ध नहीं है)

(२) उपांग :

१-श्रीपपातिक, २-राजप्रश्नीय, ३-जीवाभिगम, ४-प्रज्ञापना,
सूर्यप्रज्ञप्ति, ६-जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति, ७-चन्द्रप्रज्ञप्ति, ८-कल्पिका,
कल्पावतंशिका, १०-पुष्पिका, ११-पुष्पचूलिका, १२-वृष्णिदशा ।

(३) मूल :

१-आवश्यक, २-दशवैकालिक, ३-उत्तराध्ययन, ४-पिरण्डनियुक्ति
या शोधनियुक्ति ।

(४) चूलिका सूत्र :

१-नन्दी सूत्र, २-अनुयोगद्वार सूत्र ।

(५) छेद सूत्र :

१-निशीथ, २-महानिशीथ, ३-बृहत्कल्प, ४-व्यवहार, ५-दशाश्रुत-
ग्रन्थ, ६-पंचकल्प ।

(६) प्रकीर्णक :

१-चतुःशरण, २-आनुप्रत्याख्यान, ३-भक्तपरिज्ञा, ४-संस्तारक,
तन्दुलथैचारिक, ६-चन्द्रवेध्यक, ७-देवेन्द्रस्तव, ८-गणिविद्या,
९-महाप्रत्याख्यान, १०-वीरस्तव ।

उपर्युक्त ग्रन्थ जैन परम्परा की बहुत बड़ी निधि हैं । इनकी भाषा
प्राकृत है । कुछ सूत्र ऐसे भी हैं जिनके कर्त्ता का नाम मिलता है । उदा-
हरण के लिए दशवैकालिक के कर्त्ता शय्यभवाचार्य हैं, प्रज्ञापना श्यामा-

काल दशवीं शताब्दी है। उनके बाद प्रसिद्ध टीकाकार शान्त्याचार्य ने उन्होंने उत्तराध्ययन पर बृहत् टीका लिखी। इनके बाद प्रसिद्ध टीकाकार अभयदेव हुए। इन्होंने नव अंगों पर टीकाएँ लिखीं। इनका काल सं० १०७२ से ११३५ तक का है। इसी समय मलयारी हेमचन्द्र भी जिन्होंने विशेषावश्यक-भाष्य पर वृत्ति लिखी। आगमों पर संस्कृत टीका लिखने वालों में मलयगिरि का विशेष स्थान है। इनकी टीकाएँ काव्यनिक चर्चा के साथ-ही-साथ सुन्दर भाषा में हैं। प्रत्येक विषय पर कुछ ढंग से लिखने में इन्हें अच्छी सफलता मिली है। ये बारहवीं शताब्दी के विद्वान् थे।

इन टीकाओं के अतिरिक्त अपभ्रंश अर्थात् प्राचीन गुजराती के राजस्थानी में संक्षिप्त टीकाएँ मिलती हैं। इन्हें 'टवा' कहते हैं। इन टीकाओं में लोकागच्छ के आचार्य घर्मसिंह मुनि का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनका समय अठारहवीं शताब्दी है।

दिगम्बर आगम :

दिगम्बर परम्परा का विश्वास है कि वीरनिर्वाण के बाद श्रद्धा-क्रमण ह्रास होता गया। यहाँ तक कि ६८३ वर्ष के बाद कोई अंग या पूर्वधर आचार्य रहा ही नहीं। हाँ, अंग और पूर्व के अंशमात्र के ही कुछ आचार्य अवश्य हुए हैं। अंग और पूर्व के अंशधर आचार्यों की परम्परा में होने वाले पुण्डन्त और भूतबलि आचार्यों ने 'पद्मखण्ड' की रचना दूगरे अग्राहणीय पूर्व के अंश के आधार से की और प्रायः गुणधर ने पाँचवें पूर्व ज्ञानप्रवाद के अंश के आधार से 'कषायपाहुड' की रचना की।

इस प्रकार ऊपर लिखे गए आगम और उनकी टीकाएँ स्वयंसे परम्परा को ही मान्य हैं। दिगम्बर परम्परा के मतानुसार प्रायः आगम लुप्त हो गए। उनके आधार से लिखे गए पद्मखण्डागम, कषायपाहुड आदि अन्य आगम की ही भाँति प्रमाणभूत हैं। पद्मखण्डागम में कषायपाहुड के अतिरिक्त महाबन्ध का नाम भी उल्लेखनीय है; किन्तु

स्थानांग में आत्मा, पुद्गल, ज्ञान आदि विषयों पर अच्छी चर्चा है।
में सात निह्नवों का भी वर्णन है। महावीर के सिद्धान्तों की एकांगी
ओं को लेकर एकान्तवाद का प्रचार करने वाले निह्नव कहे गए हैं।
समवायांग में भी ज्ञान, नय, प्रमाण आदि विषयों पर काफी
र्चा है।

अनुयोग में शब्दार्थ की प्रक्रिया का वर्णन मुख्य है। प्रसंगवशात्
रण, नय तथा तत्त्व का सुन्दर निरूपण किया गया है।

अगमों पर टीकाएँ :

उपर्युक्त अगमों की अनेक टीकाएँ मिलती हैं। कुछ टीकाएँ प्राकृत
हैं तो कुछ संस्कृत में। कुछ गद्य में लिखी गई हैं तो कुछ पद्य में।
कृत में जो टीकाएँ हुई हैं वे नियुक्ति, भाष्य और चूर्ण के नाम से
सिद्ध हैं। नियुक्ति और भाष्य पद्य में हैं और चूर्ण गद्य में। उपलब्ध
युक्तियाँ प्रायः भद्रवाहु (द्वितीय) की रचनाएँ हैं। उनका समय विक्रम
त् ४००-६०० तक का है। नियुक्तियों में कहीं-कहीं दार्शनिक विषयों
सुन्दर विवेचन मिलता है। प्रमाण, नय, ज्ञान, आत्मा, निर्दोष आदि
षयों पर अच्छी चर्चा मिलती है।

भाष्यकारों में संघदासगण और जिनभद्र विशेष रूप से उल्लेखनीय
। इनका समय विक्रम की सातवीं शताब्दी है। विशेषावश्यक भाष्य
जिनभद्र की सुन्दर कृति है। इसमें तत्त्व का व्यवस्थित एवं युक्तियुक्त
विवेचन मिलता है। संघदासगणिका बृहत्कल्प भाष्य साधुओं के आहार-
हार के नियमों का दार्शनिक एवं तार्किक विवेचन है।

चूर्णियों का समय लगभग सातवीं-आठवीं शताब्दी है। चूर्णिकारों
जिनदास महत्तर का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इन्होंने नन्दी आदि
निक सूत्रों पर चूर्णियाँ लिखी हैं। चूर्णियाँ संक्षिप्त एवं सरल हैं। कहीं-
ही कथाओं का भी समावेश किया गया है।

संस्कृत टीकाकारों में आचार्य हरिभद्र का विशेष महत्त्व है। जैन
अगमों पर प्राचीनतम संस्कृत टीका इन्हीं की है। इनका समय संवत्
५७ से ८५७ के बीच का है। हरिभद्र ने प्राकृत चूर्णियों के आधार से
टीका लिखी है। बीच-बीच में दार्शनिक दृष्टि का विशेष उपयोग
किया है। हरिभद्र के बाद शीलांक सूरि ने संस्कृत टीकाएँ लिखीं। इनका

इस प्रकार ११ अंग + १२ उपांग + ४ छेद + ४ मूल + ५ श्यक = इस प्रकार कुल ३२ सूत्र हैं।

इन ३२ सूत्रों के अतिरिक्त नियुक्ति आदि टीकाएँ इस परम्परा के स्वतः प्रमाणत्वेन मान्य नहीं हैं।

आगमप्रामाण्य का सार :

१—श्वेताम्बर मूर्तिपूजक परम्परा—११ अंग, १२ उपांग, ४ छेद, ४ मूलिका सूत्र, ६ छेद सूत्र, १० प्रकीर्णक—इस प्रकार ४५ आगम तथा नियुक्ति, चूर्ण, भाष्य आदि टीकाएँ।

२—श्वेताम्बर स्थानकवासी एवं श्वेताम्बर तेरापन्थी परम्परा—११ अंग, १२ उपांग, ४ छेद, ४ मूल, ५ श्यक—इस प्रकार ३६ आगम ग्रन्थ।

३—दिगम्बर परम्परा—ये सभी आगम ग्रन्थ लुप्त। पट्टलएडाक कपायगहुड, महाग्रन्थ—इस प्रकार तीन मूल ग्रन्थ एवं धवला, जगधक आदि टीकाएँ। कुन्दकुन्दाचाय के ग्रन्थ प्रवचनसार, पंचास्तिकाय का मूलग्रन्थ एवं टीकाएँ।

आगमयुग का अन्त :

आगम-साहित्य ज्ञान की विविध शाखाओं का एक बहुत बड़ा भाग है, इसमें कोई सन्देह नहीं। इतना होते हुए भी किररी एक विषय लेकर संक्षिप्त और सरल ढङ्ग से जो प्रतिपादन होना चाहिए उनमें इसमें कमी है। इस कथन का यह अभिप्राय नहीं कि आगमों में विषय का संक्षिप्त एवं व्यवस्थित प्रतिपादन ही नहीं। वहाँ-वहाँ के सरल एवं संक्षिप्त प्रतिपादन अवश्य मिलता है। किन्तु प्रत्येक मि पर इस प्रकार की सामग्री नहीं है। दूसरी बात यह है कि आगम शैली में पुनर्लक्ष्य की मात्रा भी कुछ अधिक है। यह मात्र आगम शैली का दोष नहीं है, क्योंकि उस समय के साहित्य की परम्परा ऐसी थी। जैसे-जैसे समय व्यतीत होता गया, कुछ ऐसे ग्रन्थों की आवश्यकता प्रतीत होने लगी, जो आकार से छोटे हों और विषय संक्षिप्त प्रतिपादन करने वाले हों। गिद्धान्त की मुख्य मुख्य बातें जिन मिल जाएँ, किन्तु उनका बहुत विस्तार न हो। इसी आवश्यक

जना भूतबलि आचार्य ने की है। इन तीनों ग्रन्थों का विषय जीव और मर्म से सम्बन्धित है। मूलग्रन्थों में दार्शनिक चर्चा का कोई खास स्थान ही है। हाँ, बाद में लिखी जाने वाली टीकाओं में खंडन-मंडन खूब लिखता है। पद्मखण्डागम की रचना पुष्पदन्त और भूतबलि आचार्यों द्वारा और कपायपाहुड की रचना आचार्य गुणधर द्वारा विक्रम की सरी शताब्दी के बाद हुई है और उनपर धवला और जयधवला जैसी टीकाओं की रचना वीरसेनाचार्य ने नवमी शताब्दी में की है।

इन ग्रन्थों के अतिरिक्त आचार्य कुन्दकुन्द-कृत ग्रन्थ आगम के समान प्रमाणभूत माने गये हैं। उनके ग्रन्थों में प्रवचनसार, पचास्तिकाय, मयसार, अष्टपाहुड, नियमसार आदि प्रसिद्ध हैं। आत्मा, ज्ञान, सप्त-गो, द्रव्य, गुण आदि सभी विषयों पर कुन्दकुन्द ने अपनी कलम लाई है। व्यावहारिक और नैश्चयिक दृष्टियों पर विशेष भार रखा है। अमृत चन्द्र आदि विद्वानों ने उनके ग्रन्थों पर टीकाएँ लिखी हैं। कुन्दकुन्द का समय अभी विवादास्पद है। कुछ लोग उनका समय ईसा के प्रथम शताब्दी मानते हैं तो कुछ पाँचवीं और छठी शताब्दी।

थानकवासी आगमग्रन्थ :

श्वेताम्बर स्थानकवासी परम्परा के मत से दृष्टिवाद को छोड़कर भी अंग सुरक्षित है—जैसा कि श्वेताम्बर (मूर्तिपूजक) परम्परा मानती है। अंगवाह्य ग्रन्थों में वारह उपांग वे ही हैं, जो श्वेताम्बरों को अन्य हैं। इन तीस ग्रन्थों के अतिरिक्त निम्नलिखित ग्रन्थ भी सुरक्षित ऐसी इस परम्परा की मान्यता है :—

४ छेद :— १—व्यवहार, २—बृहत्कल्प, ३—निशीथ, ४—दशा-तस्कन्ध।

४ मूल :— १—दशवैकालिक, २—उत्तराध्ययन, ३—नन्दी, ४—अनुयोग।

इनके अतिरिक्त एक आवश्यक सूत्र भी है।

ज्ञानों का प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाणों में विभाजन किया गया। उसके बाद मति ज्ञान की उत्पत्ति और उसके भेदों पर प्रकाश डाला गया है। तदुपरान्त श्रुतज्ञान का वर्णन है। फिर श्रवण, मनःपर्यन्त के केवल ज्ञान और उनके भेद-प्रभेद तथा पारस्परिक अन्तर का पचन तत्पश्चात् पाँचों ज्ञानों का तारतम्य बतलाते हुए उनका विपय-विशेष एवं उनकी सहचारिता का दिग्दर्शन कराया गया है। तदनुक्रमेण मिथ्याज्ञानों का निर्देश है। अन्त में नय के भेदों का कथन है।

दूसरे अध्याय में जीव का स्वरूप, जीव के भेद, इन्द्रियभेद, मृत्यु-जन्म की स्थिति, जन्मस्थानों के भेद, शरीर के भेद और जातियों का विभाग, आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया है।

तीसरे अध्याय में अधोलोक के विभाग, नारक जीवों की दशा, समुद्र, पर्वत, क्षेत्र आदि का वर्णन, इत्यादि भौगोलिक विषयों पर प्रकाश चर्चा है।

चौथे अध्याय में देवों की विविध जातियाँ, उनके परिवार, स्थान, समृद्धि, जीवनकाल और ज्योतिर्मण्डल आदि दृष्टियों से वर्णन का वर्णन किया गया है।

पाँचवें अध्याय में निम्न विषयों पर प्रकाश डाला गया है :—
के मुख्य भेद, उनकी परस्पर तुलना, उनकी स्थिति, क्षेत्र एवं काल-पुद्गल का स्वरूप, भेद और उत्पत्ति, रात् का स्वरूप, नित्य का तत्त्व, पौद्गलिक बन्ध की योग्यता और अयोग्यता, द्रव्य लक्षण, काल स्वभाव द्रव्य है या नहीं इसका विचार एवं काल का स्वरूप, गुण और परिणाम के भेद।

छठे अध्याय में आश्रय का स्वरूप, उसके भेद एवं तदनुष्ठान के बन्धन आदि बातों का विवेचन है।

सातवें अध्याय में व्रत का स्वरूप, व्रत ग्रहण करने वालों के भेद व्रत की स्थिरता, हिंसा आदि प्रतिचारों का स्वरूप, दान-स्वरूप, इत्यादि विषयों पर प्रकाश डाला गया है।

आठवें अध्याय में कर्मबन्धन के हेतु और कर्मबन्धन के भेद का विचार किया गया है।

पूर्ति के लिए आगमेतर ग्रन्थों की रचना प्रारम्भ हुई। यद्यपि आगे कर पुनः विस्तार का आश्रय लेना पड़ा और यह ठीक भी था, क्योंकि न का क्षेत्र विस्तृत होता जा रहा था और दार्शनिक वाद-विवाद बढ़ने लगे थे। आचार्य उमास्वाति ने जैन-तत्त्वज्ञान, आचार, खगोल, गोल आदि अनेक विषयों का संक्षेप में प्रतिपादन करने की दृष्टि से सद्ध ग्रन्थ 'तत्त्वार्थसूत्र' लिखा। ग्रन्थ की भाषा भी प्राकृत न रखकर कृत रखी। आगमेतर साहित्य का बीजवपन यहीं से होता है।

वार्थ उमास्वाति और तत्त्वार्थसूत्र :

उमास्वाति कब हुए, इस विषय में अभी कोई निश्चित मत नहीं है। जब उमास्वाति का प्राचीन से प्राचीन समय विक्रम की पहली शताब्दी और अर्वाचीन से अर्वाचीन समय तीसरी-चौथी शताब्दी है। इन तीनों-र सौ वर्ष के बीच में उनका समय पड़ता है।

आचार्य उमास्वाति सर्वप्रथम संस्कृत-लेखक हैं, जिन्होंने जैनदर्शन अपनी कलम उठाई। उनकी भाषा शुद्ध एवं संक्षिप्त है। शैली में सलता एवं प्रवाह है। उनका 'तत्त्वार्थाधिगम सूत्र' श्वेताम्बर और गम्बर दोनों परम्पराओं में समान रूप से मान्य है। इसकी शैली सूत्र-ली है, यह नाम से ही स्पष्ट है। इसमें दस अध्याय हैं जिनमें जैन दर्शन और जैन आचार का संक्षिप्त निरूपण है। खगोल और भूगोल विषयक त्विताओं का भी वर्णन है। यों कहना चाहिए कि यह ग्रन्थ जैन तत्त्व-न, आचार, भूगोल, खगोल, आत्मविद्या, पदार्थविज्ञान, कर्मशास्त्र दि अनेक विषयों का संक्षिप्त कोष है।

प्रथम अध्याय में ज्ञान से सम्बन्ध रखने वाली निम्न बातों पर प्रकाश ला गया है :—ज्ञान और दर्शन का स्वरूप, नयों का लक्षण, ज्ञान का माण्य। सर्वप्रथम दर्शन का अर्थ बताया गया है। तदनन्तर प्रमाण और नय रूप से ज्ञान का विभाग किया गया है। फिर मति आदि पाँच

१—पं० सुखलाल जी कृत तत्त्वार्थसूत्र विवेचन, पृ० ६

२—ज्ञानदर्शनयोस्तत्त्वं नयानां चैव लक्षणम्

ज्ञानस्य च प्रमाणत्वमध्यायेऽस्मिन्निरूपितम् ॥

विद्वानों ने हिन्दी तथा गुजराती आदि भाषाओं में तत्त्वार्थसूत्र पर विवेचन लिखे हैं।

इस प्रकार तत्त्वार्थसूत्र के पास पहुँचते-पहुँचते हमारा 'आगम युग' समाप्त हो जाता है। इसके बाद 'आगम युग' के अनेक संस्कारों के लिए हुए 'अनेकान्त-स्थापन-युग' आता है। इस युग में जैन-दर्शन का स्तर काफी ऊँचा उठ जाता है।

अनेकान्त-स्थापना-युग :

भारतीय दार्शनिक क्षेत्र में नागार्जुन ने एक बहुत बड़ी हमल मचा दी थी। जब से नागार्जुन इस क्षेत्र में आए, दार्शनिक वादविवाद को एक नया रूप प्राप्त हुआ। श्रद्धा के स्थान पर तर्क का शासन हो गया। पहले तर्क न था, ऐसी बात नहीं है। तर्क के होते हुए भी अधिक काम श्रद्धा से ही चल जाता था। यही कारण था कि दर्शन का व्यवस्थित आकार न बन पाया। नागार्जुन ने इस क्षेत्र में शास्त्रों का अन्तिकारी परिवर्तन कर दिया। यह अन्तिकारी बौद्ध-दर्शन तक ही सीमित न रही। इसका प्रभाव भारत के सभी दर्शनों पर बड़ा गहरा पड़ा। परिणामस्वरूप जैन दर्शन भी उससे अधूरा न रह सका। सिद्धसेन और समन्तभद्र जैसे महान् तार्किकों को पैदा करने का बहुत कुछ श्रेय नागार्जुन को ही है। यह समय पाँचवीं-छठी शताब्दी का है। जैनाचार्यों ने इस युग में महावीर के समय से विन्वरे रूप में चले आते हुए अनेक वादों को स्थिर और मुनिश्चित रूप प्रदान किया। इसलिए यह युग 'अनेकान्त-स्थापन युग' के नाम से पुकारा जा सकता है। इस युग में पाँच प्रसिद्ध जैनाचार्यों हुए हैं। सिद्धसेन और समन्तभद्र के प्रतिनिधि मल्लवादी, सिद्धगणि और पादकेसरी के नाम उल्लेखनीय हैं।

सिद्धसेन :

नागार्जुन ने शून्यवाद का समर्थन किया। शून्यवादियों के अनुसार नित्य न गत है, न पशत् है, न राक्षत् है, न अनुभव। 'ननु एकोटि विनिर्मुक्त' रूप से तत्त्व का वर्णन किया जा सकता है। विचार की पागों की शून्यता को पहचान करने में अग्रगण्य हैं। विचार जिस चीज को पहचान

नववें अध्याय में संवर, उसके साधन और भेद, निर्जरा और उसके गुण, माधक और उनकी मर्यादा पर विशद विवेचन है।

दमवें अध्याय में केवल ज्ञान के हेतु, मोक्ष का स्वरूप, मुक्तात्मा की तब स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है।

तत्त्वार्थ पर टीकाएँ :

तत्त्वार्थ सूत्र पर एक भाष्य मिलता है जो उमास्वाति की अपनी ही रचना है। इसके अतिरिक्त 'सवार्थसिद्धि' नाम की एक संक्षिप्त किन्तु अति महत्वपूर्ण टीका मिलती है। यह टीका आचार्य पूज्यपाद की कृति है जो दो शताब्दी में हुए थे। ये दिगम्बर परम्परा के आचार्य थे। अकलंक ने 'शिववास्तिक' की रचना की। यह टीका बहुत विस्तृत एवं सर्वाङ्गपूर्ण है। जैन के प्रत्येक विषय पर किसी-न-किसी रूप में प्रकाश डाला गया है। यहाँ-कहीं खण्डन-मण्डन की दृष्टि की मुख्यता है। विद्यानन्द कृत 'श्लोकवास्तिक' भी बहुत महत्वपूर्ण टीका है। ये दोनों दिगम्बर परम्परा के अनुयायी थे। इनके अतिरिक्त सिद्धसेन और हरिभद्र ने क्रमशः लघुकाय और लघुकाय वृत्तियों की रचना की। ये दोनों श्वेताम्बर परम्परा के उपासक थे। इन सभी टीकाओं में दार्शनिक दृष्टिकोण ही प्रधान रूप से मिलता है। जैन दर्शन की आगे की प्रगति पर इन टीकाओं का अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। ये टीकाएँ आठवीं-नवीं शताब्दी में लिखी गईं। जिस प्रकार दिङ्नाग के 'प्रमाणसमुच्चय' पर धर्मकीर्ति ने 'प्रमाणवास्तिक' लिखा और उसी को केन्द्रविन्दु मान कर समग्र बौद्ध-दर्शन विकसित हुआ, उसी प्रकार तत्त्वार्थ सूत्र की इन टीकाओं के आसपास जैन दार्शनिक साहित्य का बड़ा विकास हुआ। इन टीकाओं के अतिरिक्त बारहवीं शताब्दी में मलयगिरि ने और चौदहवीं शताब्दी में चिरन्तन मुनि ने भी तत्त्वार्थ पर टीकाएँ लिखीं। अठारहवीं शताब्दी में नवग्रन्थाय शैली के प्रकाण्ड परिणत यशोविजय ने भी अपनी टीका लिखी। दिगम्बर परम्परा के श्रुतसागर, विबुधसेन, योगीन्द्रदेव, योगदेव, लक्ष्मीदेव, अभयनन्दी आदि विद्वानों ने भी तत्त्वार्थ सूत्र पर अपनी-अपनी टीकाएँ लिखी थीं। बीसवीं शताब्दी में पं० मुखलाल जी संघवी आदि

न्यायावतार और वत्सोसियों की रचना की। सम्प्रति तर्क में नयवाद अर्थात् अर्च्छा विवेचन है। उस समय तक नयवाद पर ऐसा सुन्दर ग्रंथ लिखने नहीं लिखा था और आज भी ऐसा दूसरा ग्रन्थ शायद ही हो। यह ग्रन्थ प्राकृत में है। इसमें तीन काण्ड हैं। प्रथम काण्ड में द्रव्याधिक और पर्यायाधिक दृष्टि का सामान्य विचार है। दूसरे काण्ड में द्रव्य और दर्शन पर अर्च्छी चर्चा है। तृतीय काण्ड में गुण और पर्याय अनेकान्त दृष्टि और तर्क के विषय पर अर्च्छा प्रकाश डाला गया है। इन विषयों का संक्षेप में परिचय देना उचित समझ कर निम्नोक्त दृष्टि से थोड़ा-सा विवेचन कर देते हैं।

मूल रूप से दो नय हैं—द्रव्याधिक और पर्यायाधिक। सभी नयों का समावेश इन दो नयों में हो जाता है। जहाँ दृष्टि द्रव्य, सामान्य अथवा अमेदमूलक होती है वहाँ द्रव्याधिक नय कार्य करता है और जहाँ ही पर्याय, विशेष अथवा मेदमूलक होती है वहाँ पर्यायाधिक नय कार्य करता है। हम प्रत्येक तत्त्व का इन दो दृष्टियों में विभाजन कर सकते हैं। तत्त्व का कोई भी पहलू इन दो दृष्टियों का उत्पन्न नहीं हो सकता अर्थात् या तो वह सामान्यात्मक होगा या विशेषात्मक। इन दृष्टियों को छोड़ कर वह कही नहीं जा सकता। निम्नोक्त नये दार्शनिक जगत् में जितना भी भगड़ा होता है वह इन दो दृष्टियों कारण ही होता है। कोई दार्शनिक केवल द्रव्याधिक दृष्टि को ही कुछ मान लेता है तो दूसरा पर्यायाधिक दृष्टि को ही सन्तुष्टि का समझ बैठता है। इन दोनों दृष्टियों का एकान्त आग्रह ही सारे नयों का मूल है। अनेकान्त-दृष्टि दोनों का समान रूप में सम्मान करती है। इस प्रकार की दृष्टि ही सम्यग्दृष्टि है।

इस प्रकार कार्य-कारण-भाव का जो भगड़ा है वह भी अनेकान्तवाद की दृष्टि में समझा जा सकता है। कार्य और कारण का एकान्तभेद मिथ्या है। न्याय, वैशेषिक आदि दर्शन इसी दृष्टि से

१—दार्शनिक परमविविधं दक्षिणोत्तरात् यत्प्रकृतं कल्पितं ।

उत्पत्त्याश्चमद्विद्वद्भगता हृदि दध्यवचनमं तयं ॥

वह मात्र लोक-व्यवहार है।' बुद्धि से विवेचन करने पर हम किसी एक स्वभाव तक नहीं पहुँच सकते। हमारी बुद्धि किसी एक स्वभाव का अवधारण नहीं कर सकती। इसलिए सारे पदार्थ अनभिलाष्य हैं, निःस्वभाव हैं।' इस प्रकार शून्यवाद ने तत्त्व के निषेधपक्ष पर भार दिया। विज्ञानवाद ने विज्ञान पर जोर दिया और कहा कि तत्त्व विज्ञान-आत्मक ही है। विज्ञान से भिन्न वाह्यार्थ की सिद्धि नहीं की जा सकती। जब तक व्यक्ति को विज्ञानमात्रता के साथ एकरूपता का बोध नहीं होता तब तक ज्ञाता और ज्ञेय का भेद बना ही रहता है।' इसके विपरीत नैयायिक, वैशेषिक और मीमांसक वाह्यार्थ की स्वतन्त्र सत्ता सिद्ध करने लगे। सांख्यों ने सत्कार्यवाद का समर्थन किया और कहा कि सब सत् है। हीनयान बौद्धों ने क्षणिकवाद की स्थापना की और कहा कि ज्ञान और अर्थ दोनों क्षणिक हैं। इसके विपरीत मीमांसकों ने शब्द आदि कुछ क्षणिक जैसे पदार्थों को भी नित्य सिद्ध किया। नैयायिकों ने शब्दादि पदार्थों को क्षणिक और आत्मादि पदार्थों को नित्य माना। इस प्रकार भारतीय दर्शन के क्षेत्र में भारी संघर्ष होने लगा। जैन दार्शनिक भी इस अवसर को खोलनेवाले न थे। उन्हें इस संघर्ष से प्रेरणा मिली। अपने मत की पुष्टि के लिए उन्होंने भी इस क्षेत्र में पैर रखा और इनके की चोट सबके सामने आए।

महावीरोपदिष्ट नयवाद और स्याद्वाद को मुख्य आधार बनाकर सिद्धसेन ने अपना कार्य प्रारम्भ किया। सिद्धसेन ने मन्मतितर्क,

१—'चातुष्कोटिकं च महामते ! लोकव्यवहारः'

लंकावतार मूत्र, पृ० १८८

२—'बुद्ध्या विविच्यमानानां स्वभावो नावधार्यते।

तस्मादनभिलाष्यास्ते निःस्वभावाश्च देशिताः ॥

लंकावतार सूत्र, पृ० ११६

३—'यावद् विज्ञप्तिमात्रत्वे विज्ञानं नावनिष्ठते।

ग्राह्यं यस्य विषयस्तावन्नविनिवर्तने।

—त्रिशिका, का० २६०

थीं जैसे भव्य और अभव्य का विभाग, जीवों की संख्या का आदि, उन पर उन्होंने तर्क का प्रयोग करना उचित न समझा उन बातों को यथावत् ग्रहण कर लिया। जो बातें तर्कबल से सिद्ध या असिद्ध की जा सकती थीं उन बातों को उन्होंने श्रद्धापूर्वक तर्क की कमीटी पर कसा।

सिद्धसेन का कथन है कि धर्मवाद दो प्रकार का है—अहेतुवाद। हेतुवाद। भव्याभव्यादिक भाव अहेतुवाद के अन्तर्गत है। सम्पूर्ण ज्ञान, चारित्र्य आदि नियम दुःख का नाश करने वाले हैं इत्यादि हेतुवाद का विषय है। सिद्धसेन का हेतुवाद और अहेतुवाद का विभाग हमें दर्शन और धर्म क्षेत्र का स्मरण कराता है। हेतुवाद पर प्रतिष्ठित है अतः वह दर्शन का विषय है। अहेतुवाद धर्म पर प्रतिष्ठित है अतः वह धर्म का विषय है। इस प्रकार सिद्धसेन ने धर्म रूप से दर्शन और धर्म की मर्यादा का संकेत किया है।

सिद्धसेन ने एक विल्कुल नई परंपरा स्थापित की। यह परंपरा दर्शन और ज्ञान का अभेद। जैनों की आगमिक परंपरा थी मूर्ख दर्शन और ज्ञान को भिन्न मानना। इन परंपरा पर उन्होंने प्रहार और अपने तर्कबल से यह सिद्ध किया कि सर्वज्ञ के दर्शन और कोई भेद नहीं है। सर्वज्ञत्व के स्तर पर पहुँच कर दोनों एक हो जाते हैं।^१ इसके अतिरिक्त अयधि और मनःपर्यय करने का प्रयत्न किया। साथ ही साथ ज्ञान और सिद्ध किया। जैनागमों में प्रसिद्ध नैगमादि सात नयों के स्थान उन्होंने छः नयों की स्थापना की। नैगम को स्वयन्त्र नयन का संग्रह और व्यवहार में गणाविष्ट कर दिया। इतना ही नहीं उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जितने मन्त्र के प्रकार हों

१—सम्प्रति ३ : ४३, ४४

२—अ धनुद्वे भाषो जालाद् पागइ य केवली सिममा ।

तन्ना तं गान् संगणं य अधिमेषो सिद्धं ॥

सांख्य का मत है कि कार्य और कारण में एकान्त अभेद है। कारण ही कार्य है अथवा कार्य कारण रूप ही है। यह अभेद दृष्टि में एकांगी है। सिद्धसेन ने कारण और कार्य का यह विरोध व्यापिक और पर्यायार्थिक दृष्टि के आधार पर दूर किया। द्रव्यात्मिक दृष्टि से कारण और कार्य में कोई भेद नहीं। पर्यायार्थिक दृष्टि में दोनों में भेद है। अनेकान्तवाद मार्ग यही है कि दोनों को सत्य माना जाय। वस्तुतः न कार्य और कारण में एकान्त भेद है और न एकान्त अभेद ही है। यही समन्वय का मार्ग है। असत्कार्यवाद और अत्कार्यवाद ही सम्यग्दृष्टि है।^१

तत्त्वचिन्तन के सम्यक्पथ की व्याख्या करते हुए सिद्धसेन ने आठ बातों पर जोर दिया। इनमें से चार बातें तो वे ही हैं जिन पर स्वयं महावीर ने जोर दिया था। ये चार बातें हैं—द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। इनके अतिरिक्त पर्याप्त, देश, संयोग और भेद पर भी उन्होंने जोर दिया।^२ जैसे द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव में शेष चारों का भी समावेश हो जाता है। किन्तु दृष्टि का और साय-ही-साय पदार्थ का कुछ और अधिक अच्छी तरह विश्लेषण करने के लिए उन्होंने आठ बातों का विवेचन किया।

सिद्धसेन पक्के तर्कवादी थे, इसमें कोई संशय नहीं। इतना ही नहीं, वे यह भी जानते थे कि तर्क का क्षेत्र क्या है। दूसरे शब्दों में वे तर्क की मर्यादा समझते थे। तर्क को सर्वत्र अप्रतिहत-गति समझने की भूल उन्होंने नहीं की। उन्होंने अनुभव को दो क्षेत्रों में बाँट दिया। एक क्षेत्र में तर्क का साम्राज्य था तो दूसरे क्षेत्र में श्रद्धा को पूर्ण स्वतंत्र बना दिया। जो बातें शुद्ध आगमिक

१—जे संतवायदोसे सक्कोलूया भणंति संखारं ।
संखा य असव्वाए तेसि सव्वे वि ते सच्चा ॥
तेउ भयणभणीया सम्मदसणमणत्तरं होंति ।
जं भवदुक्खविमोक्खं दो वि न पूरंति पाडिक्कं ॥

सन्मतितर्क ३ : ५०-५१ ।

२—सन्मतितर्क ३ : ६० ।

तीर्थंकर की स्तुति में किसी न किसी दार्शनिकवाद का स्तुति करना वे नहीं भूले। स्वयम्भूस्तोत्र की तरह युवत्यनुगासन भी इस उत्कृष्ट स्तुतिकाव्य है। इस काव्य में भी यही बात है। स्तुति के वहाने अन्य ऐकान्तिकवादों में दोष दिखाकर स्वसम्मत भगवान् के उपदेशों में गुणों के दर्शन कराना इस काव्य की विशेषता है। यह अयोग्यवच्छेद हुआ। इसके अतिरिक्त भगवान् के उपदेशों में गुण हैं वे अन्य किसी के उपदेश में नहीं, यह निश्चयकर अयोग्यवच्छेद के सिद्धान्त का भी प्रतिपादन किया।

इन स्तोत्रों के अतिरिक्त उनकी एक कृति प्राप्तमीमांसा दार्शनिक दृष्टि से यह श्रेष्ठ कृति है। अहंन्त की स्तुति के प्रसंग लेकर उन्होंने यह ग्रंथ प्रारम्भ किया। अहंन्त की ही स्तुति करने की चाहिए। इस प्रश्न को सामने रखकर उन्होंने प्राप्तमीमांसा की है। प्राप्त कौन हो सकता है, इस प्रश्न को तीन विविध प्रकार की मान्यताओं का विश्लेषण किया है। देवान्, नभोयान, चामरादि विभूतियों की महत्ता की कसौटी का सामना करते हुए यह सिद्ध किया है कि ये बाह्य विभूतियाँ प्राप्त नहीं कर सकती हैं। ये सब चीजें तो मायावी पुरुषों में भी प्राप्त कर सकती हैं। इसी प्रकार शारीरिक श्रद्धियाँ भी आप्त पुरुष महत्ता सिद्ध नहीं कर सकतीं। देवलोकाँ में रहने वाले भी इस प्रकार की श्रद्धियाँ प्राप्त कर सकते हैं। किन्तु वे हमारे समान महान् नहीं हो सकते। इस प्रकार बाह्य प्रदर्शन का महत्त्व हमें ये यहाँ तक पहुँचते हैं कि जो धर्म प्रवर्तक कहे जाते हैं बुद्ध, कपिल, गौतम, कणाद, जैमिनी आदि, क्या उन्हें आप्त माना जाय ? इसके उत्तर में वे कहते हैं कि आप्त वही हो सकता जिसके सिद्धान्त दोषयुक्त न हों, विरुद्ध न हों। सनी धर्म-प्रवर्तक आप्त नहीं हो सकते क्योंकि उनके सिद्धान्त परस्पर-विरुद्ध हैं। किसी एक को ही आप्त मानना चाहिए।

१—शीर्षक इत्याम्यानां च, परस्परविरोधकः ।

मवेगामाप्तता नास्ति, अतिवदेव भवेत् युक्तः ॥

उतने ही नय के प्रकार हो सकते हैं और जितने नयवाद हो सकते हैं उतने ही मत-मतान्तर भी हो सकते हैं ।^१

ज्ञान और क्रिया के ऐकान्तिक आग्रह को चुनौती देते हुए सिद्धसेन ने घोषणा की कि ज्ञान और क्रिया दोनों आवश्यक हैं । ज्ञान-रहित क्रिया उसी प्रकार व्यर्थ है जिस प्रकार क्रिया-रहित ज्ञान निकम्मा है । ज्ञान और क्रिया का सम्यग् संयोग ही वास्तविक सुख प्रदान कर सकता है । जन्म और मरण के दुःख से मुक्ति पाने के लिए ज्ञान और क्रिया दोनों आवश्यक हैं ।^२

न्यायावतार और वत्तीसियों में भी सिद्धसेन ने अपनी मान्यताओं की पुष्टि का पूर्ण प्रयत्न किया है । सिद्धसेन ने सचमुच जैन दर्शन के इतिहास में एक नए युग की स्थापना की ।

समन्तभद्र :

श्वेताम्बर परम्परा में सिद्धसेन का जो स्थान है वही स्थान देगम्बर परम्परा में समन्तभद्र का है । समन्तभद्र की प्रतिभा बलक्षण थी इसमें कोई शंका नहीं । उन्होंने स्याद्वाद की सिद्धि के लिए अथक परिश्रम किया । उनकी रचनाओं का छिपा हुआ लक्ष्य स्याद्वाद ही होता है । स्तोत्र की रचना हो तो क्या और दार्शनिक कृति हो तो क्या—सभी का लक्ष्य एक ही था और वह था स्याद्वाद की सिद्धि । सभी वादों की ऐकान्तिकता में दोष दिखा कर उनका अनेकान्तवाद में निर्दोष समन्वय कर देना समन्तभद्र की ही खूबी थी । स्वयम्भूस्तोत्र में चौबीस तीर्थकरों की स्तुति के वहाने दार्शनिक तत्त्व का क्या ही सुन्दर एवं अद्भुत समावेश किया है । यह स्तोत्र, स्तुतिकाव्य का उत्कृष्ट नमूना तो है ही, साथ ही साथ इसके अन्दर भरा हुआ दार्शनिक चक्रव्य अत्यन्त महत्त्व का है । प्रत्येक

१—जावइया वयणवहा तावइया चैव होंति णयवाया ।

जावइया णयवाया तावइया चैव परसमया ॥

सन्मतितर्क ३ : ४७

२—सन्मतितर्क ३ : ६८

विरोधी वादों को लेकर सप्तभंगी की योजना किस प्रकार हो सके है इसका स्पष्टीकरण समन्तभद्र की विशेषता है।

मल्लवादी :

मल्लवादी सिद्धसेन के समकालीन थे। उनका नाम तो श्रीर ही या किन्तु वाद में कुशल होने के कारण उन्हें मन्त्र पद से विभूषित किया गया और यही नाम प्रचलित भी हो गया उनकी सन्मतितक की टीका बहुत महत्त्वपूर्ण है। यह टीका इम में उपलब्ध नहीं है। उनका प्रसिद्ध एव श्रेष्ठ ग्रन्थ नदचक्र है। इतक के ग्रन्थों में यह एक अद्भुत ग्रन्थ है। तत्कालीन गभी दार्शनिक वादों को सामने रखते हुए उनमें एक वादनाक बनाया। उनका उत्तर-उत्तरवाद, पूर्व-पूर्ववाद का सण्डन करके अपने-अपने को प्रबल प्रमाणित करता है। प्रत्येक पूर्ववाद अपने को सर्वश्रेष्ठ निर्दोष समझता है। वह यह सोचना ही नहीं कि उत्तरवाद भी सण्डन कर सकता है। इतने में तुरन्त उत्तरवाद आता है पूर्ववाद को पछाड़ देता है। अन्तिम वाद पुनः प्रथम वाद पराजित होता है। अन्त में कोई भी वाद अपराजित नहीं जाता। पराजय का यह चक्र एक अद्भुत शृंखला तैयार कर है। कोई भी एकान्तवादी इस चक्र के रहस्य को नहीं सम सकता। एक नटस्थ व्यक्ति ही इस चक्र के भीतर रहनेवाले प्रत्येक वाद की सापेक्षिक गवयना और निवृत्तता मालूम कर सकता है। यह बात तभी हो सकती है जब उसे पूरे चक्र का रहस्य मालूम हो। चक्र नाम देने का उद्देश्य भी यही है कि उन चक्र के भी वाद को प्रथम रखा जा सकता है और अन्त में जाकर अपने अन्तिम वाद का सण्डन कर सकता है। इस प्रकार प्रत्येक वाद का सण्डन ही जाता है। साचार्य का वास्तविक उद्देश्य यही है 'प्रत्येक वाद अपनी-अपनी दृष्टि में सच्चा है, परन्तु ज्योंही यह हो सच्चा है' का आग्रह करता है त्योंही दूसरा वाद आपर व गमाव कर देता है। प्रत्येक वाद की अपनी-अपनी संपन्नता और अपना-अपना क्षय है। यह अपने क्षय में सच्चा है। इस प्रकार

वह एक कौन है ? इसका उत्तर देते हुए समन्तभद्र ने कहा कि
 समें मोहादि दोषों का सर्वथा अभाव है और जो सर्वज्ञ है वही
 ज्ञ है। ऐसा व्यक्ति अर्हन्त ही हो सकता है, क्योंकि अर्हन्त के
 पदेश प्रमाण से वाधित नहीं होते। यह जैन दृष्टि की पूर्व
 मिका है। जैन दर्शन निर्दोष एवं सर्वज्ञ अर्हन्तों की वाणी को ही
 ज्ञप्रणीत मानता है। जो वाणी प्रमाण से वाधित है वह सर्वज्ञ
 की वाणी नहीं हो सकती, क्योंकि सर्वज्ञ की वाणी कभी वाधित
 हीं होती। अवाधित वाणी ही आप्त-वचन है। इस प्रकार के
 आप्तवचन ही प्रमाणभूत माने जा सकते हैं। प्रत्यक्षादि प्रमाण से
 वाधित सिद्धान्तों को आप्तवचन नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार
 वाधित सिद्धान्त ही आप्तत्व की कसौटी है। इस कसौटी को हाथ
 लेकर समन्तभद्र आगे बढ़ते हैं और सभी प्रकार के ऐकान्तिक
 पक्षों में प्रमाण-विरोध दिखाकर अनेकान्तवाद की ध्वजा ऊँची
 प्रकाशते हैं।

एकान्तवाद के दो मुख्य पहलू हैं। एक पक्ष एकान्त सत् का
 प्रतिपादन करता है तो दूसरा पक्ष एकान्त असत् का। एक पक्ष
 अद्वैतवाद का आश्रय लेता है तो दूसरा पक्ष उच्छेदवाद का प्रतिपादन
 करता है। इसी प्रकार नित्यैकान्त और अनित्यैकान्त, भेदैकान्त और
 भेदैकान्त और विशेषैकान्त, गुणैकान्त और द्रव्यैकान्त, सापेक्षैकान्त,
 और निरपेक्षैकान्त, हेतुवादैकान्त और अहेतुवादैकान्त, विज्ञानैकान्त
 और भूतैकान्त, देवैकान्त और पुरुषार्थैकान्त, वाच्यैकान्त और
 अवाच्यैकान्त आदि दृष्टिकोण एकान्तवाद के समर्थक हैं। समन्तभद्र
 आप्तमीमांसा में दो विरोधी पक्षों के ऐकान्तिक आग्रह से उत्पन्न
 होने वाले दोषों को दिखाकर स्याद्वाद की स्थापना की है। स्याद्वाद
 की लक्ष्य में रख कर सप्तभंगी की योजना की है। प्रत्येक दो

१—स त्वमेवासि निर्दोषा, युक्तिशास्त्राविरोधिवाक ।

अविरोधी यदिदं ते, प्रसिद्धेन न बाध्यते ॥

विरोधी वादों को लेकर सप्तभंगी की योजना किस प्रकार हो सकती है इसका स्पष्टीकरण समन्तभद्र की विशेषता है।

मल्लवादी :

मल्लवादी सिद्धसेन के समकालीन थे। उनका नाम तो सुप्रसिद्ध और ही था किन्तु वाद में कुशल होने के कारण उन्हें मल्लवादी पद से विभूषित किया गया और यही नाम प्रचलित भी हो गया। उनकी सन्मत्तितर्क की टीका बहुत महत्त्वपूर्ण है। यह टीका इस ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है। उनका प्रसिद्ध एवं श्रेष्ठ ग्रन्थ नयचक्र है। आर्य समाज के ग्रन्थों में यह एक अद्भुत ग्रन्थ है। तत्कालीन सभी दार्शनिक वादों को सामने रखते हुए उनमें एक वादचक्र बनाया। उस चक्र का उत्तर-उत्तरवाद, पूर्व-पूर्ववाद का खण्डन करके अपने-अपने पक्ष को प्रबल प्रमाणित करता है। प्रत्येक पूर्ववाद अपने-अपने निर्वोप समझता है। वह यह सोचता ही नहीं कि वह भी खण्डन कर सकता है। इतने में तुरन्त उत्तरवाद पूर्ववाद को पछाड़ देता है। अन्तिम वाद पुनः प्रथम वाद पराजित होता है। अन्त में कोई भी वाद अपराजित नहीं जाता। पराजय का यह चक्र एक अद्भुत शृंखला तैयार करता है। कोई भी एकान्तवादी इस चक्र के रहस्य को नहीं समझ सकता। एक तटस्थ व्यक्ति ही इस चक्र के भीतर रहनेवाले प्रत्येक वाद की सापेक्षिक सबलता और निबलता मालूम कर सकता है। यह बात तभी हो सकती है जब उसे पूरे चक्र का रहस्य मालूम हो। चक्र नाम देने का उद्देश्य भी यही है कि उस चक्र के किन्हीं भी वाद को प्रथम रखा जा सकता है और अन्त में जाकर अपने-अपने अन्तिम वाद का खण्डन कर सकता है। इस प्रकार प्रत्येक वाद का खण्डन हो जाता है। आचार्य का वास्तविक उद्देश्य यही है कि प्रत्येक वाद अपनी-अपनी दृष्टि से सच्चा है, परन्तु ज्योंही वह ही सच्चा है' का आग्रह करता है त्योंही दूसरा वाद आकर उस समाप्त कर देता है। प्रत्येक वाद का अपनी-अपनी योग्यता और अपना-अपना क्षेत्र है। वह अपने क्षेत्र में सच्चा है। इस प्रकार

अनेकान्त दृष्टि का आश्रय लेने से ही सभी वाद सुरक्षित रह सकते हैं। अनेकान्त के बिना कोई भी वाद सुरक्षित नहीं। अनेकान्तवाद पर-पर-विरुद्ध प्रतिभाषित होने वाले सभी वादों का निर्दोष मन्वय कर देता है। उस मन्वय में सभी वादों को उचित स्थान प्राप्त हो जाता है। कोई भी वाद वहिष्कृत घोषित नहीं किया जाता। जिस प्रकार वेडले के 'सम्पूर्ण' (Whole) में सारे प्रतिभाषों को अपना-अपना स्थान मिल जाता है उसी प्रकार अनेकान्तवाद में सारे एकान्तवाद समा जाते हैं। इससे यही फलित होता है कि एकान्तवाद सभी तक मिथ्या है जब तक कि वह अपेक्ष है। सापेक्ष होने पर वही एकान्त सच्चा हो जाता है—सम्यक् हो जाता है। सम्यक् एकान्त और मिथ्या एकान्त में यही अंतर है कि सम्यक् एकान्त सापेक्ष होता है जबकि मिथ्या एकान्त निरपेक्ष होता है। नय में सम्यक् एकान्त अच्छी तरह रह सकते हैं। मिथ्या एकान्त दुर्नय है—नयाभास है, इसीलिए वह भूठा है—असम्यक् है।

सिंहगणिका :

सिंहगणिका ने नयचक्र पर १८००० श्लोक की एक बृहत्काय टीका लिखी। इस टीका में सिंहगणिका क्षमाश्रमण की प्रतिभा अच्छी तरह झलकती है। इसमें सिद्धसेन के ग्रन्थों के उद्धरण हैं, किन्तु समन्तभद्र का कोई उल्लेख नहीं। इसी तरह दिङ्नाग और भर्तृहरि के कई उद्धरण हैं, किन्तु धर्मकीर्ति के ग्रन्थों का कोई उद्धरण नहीं। मल्लवादी और सिंहगणिका दोनों श्वेताचर्याचार्य थे।

पात्रकेशरी :

इसी समय एक तेजस्वी आचार्य दिगम्बर परम्परा में हुए जिनका नाम पात्रकेशरी था। इन्होंने प्रमाण-शास्त्र पर एक ग्रन्थ लिखा जिसका नाम 'त्रिलक्षण कदर्थन' है। जिस प्रकार सिद्धसेन ने प्रमाण-शास्त्र पर न्यायावतार लिखा उसी प्रकार पात्रकेशरी ने उक्त ग्रन्थ लिखा। इस ग्रन्थ में दिङ्नाग समर्थित हेतु के त्रिलक्षण का खण्डन किया गया है। अन्यथानुपपत्ति ही हेतु का अव्यभिचारी लक्षण हो सकता है, यह बात त्रिलक्षण कदर्थन में सिद्ध की गई।

है। जैन न्यायशास्त्र में यही लक्षण मान्य है। दुर्भाग्य से यह ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है।

प्रमाणशास्त्र व्यवस्था युग :

दिङ्नाग के विचारों ने भारतीय प्रमाणशास्त्र और न्यायशास्त्र को प्रेरणा दी, यह हम देख चुके हैं। दिङ्नाग बौद्ध तर्कशास्त्र का पिता कहा जा सकता है। दिङ्नाग की प्रतिभा फलस्वरूप ही प्रशस्त, उद्योतकर, कुमारिल, सिद्धसेन, मल्लवार्ध, सिंहगण, पूज्यपाद, समन्तभद्र, ईश्वरसेन, अविद्धवर्ण आदि दार्शनिकों की रचनाएँ हमारे सामने आईं। इन रचनाओं में दिङ्नाग की मान्यताओं का खण्डन था। इसी संघर्ष के युग में धर्मकीर्ति पैदा हुए। उन्होंने दिङ्नाग पर आक्रमण करने वाले सभी दार्शनिकों को करारा उत्तर दिया और दिङ्नाग के दर्शन का नया प्रकाश में परिष्कार किया। धर्मकीर्ति की परम्परा में अर्चक, धर्मोत्तर, शान्तरक्षित, प्रज्ञाकर आदि हुए जिन्होंने उनके पक्ष की रक्षा की। दूसरी ओर प्रभाकर, उम्वेक, व्योमशिव, जयन्त, सुमति, पात्रकेशरी, मंडन आदि बौद्धेतर दार्शनिक हुए जिन्होंने बौद्ध पक्ष का खण्डन किया। इस संघर्ष के फलस्वरूप आठवीं-नवीं शताब्दी में जैनदर्शन के समर्थक अकलंक, हरिभद्र आदि दार्शनिक मैदान में आए।

अकलंक :

जैन-परम्परा में प्रमाणशास्त्र का स्वतंत्र रूप से व्यवस्थित निरूपण अकलंक की ही देन है। दिङ्नाग के समय से लेकर अकलंक तक बौद्ध और बौद्धेतर प्रमाणशास्त्र में जो संघर्ष चलता रहा, उसे ध्यान में रखते हुए जैन प्रमाणशास्त्र का प्राचीन मर्यादा के अनुकूल प्रतिपादन करने का श्रेय अकलंक को है। प्रमाणसंग्रह न्यायविनिश्चय, लघीयस्त्रयी आदि ग्रन्थ इस मत की पुष्टि करते हैं। अनेकान्तवाद के समर्थन में उन्होंने समन्तभद्रकृत आप्तमीमांसा पर अष्टशती नामक टीका लिखी। सिद्धिविनिश्चय में भी उनका यही दृष्टिकोण है।

एकान्त दृष्टि का आश्रय लेने से ही सभी वाद सुरक्षित रह सकते । अनेकान्त के बिना कोई भी वाद सुरक्षित नहीं । अनेकान्तवाद स्पर-विरुद्ध प्रतिभाषित होने वाले सभी वादों का निर्दोष मन्वय कर देता है । उस समन्वय में सभी वादों को उचित स्थान प्त हो जाता है । कोई भी वाद बहिष्कृत घोषित नहीं किया ता । जिस प्रकार वेडले के 'सम्पूर्ण' (Whole) में रे प्रतिभाषों को अपना-अपना स्थान मिल जाता है उमी प्रकार एकान्तवाद में सारे एकान्तवाद समा जाते है । इससे यही फलित ता है कि एकान्त वाद तभी तक मिथ्या है जब तक कि वह रपेक्ष है । सापेक्ष होने पर वही एकान्त सच्चा हो जाता है—म्यक् हो जाता है । सम्यक् एकान्त और मिथ्या एकान्त मे यही है कि सम्यक् एकांत सापेक्ष होता है जबकि मिथ्या एकांत निरपेक्ष ता है । नय में सम्यक् एकान्त अच्छी तरह रह सकते है । मिथ्या कान्त दुर्नय है—नयाभास है, इसीलिए वह भूटा है—असम्यक् है ।

सिंहगण :

सिंहगण ने नयचक्र पर १८००० श्लोक की एक बृह-णय टीका लिखी । इस टीका में सिंहगण क्षमाश्रमण की तिभा अच्छी तरह झलकती है । इसमें सिद्धसेन के ग्रन्थों के द्दरण हैं, किन्तु समन्तभद्र का कोई उल्लेख नहीं । इसी तरह दिङ्नाग और भर्तृहरि के कई उद्धरण हैं, किंतु धर्मकीर्ति के ग्रथ ग कोई उद्धरण नहीं । मल्लवादी और सिंहगण दोनों श्वेता-राचार्य थे ।

पात्रकेशरी :

इसी समय एक तेजस्वी आचार्य दिगम्बर परम्परा में हुए जनका नाम पात्रकेशरी था । इन्होंने प्रमाण-शास्त्र पर एक ग्रन्थ लेखा जिसका नाम 'त्रिलक्षण कदर्थन' है । जिस प्रकार सिद्धसेन ने माण-शास्त्र पर न्यायावतार लिखा उमी प्रकार पात्रकेशरी ने उक्त ग्रन्थ लिखा । इस ग्रन्थ में दिङ्नाग समर्थित हेतु के त्रिलक्षण का खण्डन किया गया है । अन्यथानुपपत्ति ही हेतु का अव्यभिचारी क्षण हो सकता है, यह बात त्रिलक्षण कदर्थन में सिद्ध की गई

इन्द्रियों के पाँच भेदः—स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र ।

नो-इन्द्रिय-ज्ञान के तीन भेदः—अवधि, मनःपर्यय और केवल ।
मतिज्ञान के दो भेद—श्रुतनिश्चित, अश्रुत-निश्चित ।

श्रुतनिश्चित के चार भेदः—अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा ।

अश्रुतनिश्चित ज्ञान के चार भेदः—औत्पत्तिकी, वैतयिकी, कर्मजा और पारिणामिकी ।

परोक्ष—ज्ञान श्रुत-ज्ञान ।

तत्त्वार्थसूत्र और नन्दीसूत्र की परम्परा का समन्वय करके अकलंक ने प्रमाणशास्त्र की व्यवस्था की, यह बात इस विवेचन से स्पष्ट हो जाती है । स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम रूप परोक्ष के पाँच भेदों का मति, संज्ञा, चिन्ता, अभिनिवोष और श्रुत के साथ समन्वय करना उनकी अपनी सूझ है । तत्त्वार्थ-सूत्र में मति, स्मृति, संज्ञा, चिन्ता और अभिनिवोष को एकार्य ही बताया गया है । अकलंक की उपर्युक्त व्यवस्था जैन प्रमाण-शास्त्र में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है । वाद के आचार्य भी प्रायः इसी व्यवस्था का समर्थन करते रहे हैं । न्यायावतार के टीकाकार ने अवश्य इससे भिन्न व्यवस्था का प्रतिपादन किया है, क्योंकि न्यायावतार में प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द ये तीन ही प्रमाण माने गये हैं । इस अपवाद के अतिरिक्त प्रायः सभी श्वेताम्बर और दिगम्बर आचार्य दिगम्बर परम्परा के महान् विद्वान् अकलंक की व्यवस्था का ही समर्थन करते रहे हैं ।

हरिभद्र :

आचार्य हरिभद्र ने प्रमाणशास्त्र पर कोई स्वतन्त्र ग्रंथ तो नहीं लिखा किन्तु अपनी अन्य कृतियों में प्रमाणशास्त्र पर काफी जोर दिया ।

अकलंक ने प्रमाण-व्यवस्था का उपन्यास इस प्रकार किया

- १—प्रमाण के दो भेद—(१) प्रत्यक्ष और (२) परोक्ष ।
- २—प्रत्यक्ष के दो भेद—(१) मुख्य और (२) सांख्यव्यवहारिक
- ३—परोक्ष के पाँच भेद—(१) स्मृति, (५) प्रत्यभिज्ञान, (३) कं, (४) अनुमान, (५) आगम ।
- ४—प्रत्यभिज्ञान (संज्ञा), तर्क (चिन्ता), अनुमान, (अभिबोध), आगम (श्रुत) ।
- ५—मुख्य प्रत्यक्ष के उपभेदः—(१) अवधि, (२) मनःपर्यय, ३) केवल ।
- ६—सांख्यव्यवहारिक प्रत्यक्ष (इन्द्रियानिन्द्रिय प्रत्यक्ष)—मतिज्ञान । यह व्यवस्था आगमों में भी मिलती है । तत्त्वार्थसूत्र में भी भी व्यवस्था का प्रतिपादन है । तत्त्वार्थ की व्यवस्था यों हैः—
- १—ज्ञान (प्रमाण) के पाँच भेदः—(१) मति, (२) श्रुत, ३) अवधि, (४) मनःपर्यय और (५) केवल ।
- २—परोक्ष ज्ञान के दो भेदः—(१) मति और (२) श्रुत ।
- ३—प्रत्यक्ष ज्ञान के तीन भेदः—(१) अवधि, (२) मनःपर्यय ३) केवल ।
- ४—मतिज्ञान के दूसरे नामः—मति, स्मृति, संज्ञा, चिन्ता, भिनिबोध । ये सब इन्द्रियों तथा मनकी सहायता से होते हैं ।
- नन्दीसूत्र की प्रमाण-व्यवस्था में थोड़ा सा परिवर्तन व परिवर्धन । वह इस प्रकार है—
- ज्ञान दो प्रकार का हैः—प्रत्यक्ष और परोक्ष ।
- प्रत्यक्ष तीन प्रकार का हैः—इन्द्रिय और नो-इन्द्रिय और तिज्ञान ।

नामक टीका लिखी। इस प्रकार यह ग्रन्थ-समन्तभद्र, अकलंक और विद्यानन्द तीनों की प्रतिभा से एक अद्वितीय पूर्णकृति बन गई। विद्वानों में इस ग्रन्थ की प्रसिद्धि अष्टसहस्री के नाम से है। विद्यानन्द की शैली है वादी और प्रतिवादी को लड़ा देना और स्वयं दोनों की दुर्वलता का लाभ उठाना।

प्रमाणशास्त्र पर विद्यानन्द का स्वतन्त्र ग्रन्थ प्रमाणपरीक्षा है। जैन-दर्शन प्रतिपादित प्रमाण और ज्ञान के स्वरूप का इसमें अत्यन्त समर्थन है। तत्वार्थसूत्र पर भी उन्होंने श्लोकवार्तिक नामक टीका लिखी, जो शैली और सामग्री दोनों दृष्टियों से उत्तम है। इस टीका में प्रमाण से सम्बन्धित अनेक विषयों पर अच्छी चर्चा है। इन ग्रन्थों के अलावा आप्तपरीक्षा, पत्रपरीक्षा, सत्यशासनपरीक्षा आदि ग्रन्थ भी विद्यानन्द ने लिखे हैं।

इन्हीं के समकालीन एक आचार्य अनन्तकीर्ति हुए हैं, जिन्होंने तत्त्वसर्वज्ञसिद्धि, बृहत्सर्वज्ञसिद्धि और जीवसिद्धि नामक ग्रन्थ बनाए हैं।

शाकटायन और अनन्तवीर्य :

अन्य दार्शनिकों के साथ संघर्ष करते-करते कुछ आचार्य आन्तरिक संघर्ष में भी पड़ गए। श्वेताम्बर और दिगम्बर परम्पराओं की कुछ विचित्र मान्यताओं को लेकर दोनों में संघर्ष होना प्रारम्भ हो गया। अमोधवर्ष के समकालीन (८७१-६३४) शाकटायन ने स्त्रीमुक्ति और केवलिभुक्ति नामक स्वतन्त्र प्रकरणों की रचना की। आगे चल कर इन विषयों पर काफी चर्चा होने लगी। श्वेताम्बर और दिगम्बर मान्यताओं के पारस्परिक खरगडन-भरगडन ने अधिक जोर पकड़ लिया।

अनन्तवीर्य ने अकलंक के सिद्धिविनिश्चय पर टीका लिख कर जैन दर्शन की बहुत बड़ी सेवा की। सिद्धिविनिश्चय को समझने में यह टीका काफी सहायक सिद्ध होती है। अकलंक के सूत्र वाक्यों को ठीक तरह समझने के लिए अनन्तवीर्य का सिद्धिविनिश्चय विवरण अत्यन्त आवश्यक है। अष्टशती पर अष्टसहस्री नामक टीका लिख कर जो कार्य विद्यानन्द ने किया, ठीक वही कार्य अनन्तवीर्य ने सिद्धिविनिश्चय पर 'सिद्धिविनिश्चय विवरण' लिख कर किया।

अनेकान्त जयपताका' लिखकर उन्होंने बौद्ध एवं इतर दार्शनिकों को अपने विचारों का उत्तर दिया और अनेकान्त के स्वरूप को नए रूप में उनके सामने रखा। हरिभद्र ने दिङ्नाग कृत न्यायप्रवेश पर टीका लिखी। इस टीका द्वारा उन्होंने ज्ञान के क्षेत्र में एक नया उदाहरण रखा। उन्होंने यह मिद्ध किया कि ज्ञानमामग्री पर किसी सम्प्रदाय-विशेष या व्यक्ति-विशेष का अधिकार नहीं है। वह तो बहता हुआ जल है जिसमें कोई भी स्नान कर सकता है। साथ-ही-साथ उन्होंने यह भी सूचित किया कि जैन आचार्यों को न्यायशास्त्र की ओर भी कदम बढ़ाना चाहिये।

शास्त्रवातसिमुच्चय, पण्डुदर्शनसमुच्चय आदि ग्रन्थों में हरिभद्र का प्रमाण-शास्त्र पर बहुत कुछ लिखा है। इसके अतिरिक्त उनके षोडशक, अष्टक आदि ग्रन्थ भी महत्वपूर्ण हैं। लोकतत्त्वनिर्णय में समन्वयदृष्टि पर अच्छा प्रकाश डाला गया है। उनकी उदार दृष्टि का परिचय देने के लिए यह ग्रन्थ काफी है। दार्शनिक कृतियों के अतिरिक्त योग पर भी लिखा है, और इस प्रकार उन्होंने चिन्तन के क्षेत्र में जैन परम्परा को एक नई दिशा प्रदान की है। योग-शास्त्र पर वैदिक और बौद्ध साहित्य में जो कुछ लिखा गया उसका जैन दृष्टि से समन्वय करना, हरिभद्र की विशेष देन है। हरिभद्र के पूर्व किसी भी आचार्य ने इस प्रकार का प्रयत्न नहीं किया था। योग-शास्त्र, योगदृष्टि-समुच्चय, योगविशिका, षोडशक आदि ग्रन्थों में ही प्रयत्न किया गया है। धर्मसंग्रहणी उनका प्राकृत का ग्रन्थ है। इसमें जैन-दर्शन का अच्छा प्रतिपादन है। आगमों पर एवं तत्त्वार्थ पर उनकी टीकाएँ महत्वपूर्ण हैं ही।

विद्यानन्द :

आचार्य विद्यानन्द जैनदर्शन के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनकी तार्किक कृतियाँ अद्वितीय हैं। अनेकान्तवाद को दृष्टि में रखते हुए उन्होंने अष्टसहस्री की जो रचना की वह तो अद्भुत ही है। जैनदर्शन के ग्रन्थों में इस प्रकार का ठोस एवं विद्वत्तापूर्ण ग्रन्थ शायद दूसरा नहीं है। समन्तभद्र की आप्तमीमांसा पर अकलंक की जो अष्टशती नाम की टीका थी, उस पर उन्होंने अष्टसहस्री

है। तत्वज्ञान, शब्दशास्त्र, जातिवाद आदि सभी विषयों पर प्रभाकर की कलम चली है। मूलसूत्र और कारिकाओं का तो मात्र आधार है जो कुछ उन्हें कहना था वह किसी न किसी बहाने कह डाला। प्रभाकर की एक विशेषता और है—वह है विकल्पों का जाल फैलाने की। किन्हीं भी प्रश्न को लेकर दस-पन्द्रह विकल्प सामने रख देना तो उनके लिए सामान्य बात थी। उनका समय वि० १०३७ से ११२२ तक का है।

वादिराज प्रभाचन्द्र के समकालीन थे। इन्होंने अकलंककृत नामक द्विनिश्चय पर विवरण लिखा है। ग्रन्थों के उद्धरण देना उनको विशेष पता है। प्रमाणशास्त्र की दृष्टि से यह विवरण महत्वपूर्ण है। जैन जगह अनेकान्तवाद की पुष्टि की गई है और वह भी पर्याप्त मात्रा में।

जिनेश्वर, चन्द्रप्रभ और अनन्तवीर्य :

जिनेश्वर की रचना न्यायावतार पर प्रमालक्ष्म नामक वार्तिक है। इसमें इतर दर्शनों के प्रमाणभेद, लक्षण आदि का खण्डन किया गया है और न्यायावतार-सम्मत परोक्ष के दो भेद स्थिर किए गए हैं। वार्तिक के साथ उसकी स्वोपज्ञ व्याख्या भी है। इसका रचना काल १०६१ आस-पास है।

आचार्य चन्द्रप्रभसूरि ने वि० ११४६ के आस-पास प्रमेयरत्न नामक एक संक्षिप्त ग्रन्थ लिखा। यह ग्रन्थ प्रारम्भिक अभ्यास करने वालों के लिए बहुत काम का है।

इसी समय आचार्य अनन्तवीर्य ने परीक्षामुख पर प्रमेयरत्नमात्र नामक एक संक्षिप्त और सरल टीका लिखी। यह टीका सामान्य स्तर वाले अभ्यासियों के लिए विशेष उपयोगी है। इसमें प्रमेयकमलमात्रा की तरह लम्बे चौड़े विवादों को स्थान न देकर मूल समस्याओं का ही सौम्य भाषा में समाधान किया गया है।

वादी देवसूरि :

प्रमाणशास्त्र पर परीक्षामुख के समान ही एक अन्य ग्रन्थ लिखने वाले वादी देवसूरि हैं। परीक्षामुख का अनुकरण करते हुए भी उन्होंने अपने ग्रन्थ प्रमाणनयतत्त्वालोक में दो नए प्रकरण जोड़े, जो पनीशा

माणिक्यनन्दी, सिद्धार्थ और अभयदेव :

दसवीं शताब्दी में माणिक्यनन्दी ने परीक्षामुख नामक एक न्याय-ग्रन्थ बनाया। यह ग्रन्थ जैन न्यायशास्त्र में प्रवेश करने के लिए बहुत उपयोगी है। इसकी शैली सूत्रात्मक होते हुए भी सरल है। यह ग्रन्थ बाद में लिखे जाने वाले जैन न्यायशास्त्र के कई ग्रन्थों के लिये आदर्श रहा।

इसी समय सिद्धार्थ ने न्यायावतार पर संक्षिप्त और सरल टीका लकी। प्रत्यक्ष और परोक्ष में से परोक्ष के अनुमान और आगम ये दो ही माने गए हैं जो कि अकलंक की परम्परा से भिन्न हैं।

अभयदेव ने सन्मतिटीका की रचना की। इसमें अनेकान्तवाद का पूर्ण विस्तार है। तत्कालीन सभी दार्शनिकवादों का विस्तारपूर्वक विवेचन किया गया है। यह तत्कालीन दार्शनिक ग्रन्थों का निचोड़ है। अनेकान्तवाद की स्थापना के अतिरिक्त प्रमाण, प्रमेय आदि विषयों पर भी अच्छी चर्चा की गई है। इस तरह उन्होंने प्रमाणशास्त्र की प्रतिष्ठा में भी अपना हाथ बटाया है।

प्रभाचन्द्र और वादिराज :

प्रमेयकमलमार्तण्ड और न्यायकुमुदचन्द्र ये दो ग्रन्थ प्रमाणशास्त्र के महत्वपूर्ण ग्रन्थ हैं। प्रमेयकमलमार्तण्ड, माणिक्यनन्दी कृत परीक्षामुख पर एक बृहत्काय टीका है। प्रमाणशास्त्र से सम्बद्ध सभी विषयों पर प्रकाश डाल कर प्रभाचन्द्र ने इस ग्रन्थ को उत्कृष्ट कोटि में रख दिया है। स्त्रीमुक्ति और केवलिकवलाहार का खण्डन करके दिगम्बर परम्परा की रक्षा का पूरा प्रयत्न किया है। शाकटायन और अभयदेव द्वारा दिए गए श्वेताम्बर पक्ष के हेतुओं का विस्तार से खण्डन किया है।

न्यायकुमुदचन्द्र लघुग्रन्थ पर टीका रूप से लिखा गया ग्रन्थ है। इसमें भी मुख्य रूप से प्रमाणशास्त्र की चर्चा है। इतना होते हुए भी इसमें प्रायः प्रत्येक दार्शनिक विषय पर पूरा प्रकाश डाला गया है। वास्तव में देखा जाय तो प्रभाचन्द्र के ग्रन्थों की शैली प्रमाणशास्त्र के अनुरूप है, किन्तु सामग्री की दृष्टि से उनमें प्रत्येक विषय का समावेश

अलंकार, काव्य, चरित्र, न्याय आदि प्रत्येक विषय पर विद्वत्तापूर्ण ग्रन्थ लिखे हैं। व्याकरण शास्त्र पर उनका ग्रन्थ सिद्धहेमव्याकरण ही है। कोश की दृष्टि से अभिधानचिन्तामणि बहुत महत्वपूर्ण है। छन्द, अलंकार और काव्य पर छन्दोनुशासन, काव्यानुशासन आदि ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं।

प्रमाणशास्त्र पर आचार्य हेमचन्द्र का प्रमाणमीमांसा ग्रन्थ महत्वपूर्ण है। इसमें पहले सूत्र है और फिर उन पर स्वोपज्ञ व्याख्या है। इस ग्रन्थ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह सूत्र और व्याख्या दोनों को मिलाकर भी मध्यमकाय है। यह न तो परीक्षामुक्त और प्रमाणतत्त्वालोक जितना संक्षिप्त ही है और न प्रमेयकमलमार्तण्ड और स्याद्वा-रत्नाकर जितना विगल ही है। इसमें न्यायशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों का मध्यम प्रतिपादन है। इस ग्रन्थ को समझने के लिए न्यायशास्त्र की पूर्वभूमिका अत्यन्त आवश्यक है। इस समय यह ग्रन्थ पूर्ण उपलब्ध नहीं है। जिस समय यह पूर्ण उपलब्ध होगा उस समय जैन न्यायशास्त्र का गौरव में बहुत कुछ अभिवृद्धि होगी।

इसके अतिरिक्त हेमचन्द्र की अयोगव्यवच्छेदिका और अन्ययो व्यवच्छेदिका नामक दो द्वात्रिंशिकाएँ भी हैं। इनमें से अन्ययोगव्यवच्छेदिका पर मल्लिपेण ने स्याद्वादमंजरी नामक टीका लिखी है, जो शैली और सामग्री दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। हेमचन्द्र की मृत्यु वि० १२२८ में हुई।

अन्य दार्शनिक :

बारहवीं शताब्दी में हुए शान्त्याचार्य ने न्यायावतार पर स्वोप टीका सहित वार्तिक लिखा। इसमें उन्होंने अकलंक द्वारा स्यादि प्रमाण के भेदों का खण्डन किया है और न्यायावतार की परम्परा पुनः स्थापित किया है। यह ग्रन्थ पं० दलसुख मालवणिया द्वारा सम्पादित होकर भारतीय विद्याभवन-बम्बई से 'सिध्दी ग्रन्थमाला' में प्रकाशित हुआ है।

स्याद्वादरत्नाकर को समझने में सरलता ही, इस दृष्टि से व देवसूरि के ही शिष्य रत्नप्रभसूरि ने—जिन्होंने स्याद्वादरत्नाकर के ले

मुख में नहीं थे। एक प्रकरण तो नयवाद पर है, जिसका भाषिकव्यचन्द्र ने अपने ग्रन्थ में समावेश नहीं किया। यह सातवाँ प्रकरण जैन न्यायशास्त्र के पूर्ण ज्ञान के लिए अत्यन्त आवश्यक है। इस सातवें प्रकरण के अतिरिक्त प्रमाणनयतत्त्वालोक में आठवाँ प्रकरण वादविद्या पर है। इस दृष्टि से परोक्षामुख की अपेक्षा यह ग्रन्थ कहीं अधिक उपयोगी है। वादी देवसूरि इतना ही करके सन्तुष्ट न हुए, अपितु, उन्होंने इसी ग्रन्थ पर स्वोपज्ञ टीका भी लिखी। यह टीका स्याद्वादरत्नाकर के नाम से प्रसिद्ध है। इस बृहत्काय टीका में उन्होंने दार्शनिक समस्याओं का उस समय तक जिनका विकास हुआ, सबका समावेश किया। प्रभाचन्द्रकृत श्रीमुक्ति और केवलिकवलाहार की चर्चा का श्वेताम्बर दृष्टि से उत्तर देने से भी वे न चूके। इतना ही नहीं, अपितु, कहीं-कहीं तो उन्होंने अन्य दार्शनिकों के आक्षेपों का उत्तर बिलकुल नये ढंग से दिया। इस तरह वादी देवसूरि अपने समय के एक श्रेष्ठ दार्शनिक थे, इसमें कोई संशय नहीं। इनका समय वि० ११४३ से १२२६ तक है।

हेमचन्द्र :

आचार्य हेमचन्द्र का जन्म वि० सं० ११४५ की कार्तिकी पूर्णिमा के दिन ग्रहमदावाद के समीप धन्धुका ग्राम में हुआ। इनका बाल्यकाल का नाम चंगदेव था। इनके पिता शैवधर्म के अनुयायी थे और माता जैनधर्म पालती थीं। आगे जाकर ये देवचन्द्रसूरि के शिष्य बने और इनका नाम सोमचन्द्र रखा गया। देवचन्द्रसूरि अपने शिष्य के गुणों पर बहुत प्रसन्न थे और साथ ही साथ सोमचन्द्र की विद्वत्ता की धाक भी मानते थे। वे अपने जीवन काल में ही सोमचन्द्र को आचार्य पद पर प्रतिष्ठित करना चाहते थे। वि० सं० ११६६ की वैशाख शुक्ला तृतीया के दिन सोमचन्द्र को नागौर में आचार्यपद प्रदान किया गया। सोमचन्द्र के शरीर की प्रभा और कान्ति सुवर्ण के समान थी, अतः उनका नाम हेमचन्द्र रखा गया। यह उनके नाम का इतिहास है।

आचार्य हेमचन्द्र की प्रतिभा बहुमुखी थी, यह उनकी कृतियों को देखने से स्पष्ट मालूम हो जाता है। कोई ऐसा महत्वपूर्ण विषय न था, जिस पर उन्होंने अपनी कलम न चलाई हो। व्याकरण, कोश, छन्द,

नव्य न्याययुग :

तत्त्वचिन्तामणि नामक न्याय के ग्रन्थ से न्यायशास्त्र का एक नव्य अध्याय प्रारम्भ होता मिथिला में पैदा होने तत्त्वचिन्तामणि नवीन परिभाषा और नूतन शैली में लिखा गया एक अद्भुत ग्रन्थ है। इसका विषय न्यायसम्मत प्रत्यक्षादि चार प्रमाण हैं। इन चारों प्रमाणों की मिथि के लिए गंगेश ने जिस परिभाषा, तर्क और शैली का प्रयोग किया वह न्यायशास्त्र के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी शक्ति थी। न्याय के शुष्क और नीरस विषय में एक नये रस का संचार करने देना और उसे आकर्षण की वस्तु बना देना, सामान्य बात नहीं थी। गंगेश ने जिस नूतन और सरस शैली को जन्म दिया वह शैली उत्तरे उत्तर बढ़ती ही गई। चिन्तामणि के टीकाकारों ने इस नवीन न्याय पर उतनी ही महत्वपूर्ण टीकाएँ लिखीं कि इस ग्रन्थ के साथ एक नये युग की स्थापना हो गई। न्यायशास्त्र प्राचीन और नवीन न्याय में विभक्त हो गया। यहीं से नवीन न्याय का प्रारम्भ होता है। इस युग के इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि सभी दार्शनिक अपने-अपने दर्शन को नवीन न्याय की भूमिका पर परिष्कृत करने लगे। इस शैली का अनुसरण करके जितने भी ग्रन्थ बने उनका दर्शन के इतिहास में बहुत महत्व है। प्रत्येक दर्शन के लिए यह आवश्यक हो गया कि यदि वह जीवित रहना चाहता है तो नवीन न्याय की शैली में अपने पक्ष की स्थापना करे। इतना होते हुए भी जैनदर्शन के आचार्यों का ध्यान इस ओर बहुत नहीं गया। सत्रहवीं शताब्दी के अन्त तक जैनदर्शन प्राचीन परम्परा और शैली के चक्कर में ही पड़ा रहा। जहाँ अन्य दर्शन नवीन सज्ज के साथ रंगमंच पर आ चुके थे, जैनदर्शन पर्दे के पीछे ही अंगड़ाई कर रहा था। यशोविजय ने अठारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में जैनदर्शन को नया प्रकाश दिया। इसी प्रकाश के साथ जैनदर्शन के इतिहास में एक नये युग का प्रारम्भ होता है।

वि० सं० १६६६ में ग्रहमदावाद के जैनसंघ ने आचार्य नयविजय और यशोविजय को काशी भेजा। आचार्य नयविजय यशोविजय के सु

भी सहायता दी थी—अवतारिका बनाई। यह ग्रन्थ रत्नाकराव-
रिका नाम से प्रसिद्ध है। ग्रन्थ की भाषा विषयक आडम्बरता ने इसे
द्वादरत्नाकर से भी कठिन बना दिया। इतना होते हुए भी इस ग्रन्थ
इतना प्रभाव पड़ा कि स्याद्वादरत्नाकर का पठन-पाठन प्रायः बन्दसा
गया। सभी लोग इसी से अपना काम निकालने लगे। इसका परि-
णाम यह हुआ कि आज स्याद्वादरत्नाकर जैसे महत्वपूर्ण ग्रन्थ की एक
सम्पूर्ण प्रति उपलब्ध नहीं है।

आचार्य हेमचन्द्र के शिष्य रामचन्द्र और गुणचन्द्र ने मिलकर द्रव्या-
कार-नामक दार्शनिक कृति का निर्माण किया।

चन्द्रसेन ने वि० सं० १२०७ में उत्पादादिसिद्धि की रचना की। इस
ग्रन्थ में उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य रूप वस्तु का समर्थन किया गया है।
हेतु का यह लक्षण जैनदर्शन की विशिष्ट परम्परा है।

पड़दर्शन-समुच्चय पर वि० सं० १३८६ में सोमतिलक ने एक टीका
लिखी। दूसरी टीका गुणरत्न ने लिखी जो अधिक उपादेय बनी। यह
का पन्द्रहवीं शताब्दी में लिखी गई।

इसी शताब्दी में मेरुतुंग ने पड़दर्शननिर्णय नामक ग्रन्थ लिखा।
जशेखर ने पड़दर्शनसमुच्चय, स्याद्वादकलिका, रत्नाकरावतारिका-
जिका आदि ग्रन्थ लिखे। इसके अतिरिक्त उन्होंने प्रशस्तपाद भाष्य की
टीका कन्दली पर पंजिका लिखी। ज्ञानचन्द्र ने रत्नाकरावतारिका-
जिकाटिप्पण लिखा। भट्टारक धर्मभूषण ने न्यायदीपिका लिखी, जो
न न्यायशास्त्र का प्रारम्भिक ग्रन्थ है।

साधुविजय ने सोलहवीं शताब्दी में वादविलयप्रकरण और हेतु-
गण्डन नामक दो ग्रन्थ लिखे।

अकलंक और हरिभद्र से प्रारम्भ होने वाला यह युग प्रमाणशास्त्र
के स्थापना एवं विकास के क्षेत्र में निरन्तर बढ़ता रहा। इस युग में
निदर्शन और जैन प्रमाणशास्त्र पर एक से एक श्रेष्ठ ग्रन्थ बने। दार्श-
निक भूमिका पर जैन परम्परा को प्रतिष्ठित करना एवं उसके गौरव
को बढ़ाना, यह इस युग की विशेष देन है। यह देन जैनदर्शन के स्थायित्व
के लिये अत्यन्त उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है।

सम्पादन एवं अनुसन्धान-युग :

यशोविजय की परम्परा किसी न किसी रूप में बीसवीं शताब्दी तक चलती रही। कुछ लोग छोटी-मोटी टीका-टिप्पणियाँ लिखते रहे, किन्तु कोई ऐसा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ कि एक नई परम्परा बन पड़ती। इधर २५-३० वर्षों से सम्पादन एवं अनुसन्धान की एक नई परम्परा चली है, जिस पर भारतीय दर्शनशास्त्र और पश्चिम के ज्ञान-विज्ञान का पूरा प्रभाव पड़ा है। पाश्चात्य शिक्षण पद्धति के साथ ही साथ हमारी दृष्टि में बहुत कुछ परिवर्तन भी हुआ। हम अपने प्राचीन वाङ्मय को नई दृष्टि से देखने लगे। प्राचीन ग्रन्थों के प्रामाणिक नोट-करणों पर जोर देने लगे। मुद्रण की सुविधा से इस कार्य में विशेष प्रेरणा मिली। प्राचीन ग्रन्थों को शुद्ध रूप से लोगों के सामने रखने के साथ ही साथ उन ग्रन्थों का ऐतिहासिक अन्वेषण, टिप्पणियाँ, पाठानु-तुलनात्मक विवेचन, उद्धरण आदि बातों पर भी विद्वानों का ध्यान गया। इस प्रकार से विविध सम्पादन के कार्य प्रारम्भ हुए। इनके अतिरिक्त प्राचीन सामग्री नए ढंग से किस प्रकार दुनिया के सामने आए, इस पर भी विद्वानों का ध्यान गया। इसका परिणाम यह हुआ कि प्राचीन ग्रन्थों के आधार पर नवीन भाषा और नूतन शैली में नए ढंग के मौलिक ग्रन्थों का निर्माण होने लगा। यह कार्य अनुसन्धान के अन्तर्गत ही आता है। इस प्रकार आधुनिक युग सम्पादन एवं अनुसन्धान के क्षेत्र में प्रगति की ओर बढ़ रहा है। इन दोनों दिशाओं में जैनदर्शन ने कितनी प्रगति की है, इसका संक्षिप्त परिचय यहाँ अनुपयुक्त न होगा। एतद्विषय मुख्य-मुख्य ग्रन्थों का विवरण ही पर्याप्त होगा।

इस युग में सम्पादन और अनुसन्धान की धारा प्रारम्भ करने वाले श्रेय पं० सुखलाल जी मंघवी को दिया जाय तो अनुचित न होगा। उनका सर्वप्रथम कार्य कर्मग्रन्थों का चार भागों में विवेचन है, जो सन् १९७४ में लिखा गया। यह कार्य हिन्दी में ही हुआ। उसके अलावा उन्होंने प्रतिक्रमण का हिन्दी विवेचन लिखा। इसके बाद योगदर्शन और योगविज्ञान नामक ग्रन्थ की प्रस्तावना हिन्दी में लिखी। उन्होंने वैदिक, बौद्ध और जैन मान्यता के अनुसार योग का तुलनात्मक विवेचन किया है। इस प्रकार की तुलना शायद आज तक किसी ने

, इसलिए दोनों साथ आए। विद्या का पवित्र धाम काशी उस समय हिन्दु के क्षेत्र में प्रसिद्ध था। यहाँ आकर यशोविजय ने भारतीय दर्शन-शास्त्र का गम्भीर अध्ययन किया। साथ ही साथ अन्य शास्त्रों का भी परिचय प्राप्त किया। इनके परिचय एवं प्रतिभा से प्रभावित हो इन्हें साय-विशारद की पदवी प्रदान की गई।

पाँच-सौ वर्ष की जैनदर्शन की क्षति को यदि किसी ने पूरा किया तो वे यशोविजय ही थे। इन्होंने घड़ाघड़ जैनदर्शन पर ग्रन्थ लिखने प्रारम्भ किए। अनेकान्त-व्यवस्था नामक ग्रन्थ नव्यन्याय की शैली में लिखकर अनेकान्तवाद की पुनः प्रतिष्ठा की। प्रमाणशास्त्र पर जैनतर्कशास्त्र और ज्ञानविन्दु लिखकर जैन-परम्परा का गौरव बढ़ाया। नय पर नयप्रदीप, नयरहस्य और नयोपदेश आदि ग्रन्थ लिखे। नयोपदेश पर नयामृततरंगिणी नामक स्वोपज्ञ टीका भी लिखी। इसके अतिरिक्त अष्ट-सहस्री पर अपना विवरण लिखा। हरिभद्रकृत शास्त्रवार्तासमुच्चय पर स्याद्वादकल्पलता नामक टीका भी लिखी। इस प्रकार अष्ट-सहस्री और शास्त्रवार्तासमुच्चय को नया रूप मिला। भाषारहस्य, अभाषारहस्य, वादरहस्य आदि अनेक ग्रन्थों के अलावा न्यायखण्डरवाद्य और न्यायालोक लिखकर नवीन शैली में ही नैयायिकादि दार्शनिकों की मान्यताओं का खण्डन भी किया।

दर्शन के अतिरिक्त योगशास्त्र, अलंकार, आचारशास्त्र आदि से सम्बन्ध रखने वाले ग्रन्थ लिखे। संस्कृत के अतिरिक्त प्राचीन गुजराती आदि भाषाओं में भी उन्होंने काफी लिखा है। इस तरह अकेले यशो-विजय ने ही जैन-साहित्य का बहुत बड़ा उपकार किया है। जैन-वाङ्मय का गौरव बढ़ाने में उन्होंने कुछ भी उठा न रखा। जैनदर्शन की परम्परा की सम्मानवृद्धि में उन्होंने अपना पूर्ण योग दिया। उनका यह कार्य इतिहास एवं दर्शन के पन्नों में अमर रहेगा।

यशोविजय के अतिरिक्त इस युग में यशस्वत्सागर ने सप्तपदार्थी, प्रामाण्यवादार्थ, वादार्थनिरूपण, स्याद्वादमुक्तावली, आदि दार्शनिक ग्रन्थ लिखे। विमलदास ने सप्तभंगी-तरंगिणी की रचना नव्य न्याय की शैली में की।

जो वैदिक और श्रौपनिपदिक उद्धरणों से समलंकित है। इस प्राचीन पंडित जी का सम्पादन और अनुसंधान कार्य एक दृष्टि से पूरे भारतीय दर्शनशास्त्र पर हुआ है। जैनदर्शन का तुलनात्मक अध्ययन करते ही नवीन दिशा का निर्माण कर उन्होंने भारतीय वाङ्मय की बहुत बड़ी सेवा की है।

इस क्षेत्र में पंडित जी की परम्परा के निभाने वाले दो और बड़े व्यक्ति हैं—पं० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य एवं पं० दलसुख मालवणिया। पं० महेन्द्रकुमार जी के सम्पादकत्व में प्रमेयकमलमार्तण्ड न्यायकुमुदचन्द्र, न्यायविनिश्चयविवरण, तत्त्वार्थ की श्रुतसागरी टीका आदि कई ग्रन्थ प्रकाशित हुए। प्रमेयकमलमार्तण्ड जैन प्रमाणशास्त्र का उत्कृष्ट ग्रन्थ है। पंडितजी ने इसका सम्पादन तुलनात्मक दृष्टि आदि देकर किया है। इस ग्रन्थ के सम्पादन में काफी परिश्रम करना पड़ा है। इसी प्रकार न्यायकुमुदचन्द्र का सम्पादन भी काफी महत्वपूर्ण है। इन दोनों बृहत्काय ग्रन्थों की प्रस्तावनाएँ ऐतिहासिक एवं दार्शनिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण हैं। न्यायविनिश्चयविवरण में अकलंक के मूल और वादिराज के विवरण की अन्य दर्शनों के साथ तुलना की गई है। प्रस्तावना में सम्पादक ने स्याद्वाद सम्बन्धी अनेक भ्रमों के निरस्त का सफल प्रयत्न किया है। तत्त्वार्थ की श्रुतसागरी टीका की प्रस्तावना में अनेक दार्शनिक एवं अन्य विषयों की विशद चर्चा की गई है। उक्त लोकवर्णन और भूगोल भाग विशेष महत्व का है। इस भाग में जैन बौद्ध और ब्राह्मण परम्परा के मन्तव्यों की तुलना की गई है।

पं० दलसुख मालवणिया द्वारा सम्पादित न्यायावतार-वार्तिक-वृत्ति जैन न्याय का प्राचीन एवं महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। इसकी मूल कारिकाएँ सिद्धसेनकृत हैं और उन पर पद्यबद्ध वार्तिक और उसकी गद्य वृत्ति दोनों शान्त्याचार्य कृत हैं, जैसा कि हम पहले लिख चुके हैं। सम्पादक पं० दलसुख मालवणिया ने इसकी विस्तृत भूमिका में आगमयुग से लेकर एक हजार वर्ष तक के जैनदर्शन के प्रमाण-प्रमेय विषयक चिन्तन एवं विकास का ऐतिहासिक व तुलनात्मक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण विवरण दिया है। ग्रन्थ के अन्त में विद्वान् सम्पादक ने अनेक

। उनके तत्त्वार्थसूत्र का विवेचन हिन्दी और गुजराती दोनों भाषाओं प्रकाशित हो चुका है। यह विवेचन भी पंडित जी की वेजोड़ कृति। इन सब विषयों में पंडित जी से पहले किसी ने कुछ नहीं लिखा था। होंने खुद अपने अध्यक्षताय व अध्ययन-बल से अपना मार्ग बनाया।

उपर्युक्त कार्य आगे आने वाले महान् कार्य सन्मतितर्क के उद्धार। मूलका मात्र है। उन्होंने सटीक सन्मतितर्क के सम्पादन का कार्य गारा में प्रारम्भ किया। यह कार्य करते-करते बीच ही में वि० सं० १७ में गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में दर्शनशास्त्र के अध्यापक के रूप में उनकी नियुक्ति हो गई। अतएव पंडित जी ने पं० बेचरदास जी सहयोग से यह कार्य बही रह कर पूर्ण किया। सन्मतितर्क मूल में बड़ा ग्रन्थ नहीं है, किन्तु उसकी टीका दर्शन का महार्णव ही है। इतनी ने उस ग्रन्थ में आने वाले उद्धरणों का मूलस्थान खोजा। ना ही नहीं, अपितु ग्रन्थ के पूर्वोत्तर पक्षों को अन्य दार्शनिक ग्रन्थों से काल कर लिखा। इतने ही से उन्हें सन्तोष न हुआ। टिप्पणों में एक वाद के हेतुओं का इतिहास खोजने वालों के लिए भी उन्होंने पूरा सामग्री दी। सचमुच उनका यह ग्रन्थ भारतीय दर्शनशास्त्र का स्वकोष (Encyclopaedia) है। ग्रन्थ की प्रस्तावना भी बहुत हृत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त मूलग्रन्थ का संक्षिप्त विवेचन भी गुजराती और अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ है। पंडित जी का यह कार्य सचमुच जैन-दर्शन के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जायगा। इस कार्य से पंडित जी ने न केवल जैनदर्शन का ही उपकार किया है, अपितु भारतीय दर्शन का भी महान् उपकार किया है।

इस ग्रन्थ का सम्पादन पूरा करते ही वे वि० सं० १९६० में काशी विश्व-विद्यालय में आए और यहीं रह कर प्रमाण-मीमांसा का पांडित्यपूर्ण सम्पादन किया। इसके अतिरिक्त ज्ञानविन्दु का सम्पादन भी इसी समय किया। इन दोनों ग्रन्थों की प्रस्तावनाओं में पंडित जी ने प्रमाण-शास्त्र पर महत्त्वपूर्ण तुलनात्मक सामग्री प्रदान की है। इसके बाद उन्होंने चार्वाकदर्शन के एकमात्र उपलब्ध ग्रन्थ तत्त्वोपप्लव का सम्पादन किया। तत्पश्चात् उन्होंने बौद्ध दर्शन के ग्रन्थ हेतुविन्दु का सम्पादन किया। इसी बीच उन्होंने वेदवाद-द्वात्रिंशिका का हिन्दी विवेचन लिखा

ज्ञान होता है। आचार्य हेमचन्द्रकृत प्रमाणमीमांसा का अनुवाद डा० सातकौड़ी मुकर्जी और डा० नथमल टांटिया ने किया है। अनुवाद बहुत अच्छा बन पड़ा है। इसके अतिरिक्त डा० मुकर्जी की एक पुस्तक और प्रकाशित हुई है जिसका नाम है The Jaina Philosophy of Non-absolutism. इस पुस्तक में अनेकान्तवाद का तुलनात्मक विवेचन है। सामग्री व भाषा दोनों दृष्टियों से पुस्तक श्रेष्ठ है। मुनि लब्धिसूरि ने द्वादशारण्यचक्र का सम्पादन किया है। आचार्य आत्मारामजी का 'जैनागमों में स्याद्वाद' भी स्याद्वाद-विषयक आगमिक उद्धरणों का अच्छा संग्रह है।


डा० नथमल टांटिया की पुस्तक Studies in Jaina Philosophy जैनदर्शन पर आधुनिक ढङ्ग की अद्वितीय पुस्तक है। इस पुस्तक जैनदर्शन के इतिहास में ही नहीं, भारतीय दर्शन के इतिहास में भी एक विशेष स्थान रखती है। इसमें अनेकान्त, ज्ञान, अविद्या, कर्म तथा योग पर विद्वत्तापूर्ण विवेचन किया गया है। इसकी शैली बहुत रोचक है। लेखक का अध्ययन विशाल तथा अनेकांगी है। विवेचन स्पष्ट तथा निष्पक्ष है। अंग्रेजी में श्री चंपतराय श्री जुगमंदिरलाल आदि की पुस्तकों भी साधारण कोटि के पाठकों के लिए उपयोगी सिद्ध हुई हैं।

मुनि पुण्यविजय जी ने आगम तथा साहित्य पर बहुत काज किया है। उन्होंने लीम्बड़ी, पाटन, बड़ोदा, जैसलमेर आदि के भण्डारों को सुव्यवस्थित किया है। सम्पादन-संशोधन के निम्न उपयोगी अनेक हस्तलिखित प्रतियों को सुलभ बनाया है। अनेक महत्वपूर्ण संस्कृत एवं प्राकृत के ग्रन्थों का संपादन भी किया है। स० १९५० के प्रारम्भ में उन्होंने जैसलमेर पहुँचकर अनेक महत्वपूर्ण ग्रन्थों का उद्धार किया। सैकड़ों प्राचीन ग्रन्थों के फोटो भी लिए।

आधुनिक युग की प्रवृत्ति का इतना-सा विवरण काफी है आज के बौद्धिक युग में इस प्रकार की प्रवृत्तियों के बिना जैन

विषयों पर टिप्पण लिखे हैं। भारतीय दर्शन के तुलनात्मक अध्ययन के लिए इनका विशेष महत्व है। ये ग्रन्थ भारतीय विद्या-गणन-वम्बई से प्रकाशित हुए हैं। पं० मालवगियाजी की दूसरी कृति अणुधरवाद है। यह ग्रन्थ गुजरात विद्यासभा-अहमदाबाद की ओर प्रकाशित हुआ है। उक्त ग्रन्थ विशेषावश्यक भाष्य के एक भाग के आधार से गुजराती भाषा में लिखा गया है। इसका मूल पाठ असलमेर भंडार की सबसे प्राचीन प्रति के आधार से तैयार किया गया है। इसकी प्रस्तावना तुलनात्मक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इन ग्रन्थों के अतिरिक्त जैनसंस्कृति संशोधन मंडल बनारस से प्रकाशित आगमयुग का अनेकान्तवाद, जैन आगम, जैनदार्शनिक साहित्य का सिंहावलोकन आदि पुस्तकों लेखक की विद्वत्तापूर्ण छोटी-छोटी कृतियाँ हैं।

प्रो० ए० एन० उपाध्ये द्वारा सम्पादित प्रवचनसार और प्रो० ए० चक्रवर्ती द्वारा अनूदित एवं सम्पादित समयसार भी विशेष महत्व रखते हैं। प्रवचनसार की लम्बी प्रस्तावना ऐतिहासिक एवं दार्शनिक दृष्टियों से भी विशेष महत्वपूर्ण है। यह प्रस्तावना अंग्रेजी में है। समयसार की भूमिका जैनदर्शन के महत्वपूर्ण विषयों से परिपूर्ण है। डा० हीरालाल जैन ने पड़खण्डागम धवला-टीका के सभी भागों का सम्पादन कर लिया है। पं० दरवारीलाल कोटिया कृत आप्तपरीक्षा का हिन्दी अनुवाद भी एक अच्छी कृति है। पूज्यपादकृत तत्त्वार्थ-सूत्र की सर्वार्थसिद्धि टीका का संक्षिप्त संस्करण पं० चैनसुखदासजी ने तैयार किया है और इसका सम्पादन किया है सी० एस० मल्लिनाथ ने। इस संस्करण की जो सबसे बड़ी विशेषता है वह है अन्त में दिये गए एक सी छः पृष्ठ के अंग्रेजी टिप्पण। ये टिप्पण विद्वत्तापूर्ण हैं तथा बड़े परिश्रम से तैयार किए गए हैं। प्रारम्भ में भूमिका भी काफी अच्छी लिखी गई है। भारतीय पुरातत्व के सुप्रसिद्ध विद्वान् डा० विमलाचरण ला ने कुछ जैनसूत्रों के विषय में लेख लिखे। उनका संग्रह Some Canonical Jaina Sutras के नाम से रॉयल ऐशियाटिक सोसायटी की वम्बई शाखा की ओर से प्रकाशित हुआ है। इन लेखों से जैनसूत्रों के अध्ययन की दिशा का



दर्शन की धारा का प्रवाह अविच्छिन्न रूप से बहता रहे, यह संभव है। प्रत्येक युग की एक विशिष्ट देन होती है। जो धारा उस देन से लाभ उठा सकती है वही आगे के युग में जीवित रह सकती है। प्रत्येक युग का संस्कार लिये बिना वह आगे नहीं बढ़ सकती। यद्यपि उसकी मौलिक प्रवृत्ति वही रहती है तथापि युग की परिवर्तित परिस्थिति एवं प्रवृत्ति का प्रभाव उस पर अवश्य पड़ता है और यही प्रभाव उसे विविध रूपों में ढालता रहता है। उस प्रभाव का सामयिक उपयोग करने वाली विचारधारा हमेशा नूतन सन्देश देती रहती है। उसके सन्देश का आकार हमेशा बदलता रहता है, केन्तु उसका अंतरंग हमेशा एक-सा रहता है।

टिप्पणी— प्रस्तुत ग्रन्थ की पाण्डुलिपि तैयार होने के बाद जैनदर्शन पर कुछ ग्रन्थ और प्रकाशित हुए हैं। निम्नलिखित ग्रन्थ विशेष उल्लेखनीय हैं—

१—जैनदर्शन—प० महेन्द्रकुमार न्यायाचार्य

२—Outlines of Jaina Philosophy. —M.L. Mehta

३—Jaina Psychology —M.L. Mehta



जैन दर्शन में तत्त्व
 जैन दृष्टि से लोक
 सत् का स्वरूप
 द्रव्य और पर्याय
 भेदाभेदवाद
 द्रव्य का वर्गीकरण
 आत्मा का स्वतन्त्र अस्तित्व
 आत्मा का स्वरूप
 ज्ञानोपयोग
 दर्शनोपयोग
 संसारी आत्मा
 पुद्गल
 अणु
 स्कन्ध
 पुद्गल का कार्य
 पुद्गल और आत्मा
 धर्म
 अधर्म
 आकाश
 अद्वासमय

जैन दृष्टि से लोक

विश्व के सभी दर्शन किसी न किसी रूप में लोक का इस-समझने का प्रयत्न करते हैं। दार्शनिक खोज के पीछे प्रायः एक ही हेतु होता है और वह हेतु है सम्पूर्ण लोक। कोई भी दार्शनिक धारा क्यों न हो, वह विश्व का स्वरूप समझने के लिए ही निरन्तर बढ़ती रहती है। यह ठोक है कि कोई धारा किसी एक पहलू पर फीस भार देती है और कोई किसी दूसरे पहलू पर। पहलुओं के भेद के कारण हुए भी सबका विषय लोक ही होता है। सारे पहलू लोक के भाग ही होते हैं। दूसरे शब्दों में विभिन्न पहलू व समस्याएँ लोक की ही समस्याएँ होती हैं। जिसे हम लोग लोकोत्तर समझते हैं वह वास्तव में लोक ही है। लोक को समझने के लिए विभिन्न विभिन्न होते हैं उतनी ही विभिन्न दार्शनिक उत्पन्न होती रहती हैं।

जैन दर्शन में लोक का स्वरूप इस प्रकार बताया गया है—

गीतम—भगवन् ! लोक क्या है ?

महावीर—गीतम ! लोक पंचास्तिकाय रूप है। पंचास्तिकाय ये है : धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवाग्निपुद्गलास्तिकाय^१।

भगवतीसूत्र का उपर्युक्त संवाद यह बताता है कि पंचास्तिकाय ही लोक है। यहाँ एक प्रश्न उठ सकता है कि महावीर ने लोक के स्वरूप में काल की गणना क्यों नहीं की ? जैन दर्शन अन्य कई ग्रन्थों में काल का स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकृत किया गया है, ऐसी दशा में महावीर ने लोक का स्वरूप बताते समय काल को पृथक् क्यों नहीं गिनाया ? स्वयं भगवतीसूत्र में ही अन्यत्र काल की स्वतन्त्र रूप से गणना की गई है^२, तो फिर उपरोक्त संवाद काल को स्वतन्त्र रूप से क्यों नहीं गिनाया ?

इसका समाधान यही हो सकता है कि यहाँ पर काल स्वतन्त्र द्रव्य न मानकर जीवद्रव्य और अजीवद्रव्य दोनों

१—भगवतीसूत्र १३/४/४८१

२—२५/२; २५/४

जैन दर्शन में तत्त्व

आदर्शवाद और यथार्थवाद की दृष्टि से विचार किया जाय तो हि कहा जा सकता है कि जैन दर्शन यथार्थवादी है। यद्यपि उसका यथार्थवादो दृष्टिकोण किसी सीमा तक आदर्शवाद के बहुत समीप पहुँच जाता है, किन्तु तात्त्विक दृष्टि से जैन दर्शन यथार्थवाद का ही समर्थन करता है। जैन दर्शन सत् रूप से एकत्व का प्रतिपादन करता है। जैन दर्शन सत् रूप से अनेकत्व का समर्थन करता है। इस प्रकार जैन दर्शन मूल में एकता मानता है किन्तु वह एकता अनेकताश्रित है। अनेकता के अभाव में एकता की कल्पना करता, जैन दर्शन को कदापि अभीष्ट नहीं। आध्यात्मिक और भौतिक उभय तत्त्व सत् हैं इसलिए वे एक हैं। दोनों में स्वभावभेद है इसलिए वे अनेक हैं। इस प्रकार एकता और अनेकता, आध्यात्मिकता और भौतिकता, चैतन्य और जड़त्व आदि अनेक दृष्टियों से जैन दर्शन की भूमिका समझने का प्रयत्न ही सच्ची दृष्टि है। इन सब दृष्टियों का यथार्थवाद से क्या साम्य है? इनकी आदर्शवाद से कितनी समानता है? दोनों सीमाओं का क्या क्षेत्र है? ये सब बातें आगे स्पष्ट हो जाएँगी।

लिए भाष्यकार ने सत् शब्द का प्रयोग किया है। सांख्य प्रकृति और पुरुष इन दो को ही तत्त्व मानता है।

इस पृष्ठभूमि को समझ लेने के बाद हम तत्त्व के स्वरूप को और बढ़ते हैं। यह हम जानते हैं कि जैन दर्शन तत्त्व और सत् को एकार्थक मानता है। द्रव्य और सत् में भी कोई भेद नहीं है, यह बात उमास्वाति के 'सत् द्रव्यलक्षणम्' इस सूत्र से सिद्ध होती है। सर्वार्थसिद्धि और श्लोकवार्तिक में यह सूत्र स्वतन्त्र रूप से उक्त होता है। किन्तु राजवार्तिक में यह बात उन्धान में ही कही गई है। तत्त्वार्थभाष्य में उपरोक्त सूत्र भाव-रूप से लिखा गया है। पृष्ठ में हो, उमास्वाति सत् और द्रव्य को एकार्थक मानते थे। 'द्रव्य का क्या लक्षण है? इसके उत्तर में उमास्वाति ने कहा कि द्रव्य का लक्षण सत् है। जो सत् है वही द्रव्य है। जो द्रव्य है वह अवश्य सत् है। सत् और द्रव्य का यह सम्बन्ध तादात्म्य सम्बन्ध है। दूसरे शब्दों में सत् और द्रव्य एक है। तत्त्व को चाहे सत् कहिए, चाहे द्रव्य कहिए। सत्ता सामान्य की दृष्टि से सब सत् है। जो सत् है वह सत् अवश्य है, क्योंकि जो सत् नहीं है वह है कैसे? अतः जो असत् है वह भी असत् रूप से सत् है, अन्यथा वह असत् कहेंगे, होगा, क्योंकि यदि असत् सत् न होकर असत् है तो वह सत् हो जायगा। दूसरे शब्दों में सत् ही असत् हो सकता है, क्योंकि असत् सत् का निषेध है। सर्वथा असत् की कल्पना हो ही नहीं सकती। जिसकी कल्पना नहीं हो सकती उसका असत् रूप से ज्ञान कैसे हो सकता है? जिसका ज्ञान नहीं हो सकता वह सत् है या असत्? निर्णय भी नहीं किया जा सकता। इसलिये जो कुछ है वह सत् है। जो सत् है वही अन्य रूप से असत् हो सकता है। इसी दृष्टिकोण से सांगने रखते हुए यह कहा गया है कि सब एक है, क्योंकि सब सत् है। इसी बात को दीर्घतमा ऋषि ने 'एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति' सत् तो एक है किन्तु विद्वान् उसका कई प्रकार में बोलते

१—तत्त्वार्थ सूत्र ५/२६

२—'मयमेकं नदविशेषात्'—तत्त्वार्थभाष्य, १/३५

३—अग्नेद १/१६४/४६

न्तर्गत मान लिया गया है। जीव और अजीव-चेतन और अचेतन
 वस्तुओं का स्वरूप-वर्णन परिवर्तन के बिना अपूर्ण है। परिवर्तन का
 सरा नाम वर्तना भी है। वर्तना प्रत्येक द्रव्य का आवश्यक एवं
 अनिवार्य गुण है। वर्तना के अभाव में द्रव्य एकान्त रूप से नित्य
 हो जाएगा। एकान्त नित्य पदार्थ अर्थ क्रिया नहीं कर सकता।
 कार्यक्रियाकारित्व के अभाव में पदार्थ असत् है। ऐसी स्थिति में
 वर्तना—परिणाम—क्रिया—परिवर्तन द्रव्य का आवश्यक धर्म है।
 प्रत्येक द्रव्य स्वभाव से ही परिवर्तनशील है, अतः कालको स्वतन्त्र
 द्रव्य मानने की कोई आवश्यकता नहीं। दूसरी बात यह मालूम
 होती है कि भगवतीमूत्र के उपर्युक्त संवाद में अस्तिकाय की दृष्टि
 में लोक का विचार किया गया है। जहाँ पर काल की स्वतन्त्र सत्ता
 विकृत की गई है वहाँ उसे अस्तिकाय नहीं कहा गया है। इसलिए
 महावीर ने पंचास्तिकाय में काल की पृथक् गणना नहीं की।
 काल-विषयक प्रश्न के ये दो समाधान हो सकते हैं। जहाँ पर
 काल की पृथक् गणना की गई है वहाँ पर छः द्रव्य गिनाये गए हैं।
 इन द्रव्यों का स्वरूप समझने से पहले हम तत्त्व का अर्थ समझ लें
 तो अच्छा रहेगा। तत्त्व का सामान्य अर्थ समझ लेने पर तत्त्व के
 भेद रूप द्रव्यों का स्वरूप समझना ठीक होगा।

जैनाचार्य सत्, तत्त्व, अर्थ, द्रव्य, पदार्थ, तत्त्वार्थ, आदि शब्दों का
 प्रयोग प्रायः एक ही अर्थ में करते रहे हैं। जैन दर्शन में तत्त्व-
 सामान्य के लिए इन सभी शब्दों का प्रयोग हुआ है। अन्य दर्शनों में इन
 शब्दों का एक ही अर्थ में प्रयोग हुआ ही, ऐसा नहीं मिलता।
 वैशेषिकमूत्र में द्रव्यादि छः को पदार्थ कहा है^१, किन्तु अर्थसंज्ञा
 द्रव्य, गुण और कर्म इन तीन पदार्थों की ही रखी गई है।^२ सत्ता
 के समवाय सम्बन्ध से द्रव्य, गुण और कर्म इन तीनों को ही सत्
 कहा गया है^३। न्यायमूत्र में आनेवाले प्रमाणादि सोलह तत्त्वों के

१—१/१/४

२—८/०/३

३—१/१/८

परिवर्तन-सूचक । किसी भी वस्तु के दो रूप होते हैं—एकता और अनेकता, नित्यता और अनित्यता, स्थायित्व और परिवर्तन, सत्त्व और विसदृशता । इनमें से प्रथम पक्ष ध्रौव्य सूचक है—गुणयुक्त है । द्वितीय पक्ष उत्पाद और व्यय सूचक है—पर्याय सूचक है । वस्तु के स्थायित्व में एकरूपता होती है, स्थिरता होती है । परिवर्तन में पूर्व रूप का विनाश होता है, उत्तर रूप होती है । वस्तु के विनाश और उत्पाद में व्यय और उत्पन्न हुए भी वस्तु सर्वथा नष्ट नहीं होती और न सर्वथा नष्ट होती है । विनाश और उत्पाद के बीच एक प्रकार की स्थिरता रहती है, जो न तो नष्ट होती है और न उत्पन्न । यह स्थिरता या एकरूपता है वही ध्रौव्य है—नित्यता है । इसी 'सद्भावाव्यय' कहते हैं । यही नित्य का लक्षण है ।^१ आचार्य कुन्द ने द्रव्य की व्याख्या इस प्रकार की :—जो अपरिवर्त्यक स्वरूप वाला है, उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य युक्त है, गुण और पर्याययुक्त वही द्रव्य है ।^२ द्रव्य और सत् एक ही है इसलिए यही लक्षण का भी है । तत्त्वार्थ के उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्त सत् 'गुण-पर्याय-द्रव्यम्' और 'सद्भावाव्ययं नित्यम्' इन तीनों सूत्रों को एक गाथा में बाँध दिया । सत्ता का लक्षण बताते हुए अन्यत्र भी वह यही बात लिखी है ।^३ इस प्रकार जैन दर्शन में सत् एकान्तत्व नित्य या अनित्य नहीं माना गया है । वह कथंचित् नित्य है और कथंचित् अनित्य है । गुण अथवा अन्वय की अपेक्षा से वह नित्य है और पर्याय की दृष्टि से वह अनित्य है । कूटस्थ नित्य होने उसमें तनिक भी परिवर्तन नहीं हो सकता और सर्वथा अनित्य ।

१—तत्त्वार्थसूत्र ५।३०

२—अपरिचित्तसहावेणुप्पादव्ययध्रौव्यसंयुतं ।

गुणवं चसपञ्चाय, जं तं दव्यंति बुच्चंति ॥

—प्रथमसंसार २।३

३—सत्ता सव्यपपत्त्या, सविस्तरूपा अणंतपञ्चाया ।

भंगुप्पादपुयत्ता, मण्डियनता ह्यदि एक्का ॥

—पंचास्तिकाय, भा० ८

ते हैं—ऐसा कहा। स्थानांगसूत्र में इसी सिद्धान्त को दूसरी तरह समझाया गया है। वहाँ पर 'एक आत्मा' और 'एक लोक' की बात कही गई है^१। जैन दर्शन की यह मान्यता अद्वैत आदर्शवाद के अन्तर्गत समीप पहुँच जाती है। अन्तर इतना ही है कि अद्वैतवाद की पारमार्थिक सत्ता स्वीकृत नहीं करता, जब कि जैन-दर्शन को भी उसी प्रकार यथार्थ और सत् मानता है जिस प्रकार कि भेद को। हेगल और ब्रेडले के आदर्शवाद और जैन-दर्शन की इस मान्यता में और अधिक समानता है, क्योंकि वे भेद की मिथ्या नहीं कहते। आध्यात्मिकता और भौतिकता का भेद ही पर भी भेद की दीवार खड़ी कर ही देता है। तथापि नदृष्टि और हेगल और ब्रेडले की दृष्टि में काफी समानता है। नदृष्टि से जीव और अजीव दोनों समान रूप से सत् हैं। न जीव जीव हो सकता है और न अजीव जीव बन सकता है। दोनों सत् हैं, किन्तु दोनों भिन्न स्वभाव वाले होकर ही सत् हैं। सत्ता उनका स्वभाव-भेद दूर नहीं कर सकती, क्योंकि स्वभाव-भेद ही सत् है—यथार्थ है—पारमार्थिक है। तत्त्व, जड़ और चेतन उभय रूप में सत् है। जड़ और चेतन को छोड़कर सत्ता नहीं रह सकती।

सत् का स्वरूप :

सत् के स्वरूप का विश्लेषण करते हुए तत्त्वार्थसूत्रकार ने कहा कि सत् उत्पाद, व्यय और ध्रौव्ययुक्त है^२ आगे जाकर इसी बात को, 'गुण और पर्यायवाला द्रव्य है'^३ इस प्रकार कहा। उत्पाद और व्यय के स्थान पर पर्याय आया और ध्रौव्य के स्थान पर गुण। उत्पाद और व्यय परिवर्तन के सूचक हैं। ध्रौव्य नित्यता की सूचना देता है। गुण नित्यता-वाचक है और पर्याय

१—स्था० १११, ४

२—५१२६

३—५१३७

द्रव्य माना गया है और विशेष लक्षण के रूप में जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य माने गए हैं।^१ वाचक उमास्वाति आगमिक मान्यता को दर्शन के स्तर पर लाए और उन्होंने द्रव्य को सत् कहा। उनके दृष्टि में सत् और द्रव्य में कोई भेद न था। आगम की मान्यता के अनुसार भी सत् और द्रव्य में कोई भेद नहीं है किन्तु इस सिद्धन्त का आगमकाल में सुस्पष्ट प्रतिपादन न हो सका। उमास्वाति के दार्शनिक पुट देकर इसे स्पष्ट किया।

'सत्' शब्द का अर्थ वाचक ने अन्य परम्पराओं से भिन्न रखा। न्यायवैशेषिक आदि वैदिक परम्पराएँ सत्ता को कूटस्थ नित्य मानती हैं। इन परम्पराओं के अनुसार सत्ता सर्वदा एकरूप रहती है। उनमें तनिक भी परिवर्तन की सम्भावना नहीं रहती। जो परिवर्तन होती है वह सत्ता नहीं हो सकती। दूसरे शब्दों में नैयायिक और वैशेषिक सत्ता को सामान्य नामक एक भिन्न पदार्थ मानते हैं, जो सर्वदा एकरूप रहता है, जो कूटस्थ नित्य है, जिसमें किन्तु भी परिवर्तन नहीं होता। उमास्वाति ने सत् को केवल नित्य ही माना, अपितु परिवर्तनशील भी माना। उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य तीनों का अविरोधी सम्बन्ध ही सत् का लक्षण है। उत्पाद और व्यय अनित्यता के सूचक हैं तथा ध्रौव्य नित्यता का सूचक है। नित्यता का लक्षण कूटस्थ नित्य न होकर तदभावाव्यय है। तदभाव का क्या अर्थ है, इसे स्पष्ट करते हुए कहा कि जो अपने भाव को न तो वर्तमान में छोड़ता है और न भविष्य में छोड़ेगा, वह नित्य है और वही तदभावाव्यय है।^२ उत्पाद और व्यय के बीच में जो हमेशा रहता है, वह तदभावाव्यय है। सत्ता नामक कोई भिन्न पदार्थ नहीं है, जो हमेशा एक सा रहता है। वस्तु स्वयं ही त्रयात्मक है। तत्त्व स्वभाव से ही उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य युक्त हैं। पदार्थ स्वयं सत् है। सत्ता सामान्य के सम्बन्ध से सत् मानने में अनेक दोषों का सामना करना पड़ता है। जो सत् है वही पदार्थ है क्योंकि जो सत्

१—'प्रवितेतिगए दध्वे, धितेगिए जीयदध्वे धजीयदध्वे य-पू० १२३

२—'यत् मनो भावात्त एवेति न ध्येयति, तन्नित्यम्।

इसमें थोड़ी सी भी एकरूपता नहीं रह सकती। ऐसी दशा में वस्तु नित्य और अनित्य उभयात्मक होनी चाहिए। जैनदर्शन-सम्मत यह लक्षण अनुभव से अव्यभिचारी है।

जैन दर्शन सदसत्कार्यवादी है, अतः वह उत्पाद की व्याख्या इस प्रकार करता है :—स्वजाति का परित्याग किए बिना भावान्तर का ग्रहण करना उत्पाद है। मिट्टी का पिण्ड घटपर्याय में परिणत होता हुआ भी मिट्टी ही रहता है। मिट्टीरूप जाति का परित्याग किए बिना घटरूप भावान्तर का जो ग्रहण है, वही उत्पाद है। इसी प्रकार व्यय का स्वरूप बताते हुए कहा गया है कि स्वजाति का परित्याग किए बिना पूर्वभाव का जो विगम है, वह व्यय है। घट की उत्पत्ति में पिण्ड की आकृति का विगम व्यय का उदाहरण है। पिण्ड जब घट बनता है तब उसकी पूर्वाकृति का व्यय हो जाता है। इस व्यय में मिट्टी वही बनी रहती है। केवल आकृति का नाश होता है। मिट्टी की पर्याय परिवर्तित हो जाती है, मिट्टी वही रहती है। अनादि पारिणामिक स्वभाव के कारण वस्तु का सर्वथा नाश न होना ध्रुवत्व है। उदाहरण के लिए पिण्डादि अवस्थाओं में मिट्टी का जो अन्वय है वह ध्रौव्य है।^१ इन तीनों दशाओं के जो उदाहरण दिए गए हैं वे केवल समझने के लिए हैं। मिट्टी, पेशा मिट्टी ही रहे, यह आवश्यक नहीं। जैन दर्शन पृथ्वी आदि परमाणुओं को नित्य नहीं मानता। परमाणु एक अवस्था को छोड़कर दूसरी अवस्था को ग्रहण कर सकता है। जड़ और चेतन का जो विभाग है, जीव का भव्य और अभव्य सम्बन्धी जो विभाग है, वह नित्य कहा जा सकता है।

सत् और द्रव्य को एकार्थक मानने की परम्परा पर दार्शनिक चिन्ता का प्रभाव मालूम होता है। जैन आगमों में सत् शब्द का अर्थ द्रव्य के लक्षण के रूप में नहीं हुआ है। वहाँ द्रव्य को ही सत्त्व कहा गया है और सत् के स्वरूप का सारा वर्णन द्रव्य-वर्णन के रूप में रखा गया है। अनुयोगद्वारा सूत्र में तत्त्व का सामान्य लक्षण

व्यक्ति कभी भिन्न भिन्न उपलब्ध नहीं हैं ।^१ तथापि दोनों स्वतन्त्र एवं एक दूसरे से अलग-थलग हैं।

चौथा पक्ष भेदविशिष्ट अभेद का है। इसके दो भेद हो जाते हैं। एक के मत से अभेद प्रधान रहता है और भेद गौण हो जाता है। उदाहरण के लिए रामानुज का विशिष्टाद्वैत लीजिए। रामानुज के मत से तीन तत्त्व अन्तिम और वास्तविक है—अचित्, चित् और ईश्वर। ये तीन तत्त्व "तत्त्वत्रय" के नाम से प्रसिद्ध हैं। यद्यपि वे तत्त्व समानरूप से सत् एवं वास्तविक हैं तथापि अचित् और चित् ईश्वराश्रित हैं। यद्यपि वे अपने आप में द्रव्य हैं किन्तु ईश्वर के सम्बन्ध की दृष्टि से वे उसके गुण हो जाते हैं। वे ईश्वर-शरीर माने जाते हैं और ईश्वर उनकी आत्मा है। इस प्रकार ईश्वर चित् चिद्विशिष्ट है। चित् और अचित् ईश्वर के शरीर का निर्माण करते हैं और तदाश्रित हैं^२। इस मत के अनुसार भेद की सत्ता आवश्यक रहती है किन्तु अभेदाश्रित होकर। अभेद प्रधानरूप से रहता है और भेद तदाश्रित होकर गौण रूप से। भेद का स्थान स्वतन्त्र न होकर अभेद पर अवलम्बित है। भेद परतंत्र होता है और अपने स्वतंत्र भेद अभेद की दया पर जोता है। उसका स्वतंत्र अस्तित्व मान्य नहीं होता। भेद और अभेद को भिन्न मानने वाला पक्ष दोनों को स्तंत्र रूप से सत् मानता है, जब कि उपर्युक्त पक्ष अभेद को प्रधान मान कर भेद को गौण एवं पराश्रित बना देता है। इन दोनों दृष्टि में अभेद का विशेष महत्त्व रहता है। भेद की मानता तो है किन्तु इसलिए कि वह अभेद के आधार पर टिका हुआ है।

जैन दृष्टि इससे भिन्न है। भेद और अभेद का सत्ता समानरूप जैन दर्शन की विशिष्ट देन है। जब हम भेदाभेदवाद की व्याख्या करते हैं तो उसका अर्थ होता है—भेदविशिष्ट अभेद और अभेदविशिष्ट भेद। भेद और अभेद दोनों समानरूप से सत् हैं।

१—पयुगमिद्वानामापायापारभूतानां प्रहमत्पयेतुः सम्बन्धः स समानः ।
—स्यादाश्रमं गती, का

२—'अर्थ परमपुरुषेण गवात्मना ।


—द्वौ भाष्य २. ६

ने और फिर भी पदार्थ हो, यह परस्पर विरोधी बात है। जो सत् असत् है वह सत्ता के सम्बन्ध से भी सत् नहीं हो सकता, सत् गगनारविन्द। सत् और असत् से भिन्न कोई ऐसी कोटि नहीं, जिसमें पदार्थ रखा जा सके। इसलिए द्रव्य न स्वतः सत् है, न स्वतः असत् है, किन्तु सत्ता के सम्बन्ध से सत् है, यह कहना ठीक नहीं। द्रव्य सत् होकर ही द्रव्य हो सकता है। जो सत् न हो वह द्रव्य नहीं हो सकता। सत्ता नामक कोई ऐसा पदार्थ उपलब्ध नहीं होता जिसके सम्बन्ध से द्रव्य सत् होता हो। कदाचित् ऐसा पदार्थ मान भो लिया जाय, फिर भी समस्या हल नहीं हो सकती, क्योंकि उस पदार्थ का खुद का अस्तित्व खतरे में है। वह स्वतः सत् है या नहीं? यदि वह स्वतः सत् है तो यह सिद्धान्त कि 'पदार्थ सत्ता के सम्बन्ध से ही सत् होता है' खण्डित हो जाता है। यदि वह स्वतः सत् नहीं है और उसकी सत्ता के लिए किसी अन्य सत्ता की आवश्यकता रहती है तो अनवस्था दोष का सामना करना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में यही अच्छा है कि प्रत्येक पदार्थ को स्वभाव से ही सत् माना जाय और सत् और पदार्थ में कोई भेद न माना जाय।

द्रव्य और पर्याय :

द्रव्य शब्द के अनेक अर्थ होते हैं उनमें से सत्, तत्त्व अथवा पदार्थ-परक अर्थ पर हम विचार कर चुके हैं। जैन साहित्य में द्रव्य शब्द का प्रयोग सामान्य के लिए भो हुआ है। जाति अथवा सामान्य को प्रकट करने के लिए द्रव्य और व्यक्ति अथवा विशेष को प्रकट करने के लिए पर्याय शब्द का प्रयोग किया जाता है।

द्रव्य अथवा सामान्य दो प्रकार का है—तिर्यक् सामान्य और ऊर्ध्वता सामान्य। एक ही काल में स्थित अनेक देश में रहने वाले अनेक पदार्थों में जो समानता की अनुभूति होती है वह तिर्यक् सामान्य है। जब हम कहते हैं कि जीव और अजीव दोनों सत् है, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय आदि द्रव्य हैं, तब हमारा अभिप्राय तिर्यक् सामान्य से है। जब हम कहते हैं कि जीव दो प्रकार का है—संसारी और सिद्ध। संसारी जीव के पांच भेद है—एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रियादि। पुद्गल चार प्रकार का है—स्कन्ध, स्कन्धदेश, स्कन्ध-



३—द्वितीय भूमिका में इन्द्रियजनः : : : :
 अन्दर समावेश किया गया । तृतीय भूमि : : : :
 सा परिवर्तन ही गया । इन्द्रियजन्य : : : :
 परोक्ष दोनों में स्थान दिया गया । इदः : : : :


द्वन्द्व अमेद वास्तविक है ठीक उसी प्रकार भेद वास्तविक है । तत्त्व । दृष्टि से जो स्थान अमेद का है, ठीक वहाँ स्थान भेद का है । और अमेद दोनों इस ढंग से मिले हुए हैं कि एक के बिना दूसरे उपलब्ध नहीं हो सकती । वस्तु में दोनों का अविच्छेद समन्वय । जहाँ भेद है वहाँ अमेद है और जहाँ अमेद है वहाँ भेद है । और अमेद किसी समन्वय विशेष से जुड़े हों, ऐसी बात नहीं । वे तो स्वभाव से ही एक दूसरे से मिले हुए हैं । प्रत्येक पदार्थ स्वभाव से ही सामान्य-विशेषात्मक है—भेदाभेदात्मक है—नित्या-नित्यात्मक है । जो सत् है वह भेदाभेदात्मक है । प्रत्येक पदार्थ सामान्य-विशेषात्मक है । वस्तु या तत्त्व को केवल भेदात्मक कहना ठीक नहीं, क्योंकि कोई भी भेद अमेद के बिना उपलब्ध नहीं होता । अमेद को मिथ्या या कल्पना मात्र कहना काफी नहीं जब तक कि वह किसी प्रमाण से मिथ्या सिद्ध न हो । प्रमाण का आधार अनुभव है और अनुभव अमेद को मिथ्या सिद्ध नहीं करता । इसी प्रकार एकान्त अमेद को मानना भी ठीक नहीं क्योंकि जो दोप एकान्त भेद में है वही दोप एकान्त अमेद में भी है । भेद और अमेद को दो स्वतंत्र पदार्थ मानना भी ठीक नहीं, क्योंकि वे भिन्न-भिन्न उपलब्ध नहीं होते और उनको जोड़ने वाला कोई अन्य पदार्थ भी उपलब्ध नहीं होता । उनको जोड़ने वाला पदार्थ होता है, ऐसा मान लिया जाय, फिर भी दोप से मुक्ति नहीं मिल सकती क्योंकि उसको जोड़ने के लिए एक अन्य पदार्थ की आवश्यकता होगी और इस तरह अनवस्था दोप का प्रसंग उपस्थित होगा । ऐसी दशा में वस्तु स्वयं ही भेदाभेदात्मक है, ऐसा मानना ही ठीक होगा । तत्त्व कथंचित् सदृश है, कथंचित् विरूप-विसदृश है, कथंचित् वाच्य है, कथंचित् अवाच्य है, कथंचित् सत् है, कथंचित् असत् है । ये जितने भी धर्म हैं वस्तु के अपने धर्म हैं । इन धर्मों का कहीं बाहर से समन्वय स्थापित नहीं होता है । वस्तु स्वयं सामान्य और विशेष है, भिन्न और अभिन्न है, एक और अनेक है, नित्य और क्षणिक

१—स्यान्नाशि नित्यं सदृशं विरूपं, वाच्यं न वाच्यं सदसत्तदैव ।

का सीधा सा दिग्दर्शन है। ज्ञान को प्रारम्भ में ही पाँच भागों में वि-
 करके मतिज्ञान के अवग्रहादि प्रभेद करना बहुत प्राचीन परिपाटी
 इसी परिपाटी का दिग्दर्शन भगवतीसूत्र में है। द्वितीय भूमिका
 दार्शनिक चिन्तन का प्रभाव है और साथ ही साथ शुद्ध जैन
 की छाप भी है। सर्वप्रथम ज्ञान को प्रत्यक्ष और परोक्ष में वि-
 किया गया। यह विभाग बाद के जैनताकिकों द्वारा भी मान्य हुआ।
 इस विभाग के पीछे वैशद्य और अवैशद्य की भूमिका है। वैशद्य
 आधार आत्मप्रत्यक्ष है और अवैशद्य का आधार इन्द्रिय और
 जन्य ज्ञान है। जैन दर्शन की प्रत्यक्ष और परोक्ष सम्यन्धी व्या-
 इसी आधार पर है। अन्य दर्शनों की प्रत्यक्ष-विषयक मान्यता
 जैन दर्शन की प्रत्यक्ष-विषयक मान्यता में यही अन्तर है कि
 दर्शन आत्मप्रत्यक्ष को ही वास्तविक प्रत्यक्ष मानता है, जब
 अन्य दर्शन इन्द्रियजन्यज्ञान को भी प्रत्यक्ष मानते हैं। अर्थात्
 मनःपर्ययज्ञान और केवलज्ञान प्रत्यक्ष के भेद हैं। क्षेत्र, कि-
 आदि की दृष्टि से इनमें तारतम्य है। केवलज्ञान शुद्धि, क्षेत्र
 की अन्तिम सीमा है। इससे बढ़कर कोई ज्ञान विशुद्ध या
 नहीं है। आभिनवोधिकज्ञान और श्रुतज्ञान परोक्ष के भेद
 आभिनवोधिकज्ञान को मतिज्ञान भी कहते हैं। श्रुतज्ञान का अ-
 मन है। मतिज्ञान का आधार इन्द्रियाँ और मन दोनों हैं।
 श्रुतादि के अनेक अवान्तर भेद हैं। तृतीय भूमिका में जैन
 और इतर दृष्टि दोनों का पृष्ठ है। प्रत्यक्ष को इन्द्रिय-प्रत्यक्ष
 नोइन्द्रिय-प्रत्यक्ष—इन दो भागों में बाँटा गया। इन्द्रिय प्रत्यक्ष
 इन्द्रियजन्यज्ञान को स्थान मिला, जो वास्तव में इन्द्रियाश्रित
 से परोक्ष है। नोइन्द्रियप्रत्यक्ष में वास्तविक प्रत्यक्ष रखा गया
 इन्द्रियाश्रित न होकर सीधा आत्मा से उत्पन्न होता है। इन्द्रिय
 जनेतर दृष्टि का, जिसे हम लौकिक दृष्टि कह सकते हैं, प्रतिनि-
 करता है। नोइन्द्रियप्रत्यक्ष जैनदर्शन की वास्तविक परम्परा
 स्रोतक है ही।

आभिनवोधिक ज्ञान के अवग्रहादि भेदों का बाद के तार्किक
 भी अच्छा विश्लेषण किया है। स्मरण, प्रत्यभिज्ञान आदि के

गुणम होता है। नन्दीनूत्र के अनुसार इस भूमिका का सार यह है:—



तकी धैनयिकी कर्मजा : पारिणामिकी ताश्रों को देखने से पता लगता है कि प्रथम का अभाव है। यह भूमिका प्राचीन परम्परा

मतिज्ञान के विषय में एक शंका का समाधान करके द्वि-
 अवग्रहादि के विषय में लिखेंगे। शंका यह है कि मतिज्ञान की
 उत्पत्ति के लिए केवल इन्द्रिय और मन काफी नहीं है। उदाहरण
 के लिए चक्षुरिन्द्रिय को लीजिए। उसके द्वारा ज्ञान तभी उत्पन्न
 होता है जब प्रकाश और पदार्थ दोनों उपस्थित हों। इसी-
 मतिज्ञान की उत्पत्ति के लिए यह आवश्यक है कि इन्द्रिय और मन
 के अतिरिक्त पदार्थ तथा अन्य आवश्यक सामग्री उपस्थित हो।
 जैन-दर्शन इस शर्त को नहीं मानता। अर्थ, आलोक आदि ज्ञान की
 उत्पत्ति में निमित्त नहीं हैं क्योंकि ज्ञानोत्पत्ति और अर्थानुभव में
 कोई व्याप्ति नहीं है। दूसरे शब्दों में बाह्य पदार्थ और प्रकाश ज्ञानोत्पत्ति के
 आवश्यक और अव्यवहित कारण नहीं हैं। यह ठीक है कि वे आकाश, काल आदि की तरह व्यवहित कारण हो सकते
 हैं। यह भी ठीक है कि वे मतिज्ञानावरणादि कर्मों के दायोपदान
 के प्रति उपकारक हैं। इतना होते हुए भी इन्हें ज्ञानोत्पत्ति के प्रति
 कारण इसलिए नहीं माना जा सकता कि उनका और ज्ञान का
 अविनाभाव सम्बन्ध नहीं है। यह कैसे? आलोक और अर्थ ज्ञानोत्पत्ति में
 अव्यवहित कारण तभी माने जाते, जब आलोक और अर्थ के अभाव में ज्ञान की उत्पत्ति होती ही नहीं। किन्तु ऐसी बात
 नहीं है। नक्तचर, मार्जार आदि रात्रि में भी देखते हैं। यदि आलोक के अभाव में रूपज्ञान नहीं होता तो उन्हें कैसे दिखाने
 देता? यह कहने से काम नहीं चल सकता कि उनके नेत्रों में तेज होता है,
 अतः वे रात्रि में भी देख सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहने का अर्थ होगा अपनी प्रतिज्ञा का त्याग। दूसरी ओर उदाहरण
 दिन के प्रकाश में नहीं देना सकते। वे रात्रि में ही देख सकते हैं। यदि प्रकाश ज्ञानोत्पत्ति का आवश्यक कारण होता तो उन्हें दिन में दिखाई देना।
 हमारे सामने दोनों तरह के उदाहरण विद्यमान हैं। पहला उदाहरण रात्रि और दिन—अंधकार और आलोक दोनों में रूपज्ञान की उत्पत्ति का है। दूसरा उदाहरण किन्तु विपरीत है। केवल अंधकार में ही होने वाला रूपज्ञान आलोक के अभाव में रूपज्ञान नहीं हो सकता। इस भिन्नान्त का सर्वमान्य कारण है। इनके अतिरिक्त हमारे सामने ऐसे उदाहरण भी हैं, जिनमें

दार्शनिकों ने दार्शनिक भूमिका पर जिस ढंग से व्याख्या की है वेमी व्याख्या आगमकाल में नहीं मिलती। इनका कारण दार्शनिक ग्रंथों है। आगमकाल के बाद जैनदार्शनिकों को अन्य दार्शनिक चारों के साथ काफी संघर्ष करना पड़ा और उस संघर्ष के परिणामस्वरूप एक नए ढंग के ढाँचे का निर्माण हुआ। इस ढाँचे की नींव और सामग्री दोनों का आधार दार्शनिक चिंतन रहा। सर्वप्रथम हम पाँचों ज्ञानों का स्वरूप देखेंगे। इसके लिए आवश्यकता-तान आगमग्रंथ और दार्शनिक ग्रंथ दोनों का उपयोग किया जाएगा। प्रमाणशास्त्र और प्रमाणशास्त्र से सम्बन्धित स्मरण, प्रत्यभिज्ञान, अनुमान आदि का विवेचन प्रमाण चर्चा के समय किया जाएगा। इस विवेचन का मुख्य आधार प्रमाणशास्त्र में सम्बन्धित दार्शनिक ग्रंथ होंगे।

तजान :

हम देख चुके हैं कि आगमों में मतिज्ञान को आभिनिवोधिक ज्ञान कहा गया है। उमास्वाति ने मति, स्मृति, संज्ञा, चिन्ता और आभिनिवोय को एकार्थक बताया है^१। भद्रबाहु ने मतिज्ञान के लिए निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग किया है—ईहा, अपोह, विमर्श, गंगा, गवेषणा, संज्ञा, स्मृति, मति, प्रज्ञा^२। नंदीसूत्र में भी ये ही शब्द हैं। मतिज्ञान का लक्षण बताते हुए तत्त्वार्थसूत्र में कहा गया है—इन्द्रिय और मन से उत्पन्न होने वाला ज्ञान मतिज्ञान है^३। आप्तभाष्य में मतिज्ञान के दो प्रकार बताए गए हैं—इन्द्रियजन्यज्ञान और मनोजन्यज्ञान^४। ये दो भेद उपर्युक्त लक्षण से ही फलित होते हैं। सिद्धसेनगणिका की टीका में तीन भेदों का वर्णन है—इन्द्रियजन्य, मनिन्द्रियजन्य (मनोजन्य) और इन्द्रियानिन्द्रियजन्य^५। इन्द्रियजन्यज्ञान

१—'मतिः स्मृतिः संज्ञा चिन्ताऽभिनिवोध इत्यनर्थान्तरम्'

—तत्त्वार्थसूत्र १/१३

२—विशेषावश्यक भाष्य, ३६६.

३—'तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम्' १/१४

४—तत्त्वार्थभाष्य १/१४

५—तत्त्वार्थसूत्र पर टीका १/१४

अपेक्षित है। संयोग के लिए प्राप्यकारित्व अनिवार्य है। चक्षु और मन अप्राप्यकारी हैं, अतः इनके साथ अर्थ का संयोग नहीं होता। संयोग न होने से व्यंजनावग्रह नहीं होता। मन को अप्राप्यकारी माना जा सकता है, किंतु चक्षु अप्राप्यकारी कैसे है? चक्षु अप्राप्यकारी है, क्योंकि वह स्पृष्ट अर्थ का ग्रहण नहीं करता। यदि प्राप्यकारी होता तो त्वगिन्द्रिय के समान स्पृष्ट अर्थ का ग्रहण करता। चूंकि वह ग्रहण नहीं करता, अतः अप्राप्यकारी है। कोई यह कह सकता है कि चक्षु प्राप्यकारी है, क्योंकि वह आवृत वस्तु का ग्रहण नहीं करता—जैसे त्वगिन्द्रिय। यह ठीक नहीं, क्योंकि चक्षु काच, अभ्र, स्फटिक आदि से आवृत अर्थ का ग्रहण करता है। यदि चक्षु अप्राप्यकारी है तो वह व्यवहित और अतिविप्रकृष्ट अर्थ का भी ग्रहण कर लेगा। यह शंका ठीक नहीं, क्योंकि चुम्बक अप्राप्यकारी होते हुए भी अमुक सीमा के अन्दर रहने वाले लोहे को ही पकड़ता है, व्यवहित और अतिविप्रकृष्ट को नहीं। चक्षु स्वयं प्राप्यकारी नहीं है, अपितु इसकी तैजस रश्मियाँ प्राप्यकारी हैं। यह भी ठीक नहीं; क्योंकि हमें यह भी अनुभव नहीं होता कि चक्षु तैजस है। यदि चक्षु तैजस होता तो चक्षुरिन्द्रिय का स्थान उष्ण होता। नक्तचर प्राणियों के नेत्रों में रात को रश्मियाँ दिखाई देती हैं, अतः चक्षु रश्मियुक्त है, यह धारणा ठीक नहीं। अतैजस इन्द्र में भी भासुरूप देखा जाता है—जैसे मणि आदि। मनः प्राप्यकारी नहीं है। अप्राप्यकारी होते हुए भी तदावस्था में क्षयोपशम से वस्तु का ग्रहण होता है। इसलिए मन और चक्षु से व्यंजनावग्रह नहीं होता। श्रोत्र, घ्राण, रसन और स्पर्श इन चार इन्द्रियों से व्यंजनावग्रह होता है।

अर्थावग्रह संयोगरूप नहीं है अपितु सामान्यज्ञानरूप है। चक्षु और मन से अर्थावग्रह होता है, क्योंकि इन दोनों का विषय-ग्रहण सीधा सामान्यज्ञानरूप होता है। इस प्रकार अर्थावग्रह पांच इन्द्रियों और छत्रा मन—इन छः में होता है। उद्गा, अवाय और पारणा भी पाँचों इन्द्रियों और मन पूर्वक होते हैं।

यह सिद्ध होता है कि आलोक के होने पर ही रूपज्ञान की उत्पत्ति होती है। साधारण मनुष्यों का रूपज्ञान इसी श्रेणी का है। तात्पर्य यह है कि ऐसा एकांत नियम नहीं है कि आलोक के होने पर ही रूपज्ञान उत्पन्न हो। कहीं पर आलोक के होने पर ही रूपज्ञान होता है, कहीं पर अन्धकार के होने पर ही रूपज्ञान होता है, और कहीं पर आलोक और अंधकार दोनों प्रकार की अवस्थाओं में रूपज्ञान होता है। इसलिए यह कथन उचित नहीं कि आलोक ज्ञानोत्पत्ति का अनिवार्य कारण है। अर्थ के विषय में भी यही बात कही जा सकती है। मरीचिकाज्ञान बिना ही अर्थ के उत्पन्न होता है। स्वप्नज्ञान के समय हमारे सामने कोई पदार्थ नहीं रहता। इन ज्ञानों को मिथ्या कह कर नहीं टाला जा सकता, क्योंकि मिथ्या होते हुए भी ज्ञान तो है ही। यहाँ प्रश्न सत्य और मिथ्या का नहीं है। प्रश्न है अर्थ के अभाव में ज्ञानोत्पत्ति का। ज्ञान कैसा भी हो, किन्तु यदि अर्थ के अभाव में उत्पन्न हो जाता है तो यह प्रतिज्ञा समाप्त हो जाती है कि अर्थ के होने पर ही ज्ञान उत्पन्न होता है। स्वप्नादिज्ञानों को थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दें, तो भी यह सिद्धांत ठीक नहीं उतरता, क्योंकि भूत और भविष्य के प्रत्यक्ष की सिद्धि इस आधार पर नहीं की जा सकती। योगियों के ज्ञान का विषय भी यदि वर्तमान पदार्थ ही माना जाय तो त्रिकाल-विषयक ज्ञान की बात व्यर्थ हो जाती है। अतः अर्थ भी ज्ञानोत्पत्ति के प्रति अनिवार्य कारण नहीं है।

अवग्रह :

अवग्रह को बताने वाले कई शब्द हैं। नंदीसूत्र में अवग्रह के लिए अवग्रहणता, उपधारणता, श्रवणता, अवलम्बनता और मेधा का प्रयोग हुआ है^१। तत्त्वार्थभाष्य में निम्न शब्द आते हैं—अवग्रह, ग्रह, ग्रहण, आलोचन और अवधारण^२। इन्द्रिय और अर्थ का सम्बन्ध होने पर नाम आदि की विशेष कल्पना से रहित सामान्य

१—३०

२—१, १५

नहीं। यदि धारणा इतने लम्बे काल तक चलती रहे तो धारणा और स्मृति के बीच के काल में हमारा ज्ञान होना सर्वथा अनम्ब है, क्योंकि एक साथ दो उपयोग नहीं हो सकते। मस्तिष्क एक भिन्न गुण है, जो आत्मा के साथ रहना है। धारणा उसका व्यर्थाई कारण हो सकती है। किन्तु धारणा को सीधा स्मृति का वास्तव मानना युक्तिसंगत नहीं। धारणा अपनी अमुक समय की मर्यादा के बाद समाप्त हो जाती है। उसके बाद नया ज्ञान पैदा होता है। इस तरह एक ज्ञान के बाद दूसरे ज्ञान की परम्परा चलती रहती है। वादिदेवमूरि का यह कथन युक्तिसंगत है।

मतिज्ञान के अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा—ये चार भेद किये गए। अवग्रह के व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह—ये दो भेद हुए। इनमें से अर्थावग्रह, ईहा, अवाय और धारणा—ये चार प्रकार के ज्ञान श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसन, स्पर्शन और मन—इन छः में होते हैं। व्यंजनावग्रह केवल श्रोत्र, घ्राण, रसन और स्पर्शन इन चार इन्द्रियों से होता है। चक्षु और मन अप्राप्यकारी हैं, अतः इन दोनों में व्यंजनावग्रह नहीं होता। अर्थावग्रह, ईहा, अवाय और धारणा—ये चार पाँच इन्द्रियाँ और मन—इन छः से होते हैं, अतः $4 \times 5 = 20$ भेद हुए। व्यंजनावग्रह मन और चक्षु को छोड़कर चार-इन्द्रियों में होता है, अतः उसके 4 भेद हुए। इन $20 + 4 = 24$ प्रकार के ज्ञानों में से प्रत्येक ज्ञान पुनः बहु, अल्प, बहुविध, अल्पविध, क्षिप्र, प्रक्षिप्र, अनिश्चित, निश्चित, असंदिग्ध, संदिग्ध, ध्रुव और अध्रुव—इन प्रकार चारह प्रकार का होता है। ये नाम इक्ष्वाक्य परमाण्वर मान्यता के अनुसार हैं। दिग्मन्वर परम्परा में इन नामों में थोड़ा मा अन्तर है। अनिश्चित और निश्चित के स्थान पर अनिःसृत और निःसृत और असंदिग्ध और संदिग्ध के स्थान पर अनुक्त और उक्त का प्रयोग है।

१—स्याद्वाचरत्नाकर २।१०

२—'बहुबहुविधक्षिप्रानिश्चितासन्दिग्धा धारणा मेतराणाम्'।

—तरपापंशुव १।१९

३—सर्वावेतिदि, राजप्रातिकः पादि १।१६

ईहा :

अवग्रह के बाद ज्ञान ईहा में परिणत होता है। अवग्रही-
तार्थ की विशेष रूप से जानने की इच्छा ईहा है। नंदीसूत्र
में ईहा के लिए निम्न शब्द आते हैं—आयोग्यता, मार्ग्यता,
गवेपण्यता, चिन्ता, विमर्ष^१। उमास्वाति ने ईहा, ऊह, तर्क, परीक्षा,
विचारणा और जिज्ञासा का प्रयोग किया है^२। अवग्रह से गुजरते
हुए ईहा तक कैसे पहुँचते हैं, इसे समझने के लिए पुनः शब्द का
उदाहरण लेते हैं। अवग्रह में इतना ज्ञान हो जाता है कि कहीं
से शब्द मुनाई दे रहा है। शब्द सुनने पर व्यक्ति सोचता है कि
किमका शब्द है ? कौन बोल रहा है ? स्त्री है या पुरुष ? इसके
बाद स्वर की तुलना होती है। स्वर भीठा और आकर्षक है, इसलिए
किसी स्त्री का होना चाहिए। पुरुष का स्वर कठोर एवं रूखा
होता है। यह स्वर पुरुष का नहीं हो सकता। ईहा में ज्ञान यहाँ
तक पहुँच जाता है।

ईहा संशय नहीं है, क्योंकि संशय में दो पलड़े बराबर रहते हैं।
ज्ञान का किमी एक ओर झुकाव नहीं होता। 'पुरुष है या स्त्री' ?
इसका जरा भी निर्णय नहीं होता। न तो पुरुष की ओर ज्ञान
झुकता है, न स्त्री की ओर। ज्ञान की दशा त्रिशंकु सी रहती है।
ईहा में ज्ञान एक ओर झुक जाता है। अवाय में जिसका निश्चय
होने वाला है उसी ओर ज्ञान का झुकाव हो जाता है। 'यह स्त्री
का शब्द होना चाहिए, क्योंकि इसकी यह विशेषता है'—इस प्रकार
का ज्ञान ईहा है। यद्यपि ईहा में पूर्ण निर्णय नहीं हो पाता तथापि
ज्ञान निर्णय की ओर झुक अवश्य जाता है। संशय में ज्ञान किसी
ओर नहीं झुकता। संशय ईहा के पहले होता है। ईहा हो जाने
पर संशय समाप्त हो जाता है।

१—'अवग्रहीतार्थविशेषकांक्षणमीहा'।

—प्रमाणनयतत्त्वालोक २।८

२—३१

३—तत्त्वार्थभाष्य १।१५

(१)

मतिज्ञान

अवग्रह		ईहा	अवाय	आण
अवग्रह	अवग्रह	११-स्पर्शन	१७-स्पर्शन	२३-स्पर्शन
१-स्पर्शन	५-स्पर्शन	१२-रसन	१८-रसन	२४-रसन
२-रसन	६-रसन	१३-घ्राण	१९-घ्राण	२५-घ्राण
३-घ्राण	७-घ्राण	१४-श्रोत्र	२०-श्रोत्र	२६-श्रोत्र
४-श्रोत्र	८-श्रोत्र	१५-चक्षु	२१-चक्षु	२७-चक्षु
	९-चक्षु	१६-मन	२२-मन	२८-मन
	१०-मन			

बहु का अर्थ अनेक और अल्प का अर्थ एक है। अनेक वस्तुओं का ज्ञान बहुग्राही है। एक वस्तु का ज्ञान अल्पग्राही है। अनेक प्रकार की वस्तुओं का ज्ञान बहुविधग्राही है। एक ही प्रकार की वस्तु का ज्ञान अल्पविधग्राही है। बहु और अल्प संख्या से सम्बन्धित हैं और बहुविध तथा अल्पविध प्रकार या जाति से सम्बन्धित है। शीघ्रतापूर्वक होने वाले अवग्रहादि ज्ञान, क्षिप्र कहलाते हैं। विलम्ब से होने वाले ज्ञान अक्षिप्र हैं। अनिश्चित का अर्थ हेतु के बिना होने वाला वस्तुज्ञान है। निश्चित का अर्थ पूर्वानुभूत किसी हेतु से होने वाला ज्ञान है। जो अनिश्चित के स्थान पर अनिःसृत और निश्चित के स्थान पर निःसृत का प्रयोग करते हैं उनके मतानुसार अनिःसृत का अर्थ है असकलरूप से आविर्भूत पुद्गलों का ग्रहण और निःसृत का अर्थ है सकलतया आविर्भूत पुद्गलों का ग्रहण। असंदिग्ध का अर्थ है निश्चितज्ञान और संदिग्ध का अर्थ है अनिश्चित ज्ञान। अवग्रह और ईहा के अनिश्चय से इसमें भेद है। इसमें अमुक पदार्थ ई-ऐसा निश्चय होते हुए भी उसके विशेष गुणों के प्रति सन्देह रहता है। असंदिग्ध और संदिग्ध के स्थान पर अनुक्त और उक्त-ऐसा पाठ मानने वाले अनुक्त का अर्थ करते हैं अभिप्राय मात्र से ज्ञान लेना और उक्त का अर्थ करते हैं—कहने पर ही जानना। ध्रुव का अर्थ है—अवश्यम्भावी ज्ञान और अध्रुव का अर्थ है—कदाचित्-भावी ज्ञान। इन बारह भेदों में से चार भेद प्रमेय की विविधता पर अवलम्बित हैं और शेष आठ भेद प्रमाता के क्षयोपगम की विविधता पर आश्रित हैं। उपर्युक्त २८ भेदों में से प्रत्येक के १२ भेद होने पर कुल $28 \times 12 = 336$ भेद हो जाते हैं। इस प्रकार ज्ञान के ३३६ भेद हैं। इसका विशेष स्पष्टीकरण इस प्रकार है।

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
धोत्र ईहा	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
पारु ईहा	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
मन ईहा	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
हयगंन भवाय	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
रगन भवाय	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
द्वाराय	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
धोत्र भवाय	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
पत्रु भवाय	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
मन भवाय	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
स्पर्शन पारुणा	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
खन पारुणा	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
प्राण पारुणा	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
धोत्र पारुणा	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
पत्रु पारुणा	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
मन पारुणा	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
२६	२६	२६	२६	२६	२६	२६	२६	२६	२६	२६	२६

	वहुग्राही	अल्प ग्राही	वहुविविध ग्राही	अल्पविविध ग्राही	द्विप्र ग्राही	(२) अक्षिप्र ग्राही	अनिश्चित ग्राही	असंदिग्ध ग्राही	संदिग्ध ग्राही	ध्रुव ग्राही	अध्रुव ग्राही
	१	२	३	४	५	६	७	८	१०	११	१२
स्पर्शन व्यंजनावग्रह	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
रसन व्यंजनावग्रह	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
घ्राण व्यंजनावग्रह	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
श्रोत्र व्यंजनावग्रह	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
स्पर्शन अर्थविग्रह	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
रसन अर्थविग्रह	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
घ्राण अर्थविग्रह	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
श्रोत्र अर्थविग्रह	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
बधु अर्थविग्रह	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
मन अर्थविग्रह	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
स्पर्शन ईहा	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
रसन ईहा	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
घ्राण ईहा	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"

चुके हैं। श्रुत वास्तव में ज्ञानात्मक है, किन्तु उपचार से शास्त्रों में श्रुत कहते हैं, क्योंकि वे ज्ञानोत्पत्ति के साधन हैं। श्रुतज्ञान के भेद में तीर पर समझने के लिये हैं।

आवश्यकनियुक्ति में कहा गया है कि जितने अक्षर हैं और उतने जितने विविध संयोग हैं उतने ही श्रुतज्ञान के भेद हैं। इसलिए उतने सारे भेद गिनाना सम्भव नहीं। श्रुतज्ञान के चौदह मुख्य प्रकार हैं—अक्षर, संज्ञी, सम्यक्, सादिक, सपर्यवसित, गमिक और अंगप्रति ये सात और अनक्षर, असंज्ञी, मिय्या, अनादिक, अपर्यवसित अगमिक और अंगवाह्य ये सात इनसे विपरीत^१। नन्दीगूत्र में^२ भेदों का स्वरूप बताया गया है। अक्षर श्रुत के तीन भेद हैं—संज्ञाक्षर, व्यंजनाक्षर, और लब्ध्याक्षर। वरुण का भाष्य संज्ञाक्षर है। वरुण की ध्वनि व्यंजनाक्षर है। जो वरुण सीमने समर्थ है वह लब्ध्याक्षरधारी है। संज्ञाक्षर और व्यंजनाक्षर श्रुत हैं। लब्ध्याक्षर भावश्रुत है। सांसना, ऊँचा श्वास सेना का अनक्षरश्रुत है। संज्ञी श्रुत के भी तीन भेद हैं—दीर्घकालिक हेतूपदेशिकी, और दृष्टिवादोपदेशिकी। वर्तमान, सून की भविष्य त्रिकालविषयक विचार दीर्घकालिकी संज्ञा है। केवल वर्तमान की दृष्टि में हिताहित का विचार करना हेतुपदेशिकी संज्ञा है। सम्यक् श्रुत के ज्ञान के कारण हिताहित का होना दृष्टिवादोपदेशिकी संज्ञा है। जो इन संज्ञाओं को धारण करते हैं वे संज्ञी कहलाते हैं। जो इन संज्ञाओं को धारण नहीं करते असंज्ञी हैं। असंज्ञी तीन तरह के होते हैं। जो समनस्क होते हुए मोच नहीं सकते वे प्रथम कोटि के असंज्ञी हैं। जो समनस्क हैं दूसरी कोटि के असंज्ञी हैं। समनस्क का अर्थ मन-रहित नहीं अपितु अत्यन्त मूढम मन वाला है। जो मिय्याश्रुत में विरत रहते हैं वे तीसरी कोटि के असंज्ञी हैं। सादिक श्रुत यह है कि

१—आवश्यक नियुक्ति १७-१८

२—मन्दीगूत्र ३८

३—वरी ३६-४०

श्रुतज्ञान :

श्रुतज्ञान का अर्थ है, वह ज्ञान जो श्रुत अर्थात् शास्त्रनिबद्ध है। शक्त पुरुष द्वारा प्रणीत आगम या अन्य शास्त्रों से जो ज्ञान होता है वह श्रुतज्ञान है। श्रुतज्ञान मतिपूर्वक होता है। उसके दो भेद हैं—अंगवाह्य और अंगप्रविष्ट। अंगवाह्य अनेक प्रकार का है। अंगप्रविष्ट चारह भेद हैं।

श्रुतज्ञान मतिपूर्वक होता है, इसका क्या अर्थ है? श्रुतज्ञान होने लिए शब्द-श्रवण आवश्यक है, क्योंकि शास्त्र वचनात्मक है। शब्द-श्रवण मति के अन्तर्गत है, क्योंकि यह श्रोत्र का विषय है। जब शब्द सुनाई देता है तब उसके अर्थ का स्मरण होता है। शब्द-श्रवण रूप जो आधार है वह मतिज्ञान है। तदनन्तर उत्पन्न होने वाला ज्ञान श्रुतज्ञान है। इसीलिए मतिज्ञान कारण है और श्रुतज्ञान कार्य है। मतिज्ञान के अभाव में श्रुतज्ञान नहीं हो सकता। श्रुतज्ञान का वास्तविक कारण तो मतिज्ञानावरण का क्षयोपशम है। मतिज्ञान तो उसका बहिरंग कारण है। मतिज्ञान होने पर भी यदि श्रुतज्ञानावरण का क्षयोपशम न हो तो श्रुतज्ञान नहीं होता। अन्यथा जो कोई शास्त्र-वचन सुनता, सब को श्रुतज्ञान हो जाता।

अंगवाह्य और अंगप्रविष्ट रूप से श्रुतज्ञान दो प्रकार का है। अंगप्रविष्ट उसे कहते हैं जो साक्षात् तीर्थंकर द्वारा प्रकाशित होता है और शिष्यों द्वारा सूत्रबद्ध किया हुआ होता है। आयु, बल, बुद्धि आदि की वृद्धि अथवा अवस्था देखकर बाद में होने वाले आचार्य सर्वसाधारण के हित लिए अंगप्रविष्ट ग्रन्थों को आधार बनाकर भिन्न भिन्न विषयों पर ग्रन्थ लिखते हैं। ये ग्रन्थ अंगवाह्य ज्ञान के अन्तर्गत हैं। तात्पर्य यह है कि जिन ग्रन्थों के रचयिता स्वयं गणधर हैं वे अंगप्रविष्ट और जिनके रचयिता उसी परम्परा के अन्य आचार्य हैं वे अंगवाह्य ग्रन्थ हैं। अंगवाह्य ग्रन्थ कालिक, उत्कालिक आदि अनेक प्रकार के हैं। अंगप्रविष्ट के चारह भेद हैं। ये चारह अंग कहलाते हैं। इनके नाम पहले गिनाये जा

१—'श्रुतं मतिपूर्वं द्वयनेकद्वादशभेदम्'।

का मत है कि श्रुतज्ञान मतिपूर्वक ही होता है, जब कि मतिज्ञान के लिए यह आवश्यक नहीं कि वह श्रुतपूर्वक ही हो। नन्दोमूत्र का मत है कि जहाँ आभिनवोधिक ज्ञान (मति) है वहाँ श्रुतज्ञान भी है और जहाँ श्रुतज्ञान है वहाँ मतिज्ञान भी है। नवोपनिषद् और नत्वार्यराजवातिक में भी इसी गत का समर्थन है। प्रश्न यह है कि क्या ये दोनों मत परस्पर विरोधी हैं? एक मत के अनुसार श्रुतज्ञान के लिए मतिज्ञान अनिवार्य है, जबकि मतिज्ञान के लिए श्रुतज्ञान आवश्यक नहीं। दूसरा मत कहता है कि मति और श्रुत दोनों सहचारी हैं। एक के अभाव में दूसरा नहीं रह सकता। जहाँ मति होगी वहाँ श्रुत अवश्य होगा और जहाँ श्रुत होगा वहाँ मति अवश्य होगी। हम समझते हैं कि ये दोनों मत परस्पर विरोधी नहीं हैं। उमास्वाति जब यह कहते हैं कि श्रुत के पूर्व मति आवश्यक है तो उमका अर्थ केवल इतना ही है कि जब कोई विषय श्रुतज्ञान उत्पन्न होता है तब वह तद्विषयक मतिपूर्वक ही होता है। पहले शब्द गुनाई देता है और फिर उमका श्रुतज्ञान होता है। मतिज्ञान के लिए यह आवश्यक नहीं कि पहले श्रुतज्ञान हो और फिर मतिज्ञान हो, क्योंकि मतिज्ञान पहले होता है और श्रुतज्ञान बाद में। यह भी आवश्यक नहीं कि जिस विषय का मतिज्ञान हो उमका श्रुतज्ञान भी हो। ऐसी दशा में दोनों सहचारी बने रह सकते हैं? नन्दोमूत्र में जो सहचारित्व है वह किसी विशेष शब्द की अपेक्षा से नहीं है। वह तो एक सामान्य सिद्धान्त है। सामान्य तया मति और श्रुत सहचारी हैं, क्योंकि प्रत्येक जीव में ये दोनों ज्ञान साथ-साथ रहते हैं। मति और श्रुत के बिना कोई जीव नहीं है। इंद्रिय से लगाकर संज्ञी पंचेन्द्रिय तक हरेक जीव में कर्तव्य

१—श्रुतज्ञानस्य मतिज्ञानेन नियतः सत्प्रभावः सत्पूर्वकत्वात् । मति पूर्वकं ज्ञानं तस्य नियतं मतिज्ञानं, मतिस्तु मतिज्ञानं तस्य सत्पूर्वकत्वात् स्याद्वा न वेति ।

—नत्वार्यराजवातिक १११

आदि है। जिनकी कोई आदि नहीं है वह अनादिक श्रुत है। द्रव्यरूप से श्रुत अनादिक है और पर्यायरूप से सादिक है। सपर्यवसित श्रुत वह है जिसका अन्त होना है। जिसका कभी अन्त नहीं होता वह अपर्यवसित श्रुत है। यहाँ भी द्रव्य और पर्याय दृष्टि का उपयोग करना चाहिए। गमिक उसे कहते हैं, जिसके सदृश पाठ उपलब्ध है। अगमिक असदृशाक्षरालापक होता है। अंगप्रविष्ट और अंगवाह्य के विषय में लिख ही चुके हैं।

श्रुतज्ञान का मुख्य आधार शब्द है। हस्तसंकेत आदि अन्य माधनों से भी यह ज्ञान होता है। वहाँ पर ये साधन शब्द का ही कार्य करते हैं। अन्य शब्दों की तरह उनका स्पष्ट उच्चारण कानों में नहीं पड़ता। मौन उच्चारण से ही वे अपना कार्य करते हैं। श्रुतज्ञान जब इतना अभ्यस्त हो जाता है कि उसके लिए संकेतस्मरण की आवश्यकता नहीं रह जाती तब वह मतिज्ञान के अन्तर्गत आ जाता है। श्रुतज्ञान के लिए चिन्तन और संकेतस्मरण अत्यन्त आवश्यक है। अभ्यास दशा में ऐसा न होने पर वह ज्ञान श्रुत की कोटि से बाहर निकल कर मति की कोटि में आ जाता है।

मति और श्रुत :

जैन दर्शन की मान्यता के अनुसार प्रत्येक जीव में कम-से-कम ज्ञान-मति और श्रुत आवश्यक होते हैं। केवलज्ञान के समय इन दोनों की स्थिति के विषय में मतभेद है। कुछ लोग उस समय भी मति और श्रुत की सत्ता मानते हैं और कहते हैं कि केवलज्ञान के महाप्रकाश के सामने उनका अल्प प्रकाश दब जाता है। सूर्य के प्रचण्ड प्रकाश के रहते हुए चन्द्र आदि का प्रकाश नहींवत् मालूम होता है। कुछ लोग यह बात नहीं मानते। उनके मत से केवलज्ञान अकेला ही रहता है। मति, श्रुतादि धायोपशमिक है। जब सम्पूर्ण ज्ञानावरण का क्षय हो जाता है तब धायोपशमिक ज्ञान नहीं रह सकता। यह मत जैन दर्शन की परम्परा के अनुकूल है। केवलज्ञान का अर्थ ही अकेला ज्ञान है। वह असहाय ही होता है। उसे किसी की सहायता अपेक्षित नहीं है।

मति और श्रुत के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में उमास्वाति

का शब्द है या पुरुष का' यह विकल्प बिना अन्तर्जल्प के नहीं हो सकता। यह अन्तर्जल्प शब्द-संसर्ग है। शब्द-संसर्ग होने पर श्रुतानुमारित्व ही वह ज्ञान श्रुत है। श्रुतानुमारो का अर्थ है-यह व शास्त्र के अर्थ की परम्परा का अनुसरण करने वाला।

अवधिज्ञान :

आत्मा का स्वाभाविक गुण केवलज्ञान है। कर्म के कारण अन्तर्मत्ता के कारण यह ज्ञान विविध रूपों में प्रकट होता है। मति और श्रुत इन्द्रिय तथा मन की सहायता से उत्पन्न होते हैं, अतः वे आत्मा की दृष्टि से परोक्ष हैं। अवधि, मनःपर्यय और केवल सीधे आत्मा से होते हैं अतः उन्हें प्रत्यक्ष कहा गया है। केवलज्ञान सत्त्व प्रत्यक्ष है और मनःपर्यय और मनःपर्यय विकल्पप्रत्यक्ष हैं। अवधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञान आत्मा से पैदा होते हैं इसलिए प्रत्यक्ष हैं किन्तु अपूर्ण हैं, अतः विकल्प हैं। प्रत्यक्ष का अर्थ है 'सीमा' अथवा 'वह जो सीमित है'। अवधिज्ञान की सीमा क्या है? अवधि का विषय केवल रूपी पदार्थ है। जो रूप, रस, गन्ध, स्पर्शयुक्त है वही अवधि का विषय है। इससे आगे अरुणो पदार्थों अवधि की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। दूसरे पदार्थों में कहा जाय तो द्रव्यों में से केवल एक द्रव्य अवधि का विषय हो सकता है। वह द्रव्य पुद्गल, क्योंकि केवल पुद्गल ही रूपी है। अन्य पाँच द्रव्य उमंगे शि नहीं हो सकते।

अवधिज्ञान के अधिकारी दो प्रकार के होते हैं—भवप्रत्ययों की गुणप्रत्ययी। भवप्रत्यय अवधिज्ञान देय और नारक को होते हैं। गुण-प्रत्यय का अधिकारी मनुष्य या तिर्यक्ष होता है। भवप्रत्यय का अर्थ है जन्म में प्राप्त होने वाला। जो अवधिज्ञान जन्म के ही-माय प्रकट होता है- वह भवप्रत्यय है। देय और नारक को देय होते ही अवधिज्ञान प्राप्त होता है। इसके लिए उन्हें यज्ञ, विषमर्ग का पालन नहीं करना पड़ता। उनका भव ही ऐसा है कि वे पैदा होते ही अवधिज्ञान ही जाता है। मनुष्य और अन्य प्राणियों

रूप ये दो ज्ञान रहते हैं। इसी दृष्टि से यह कहा गया है कि जहाँ मतिज्ञान है वहाँ श्रुतज्ञान भी है और जहाँ श्रुतज्ञान है वहाँ मतिज्ञान भी है। ये दोनों ज्ञान जीव में किसी-न-किसी मात्रा में हर समय रहते हैं। शक्तिरूप से इनकी सत्ता सदैव रहती है। जीव की दृष्टि से यह सहचारित्व है, न कि किसी विशेष ज्ञान की दृष्टि से।

जिनभद्र कहते हैं कि जो ज्ञान श्रुतानुसारी है, इन्द्रिय और मन से पैदा होता है, तथा नियत अर्थ को समझाने में समर्थ है, ही भावश्रुत है। शेष मति है। केवल शब्दज्ञान श्रुत नहीं है। जिस शब्दज्ञान के पीछे श्रुतानुसारी संकेतस्मरण है और जो नियत अर्थ को समझाने में समर्थ है वही शब्दज्ञान श्रुत है। इसके अतिरिक्त जितना भी शब्दज्ञान है, सब मति है। सामान्य शब्दज्ञान, जो कि केवल मतिज्ञान है, बढ़ते-बढ़ते उपयुक्त स्तर तक पहुँचता है भी वह श्रुतज्ञान बनता है। शब्दज्ञान होने से कोई भी शब्दज्ञान श्रुत नहीं हो जाता। श्रुत के लिए जो शर्तें हैं उन्हें पूरी करने पर ही शब्दज्ञान श्रुत बनता है। श्रुतज्ञान के प्रति कारण होने से शब्द को द्रव्यश्रुत कहा जाता है। वास्तव में भावश्रुत ही श्रुत है। यह आत्मसापेक्ष है, अतः श्रुतानुसारित्व, इन्द्रिय और मनोजन्य व्यापार और नियत अर्थ को समझाने का सामर्थ्य—ये सब बातें होना आवश्यक है। आगे इसी बात को अधिक स्पष्ट करते हुए कहा गया कि वक्ता या श्रोता का वही ज्ञान श्रुत है जो श्रुतानुसारी है। जो ज्ञान श्रुतानुसारी नहीं है वह मति है। केवल शब्द-संसर्ग से ही ज्ञान श्रुत नहीं हो जाता। अन्यथा ईहा, अवाय आदि भी श्रुत ही होते। शक्ति—ये विना शब्द-संसर्ग के उत्पन्न नहीं होते। मन में 'यह स्त्री

१—इन्द्रिय-मणोनिमित्तं, जं विण्णायं सुयाणुसारणं ।

निययत्थुत्ति-समत्थं तं भावसुयं मई इयरा ॥

—विशेषावश्यकभाष्य, १००

२—भगगो सुणगो व सुयं तं जमिह सुयाणुसारि विण्णायं ।

दोण्हं पि सुयाईयं, जं विण्णायं तयं बुद्धी ॥

—विशेषावश्यकभाष्य, १२१

वर्धमान है। यह वृद्धि क्षेत्र, शुद्धि आदि किसी भी दृष्टि में हो सकती है।

जो अवधिज्ञान उत्पत्ति के समय से परिणामों की विवृद्धि बन हो जाने के कारण क्रमशः अल्प-विषयक होता जाता है या होयमान है।

जो न तो बढ़ता है और न कम होता है, अपितु जैसा उलान होता है वैसा-का वैसा बना रहता है। जन्मांतर के समय पदम केवलज्ञान होने पर नष्ट होता है, वह अवस्थित है।

जो अवधिज्ञान कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी प्रवृत्त होता है, कभी तिरोहित हो जाता है उसे अनवस्थित अवधिज्ञान कहते हैं।

अवधिज्ञान के उपर्युक्त छः भेद स्वामी के गुण की दृष्टि में हैं। इनके अतिरिक्त क्षेत्र आदि की दृष्टि से तीन भेद और होते हैं—देशावधि, परमावधि और सर्वावधि^१। देशावधि के पुनः तीन भेद होते हैं—जघन्य, उत्कृष्ट और अजघन्योत्कृष्ट। सर्वावधि एक ही प्रकार का होता है।

जघन्य देशावधि का क्षेत्र उत्सोधांगुले^२ का अमंस्यातवी भाग है। उत्कृष्ट देशावधि का क्षेत्र सम्पूर्ण लोक है। अजघन्योत्कृष्ट देशावधि का क्षेत्र इन दोनों के बीच का है, जो असंख्यात प्रकार का है।

जघन्य परमावधि का क्षेत्र एक प्रदेशाधिक लोक है। उत्कृष्ट परमावधि का क्षेत्र अमंस्यातलोक प्रमाण है। अजघन्योत्कृष्ट परमावधि का क्षेत्र इन दोनों के बीच का है।

सर्वावधि का क्षेत्र उत्कृष्ट परमावधि के क्षेत्र से बाहर अमंस्यात क्षेत्र प्रमाण है।

१—'पुनरादेवधेयवो भेदा देशावधिः परमावधिः सर्वावधिश्चेति'।
—गर्ही १।२२।५ (मुक्तिमार्गः)

२—धंगुल एक प्रकार का क्षेत्र का भाग है। यह तीन प्रकार का है—उत्सोधांगुल, अमंस्यातुल और धामांगुल। अल्प अल्प पदमों के भाग के लिए अल्प अल्प धंगुल विद्यमान है।

के लिये ऐसा नियम नहीं है। मति और श्रुतज्ञान तो जन्म के साथ ही होते हैं, किन्तु अवधिज्ञान के लिए यह आवश्यक नहीं है। व्यक्ति के प्रयत्न से कर्मों का क्षयोपशम होने पर ही यह ज्ञान पैदा होता है। देव और नारक की तरह मनुष्यादि के लिए यह ज्ञान जन्म सिद्ध नहीं है, अपितु व्रत, नियम आदि गुणों के पालन से प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए इसे गुणप्रत्यय अथवा क्षायोपशमिक कहते हैं। यहाँ एक प्रश्न उठ सकता है कि जब यह नियम है कि अवधिज्ञानावरण के क्षयोपशम से ही अवधिज्ञान प्रकट होता है तब यह कैसे कहा जा सकता है कि देव और नारक जन्म से ही अवधिज्ञानी होते हैं? उनके लिए भी क्षयोपशम आवश्यक है। उनमें और हममें में अन्तर इतना ही है कि उनका क्षयोपशम भवजन्य होता है अर्थात् उस जाति में जन्म लेने पर अवधिज्ञानावरण का क्षयोपशम ही होता है। वह जाति ही ऐसी है कि जिसके कारण यह कार्य अपना विशेष प्रयत्न के पूरा हो जाता है। मनुष्यादि अन्य जातियों के लिए यह नियम नहीं। वहाँ तो व्रत, नियमादि का विशेषरूप से पालन करना पड़ता है। तभी अवधिज्ञानावरण का क्षयोपशम होता है। क्षयोपशम तो सभी के लिए आवश्यक है। अन्तर साधन में है। जो जीव केवल जन्म मात्र से क्षयोपशम कर सकते हैं उनका अवधिज्ञान भवप्रत्यय है। जिन्हें इसके लिये विशेष प्रयत्न करना पड़ता है उनका अवधिज्ञान गुणप्रत्यय है।

गुणप्रत्यय अवधि के छः भेद होते हैं—अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित और अनवस्थित^१।

जो अवधिज्ञान एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाने पर भी नष्ट न हो, अपितु साथ-साथ जावे, वह अनुगामी है।

उत्पत्तिस्थान का त्याग कर देने पर जो नष्ट हो जाय वह अननुगामी है।

जो अवधिज्ञान उत्पत्ति के समय से क्रमशः बढ़ता जाय वह

१—'अनुगाम्यननुगामिवर्धमानहीयमानावस्थितानवस्थितभेदात् षड्विधः'

आत्मपूर्वक होता है न कि मनपूर्वक । मन तो विषय मात्र होता जाना साक्षात् आत्मा है ।

मनःपर्ययज्ञान के दो प्रकार हैं—ऋजुमति और विपुलमति । ऋजुमति की अपेक्षा विपुलमति का ज्ञान विदुद्धतर होता है, क्योंकि विपुलमति ऋजुमति की अपेक्षा मन के सूक्ष्मतर परिणामों का ज्ञान गवता है । दूसरा अन्तर यह है कि ऋजुमति प्रतिपत्ति अर्थात् उत्पन्न होने के बाद चला भी जाता है किन्तु विपुलमति नष्ट नहीं हो सकती । वह केवलज्ञान की प्राप्ति पर्यन्त चल रहा है ।

मनःपर्ययज्ञान के विषय में दो परम्पराएँ चली आ रही हैं । एक परम्परा तो यह मानती है कि मनःपर्ययज्ञानी चिन्तित्व का प्रत्यक्ष कर लेता है । दूसरी परम्परा इसके विपरीत यह मानती है कि मनःपर्ययज्ञानी मन की विविध अवस्थाओं का तो प्रत्यक्ष करता है, किन्तु उन अवस्थाओं में जो अर्थ रहा हुआ है उसका अनुमान करता है । दूसरे शब्दों में एक परम्परा अर्थ का ही प्रत्यक्ष मानती है और दूसरी परम्परा मन का तो प्रत्यक्ष मानती है किन्तु अर्थ का ज्ञान अनुमान में मानती है । मन की विविध परिणामों को मनःपर्ययज्ञानी प्रत्यक्ष रूप से जान लेता है और उन परिणामों के आधार में उन अर्थ का अनुमान लगाता है, जिन्से वास्तविक मन का उन रूप से परिणामन हुआ हो । इसी बात को धीरे धीरे समझें । पहली परम्परा मन के द्वारा चिन्तित्व अर्थ के ज्ञान के लिए मन की माध्यम न मानकर सीधा उन अर्थ का प्रत्यक्ष ज्ञान लेती है । मन के पर्याय और अर्थ के पर्याय में निराला और तिमी का सम्बन्ध ही मानती । केवल मन एक सहारा है । जैसे कोई घर बने कि दूसरी यादों में चन्द्रमा है तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि चन्द्रमा

१—ऋजुविपुलमत्तौ मनःपर्यायः । —अध्यायवृत्त, १।२४

२—श्लो १।२५

३—मनोपरिनिष्ठ, १।६ ; अर्थपर्ययवृत्तवृत्त, १।२५।६-७

४—विशेषज्ञानरूपधाम, ८।४

लोक से अधिक क्षेत्र नहीं हो सकता, क्योंकि लोक के बाहर कोई पदार्थ नहीं जिसे अवधिज्ञानी जान सके। इसलिए जहाँ लोक अधिक क्षेत्र का निर्देश है वहाँ उत्तरोत्तर उतने ही प्रमाण में ज्ञान की सूक्ष्मता समझना चाहिए। जिस तरह क्षेत्र की दृष्टि से अनेक प्रकार हैं उसी प्रकार काल की दृष्टि में भी अनेक भेद होते हैं। उन सब का वर्णन करना यहाँ अभीष्ट नहीं।

आवश्यकनियुक्ति में क्षेत्र, संस्थान, अवस्थित, तीव्र, मन्द आदि तरह दृष्टियों से अवधिज्ञान का लम्बा वर्णन है। विशेषावश्यक विषय में सात प्रकार के निक्षेप से अवधिज्ञान को समझने की सूचना। ये सात निक्षेप हैं—नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और त्व।

मनःपर्ययज्ञान :

‘मनुष्यों के मन के चिन्तित अर्थ को प्रकट करने वाला ज्ञान मनःपर्ययज्ञान है। यह मनुष्य क्षेत्र तक सीमित है, गुण के कारण उत्पन्न होता है और चारित्रवान् व्यक्ति ही इसका अधिकारी है। यह मनःपर्ययज्ञान की व्याख्या आवश्यकनियुक्तिकार ने की है। मन एक प्रकार का पौद्गलिक द्रव्य है। जब व्यक्ति किसी विषय का विचार करता है तब उसके मन का विविध पर्यायों में परिवर्तन होता है। उसका मन तद्गत पर्यायों में परिणत होता है। मनःपर्ययज्ञानी उन पर्यायों का साक्षात्कार करता है। उस साक्षात्कार के आधार पर वह यह जान सकता है कि यह व्यक्ति इस समय यह वान सोच रहा है। अनुमान—कल्पना से किसी के विषय में यह सोचना कि ‘अमुक व्यक्ति अमुक विचार कर रहा है’ मनःपर्ययज्ञान नहीं है। मन के परिणामन का आत्मा से साक्षात् प्रत्यक्ष करके मनुष्य के चिन्तित अर्थ को जान लेना मनःपर्ययज्ञान है। यह ज्ञान

१—२६-२८

२—मणुपञ्चवशाणं पुण, जणमणपरिचितियत्थपागडणं ।

माणुमखेतनिवद्धं, गुणपञ्चइयं चरित्तथओ ॥

—आवश्यकनियुक्ति, ७६

है। अतः उससे विद्युद्धतर है। यह विद्युद्धि विषय की न्यूनाधिकता पर नहीं, किन्तु विषय की सूक्ष्मता पर अवलम्बित है। अर्थात् मानव विषय का ज्ञान होना उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना विषय की सूक्ष्मता का ज्ञान होना। मनःपर्ययज्ञान से रूपी द्रव्य का सूक्ष्म घंटा जाना जाता है। अवधिज्ञान उतनी सूक्ष्मता तक नहीं पहुँच सकता। अवधिज्ञान का क्षेत्र अंगुल के असंख्यातवें भाग से लेकर सारा लोह है मनःपर्ययज्ञान का क्षेत्र मनुष्य लोक (मानुषोत्तर पर्वत पर्यन्त) है। अवधिज्ञान का स्वामी देव, नरक, मनुष्य और तिर्यञ्च किसी भी गति का जीव हो सकता है। मनःपर्ययज्ञान का स्वामी केवल चारियवान् मनुष्य ही हो सकता है। अवधिज्ञान का विषय सभी रूपीद्रव्य है (सब पर्याय नहीं), किन्तु मनःपर्ययज्ञान का विषय केवल मन है, जो कि रूपीद्रव्य का अनन्त भाग है।

उपर्युक्त विवेचन को देखने से मालूम पड़ता है कि अर्थात्ज्ञान और मनःपर्ययज्ञान में कोई ऐसा अन्तर नहीं जिसके आधार पर दोनों को स्वतन्त्र सिद्ध हो सकें। दोनों में एक ही ज्ञान की दो भूमिकाओं में अधिक अन्तर नहीं है। एक ज्ञान कम विद्युद्ध है, दूसरा ज्ञान अधिक विद्युद्ध है। दोनों के विषयों में भी समानता ही है। क्षेत्र और स्थानों की दृष्टि से भी सीमा की न्यूनाधिकता है। कोई ऐसा भौतिक अन्तर नहीं दीगता जिसके कारण दोनों को स्वतन्त्र ज्ञान कहा जा सके। दोनों ज्ञान प्राणिक आत्म-प्रत्यक्ष की कोटि में हैं। मति और अज्ञान के विषय में भी यही बात कही जा सकती है।

केवलज्ञान :

यह ज्ञान विद्युद्धतम है। मोहनीय, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और के क्षय में कैवल्य प्रकट होता है। मति, अज्ञान, अर्थात् और मनःपर्यय धामोपनिषदिक ज्ञान है। केवलज्ञान धामिक है। केवलज्ञान के चार प्रतिबंधक वर्ग हैं—मोहनीय, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अज्ञान। यद्यपि इन चारों वर्गों के क्षय से चार भिन्न-भिन्न शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं, किन्तु केवलज्ञान उन सब में मुख्य है, इसलिए हमने उपर्युक्त आत्म

इसमुक्त वादलों में है। यह तो दृष्टि के लिए एक आधारमात्र है। इसी प्रकार मन भी अर्थ जानने का एक आधारमात्र है। वास्तव में त्वक्ष तो अर्थ का ही होता है। इसके लिए मन के आधार की आवश्यकता अवश्य रहती है। दूसरी परम्परा यह मानने के लिए तैयार नहीं। वहाँ मन का ज्ञान मुख्य है और अर्थ का ज्ञान उस ज्ञान के बाद की चीज है। मन के ज्ञान में अर्थ का ज्ञान होता है कि सीधा अर्थज्ञान। मनःपर्यय का अर्थ ही यह है कि मन की पर्यायों का ज्ञान न कि अर्थ की पर्यायों का ज्ञान।

उपर्युक्त दोनों परम्पराओं में से दूसरी परम्परा युक्तिसंगत लूम होती है। मनःपर्ययज्ञान से साक्षात् अर्थज्ञान होना सम्भव है, क्योंकि उसका विषय रूपी द्रव्य का अनन्तवाँ भाग है। यदि हम मन के सम्पूर्ण विषयों का साक्षात् ज्ञान कर लेता है तो रूपी द्रव्य भी उसके विषय हो जाते हैं, क्योंकि मन से अरूपी अर्थ का भी विचार हो सकता है। ऐसा होना इष्ट नहीं। मनःपर्ययज्ञान मूर्त द्रव्यों का साक्षात्कार करता है और वह भी अवधि-न जितना नहीं। अवधिज्ञान सब प्रकार के पुद्गल द्रव्यों का ग्रहण करता है किन्तु मनःपर्ययज्ञान उनके अनन्तवै भाग अर्थात् मनरूप के हुये पुद्गलों का मानुपोत्तर क्षेत्र के अन्तर्गत ही ग्रहण करता है। मन का साक्षात्कार हो जाने पर तच्चिन्तित अर्थ का ज्ञान अनुमान से हो सकता है। ऐसा होने पर मन के द्वारा चिन्तित मूर्त, प्रमूर्त सभी द्रव्यों का ज्ञान हो सकता है।

अवधि और मनःपर्यय :

अवधि और मनःपर्यय दोनों ज्ञान रूपी द्रव्य तक सीमित हैं तथा अपूर्ण अर्थात् विकलप्रत्यक्ष हैं। इतना होते हुए भी दोनों में अन्तर है। यह अन्तर चार दृष्टियों से है—विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी और विषय। मनःपर्ययज्ञान अपने विषय को अवधिज्ञान की अपेक्षा विशदरूप से जानता

१—'तदनन्तभागे मनःपर्यायस्य' ।

—तत्त्वार्थसूत्र १।२६

२—'विशुद्धिक्षेत्रस्वामिद्विषयेभ्योऽवधिमनःपर्याययोः ।

—तत्त्वार्थसूत्र १।२६

जो विशेष का ग्रहण करता है वह सविकल्पक है। सत्ता सामान्य की सर्वोत्कृष्ट भूमिका है। सत्ता में भेद होते ही विशेष प्राग्जन्य होता जाता है।

जैनदर्शन में दर्शन और ज्ञान की मान्यता बहुत प्राचीन है। बर्मों के आठ भेदों में पहले के दो भेद ज्ञान और दर्शन से सम्बन्धित हैं। बर्मों के विषयक मान्यता जितनी प्राचीन है, ज्ञान और दर्शन की मान्यता उतनी ही प्राचीन है। ज्ञान को आच्छादित करने वाले बर्मों का ज्ञानावरण कर्म है। दर्शन की शक्ति को आवृत्त करने वाले बर्मों का दर्शनावरण कर्म कहते हैं। इन दोनों प्रकार के आवरणों के सयोग से ज्ञान और दर्शन का आविर्भाव होता है। आगमों में ज्ञान के लिए 'जाणइ' (जानाति) अर्थात् जानता है और दर्शन के लिए 'पश्यति' (पश्यति) अर्थात् देखना है का प्रयोग हुआ है।

साकार और असाकार के स्थान पर एक मान्यता यह भी देगती आती है कि वहिमुग्ग उपयोग ज्ञान है और भण्णमुग्ग उपयोग दर्शन है। आचार्यों औरसेन विस्तृत है कि सामान्य-विशेषात्मक बाह्य-पार्य का ही ज्ञान है और तदात्मक आत्मा का ग्रहण दर्शन है। 'सत्य सामान्य-विशेषात्मक है। चाहे आत्मा ही, चाहे आत्मा के इतर पदार्थ ही—सब एकात्मक से युक्त हैं। दर्शन और ज्ञान का भेद यही है कि दर्शन सामान्य-विशेषात्मक आत्मा का उपयोग है—स्वरूप दर्शन है, जब कि ज्ञान साकार से इतर प्रमेय का ग्रहण करता है। इसके अतिरिक्त दर्शन और ज्ञान कोई अन्तर नहीं है। जो लोग यह मानते हैं कि सामान्य का ही दर्शन है और विशेष का ग्रहण ज्ञान है वे इन मत के अनुसार हैं और ज्ञान का स्वरूप नहीं जानते। सामान्य और विशेष दोनों पर के धर्म हैं। एक के अभाव में दूसरा नहीं रह सकता। दर्शन और ज्ञान इन दोनों धर्मों का ग्रहण करते हैं। केवल सामान्य का केवल विशेष का ग्रहण नहीं हो सकता। सामान्य-अतिरिक्त विशेष का ग्रहण करने का

१—'सामान्य-विशेषात्मक-बाह्य-पार्य-ग्रहणं ज्ञानम्, तदात्मक-स्वरूप-ग्रहणं दर्शनं' इति शिष्टम्।

—पद-संग्रहण पर प्रकाश दीया १११

प्रयोग किया है। मर्व-प्रथम मोह का क्षय होता है। तदनन्तर जन्तुमुहूर्त के बाद ही ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय—इन तीनों कर्मों का क्षय होता है। तदनन्तर केवलज्ञान पैदा होता है और उसके साथ-ही-साथ केवलदर्शन आदि तीन अन्य शक्तियाँ भी उत्पन्न होती हैं। केवलज्ञान का विषय सर्व द्रव्य और सर्व पर्याय है^१। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है, जिसको केवलज्ञानी न जानता हो। कोई भी पर्याय ऐसा नहीं है, जो केवलज्ञान का विषय न हो। जितने भी द्रव्य हैं और उनके वर्तमान, भूत और भविष्य के जितने भी पर्याय हैं, सब केवलज्ञान के विषय हैं। केवलज्ञान के समय मति आदि चारों ज्ञान नहीं होते, इसका निर्देश पहले कर चुके हैं। आत्मा की ज्ञानशक्ति का पूर्ण विकास या आविर्भाव केवलज्ञान है। इस ज्ञान के होते ही जितने छोटे छोटे क्षायोपशमिक ज्ञान हैं, सब समाप्त हो जाते हैं। मति आदि क्षायोपशमिक ज्ञान आत्मा के अपूर्ण विकास के द्योतक हैं। जब आत्मा का पूर्ण विकास हो जाता है तब इनकी स्वतः समाप्ति हो जाती है। पूर्णता के साथ अपूर्णता नहीं टिक सकती। मरे शब्दों में पूर्णता के अभाव का नाम ही अपूर्णता है। पूर्णता का असद्भाव अपूर्णता के असद्भाव का द्योतक है। केवलज्ञान केवल-प्रत्यक्ष है—सम्पूर्ण है, अतः उसके साथ मति आदि अपूर्णज्ञान ही रह सकते। जैन दर्शन की केवलज्ञान-विषयक मान्यता व्यक्ति के ज्ञान के विकास का अन्तिम सोपान है।

दर्शन और ज्ञान :

आत्मा का स्वरूप बताते समय हम कह चुके हैं कि उपयोग जीव का लक्षण है। यह उपयोग दो प्रकार का होता है—अनाकार और साकार। अनाकार उपयोग को दर्शन कहते हैं और साकार उपयोग को ज्ञान^१। अनाकार का अर्थ है—निर्विकल्पक और साकार का अर्थ है—सविकल्पक। जो उपयोग सामान्यभाव का ग्रहण करता है वह निर्विकल्पक है और

१—'सर्वद्रव्यपरिधिषु केवलस्य'। —तत्त्वार्थसूत्र १।३०

२—तत्त्वार्थसूत्रभाष्य १६

निकम से सुवर्ण का, गन्ध से पुष्प का, रस से लवण का, धारा से मदिरा का, स्पर्श से वस्त्र का अनुमान गुण से गुणी का अनुमान है।

सींग से भैंसे का, दिग्मा से कुक्कुट का, दांत से हाथी का, दाँत से बरह का, पिच्छ में मयूर का, गुर से घोड़े का, नग से घ्रात्र का, चर्म से चमरो गाय का, पूर्य से बन्दर का, दो पैर से मनुष्य का, पाँच पैर से पशु का, बहुत पैर से गोजर आदि का, केसर से सिंह का, बृहत् से वृषभ का, बलपवानी भुजा से महिला का, परिरत्नबन्ध से घोडा का, अथोवस्त्र-लहंगे से नारी का अनुमान अवयव से अवयवी का अनुमान है।

धूम से बग्घि का, चलाका से पानी का, अर्थाधिकार से दृष्टि का नीलगमाचार से कुलपुत्र का अनुमान आश्रित से आश्रय का अनुमान है।

ये पाँच भेद अपूर्ण मालूम होते हैं। कारण घोर कार्य की भेद में भेद कर दिए किन्तु गुण और गुणी, अवयव और अवयवी तथा आश्रित आश्रय के दो दो भेद नहीं किए। जब कारण से कार्य का अनुमान का सकते है तो गुणी ने गुण, अवयवी से अवयव और आश्रय से आश्रित का अनुमान भी हो सकता है। सूत्रकार ने किस सिद्धान्त के आधार पर पाँच भेद किए, यह नहीं कहा जा सकता।

दृष्ट माघर्म्यवत्—इसके दो भेद हैं—सामान्य दृष्ट और विशेष दृष्ट किन्ती एक वस्तु के दर्शन में सजानीय सभी वस्तुओं का ज्ञान करके अवयवा जाति के ज्ञान में किसी विशेष पदार्थ का ज्ञान करना, सामान्य दृष्ट अनुमान है। एक पुरुष को देखकर पुरुषजातीय सभी व्यक्तियों के ज्ञान करना अथवा पुरुषजाति के ज्ञान में पुरुषविशेष का ज्ञान करना सामान्यदृष्ट अनुमान का दृष्टान्त है।

अनेक वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को पृथक् करने उसका ज्ञान करना विशेषदृष्ट अनुमान है। अनेक पुरुषों में से एक पुरुष विशेष पुरुष को पृथक् जानना कि 'यह वही पुरुष है' जिसे मैंने सामुहिक स्थान पर देखा कि विशेषदृष्ट दृष्टमाघर्म्यवत् अनुमान का उदाहरण है।

सामान्यदृष्ट अनुमान के सामान्य लक्ष्य है घोर विशेषदृष्ट अनुमान के लक्ष्य विशेष नहीं होता।

ज्ञान अप्रमाण है। इसी प्रकार विशेषव्यतिरिक्त सामान्य का ग्रहण करने वाला दर्शन गिख्या है^१। इसी मत का समर्थन करते हुए ब्रह्मदेव कहते हैं कि ज्ञान और दर्शन का दो दृष्टियों से विचार करना चाहिए। एक तर्कदृष्टि है और दूसरी सिद्धान्तदृष्टि है। दर्शन को सामान्यग्राही (सत्ताग्राही) मानना तर्कदृष्टि से ठीक है। सिद्धान्तदृष्टि अर्थात् आगम-दृष्टि से आत्मा का सच्चा उपयोग दर्शन है और वाह्य अर्थ का ग्रहण ज्ञान है^२। व्यवहार दृष्टि से ज्ञान और दर्शन का भेद है। निश्चय दृष्टि से ज्ञान और दर्शन अभिन्न हैं। आत्मा ज्ञान और दर्शन दोनों का आश्रय है। आत्मा की दृष्टि से दोनों कोई भेद नहीं^३। ज्ञान और दर्शन का विशेष और सामान्य के आधार पर जो भेद है उसका स्पष्टीकरण दूसरी तरह से भी किया गया है। अन्य दर्शनवालों को समझाने के लिए सामान्य और विशेष का प्रयोग। जो जैन तत्त्वज्ञान से परिचित हैं उनके लिए तो शास्त्रीय व्याख्यान ग्राह्य है। शास्त्रीय परम्परा के अनुसार आत्मा और इतर का भेद वास्तविक है^४।

आत्मा और तदितर के भेद से दर्शन और ज्ञान में भेद मानने वाले त्वाचार्यों की संख्या अधिक नहीं है। दर्शन के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले त्वाचार्यों में से अधिकांश ने साकार और अनाकार के भेद को ही माना। असेन की यह युक्ति ठीक है कि तत्त्व सामान्य-विशेषात्मक है। कोई जैन दर्शन का आचार्य इस सिद्धान्त को अस्वीकृत नहीं करता। दर्शन

१—पट्वण्डागम् पर धवला टीका, १।१।४

२—एवं तर्काभिप्रायेण सत्तावलोकनदर्शनं व्याख्यातम्। अत ऊर्ध्वं सिद्धांता-
भिप्रायेण कथ्यते। तथाहि उत्तरज्ञानोत्पत्तिनिमित्तं यत् प्रयत्नं तद्रूपं
यत् स्वस्यात्मनः परिच्छेदनमवलोकनं तद्दर्शनं भण्यते। तदनन्तरं यद्
बहिर्विषये विकल्परूपेण पदार्थग्रहणं तज्ज्ञानमिति वार्तिकम्।

—द्रव्यसंग्रह वृत्ति गा० ४४

३—वही ४४

४—वही ४४

निकप से सुवर्ण का, गन्ध से पुष्प का, रस से लवण का, से मदिरा का, स्पर्श से वस्त्र का अनुमान गुण से गुणी का अनुमान है।

सींग से भैंसे का, शिखा से कुक्कुट का, दांत से हाथी का, दाढ़ से वराह का, पिच्छ से मयूर का, खुर से घोड़े का, नख से व्याघ्र का, केश से चमरी गाय का, पूँछ से वन्दर का, दो पैर से मनुष्य का, चार पैर से पशु का, बहुत पैर से गोजर आदि का, केसर से सिंह का, ककुभ से वृषभ का, बलयवाली भुजा से महिला का, परिकरबन्ध से घोड़ा का, अधोवस्त्र-लेंहगे से नारी का अनुमान अवयव से अवयवी का अनुमान है।

धूम से बन्हि का, बलाका से पानी का, अभ्रविकास से वृष्टि का, शीलसमाचार से कुलपुत्र का अनुमान आश्रित से आश्रय का अनुमान है।

ये पाँच भेद अपूर्ण मालूम होते हैं। कारण और कार्य को लेकर दो भेद कर दिए किन्तु गुण और गुणी, अवयव और अवयवी तथा आश्रित आश्रय के दो दो भेद नहीं किए। जब कारण से कार्य का अनुमान कर सकते हैं तो गुणी से गुण, अवयवी से अवयव और आश्रय से आश्रित का अनुमान भी हो सकता है। सूत्रकार ने किस सिद्धान्त के आधार पर पाँच भेद किए, यह नहीं कहा जा सकता।

दृष्ट साधर्म्यवत्—इसके दो भेद हैं—सामान्य दृष्ट और विशेष दृष्ट किसी एक वस्तु के दर्शन से सजातीय सभी वस्तुओं का ज्ञान करना अथवा जाति के ज्ञान से किसी विशेष पदार्थ का ज्ञान करना, सामान्य दृष्ट अनुमान है। एक पुरुष को देखकर पुरुषजातीय सभी व्यक्तियों का ज्ञान करना अथवा पुरुषजाति के ज्ञान से पुरुषविशेष का ज्ञान करना सामान्यदृष्ट अनुमान का दृष्टान्त है।

अनेक वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को पृथक् करके उसका ज्ञान करना विशेषदृष्ट अनुमान है। अनेक पुरुषों में खड़े हुए विशेष पुरुष को पहचानना कि 'यह वही पुरुष है जिसे मैंने अमुक स्थान पर देखा था' विशेषदृष्ट दृष्टसाधर्म्यवत् अनुमान का उदाहरण है।

सामान्यदृष्ट उपमान के समान लगता है और विशेषदृष्ट प्रत्यभिज्ञान से भिन्न प्रतीत नहीं होता।

काल की दृष्टि से भी अनुमान तीन प्रकार का होता है। अनुयोगद्वारा इन तीनों प्रकारों का वर्णन है :—

१—अतीतकालग्रहण—नृणयुक्तवन, निष्पन्नशस्यवाली पृथ्वी, जल भरे हुए कुण्ड-सर-नदी-तालाब आदि देखकर यह अनुमान करना कि अच्छी वर्षा हुई है, अतीतकालग्रहण है।

२—प्रत्युत्पन्नकालग्रहण—भिक्षाचर्या के समय प्रचुर मात्रा में भिक्षा प्राप्त होती देखकर यह अनुमान करना कि सुभिक्ष है, प्रत्युत्पन्नकालग्रहण है।

३—अनागतकालग्रहण—मेघों की निर्मलता, काले-काले पहाड़, द्युतयुक्त बादल, मेघगर्जन, वातोद्भ्रम, रक्तश्रीर स्निग्ध सन्ध्या आदि देखकर यह सिद्ध करना कि खूब वर्षा होगी, अनागतकालग्रहण है।

इन तीनों लक्षणों की विपरीत प्रतीति से विपरीत अनुमान किया जा सकता है। सूखे वनों को देखकर कुवृष्टि का, भिक्षा की प्राप्ति न होने पर दुर्भिक्ष का और खाली बादल देखकर वर्षा के अभाव का अनुमान करना विपरीत प्रतीति के उदाहरण हैं।

अनुमान के अवयव—मूल आगमों में अवयव की चर्चा नहीं है। शब्द का अर्थ होता है दूसरों को समझाने के लिए जो अनुमान का प्रयोग किया जाता है उसके हिस्से। किस ढंग से अनुमान का प्रयोग करना चाहिए? उसके लिए किस ढंग से वाक्यों की संगति बैठानी चाहिए? अधिक से अधिक कितने वाक्य होने चाहिए? कम से कम कितने वाक्यों का प्रयोग होना चाहिए? इत्यादि बातों का विचार शब्द-चर्चा में किया जाता है। आचार्य भद्रबाहु ने दशवैकालिक-पुक्ति में अवयवों की चर्चा की है। उन्होंने दो से लगाकर दस अवयवों के प्रयोग का समर्थन किया है^१। दस अवयवों को भी उन्होंने दो

१—'कथं पञ्चवयव्यं दसहा वा सव्वहा एण पडिकुत्थंति ।

और अप्रमाण का निर्णय तभी होता है जब वह वस्तु से मिलता जाता है। जैसी वस्तु है वैसा ही ज्ञान होता है तो उसे हम प्रमाण कहते हैं। विपरीत ज्ञान होता है तो उसे हम अप्रमाण कहते हैं। नैयायिकों का यह सिद्धान्त परतःप्रामाण्यवाद है। इसमें प्रामाण्य का निश्चय स्वतः न होकर परतः होता है। सांख्यदर्शन की मान्यता का भी उल्लेख कर देना चाहिए। सांख्यों की मान्यता है कि प्रामाण्य और अप्रामाण्य दोनों स्वतः हैं। अमुकज्ञान प्रमाण है या अमुक ज्ञान अप्रमाण है, दोनों निर्णय स्वतः होते हैं। यह मान्यता नैयायिकों से बिल्कुल विपरीत है। अस्तु, नैयायिक प्रामाण्य और अप्रामाण्य दोनों पर मानते हैं, जब कि सांख्य प्रामाण्य और अप्रामाण्य दोनों स्वतः मानते हैं। जैनदर्शन इन तीनों से भिन्न सिद्धान्त की स्थापना करता है। प्रामाण्यनिश्चय के लिए स्वतःप्रामाण्यवाद और परतःप्रामाण्यवाद दोनों की आवश्यकता है। स्वतःप्रामाण्यवाद के उदाहरण देखिए—एक व्यक्ति अपनी हथेली हमेशा देखता है। वह उससे परिचित है। उस व्यक्ति के हथेली-विषयक ज्ञान के प्रामाण्य निश्चय करने के लिए किसी बाह्य वस्तु की आवश्यकता नहीं है। हथेली को देखते ही वह व्यक्ति निश्चय कर लेता है कि यह मेरी ही हथेली है। दूसरा उदाहरण पानी का है। एक व्यक्ति को प्यास लगी है। वह पानी पीता है और तुरन्त प्यास बुझ जाती है। प्यास बुझते ही वह समझ लेता है कि मैंने पानी ही पिया। वह पानी पी या नहीं, इसका निश्चय करने के लिए उसे दूसरी वस्तु का सहारा नहीं लेना पड़ता। कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब व्यक्ति अपने आप अपने ज्ञान के प्रामाण्य का निश्चय नहीं कर पाता। उसे किसी बाह्य वस्तु का सहारा लेना पड़ता है। उदाहरण के लिए एक कमरे में छोटा सा छेद है। उससे थोड़ा सा प्रकाश बाहर निकल रहा है। वह प्रकाश दीपक का है या मणि का इसका निर्णय नहीं हो सकता है। इसके निर्णय के लिए कमरा खोला जाता है। दीपक की किरणें दिखाई देती हैं। तेल का प्रत्यक्ष होता है। इन सब चीजों को देख कर यह निश्चय हो जाता है कि मेरा दीपक-विषयक ज्ञान तो सही है और मणिविषयक ज्ञान भ्रम है। दीपक-विषयक ज्ञान के प्रामाण्य का निश्चय होता है और मणि-विषयक ज्ञान के अप्रामाण्य का

काल की दृष्टि से भी अनुमान तीन प्रकार का होता है। अनुयोगद्वारा इन तीनों प्रकारों का वर्णन है :—

१—अतीतकालग्रहण—नृणयुक्तवन, निष्पन्नगस्यवाली पृथ्वी, जल से भरे हुए कुएँ-सर-नदी-तालाब आदि देखकर यह अनुमान करना कि प्रच्यो वर्षा हुई है, अतीतकालग्रहण है।

२—प्रत्युत्पन्नकालग्रहण—भिक्षाचर्या के समय प्रचुर मात्रा में भिक्षा प्राप्त होती देखकर यह अनुमान करना कि सुभिक्ष है, प्रत्युत्पन्नकालग्रहण है।

३—अनागतकालग्रहण—मेघों की निर्मलता, काले-काले पहाड़, वृक्षयुक्त बादल, मेघगर्जन, वातोद्भ्रम, रक्त और स्निग्ध सन्ध्या, आदि देखकर यह सिद्ध करना कि खूब वर्षा होगी, अनागतकालग्रहण है।

इन तीनों लक्षणों की विपरीत प्रतीति से विपरीत अनुमान किया जा सकता है। सूखे वनों को देखकर कुवृष्टि का, भिक्षा की प्राप्ति न मिलने पर दुभिक्षा का और खाली बादल देखकर वर्षा के अभाव का अनुमान करना विपरीत प्रतीति के उदाहरण हैं।

अनुमान के अवयव—मूल आगमों में अवयव की चर्चा नहीं है। अवयव का अर्थ होता है दूसरों को समझाने के लिए जो अनुमान का प्रयोग किया जाता है उसके हिस्से। किस ढंग से अनुमान का प्रयोग करना चाहिए? उसके लिए किस ढंग से वाक्यों की संगति बैठानी चाहिए? अधिक से अधिक कितने वाक्य होने चाहिए? कम से कम कितने वाक्यों का प्रयोग होना चाहिए? इत्यादि बातों का विचार अवयव-चर्चा में किया जाता है। आचार्य भद्रबाहु ने दशवैकालिक-युक्ति में अवयवों की चर्चा की है। उन्होंने दो से लगाकर दस अवयवों के प्रयोग का समर्थन किया है^१। दस अवयवों को भी उन्होंने दो

१—'कथं पंचावयव्यं दसहा वा सव्वहा ए पडिकुत्थंति।

होने से अनुमानादि अव्यभिचारी हैं। यदि कहीं कहीं प्रत्यक्ष में दे या व्यभिचार आ सकता है तो अनुमानादि में भी वैसी संभावना सकती है। ऐसी स्थिति में एक को प्रमाण मानना और दूसरे अप्रमाण मानना युक्ति संगत नहीं कहा जा सकता। जिस यथार्थ के कारण प्रत्यक्ष में प्रमाणाता की स्थापना की जा सकती है उस यथार्थता को दृष्टि में रखते हुए अनुमानादि को भी प्रमाण कहा जा सकता है।

वैशेषिक और सांख्य तीन प्रमाण मानते हैं—प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। नैयायिक चार प्रमाण स्वीकृत करते हैं—प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम और उपमान। प्राभाकर पाँच प्रमाण मानते हैं—प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान और अर्थापत्ति। भाट्ट इससे आगे बढ़ते हैं। वे प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान, अर्थापत्ति और अभाव—ये छः प्रमाण मानते हैं। जैन-दर्शन-सम्मत दोनों प्रमाणों में ये सब प्रमाण समा जाते हैं। प्रत्यक्ष को अन्य दर्शनों की तुलना में जैनदर्शन भी प्रमाण मानता है। अनुमान जैनदर्शन-सम्मत परमाणु का एक भेद है। आगम भी परोक्ष का ही एक प्रकार है। उपमान भी परोक्ष प्रमाणान्तर्गत है। अर्थापत्ति अनुमान से भिन्न नहीं है। अभाव प्रत्यक्ष का ही एक अंश है। वस्तु भाव और अभाव उभय रूपों का ही एक अंश है। वस्तु भाव और अभाव उभय रूपों का ही एक अंश है। दोनों का ग्रहण प्रत्यक्ष से ही होता है। जहाँ हम वस्तु के भावांश का ग्रहण करते हैं वहाँ उसके अभावांश का भी ग्रहण रूप से ग्रहण हो ही जाता है अन्यथा अभावांश का भी भावरूप ग्रहण होता। वस्तु भाव और अभाव—इन दो रूपों को छोड़कर तीसरे रूप में नहीं मिलती। एक वस्तु जिस दृष्टि से भावरूप तदितर दृष्टि से अभावरूप है। जब भावरूप का ग्रहण होता है अभावरूप का भी ग्रहण होता है। दोनों प्रत्यक्षग्राह्य हैं। ऐसी स्थिति में अभावग्राहक भिन्न प्रमाण की आवश्यकता नहीं रह जाते अभाव की दूसरी तरह से परीक्षा करें। इस भूमि पर घट नहीं है यह अभाव का उदाहरण है। यहाँ अभाव प्रमाण घटाभाव का ग्रहण करता है। यह घटाभाव क्या है? यदि हम इसका विचार करें तो मालूम होगा कि यह घटाभाव शुद्ध भूतल के अतिरिक्त

इस निश्चय के लिए बत्ती, तेल आदि का आधार लेना पड़ा। दूसरा उदाहरण लीजिए। एक जगह सफेद ढेर लगा हुआ है। हमें ऐसी गतीति हो रही है कि यह शक्कर है, किन्तु इसका निश्चय कैसे हो के यह शक्कर ही है। उसमें से थोड़ी सौ मात्रा उठा कर मुँह में गल ली। मुँह मीठा हो गया। तुरन्त निश्चय हो गया कि यह शक्कर है। इस निर्णय के लिए पदार्थ के कार्य या परिणाम की तोक्षा करनी पड़ी। स्वतः निर्णय न हो सका। यदि वही ढेर हलें देखा हुआ होता तो तुरन्त निर्णय हो जाता कि यह शक्कर का ढेर है। उस अवस्था में होने वाला ज्ञान का प्रामाण्य स्वतः होता। आगे के परिणाम की प्रतीक्षा करने पर होने वाला प्रामाण्य-निश्चय परतःप्रामाण्यवाद के अन्तर्गत है। जैन दर्शन स्वतः प्रामाण्यवाद और परतःप्रामाण्यवाद दोनों का भिन्न-भिन्न दृष्टि में समर्थन करता है। अभ्यासावस्था आदि में होने वाला निश्चय स्वतःप्रामाण्यवाद का साक्षी है। किसी अन्य आधार पर होने वाला प्रामाण्य-निश्चय परतःप्रामाण्यवाद का समर्थक है।

प्रमाण का फल :

प्रमाण के भेद-प्रभेद की चर्चा करने के पहले यह जानना आवश्यक है कि प्रमाण का फल क्या है? प्रमाण की चर्चा क्यों की जाय? प्रमाण-चर्चा से क्या लाभ है? प्रमाण का प्रयोजन क्या है? प्रमाण का मुख्य प्रयोजन अर्थप्रकाश है।^१ अर्थ का ठीक-ठीक स्वरूप समझने के लिए प्रमाण का ज्ञान आवश्यक है। प्रमाण-अप्रमाण के विवेक के बिना अर्थ के यथार्थ—अयथार्थ स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता। इसी बात को दूसरी तरह से यों कह सकते हैं—प्रमाण का साक्षात् फल अज्ञान का नाश है। केवलज्ञान के लिए उसका फल शेष और उपेक्षा है। शेष ज्ञानों के लिए ग्रहण और त्यागबुद्धि है।^१

१—'फलमर्थप्रकाशः'

—वही १।१।३४

२—प्रमाणस्य फलं साक्षादज्ञानविनिवर्तनम् ।
केवलस्य सुबोपेक्ष, शेषस्यादानहानयोः ॥

—न्यायावतार २८

पदार्थ और ज्ञान में कारण और कार्य का सम्बन्ध नहीं है। उनमें ज्ञेय और ज्ञाता, प्रकाश्य और प्रकाशक, व्यवस्थाप्य और व्यवस्थापक का सम्बन्ध है। इन सब तथ्यों को देखते हुए स्मृति को प्रमाण मानना युक्तिसंगत है। स्मृति को प्रमाण न मानने पर अनुमान भी प्रमाण नहीं हो सकता क्योंकि लिंग और लिंगी का सम्बन्ध-ग्रहण प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। अनेक वार के दर्शन के बाद निश्चित होने वाला लिंग और लिंगी का सम्बन्ध स्मृति के अभाव में कैसे स्थापित हो सकता है ! लिंग को देखकर साध्य का ज्ञान भी बिना स्मृति के नहीं हो सकता। सम्बन्ध-स्मरण के बिना अनुमान सर्वथा असम्भव है।

प्रत्यभिज्ञान—दर्शन और स्मरण से उत्पन्न होने वाला 'यह वही है'; 'यह उसके समान है,' 'यह उससे विलक्षण है,' 'यह उमका प्रतियोगी है' इत्यादि रूप में रहा हुआ संकलनात्मक ज्ञान प्रत्यभिज्ञान है। प्रत्यभिज्ञान में दो प्रकार के अनुभव कार्य करते हैं—एक प्रत्यक्ष दर्शन, जो वर्तमान काल में रहता है, और दूसरा स्मरण, जो भूतकाल का अनुभव है। जिस ज्ञान में प्रत्यक्ष और स्मृति इ दोनों का संकलन रहता है वह ज्ञान प्रत्यभिज्ञान है। 'यह वही घट' इस प्रकार का ज्ञान अभेद का ग्रहण करता है। 'यह' प्रत्यक्ष दर्शन का विषय है और 'वही' स्मृति का विषय है। घट दोनों में एक ही है अतः यह अभेद-विषयक प्रत्यभिज्ञान है। 'यह घट उस घट के समान' यह ज्ञान सादृश्यविषयक है। इसी ज्ञान को अन्य दर्शनों में उपमा कहा गया है। 'गवय गौ के समान है' यह शास्त्रीय उदाहरण है 'भेस गाय से विलक्षण है' इस प्रकार का ज्ञान विसदृशता का ग्रहण करता है। यह ज्ञान सादृश्यविषयक ज्ञान से विपरीत है। यह उमने छोटा है, यह उससे दूर है—इत्यादि ज्ञान भेद का ग्रहण करते हैं। यह ज्ञान अभेदग्राहक ज्ञान से विपरीत है। तुलनात्मक ज्ञान चाहे

१—'दर्शनस्मरणसम्भवं तदवेदं तत्सदृशं नद्विन्क्षणं तत्प्रतियोगीत्यादि-संकलन प्रत्यभिज्ञानम् ।'

होता है। जिस भूतल पर पहले हमने घट देखा था उसी भूतल को अब हम शुद्ध भूतल के रूप में देख रहे हैं। यह शुद्ध भूतल ही आभाव है और इसका दर्शन प्रत्यक्षपूर्वक है। इस विश्लेषण से ही फलित होता है कि अभाव प्रत्यक्ष से भिन्न नहीं है। एक का भाव दूसरे का भाव है।

प्रत्यक्ष :

प्रत्यक्ष का लक्षण वैशद्य या स्पष्टता है। सन्निकर्ष या कल्पना-द्वय प्रत्यक्ष का लक्षण नहीं माना गया है। वैशद्य किसे कहते हैं? उसके प्रतिभास के लिए किसी प्रमाणान्तर की आवश्यकता न हो यथा जो 'यह'—इदन्तया प्रतिभासित होता हो उसे वैशद्य कहते हैं। प्रमाणान्तर का निषेध इसलिए किया गया है कि प्रत्यक्ष अपने अप्य के प्रतिभास के लिए स्वयं समर्थ है। उसे किसी दूसरे प्रमाण सहायता की अपेक्षा नहीं। अनुमान, आगमादि प्रमाण अपने में पूर्ण नहीं हैं। उनका आधार प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष अपने में पूर्ण है। उसे किसी अन्य आधार के सहयोग की आवश्यकता नहीं है। इस रूप से प्रतिभासित होना भी प्रत्यक्षपूर्वक ही है। 'यह' अर्थ स्पष्ट प्रतिभास है। जिस प्रतिभास में स्पष्टता न हो, बीच व्यवधान हो, एक प्रतीति के आधार से दूसरी प्रतीति तक चिन्ना पड़ता हो वह प्रतिभास 'यह' एतद्रूप प्रतिभास नहीं है। प्रत्यक्ष में इस प्रकार कोई व्यवधान नहीं रहता।

हम यह देख चुके हैं कि जैनताकियों ने प्रत्यक्ष का दो दृष्टियों प्रतिपादन किया। एक लोकोत्तर या पारमार्थिक दृष्टि है और

१—'विशदः प्रत्यक्षम्'

—प्रमाणमीमांसा १।१।१३

'स्पष्टं प्रत्यक्षम्'

—प्रमाणनयतत्त्वालोक २।२

'विशदं प्रत्यक्षमिति'

—परीक्षामुख २।३

२—'प्रमाणान्तरानपेक्षेदन्तया प्रतिभासो वा वैशद्यम्।'

—प्रमाणमीमांसा १।१।१४

'प्रतीत्यन्तराध्यवधानेन विशेषवत्तया वा प्रतिभासनं वैशद्यम्।'

—परीक्षामुख २।४

प्रकार हैं—स्वभाव, कारण, कार्य, एकार्थसमवायी और विरोधी।

वस्तु का स्वभाव ही जहाँ साधन (हेतु) बनता है वह स्वभाव-साधन है। 'अग्नि जलाती है क्योंकि वह उष्णस्वभाव है,' 'शब्द अनित्य है क्योंकि वह कार्य है' आदि स्वभावसाधन या स्वभावहेतु के उदाहरण हैं।

अमुक प्रकार के मेघ देखकर वर्षा का अनुमान करना कारण साधन है। जिस प्रकार के बादलों के नभ में आने पर वर्षा होती है वैसे बादलों को देखकर वर्षा होने का अनुमान करना कारण से कार्य का अनुमान है। साधारण से कारण को देख कर कार्य का अनुमान नहीं किया जाता। उभी कारण से कार्य का अनुमान किया जा सकता है जिसके होने पर कार्य अवश्य होता है। बाधक कारणों का अभाव और साधक कारणों को सत्ता ये दोनों आवश्यक हैं।

किसी कार्यविशेष को देखकर उसके कारण का अनुमान करना कार्य साधन है। प्रत्येक कार्य का कोई-न-कोई कारण होता है। बिना कारण के कार्योत्पत्ति नहीं हो सकती। कारण और कार्य के सम्बन्ध का ज्ञान होने पर ही कार्य को देखकर कारण का अनुमान हो सकता है। नदी में बाढ़ आती हुई देखकर यह अनुमान करना कि कहीं पर जोरदार वर्षा हुई है, कार्य से कारण का अनुमान है। धूम को देखकर अग्नि का अनुमान करना भी कार्य से कारण का अनुमान है।

एक अर्थ में दो या अधिक कार्यों का एक साथ रहना एकार्थसमवाय है। एक ही फल में रूप और रस साथ साथ रहते हैं। रूप को देखकर रस का अनुमान करना या रस को देखकर रूप का अनुमान करना, एकार्थसमवाय का उदाहरण है। रूप और रस में न तो कार्य-कारण भाव है, न रूप और रस का एक स्वभाव है। इन दोनों की एकत्रस्थिति एकार्थसमवाय के कारण है।

१—'स्वभावः कारणं कार्यमेकार्थसमवायि विरोधि चेति पंचधा साधनम्'।

वह किसी भी प्रकार का क्यों न हो, प्रत्यभिज्ञान के अन्दर समाविष्ट हो जाता है। केवल उपमान को ही प्रत्यभिज्ञान का पर्यायवाची मानना ठीक नहीं। सादृश्य, वैलक्षण्य, भेद, अभेद आदि सब का ग्रहण करने वाला ज्ञान प्रत्यभिज्ञान है।

तर्क—उपलम्भानुपलम्भनिमित्त व्याप्ति ज्ञान तर्क है। इसे ऊह ही कहते हैं। उपलम्भ का अर्थ है लिंग के सदभाव से साध्य के द्वाभाव का ज्ञान। धूम लिंग है और अग्नि साध्य है। धूम के द्वाभाव के ज्ञान से अग्नि के सदभाव का ज्ञान करना उपलम्भ है। अनुपलम्भ का अर्थ है साध्य के असदभाव से लिंग के असदभाव का ज्ञान। 'जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ धूम नहीं हो सकता' इस प्रकार निर्णय अनुपलम्भ है। उपलम्भ और अनुपलम्भ रूप जो व्याप्ति उससे उत्पन्न होने वाला ज्ञान तर्क है। 'इसके होने पर ही यह ता है, इसके अभाव में यह नहीं हो सकता। इस प्रकार का ज्ञान तर्क है। तर्क का दूसरा नाम ऊह है।

प्रत्यक्ष से व्याप्ति का ग्रहण नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्यक्ष का पक्ष सीमित है। जिस विषय से प्रत्यक्ष उत्पन्न होता है उसी पक्ष तक वह सीमित रहता है। त्रिकालविषयक व्याप्तिज्ञान से उत्पन्न नहीं हो सकता। साधारण प्रत्यक्ष का विषय वर्तमान-लीन सीमित पदार्थ है। किसी त्रिकालिक निर्णय पर पहुँचना प्रत्यक्ष के बस की बात नहीं। इसके लिए तो किसी स्वतन्त्र प्रमाण की आवश्यकता है जो त्रिकालविषयक निर्णय पर पहुँचने में समर्थ हो। यह प्रमाण तर्क है।

अनुमान भी तर्क का स्थान नहीं ले सकता, क्योंकि अनुमान का आधार ही तर्क है। जब तक तर्क से व्याप्तिज्ञान न हो जाय तब तक अनुमान की प्रवृत्ति ही असम्भव है। दूसरे शब्दों में यदि तर्कज्ञान नहीं है तो अनुमान की कल्पना ही नहीं हो सकती। अनुमान स्वयं तर्क पर प्रतिष्ठित है। ऐसी अवस्था में तर्क का

अग्नि की सिद्धि के लिए धूम हेतु दिया गया है। 'इस पर्वत में धूम है' यह उस हेतु का उपसंहार है। यही उपनय है।

निगमन—साध्य का पुनर्कथन निगमन है। प्रतिका के समान जो साध्य का निर्देश किया जाता है, उसको उपसंहार के रूप में पुनः दोहराना, निगमन कहलाता है। यह अन्तिम निर्णयरूप कथन है। 'इसलिए यहाँ अग्नि है' यह कथन निगमन का उदाहरण है।

इन पाँचों अवयवों को ध्यान में रखते हुए परार्थानुमान का पूर्णरूप इस प्रकार होगा—

इस पर्वत में अग्नि है, क्योंकि इसमें धूम है, जहाँ-जहाँ धूम होता है वहाँ-वहाँ अग्नि होती है—जैसे पाकशाला (साधर्म्यं दृष्टान्तः), जहाँ पर अग्नि नहीं होती वहाँ पर धूम नहीं होता—जैसे जलाशय (बंधर्म्यं दृष्टान्तः), इस पर्वत में धूम है, इसलिए यहाँ अग्नि है।

आगम—आप्त पुरुष के वचन से आविर्भूत होने वाला अर्थ-संवेदन आगम है। आप्त पुरुष का अर्थ है तत्त्व को यथावस्थित जानने वाला व तत्त्व का यथावस्थित निरूपण करने वाला। रागेन्द्र-पादि दोषों से रहित पुरुष ही आप्त हो सकता है, क्योंकि वह मिथ्यावादी नहीं हो सकता। ऐसे पुरुष के वचनों से होने वाला ज्ञान आगम कहलाता है। उपचार से आप्त के वचनों का संग्रह भी आगम है। परार्थानुमान और आगम में यही अन्तर है कि परार्थानुमान के लिए आप्तत्व आवश्यक नहीं है, जब कि आगम के लिए आप्त पुरुष अनिवार्य है। आप्त पुरुष है इसीलिए उसके वचन प्रमाण है। उनके प्रामाण्य के लिए अन्य कोई हेतु नहीं। परार्थानुमान के लिए हेतु का आधार आवश्यक है। हेतु की सचाई पर ज्ञान की सचाई निर्भर है। लौकिक और लोकोत्तर के भेद से आप्त दो प्रकार के होते हैं। साधारण व्यक्ति लौकिक आप्त हो सकते हैं। लोकोत्तर आप्त तीर्थंकरादि विशिष्ट पुरुष ही होते हैं।

१—'साध्यधर्मस्य पुनर्निगमनम् । यथा तस्मादग्निरथ' ।

—प्रमाणनयतत्त्वालोका ३।५१-५२

२—'आप्तवचनादाविर्भूतमर्थसंवेदन आगमः ।'

—वही ४। १

किमी विरोधी भाव से किसी के अभाव का अनुमान, विरोधी साधन से होने वाला अनुमान है। 'यहाँ पर ठण्ड नहीं है क्योंकि कि अग्नि जल रही है', 'यहाँ पर अग्नि का अभाव है क्योंकि ठण्ड लग रही है' आदि विरोधी साधन के उदाहरण हैं। अग्नि और ठण्डक का परस्पर विरोध है, इसलिये एक के होने पर दूसरी नहीं हो सकती। विरोधी की मात्रा ठीक-ठीक होने पर ही विरोधी साधन का प्रयोग हो सकता है। अग्नि की छोटी सी चिनगारी से ठण्डक के अभाव का अनुमान नहीं किया जा सकता। खूब अग्नि होने पर ही ठण्डक के अभाव का अनुमान करना सम्यक् है।

परार्थानुमान—साधन और साध्य के अविनाभावसम्बन्ध के कथन से उत्पन्न होने वाला ज्ञान परार्थानुमान है। स्वार्थानुमान का विवेचन करते समय हमने देखा है कि वह व्यक्ति में दूसरे की सहायता के बिना ही उत्पन्न होता है। परार्थानुमान इससे विपरीत है। एक व्यक्ति ने स्वयं साधन और साध्य के अविनाभाव का ग्रहण किया है और दूसरा व्यक्ति ऐसा है, जिसे इस सम्बन्ध का ज्ञान नहीं है। पहला व्यक्ति अपने ज्ञान का प्रयोग दूसरे व्यक्ति को समझाने के लिये करता है। उसके कथन से उत्पन्न होने वाला ज्ञान परार्थानुमान है। यह अनुमान उसके लिए नहीं है जो साधन और साध्य के सम्बन्ध से परिचित है अपितु उसके लिए है जिसे इस सम्बन्ध का ज्ञान नहीं है, अतः इसका नाम परार्थानुमान है।

परार्थानुमान ज्ञानात्मक है किन्तु उपचार से उसे बताने वाले वचन को भी परार्थानुमान कहा गया है। ज्ञानात्मक परार्थानुमान को उत्पत्ति वचनात्मक परार्थानुमान पर निर्भर है, इसलिये उपचार से वचन को भी परार्थानुमान कहा जाता है। परार्थानुमान के लिए हेतु का वचनात्मक प्रयोग दो तरह से हो सकता है। साध्य के होने पर ही साधन का होना बताने वाला, एक प्रकार है। साध्य

१—'यथोक्तसाधनाभिधानजः परार्थम्'।

—प्रमाणमीमांसा २।१।१

२—'पक्षहेतुवचनात्मकं परार्थमनुमानमुपचारात्'।

—प्रमाणनयतत्त्वालोक ३।२३

स्वाध्याय

विभज्यवाद और अनेकान्तवाद
एकान्तवाद और अनेकान्तवाद
जीव की नित्यता और अनित्यता
पुद्गल की नित्यता और अनित्यता
एकता और अनेकता
अस्ति और नास्ति
आगमों में स्वाध्याय
अनेकान्तवाद और स्वाध्याय
स्वाध्याय और सप्तभंगी
भंगों का आगमकालीन रूप
सप्तभंगी का दार्शनिक रूप
दोष-परिहार

है कि शास्त्रकार ने कितने सुन्दर ढंग से एक सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। चित्रविचित्र पंख वाला पुंस्कोकिल कौन है? य स्याद्वाद का प्रतीक है। जैनदर्शन के प्राणभूत सिद्धान्त स्याद्वाद का कैसा सुन्दर चित्रण है। वह एक वर्ण के पंख वाला कोकिल नही है, अपितु चित्रविचित्र पंख वाला कोकिल है। जहाँ एक ही तरह के पंख होते हैं वहाँ एकान्तवाद होता है, स्याद्वाद या अनेकान्तवाद नहीं। जहाँ विविध वर्ण के पंख होते हैं वहाँ अनेकान्तवाद या स्याद्वाद होता है, एकान्तवाद नहीं। एक वर्ण के पंख वाले चित्रविचित्र पंख वाले कोकिल में यही अन्तर है। केवलज्ञान या स्याद्वादपूर्वक ही होता है। इसे दिखाने के लिए केवलज्ञान होने पहले यह स्वप्न दिखाया गया है।

तत्त्व उत्पाद, व्यय और ध्रौव्यात्मक है, यह बात पहले निजा जा चुकी है। उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य वस्तु के चित्रविचित्र पंख हैं। महावीर ने इसी प्रकार के तत्त्वज्ञान का उपदेश दिया। उन्हें वस्तु के स्वरूप का सभी दृष्टियों से प्रतिपादन किया। जो वस्तु नित्य मालूम होती है वह अनित्य भी है। जो वस्तु क्षणिक प्रतीती होती है वह नित्य भी है। नित्यता और अनित्यता दोनों एक दूसरे का स्वरूप समझने के लिये आवश्यक हैं। जहाँ नित्यता की प्रतीती होती है वहाँ अनित्यता अवश्य रहती है। अनित्यता के अभाव में नित्यता की पहचान ही नहीं हो सकती। इसी प्रकार अनित्यता के अभाव में स्वरूप समझने के लिए नित्यता की प्रतीति अनिवार्य है। पदार्थ में ध्रौव्य या नित्यता नहीं है तो अनित्यता की प्रतीति नहीं हो सकती। नित्यता और अनित्यता सापेक्ष हैं। एक प्रतीति द्वितीय की प्रतीतिपूर्वक ही होती है। अनेकानेक प्रतीतियों के बीच जहाँ एक स्थिर प्रतीति होती है वही नित्य या ध्रौव्य की प्रतीति है। ध्रौव्य या नित्यत्व का महत्व तभी माना जाता है, जब उसके साथ में अनेक अनित्य प्रतीतियाँ होती हैं। अनित्य प्रतीति के न होने पर 'यह नित्य है' ऐसा ज्ञान ही नहीं सकता। जहाँ नित्यता की प्रतीति नहीं है, वहाँ 'यह अनित्य है' ऐसा भान ही नहीं हो सकता। नित्यता और अनित्यता दोनों

स्याद्राद

श्रमण भगवान् महावीर को केवलज्ञान होने के पहले कुछ स्वप्न आए थे, ऐसा भगवती सूत्र में उल्लेख है। उन स्वप्नों में से एक स्वप्न इस प्रकार है—'एक बड़े चित्रविचित्र पंखों वाले पुंस्कोकिल को स्वप्न में देख कर प्रतिबुद्ध हुए'। इस स्वप्न का क्या फल है, इसका विवेचन करते हुए कहा गया है कि श्रमण भगवान् महावीर ने जो चित्रविचित्र पुंस्कोकिल स्वप्न में देखा है उसका अर्थ यह है कि वे स्वपरसिद्धान्त का प्रतिपादन करने वाले विचित्र वादशांग का उपदेश देंगे।' इस वर्यांन को पढ़ने से यह मालूम होता

- १—'एगं च एगं महं चित्तविचित्तपक्खगं पुंसकोइलगं सुविणे पासित्ता एगं पडिबुद्धे'।—भगवती सूत्र १६।६
- २—'जण्णं समणे भगवं महावीरे एगं महं चित्तविचित्तं जाव पडिबुद्धे तण्णं समणे भगवं महावीरे विचित्तं ससमयपरसमइयं दुवालसंगं गणिएपिडगं आपवेति पन्नवेति परूवेति ।' —वही, १६।६

आगे बढ़ गया। महावीर ने इस दृष्टि पर बहुत भार दिया, जबकि बुद्ध ने यथावसर उसका प्रयोग तो कर लिया परन्तु उसे विशेष महत्व न दिया। बुद्ध के विभज्यवाद और महावीर के अनेकान्तवाद में कितनी अधिक समानता है, इसे समझने के लिए कुछ उदाहरण देते हैं। माणवक और बुद्ध की तरह गीतमादि और महावीर के बीच भी इसी प्रकार की चर्चा हुई है।

जयन्ती—भगवन् ! सोना अच्छा है या जगना ?

महावीर—जयन्ति ! कुछ जीवों का सोना अच्छा है और कुछ जीवों का जगना अच्छा है।

जयन्ती—यह कैसे ?

महावीर—जो जीव अधर्मी हैं, अधर्मानुग हैं, अधर्मिष्ठ हैं अधर्मस्वभावी हैं, अधर्मप्रलोकी हैं, अधर्मप्ररज्जन हैं, अधर्मसमाचार हैं, अधार्मिक वृत्तियुक्त हैं, वे सोते रहें, यही अच्छा है, क्योंकि यदि वे सोते रहेंगे तो अनेक जीवों को पीड़ा नहीं होगी। इस प्रकार वे स्व, पर और उभय को अधार्मिक क्रिया में नहीं लगावेंगे, अतएव उनका सोना अच्छा है। जो जीव धार्मिक हैं, धर्मानुग हैं, यावत् धार्मिक वृत्तिवाले हैं उनका जगना अच्छा है, क्योंकि वे अनेक जीवों को सुख देते हैं। स्व, पर और उभय को धार्मिक कार्य में लगाते हैं। अतएव उनका जागना अच्छा है।

जयन्ती—भगवन् ! बलवान् होना अच्छा या निर्बल होना ?

महावीर—जयन्ति ! कुछ जीवों का बलवान् होना अच्छा है और कुछ जीवों का निर्बल होना अच्छा है।

जयन्ती—यह कैसे ?

महावीर—जो जीव अधार्मिक हैं यावत् अधार्मिक वृत्तिवाले हैं उनका निर्बल होना अच्छा है, क्योंकि यदि वे बलवान् होंगे तो अनेक जीवों को कष्ट देंगे। जो जीव धार्मिक हैं यावत् धार्मिक वृत्तिवाले हैं उनका बलवान् होना अच्छा है, क्योंकि वे बलवान् होने से अधिक जीवों को सुख देंगे।

तीतियाँ स्वभाव में ही परस्पर सम्बन्धित हैं। जहाँ एक प्रतीति
गो वहाँ दूसरी अवश्य होगी।

विभज्यवाद और अनेकान्तवाद :

‘मज्झिमनिकाय’ में माणवक के प्रश्न के उत्तर में बुद्ध
हते हैं : ‘हे माणवक ! मैं विभज्यवादी हूँ, एकांशवादी नहीं।’
माणवक का प्रश्न था कि भगवन् ! मैंने सुन रखा है कि गृहस्थ ही
आराधक होता है, प्रयत्नित नहीं। इस विषय में आप क्या कहते
? बुद्ध ने उत्तर दिया कि गृहस्थ भी यदि मिथ्यावादी है तो
निर्वाणमार्ग का आराधक नहीं हो सकता और त्यागी भी यदि
मथ्यात्वी है तो निर्वाणमार्ग की आराधना नहीं कर सकता।
नों यदि सम्यक् प्रतिपत्तिसम्पन्न हैं तो दोनों आराधक हो सकते
। यह उत्तर विभज्यवाद का उदाहरण है। किसी प्रश्न का उत्तर
कान्तरूप से दे देना कि यह ऐसा ही है, अथवा यह ऐसा नहीं है,
कांशवाद है। बुद्ध ने गृहस्थ और त्यागी की आराधना के प्रश्न
को लेकर विभाजनपूर्वक उत्तर दिया, एकान्तरूप से नहीं, इसीलिए
बुद्ध ने अपने आप को विभज्यवादी कहा है, एकांशवादी नहीं।

सूत्रकृतांग में भी ठीक इसी शब्द का प्रयोग है। भिक्षु को
सी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, इसके उत्तर में कहा गया है
कि भिक्षु ‘विभज्यवाद’ का प्रयोग करे। जैनदर्शन में इस शब्द का
र्थ अनेकान्तवाद या स्याद्वाद किया जाता है। जिस दृष्टि से जिस
प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता हो, उस दृष्टि से उसका उत्तर
ना स्याद्वाद है। किसी एक अपेक्षा से इस प्रश्न का यह उत्तर हो
सकता है। किसी दूसरी अपेक्षा से इसी प्रश्न का यह उत्तर भी हो
सकता है। इस प्रकार एक प्रश्न के अनेक उत्तर हो सकते हैं।
भी दृष्टि को स्याद्वाद, अपेक्षावाद, अनेकान्तवाद या विभज्यवाद
हते हैं। बुद्ध का विभज्यवाद इतना आगे नहीं बढ़ सका, जितना
के महावीर का विभज्यवाद अनेकान्तवाद और स्याद्वाद के रूप में

१—सुत्त, ६६।

२—‘मिक्खु विभज्जवायं च वियागरेज्जा’, १।१४।२२

मुपावादी है। जो यह जानता है कि ये जीव हैं और ये अजीव, ये अस और ये स्थावर, उसका प्रत्याख्यान सुप्रत्याख्यान है। वह सत्यवादी है।

महावीर की दृष्टि का पता लगाने के लिए ये संवाद काफी हैं। बुद्ध ने आराधना को लेकर जिस प्रकार विभाजनपूर्वक उत्तर दिया, महावीर ने भी ठीक उसी शैली से अपने शिष्यों की शंका का समाधान किया। जो प्रश्न पूछा गया उसका विश्लेषण किया गया कि इस प्रश्न का क्या अर्थ है। किस दृष्टि से इसका क्या उत्तर दिया जा सकता है। जितनी दृष्टियाँ सामने आईं उन दृष्टियों से प्रश्न का समाधान किया गया। एक दृष्टि से ऐसा हो भी सकता है, दूसरी दृष्टि से सोचने पर ऐसा नहीं भी हो सकता। हो सकता है वह कैसे, और नहीं हो सकता है वह कैसे? प्रश्नोत्तर की यह शैली विचारों को सुलभाने वाली शैली है। इस शैली से किसी वस्तु के अनेक पहलुओं का ठीक-ठीक पता लग जाता है। उसका विश्लेषण एकांगी, एकांशी या एकान्त नहीं होने पाता। बुद्ध ने इस दृष्टि को विभज्यवाद का नाम दिया। इस से विपरीत दृष्टि को एकांशवाद कहा। महावीर ने इसी दृष्टि को अनेकान्तवाद और स्याद्वाद कहा। इससे विपरीत दृष्टि को एकान्तवाद का नाम दिया। बुद्ध और बुद्ध के अनुयायियों ने इस दृष्टि का पूरा पीछा नहीं किया। महावीर और उनके अनुयायियों ने इस दृष्टि को अपनी विचार-सम्पत्ति समझकर उसकी पूरी रक्षा की, तथा दिन प्रतिदिन उसे पूरा बढ़ाया।

✓ एकान्तवाद और अनेकान्तवाद:

एकान्तवाद किसी एक दृष्टि का ही समर्थन करता है। यह हमेशा दो विरोधी रूपों में दिखाई देता है। कभी सामान्य और विशेष के रूप में मिलता है तो कभी सत् और असत् के रूप में। कभी निर्वचनीय और अनिर्वचनीय के रूप में दिखाई देता है तो कभी हेतु और अहेतु के रूप में। जो लोग सामान्य का ही समर्थन

गौतम—भगवन् ! जीव सकम्प हैं या निष्कम्प ?

महावीर—गौतम ! जीव सकम्प भी हैं और निष्कम्प भी ।

गौतम—यह कैसे ?

महावीर—जीव दो प्रकार के हैं—संसारि और मुक्त । मुक्त दो प्रकार के हैं—अनन्तर सिद्ध और परम्पर सिद्ध । परम्पर सिद्ध निष्कम्प है और अनन्तर सिद्ध सकम्प । संसारि जीवों के भी दो भेद हैं—शैलेशी और अशैलेशी । शैलेशी जीव निष्कम्प होते हैं और अशैलेशी सकम्प ।

गौतम—जीव सवीर्य हैं या अवीर्य ।

महावीर—जीव सवीर्य भी हैं और अवीर्य भी ।

गौतम—यह कैसे ?

महावीर—जीव दो प्रकार के हैं—संसारि और मुक्त । मुक्त दो अवीर्य हैं । संसारि जीव दो प्रकार के हैं—शैलेशीप्रतिपन्न और अशैलेशीप्रतिपन्न । शैलेशीप्रतिपन्न जीव लब्धिवीर्य की अपेक्षा से सवीर्य हैं और करणवीर्य की अपेक्षा से अवीर्य हैं । अशैलेशीप्रतिपन्न जीव लब्धिवीर्य की अपेक्षा से सवीर्य हैं, और करणवीर्य की अपेक्षा से सवीर्य भी हैं और अवीर्य भी । जो जीव पराक्रम करते हैं वे करणवीर्य की अपेक्षा से सवीर्य हैं । जो जीव पराक्रम नहीं करते वे करणवीर्य की अपेक्षा से अवीर्य हैं^१ ।

गौतम—यदि कोई यह कहे कि मैं सर्वप्राण, सर्वभूत, सर्वजीव, सर्वसत्त्व की हिंसा का प्रत्याख्यान (त्याग) करता हूँ तो उसका यह प्रत्याख्यान सुप्रत्याख्यान है या दुष्प्रत्याख्यान ?

महावीर—कथंचित् सुप्रत्याख्यान है और कथंचित् दुष्प्रत्याख्यान है ।

गौतम—यह कैसे ?

महावीर—जो यह नहीं जानता कि ये जीव हैं और ये अजीव, ये अस हैं और ये स्थावर, उसका प्रत्याख्यान दुष्प्रत्याख्यान है । वह

१—भगवती सूत्र, २५।४

२—वही, १।८।७२

क्षेत्र की अपेक्षा से लोक असंख्यात योजन कोटाकोटि विस्तार और असंख्यात योजन कोटाकोटि परिक्षेप प्रमाण कहा गया है। इसलिए क्षेत्र की अपेक्षा से लोक सान्त है। काल की अपेक्षा से कोई काल ऐसा नहीं जब लोक न हो, अतः लोक ध्रुव है, नित्य है, शाश्वत है, अक्षय है, अव्यय है, अवस्थित है। उसका अन्त नहीं है। भाव की अपेक्षा से लोक के अनन्त वर्णपर्याय, गन्धपर्याय, रसपर्याय, स्पर्शपर्याय हैं। अनन्त संस्थानपर्याय है, अनन्त गुणलघुपर्याय हैं। अनन्त अगुणलघुपर्याय हैं। उसका कोई अन्त नहीं। इसलिए लोक द्रव्यदृष्टि से सान्त है, क्षेत्र दृष्टि से सान्त है, कालदृष्टि से अनन्त है, भावदृष्टि से अनन्त है। लोक की सान्तता और अनन्तता का चार दृष्टियों से विचार किया गया है। द्रव्य की दृष्टि से लोक सान्त है, क्योंकि वह संख्या में एक है। क्षेत्र की दृष्टि से भी लोक सान्त है, क्योंकि एकल आकाश में के कुछ क्षेत्र में ही लोक है। वह क्षेत्र असंख्यात कोटाकोटि योजन की परिधि में है। काल की दृष्टि से लोक अनन्त है, क्योंकि वर्तमान, भूत और भविष्यत् का कोई क्षण ऐसा नहीं जिसमें लोक का अस्तित्व न हो। भाव की दृष्टि से भी लोक अनन्त है, क्योंकि एक लोक के अनन्त पर्याय हैं।

१—एवं सलु मए सद्यया ! चउव्विहे लोए पन्नते, तंजहा दव्वमो खेत्तमो कालमो भावमो ।

दव्वमो एणं एगे लोए सघंते ।

खेत्तमो एणं लोए असंखेज्जामो जोयणकोडाकोडीमो

आयामविकखंभेणं अनंखेज्जामो जोयणकोडाकोडीमो

परिवखेवेणं पन्नत्ता अत्थि पुण सघंते ।

कालमो एणं लोए एण कयावि न आसी, न कयावि न भवति, न कयावि न भविस्सति, भविसु य भवति य भविस्सइ य, धुवे णित्थि ए सासते भवन्वए अय्यए अवट्ठिण्ण एण्णच्चे, एत्थि पुण से अंते ।

भावमो एणं लोए अणंता वण्णपज्जवा गंधं रसं फासपज्जवा, अणंता मंठाणपज्जवा, अणंता गुह्यं सहु य पज्जवा अणंता अगुह्यं सहु य पज्जवा, नत्थि पुण से अंते । से त्तं खंदगा ! दव्वमो लोए मघंते खेत्तमो लोए मघंते, कालतो लोए अणंते, भावमो लोए अणंते ।

करते हैं वे अभेदवाद को ही जगत् का मौलिक तत्त्व मानते हैं और भेद को मिथ्या कहते हैं। उनके विरोधी रूप भेदवाद का समर्थन करने वाले इससे विपरीत सत्य का प्रतिपादन करते हैं। वे अभेद को सर्वथा मिथ्या समझते हैं और भेद को ही एकमात्र प्रमाण मानते हैं। सदुवाद का एकान्तरूप से समर्थन करने वाले किसी भी कार्य की उत्पत्ति या विनाश को वास्तविक नहीं मानते। वे कारण और कार्य में भेद का दर्शन नहीं करते। दूसरी ओर असदुवाद के समर्थक हैं। वे प्रत्येक कार्य को नया मानते हैं। कारण में कार्य नहीं रहता, अपितु कारण से सर्वथा भिन्न एक नया ही तत्त्व उत्पन्न होता है। कुछ एकान्तवादी जगत् को अनिर्वचनीय समझते हैं। उनके मत से जगत् न सत् है, न असत् है। दूसरे लोग जगत् का निर्वचन कर सकते हैं। उनकी दृष्टि से वस्तु मात्र का निर्वचन करना अर्थात् लक्षणादि बनाना असम्भव नहीं। इसी तरह हेतुवाद और अहेतुवाद भी आपस में टकराते हैं। हेतुवाद का समर्थन करने वाले तर्क के बल पर विश्वास रखते हैं। वे कहते हैं कि तर्क से सब कुछ जाना जा सकता है। जगत् का कोई भी पदार्थ तर्क से अगम्य नहीं। इस वाद का विरोध करते हुए अहेतुवादी कहते हैं कि तर्क से सत्त्व का निर्णय नहीं हो सकता। तत्त्व तर्क से अगम्य है। एकान्तवाद की छत्रछाया में पलने वाले ये वाद हमेशा जोड़े के रूप में मिलते हैं। जहाँ एक प्रकार का एकान्तवाद खड़ा होता है वहाँ उसका विरोधी एकान्तवाद तुरन्त मुकाबले में खड़ा हो जाता है। दोनों की टक्कर प्रारम्भ होते देर नहीं लगती। यह एकान्तवाद का स्वभाव है। इसके बिना एकान्तवाद पनप ही नहीं सकता।

एकान्तवाद के इस पारस्परिक शत्रुतापूर्ण व्यवहार को देखकर कुछ लोगों के मन में विचार आया कि वास्तव में इस क्लेश का मूल कारण क्या है? सत्यता का दावा करने वाले प्रत्येक दो विरोधी पक्ष आपस में इतने लड़ते क्यों हैं? यदि दोनों पूर्ण सत्य हैं तो दोनों में विरोध कैसा? इससे मालूम होता है कि दोनों पूर्ण रूप से सत्य तो नहीं हैं। तब क्या दोनों पूर्ण मिथ्या हैं? ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये लोग जिस सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हैं उसकी

जीव सान्त भी है और अनन्त भी है। द्रव्य की दृष्टि से एक जीव सान्त है। क्षेत्र की अपेक्षा से जीव असंख्यात प्रदेशवाला है, अतः वह सान्त है। काल की दृष्टि से जीव हमेशा है, इसलिए वह अनन्त है। भाव की अपेक्षा से जीव के अनन्त ज्ञानपर्याय हैं, अनन्त दर्शनपर्याय हैं, अनन्त चारित्र्यपर्याय हैं, अनन्त अगुरुलघुपर्याय हैं। इसलिए वह अनन्त है।

द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव इन चार दृष्टियों से जीव की सान्तता-अनन्तता का विचार किया गया है। द्रव्य और क्षेत्र की दृष्टि से जीव सीमित है, अतः सान्त है। काल और भाव की दृष्टि से जीव असीमित है, अतः अनन्त है। तात्पर्य यह है कि जीव कथंचित् सान्त है, कथंचित् अनन्त है।

पुद्गल की नित्यता और अनित्यता :

द्रव्य का सबसे छोटा अंश जिसका पुनः विभाग न हो सके परमाणु है। परमाणु के चार प्रकार बताये गए हैं—द्रव्यपरमाणु, क्षेत्रपरमाणु, कालपरमाणु और भावपरमाणु^१। वर्णादिपर्याय की विवक्षा के बिना जो सूक्ष्मतम द्रव्य है, वह द्रव्यपरमाणु है। इसे पुद्गल परमाणु भी कहते हैं। आकाश द्रव्य का सूक्ष्मतम प्रदेश क्षेत्रपरमाणु है। समय का सूक्ष्मतम प्रदेश कालपरमाणु है। द्रव्य परमाणु में वर्णादिपर्याय की विवक्षा होने पर जिस परमाणु का ग्रहण होता है, वह भावपरमाणु है।

१—जे वि य संदया ! जाव सघंते जीवे अणंते जीवे, तस्त वि व रा एयमट्ठे-एवं खलु जाव दब्बओ एणं एगे जीवे सघंते, सेतमो एणं जीवे अणंतेजपएणिए असंखेजपएसोगाढे अत्थि पुण से घंते, कालमो तं जीवे न कयावि न आसि जाव निन्वे नत्थि पुण मे घंते, भावमो तं जीवे अणंता एणणपजवा, अणंता दंसएपजवा, अणंता परिस्तपजवा, अणंता धगुरुलह्वयपजवा नत्थि पुण से घंते ।

—भगवती सूत्र, २।१।६०

२—गोयमा ! चदुब्धिहे परमाणु पन्नतो तंजहा-दब्बपरमाणु, सेतापरमाणु, कालपरमाणु, भावपरमाणु ।

—घटी, २०।४

महावीर ने सान्तता और अनन्तता का अपनी दृष्टि से उपर्युक्त समाधान किया। बुद्ध ने सान्तता और अनन्तता दोनों को अव्याकृत कोटि में रखा।

जीव की नित्यता और अनित्यता :

बुद्ध ने जीव की नित्यता और अनित्यता के प्रश्न को भी अव्याकृत कोटि में रखा। महावीर ने इस प्रश्न का स्याद्वाद दृष्टि से समाधान किया। उन्होंने मोक्ष-प्राप्ति के लिए इस प्रकार के प्रश्नों का ज्ञान भी आवश्यक माना। आचारांग के प्रारम्भिक कुछ वाक्यों से इस बात का पता लगता है—जब तक यह मालूम न हो जाय कि मैं अर्थात् मेरा जीव एक गति से दूसरी गति में जाता है, जीव कहाँ से आया, कौन था और कहाँ जाएगा, तब तक कोई जीव आत्मवादी नहीं हो सकता, लोकवादी नहीं हो सकता, कर्मवादी नहीं हो सकता, और क्रियावादी नहीं हो सकता। ये सब बातें मालूम होने पर ही जीव आत्मवादी, लोकवादी, कर्मवादी और क्रियावादी बन सकता है।

जीव की शाश्वतता और अशाश्वतता के लिए निम्न संवाद देखिए—

गौतम—“भगवन् ! जीव शाश्वत है या अशाश्वत” ?

महावीर—“गौतम ! जीव किसी दृष्टि से शाश्वत है, किसी

१—इहमेगेमि नो सन्ना भवई तजहा—पुरत्थिमाओ वा दिसाओ आगओ अहमंसि, दाहिणाओ वा.....आगओ अहमंसि। एवमेगेमि नो नायं भवई—अत्थि मे आया उववाइए। नत्थि मे आया उववाइए। के अहं आसी, के वा इओ चुओ इह पेच्चा भविस्सामि ?

से जं पुण आणेज्जा सहसम्मइयाए परवागरणेणं अनेसिवा अन्तिए सोच्चा तंजहा—पुरत्थिमाओ.....अत्थि मे आया.....से आयावाई, लोगावाई, कम्मावाई, किरियावाई।

—आचारांग, ११११२-३

‘अस्ति’ और ‘नास्ति’ को मानने वाले दो एकान्तवादी पक्ष हैं। एक पक्ष कहता है कि सब सत् है—‘सर्वमस्ति’। दूसरा कहता है कि सब असत् है—‘सर्वनास्ति’। बुद्ध ने इन दोनों पक्षों को एकान्तवादी कहा, यह ठीक है, किन्तु उन्होंने उनका सर्वथा त्याग कर दिया। उस त्याग को उन्होंने मध्यम मार्ग का नाम दिया। बुद्ध का यह मार्ग निषेधप्रधान है। महावीर ने दोनों पक्षों का निषेध न करके विधिरूप से अनेकान्तवाद द्वारा समर्थन किया। उन्होंने कहा कि ‘सब सत् है,’ यह एकान्तदृष्टिकोण ठीक नहीं। इसी प्रकार ‘सब असत् है,’ यह एकान्त दृष्टि भी उचित नहीं। जो सत् है, उसी को सत् मानना चाहिए। जो असत् है, उसी को असत् मानना चाहिए। सत् और असत्—अस्ति और नास्ति के भेद को सर्वथा लुप्त नहीं करना चाहिए। सब अपने द्रव्य, क्षेत्र, आदि की अपेक्षा से सत् है। पर द्रव्य, क्षेत्र आदि की अपेक्षा से असत् है। सत् और असत् का विवेकपूर्वक समर्थन करना चाहिए। जो जिस रूप से सत् है, उसे उसी रूप से सत् मानना चाहिए। जो जिस रूप से असत् है, उसे उसी रूप से असत् मानना चाहिए। सत् और असत् के इन भेद को समझे बिना एकान्तरूप से सब को सत् या असत् कहना दोषपूर्ण है।

उपर्युक्त विवेचन से यह बात मालूम हो जाती है कि एक और अनेक, नित्य और अनित्य, सान्त और अनन्त, मद् और असद् पक्षों का अनेकान्तवाद के आधार पर किस प्रकार समन्वय हो सकता है। यह समझना भूल है कि अनेकान्तवाद स्वतन्त्र दृष्टि न होकर दो एकान्तवादों को मिलाने वाली एक मिश्रित दृष्टि मात्र है। वस्तु का ठीक-ठीक स्वरूप समझने के लिए अनेकान्त दृष्टि ही उपयुक्त है। यह एक विलक्षण व स्वतन्त्र दृष्टि है, जिसमें वस्तु का पूर्ण स्वरूप प्रतिभासित होता है। केवल दो एकान्तवादों को मिला देने से अनेकान्तवाद नहीं बन सकता, क्योंकि दो एकान्तवाद कभी एक रूप नहीं हो सकते। वे हमेशा एक दूसरे के विरोधी होते हैं।

जैन दर्शन के अतिरिक्त अन्य भारतीय दर्शन वैशेषिक आदि द्रव्य परमाणु को एकान्त नित्य मानते हैं। वे उसमें तनिक भी परिवर्तन नहीं मानते। परमाणु का कार्य अनित्य हो सकता है, परमाणु स्वयं नहीं।

महावीर ने इस सिद्धान्त को नहीं माना। उन्होंने अपने अमोघ सूत्र स्याद्वाद का यहाँ भी प्रयोग किया और परमाणु को नित्य और अनित्य दोनों प्रकार का माना।

“भगवन् ! परमाणु पुद्गल शाश्वत है या अशाश्वत ?”

“गौतम ! स्याद् शाश्वत है, स्याद् अशाश्वत है।”

“यह कैसे ?”

“गौतम ! द्रव्याधिक दृष्टि से शाश्वत है। वर्णपर्याय यावत् स्पर्शाया की दृष्टि से अशाश्वत है।”

अन्यत्र भी पुद्गल की नित्यता का प्रतिपादन करते हुए यही बात ही कि द्रव्यदृष्टि से पुद्गल नित्य है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि तीनों जलों में ऐसा कोई समय नहीं, जिस समय पुद्गल पुद्गलरूप में न हो। भी प्रकार पुद्गल की अनित्यता का भी पर्यायदृष्टि से प्रतिपादन किया। तिम और महावीर के संवाद के इन शब्दों को देखिए—

“भगवन् ! क्या यह सम्भव है कि अतीत काल में किसी एक समय जो पुद्गल रूक्ष हो वही अन्य समय में अरूक्ष हो ? क्या वह एक ही मय में एक देश से रूक्ष और दूसरे देश से अरूक्ष हो सकता है ? क्या ह भी सम्भव है कि स्वभाव से या अन्य प्रयोग के द्वारा किसी पुद्गल अनेक वर्णपरिणाम हो जाएँ और वसा परिणाम नष्ट होकर वाद में क वर्ण-परिणाम भी हो जाय ?”

१—परमाणु पोगले एं भंते ! कि सासए असासए ?

गोयमा ! सिय सासए सिय असासए ।

से केणट्ठेणं ००० ?

गोयमा ! दब्बट्ठयाए सासए, वन्नपज्जवेहि जाव फासपज्जवेहि असासए ।

—वही १४।४।५१२

२—वही १।४।४२

१६

प्रयोग का निषेध माना जाय तो कथानकों में जो 'धर्मलाभ' रूप आशीर्वाद का प्रयोग मिलता है वह असंगत सिद्ध होगा। यह हेतु विशेष महत्व नहीं रखता। 'धर्मलाभ' को आशीर्वाद कहना ठीक वैसा ही है, जैसा मुक्ति की अभिलाषा को राग कहना। जो लोग मोक्षावस्था को सुखरूप नहीं मानते हैं, वे सुखरूप मानने वाले दार्शनिकों के सामने यह दोष रखते हैं कि सुख की अभिलाषा तो राग है, और राग बन्धन का कारण है न कि मोक्ष का अतः मोक्ष सुखरूप नहीं हो सकता। सुख की अभिलाषा को जो राग कहा गया है, वह सांसारिक सुख के लिए है, न कि मोक्षरूप शाश्वत सुख के लिए। इस सिद्धान्त से अपरिचित लोग ही मोक्ष की अभिलाषा को राग कहते हैं। आशीर्वाद भी सांसारिक ऐश्वर्य और सुख की प्राप्ति के लिए होता है। धर्म के लिए कोई आशीर्वाद नहीं होता। वह तो आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है जिस पर व्यक्ति अपने प्रयत्न से चलता है। 'धर्मलाभ' या 'धर्म की जय' आशीर्वाद नहीं है, सत्य की अभिव्यक्ति है—सत्यपथ का प्रदर्शन है। तात्पर्य यह है कि उपर्युक्त हेतु में कोई खास बल नहीं है। व्याकरण के प्रयोगों के अध्ययन के आधार पर सम्भवतः 'न चास्याद्वाद' पद का औचित्य सिद्ध हो सकता है। जो कुछ भी हो, यह तो निर्विवाद सिद्ध है कि 'स्याद्' पूर्वक वचन-प्रयोग आगमों में देखे जाते हैं। 'स्याद्वाद' ऐसा अस्पष्ट प्रयोग न भी मिले, तो भी स्याद्वाद सिद्धान्त आगमों में मौजूद है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता।

अनेकान्तवाद और स्याद्वाद :

जैन दर्शन एक वस्तु में अनन्त धर्म मानता है। इन धर्मों में से व्यक्ति अपने इच्छित धर्मों का समय-समय पर कथन करता है। वस्तु के जितने धर्मों का कथन हो सकता है, वे सब धर्म वस्तु के प्रन्दर रहते हैं। ऐसा नहीं कि व्यक्ति अपनी इच्छा से उन धर्मों का पदार्थ पर आरोप करता है। अनन्त या अनेक धर्मों के कारण ही वस्तु अनन्तधर्मात्मक या अनेकान्तात्मक कही जाती है।

अनेकान्तात्मक वस्तु का कथन करने के लिए 'स्यात्' शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। 'स्यात्' का अर्थ है कथयित्वा। किसी एक

स्याद्वाद या अनेकान्तवाद एक अखण्ड दृष्टि है, जिसमें वस्तु के सभी धर्म निर्विरोध रूप से प्रतिभासित होते हैं ।

आगमों में स्याद्वाद :

यह विवेचन पढ़ लेने के बाद इसमें तो तनिक भी सन्देह नहीं रहता कि स्याद्वाद का बीज जैनागमों में मौजूद है । जगह जगह 'सिय सासया', 'सियअसासया'—स्यात् शाश्वत, स्यात् अशाश्वत आदि का प्रयोग देखने को मिलता है । इससे यह सिद्ध है कि आगमों में 'स्याद्' शब्द प्रयुक्त हुआ है । यहाँ पर एक प्रश्न है कि क्या आगमों में 'स्याद्वाद' इस पूरे पद का प्रयोग हुआ है ? सूत्रकृतांग की एक गाथा में से 'स्याद्वाद' ऐसा पद निकालने का प्रयत्न किया गया है । गाथा इस प्रकार है:—

नो द्यापए नो विप लूसएज्जा माणां न सेवेज्ज पगासणां च ।
न यावि पन्ने परिहास कुब्जा न या सियावाय वियागरेज्जा ॥

१, १४, १६

इसका जो 'न या सियावाय' अंश है— उसके लिए टीकाकार 'न चाशीर्वाद' ऐसा संस्कृत रूप दिया है । जो लोग इस गाथा में 'स्याद्वाद' पद निकालना चाहते हैं, उनके मतानुसार 'चास्याद्वाद' का रूप होना चाहिए । आचार्य हेमचन्द्र के नियमों के अनुसार 'प्राशिप्' शब्द का प्राकृत रूप 'आसी' होता है । हेमचन्द्र ने 'प्रासीया' ऐसा एक दूसरा रूप भी दिया है । 'स्याद्वाद' के लिए कृतरूप 'सियावायो' है । इसके लिए एक और हेतु दिया गया है कि यदि इस 'सियावायो' शब्द पर ध्यान दिया जाय तो उपर्युक्त गाथा में अस्याद्वाद वचन के प्रयोग का ही निषेध मानना ठीक होगा; क्योंकि यदि टीकाकार के मतानुसार आशीर्वाद वचन के

१—ग्रौरिएण्टल कोन्फ्रेंस—नवम अधिवेशन की कार्यवाही (डा० ए० एन० उपाध्ये का मत) पृ० ६७१ ।

२—प्राकृत व्याकरण—८।२।१७४

३—वही ८।२।१०७

'स्यात्' शब्द का प्रयोग अधिक देखने में आता है। जहाँ वस्तु की अनेकरूपता का प्रतिपादन करना होता है, वहाँ 'सिय' शब्द का प्रयोग साधारण सी बात है। अनेकान्तवाद शब्द पर दार्शनिक पद की प्रतीति होती है, क्योंकि यह शब्द एकान्तवाद के विरोधी पक्ष को सूचित करता है।

स्याद्वाद और सप्तभंगो :

यह हम देख चुके हैं कि स्याद्वाद के मूल में दो विरोधी धर्म रहते हैं। इन दो विरोधी धर्मों का अपेक्षा भेद से कथन स्याद्वाद है। उदाहरण के लिए हम सत् को लेते हैं। पहला पक्ष है सत् का। जब सत् का पक्ष हमारे सामने आता है तो उसका विरोधी पक्ष असत् भी सामने आता है। मूल रूप में ये दो पक्ष हैं। इसके बाद तीसरा पक्ष दो रूपों में आ सकता है—या तो दोनों पक्षों का समर्थन करके या दोनों पक्षों का निषेध करके। जहाँ सत् और असत् दोनों पक्षों का समर्थन होता है वहाँ तीसरा पक्ष बनता है सदसत् का। जहाँ दोनों पक्षों का निषेध होता है वहाँ तीसरा पक्ष बनता है अनुभय अर्थात् न सत् न असत्। सत्, असत् और अनुभय इन तीन पक्षों का प्राचीनतम आभास ऋग्वेद के नासदीयसूक्त में मिलता है। उपनिषदों में दो विरोधी पक्षों का समर्थन मिलता है। 'तदेजति तन्नर्जति', 'अणोरणीयान् महतो महीयान्' 'सदसद्वरेण्यम्' आदि वाक्यों में स्पष्टरूप से दो विरोधी धर्म स्वीकृत किये गये हैं। इस परम्परा के अनुसार तीसरा पक्ष उभय अर्थात् सदसत् का बनता है। जहाँ सत् और असत् दोनों का निषेध किया गया, वहाँ अनुभय का बोध पक्ष बन गया। इस प्रकार उपनिषदों में सत्, असत्, सदसत् और अनुभय ये चार पक्ष मिलते हैं। अनुभय पक्ष अवक्तव्य के नाम से भी प्रसिद्ध है। अवक्तव्य के तीन अर्थ हो सकते हैं—(१) सत् और

१—ईसोपनिषद् ५

२—कठोपनिषद् १।२।२०

३—मुण्डकोपनिषद् २।२।१.

दृष्टि से वस्तु इस प्रकार की कही जा सकती है। दूसरी दृष्टि से वस्तु का कथन इस प्रकार हो सकता है। यद्यपि वस्तु में ये सब धर्म हैं, किन्तु इस समय हमारा दृष्टिकोण इस धर्म की ओर है, इस लिए वस्तु एतद्रूप प्रतिभासित हो रही है। वस्तु केवल एतद्रूप ही नहीं है, अपितु उसके अन्य रूप भी हैं, इस सत्य को अभिव्यक्त करने के लिए 'स्यात्' शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस 'स्यात्' शब्द के प्रयोग के कारण ही हमारा वचन 'स्याद्वाद' कहलाता है। 'स्यात्' शब्द जो 'वाद' अर्थात् वचन है—कथन है, वह 'स्याद्वाद' है। इसीलिए यह कहा गया है कि अनेकान्तात्मक अर्थ का कथन 'स्याद्वाद' है।

'स्याद्वाद' को 'अनेकान्तवाद' भी कहते हैं। इसका कारण यह है कि 'स्याद्वाद' से जिस पदार्थ का कथन होता है, वह अनेकान्तात्मक है। अनेकान्त अर्थ का कथन यही 'अनेकान्तवाद' है। 'स्यात्' शब्द अनेकान्त का द्योतक है, इसीलिए 'स्याद्वाद' को 'अनेकान्त' कहते हैं। 'स्याद्वाद' और 'अनेकान्तवाद' दोनों एक ही हैं। 'स्याद्वाद' में 'स्यात्' शब्द को प्रधानता रहती है। 'अनेकान्तवाद' में अनेकान्त धर्म की मुख्यता रहती है। 'स्यात्' शब्द अनेकान्त का द्योतक है, अनेकान्त को अभिव्यक्त करने के लिए 'स्यात्' शब्द का प्रयोग किया जाता है।

यह स्पष्टीकरण इसलिए है कि जैन ग्रन्थों में कहीं स्याद्वाद शब्द आया है तो कहीं अनेकान्तवाद शब्द का प्रयोग हुआ है। जैन दार्शनिकों ने इन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ में प्रयोग किया है। इन दोनों शब्दों के पीछे एक ही हेतु रहा हुआ है और वह है वस्तु की अनेकान्तात्मकता। यह अनेकान्तात्मकता अनेकान्तवाद शब्द से भी प्रकट होती है और स्याद्वाद शब्द से भी। वैसे देखा जाय तो स्याद्वाद शब्द अधिक प्राचीन मालूम होता है, क्योंकि आगमों में

१—अनेकान्तात्मकार्थकथनं स्याद्वादः—लघीयस्त्रयटीका ६२

२—'स्यादित्यव्ययमनेकान्तद्योतकं ततः स्याद्वादोऽनेकान्तवादः'

आ—

(१) गुरु

(२) लघु

(३) गुरुलघु

(४) अगुरुलघु^१

इ—

(१) सत्य

(२) मृषा

(३) सत्यमृषा

(४) असत्यमृषा^२

इस विवेचन से स्पष्ट भलकता है कि अस्ति, नास्ति, अस्तिनास्ति और अवक्तव्य ये चार भंग प्राचीन एवं मौलिक है। महावीर ने इन चार भंगों को अधिक महत्व दिया। यद्यपि आगमों में इनसे अधिक भंग भी मिलते हैं; तथापि ये चार भंग मौलिक हैं, पर इनका अधिक महत्व है। इन भंगों में अवक्तव्य का स्थान वही तीसरा है^३, तो कही चौथा है। ऐसा क्यों? इसका उत्तर हम पहले ही दे चुके हैं कि जहाँ अस्ति और नास्ति इन दो भंगों का निषेध है वहाँ अवक्तव्य का तीसरा स्थान है और जहाँ अस्ति, नास्ति और अस्तिनास्ति (उभय) तीनों का निषेध है वहाँ अवक्तव्य का चौथा स्थान है। इन चार भंगों के अतिरिक्त अन्य भंग भी मिलते हैं किन्तु वे इन भंगों के किसी-न-किसी संयोग से ही बनते हैं। ये भंग किस रूप में आगमों में मिलते हैं, यह देखें।

भंगों का आगमकालीन रूप :

भगवतीसूत्र के आधार पर हम स्याद्वाद के भंगों का स्वस्व समझने का प्रयत्न करेंगे। गौतम महावीर से पूछते हैं कि 'भगवन् ! रत्नप्रभा पृथ्वी आत्मा है या अन्य है' इसका उत्तर देते हुए महावीर कहते हैं :—

१—रत्नप्रभा पृथ्वी स्यात् आत्मा है।

२—रत्नप्रभा पृथ्वी स्यात् आत्मा नहीं है।

१—१।६।७४

२—१३।७।४६३

३—भगवतीसूत्र १०।१०।४६६

४—साप्तमीमांसा, १६

असत् दोनों का निषेध करना (२) सत्, असत् और सदसत् तीनों का निषेध करना (३) सत् और असत् दोनों को अक्रम से अर्थात् युगपद् स्वीकृत करना । जहाँ अवक्तव्य का तीसरा स्थान है वहाँ सत् और असत् दोनों का निषेध समझना चाहिये । जहाँ अवक्तव्य का चौथा स्थान है वहाँ सत्, असत् और सदसत् तीनों का निषेध समझना चाहिए । सत् और असत् दोनों का युगपद् प्रतिपादन करने की सूझ तर्कयुग के जैनाचार्यों की मालूम होती है । यह बात आगे स्पष्ट हो जाएगी । अवक्तव्यता दो तरह की है—एक सापेक्ष और दूसरी निरपेक्ष । सापेक्ष अवक्तव्यता में इस बात की झलक होती है कि तत्त्व सत्, असत् और सदसत् रूप से अवाच्य है । इतना ही नहीं अपितु नागाजुं न जैसे माध्यमिक बौद्धदर्शन के आचार्य ने तो सत्, असत्, सदसत् और अनुभय इन चारों दृष्टियों से तत्त्व को अवाच्य माना । उन्होंने स्पष्ट कहा कि वस्तु चतुष्कोटिविनिर्मुक्त है । इस प्रकार सापेक्ष अवक्तव्यता एक, दो, तीन या चारों पक्षों के निषेध पर खड़ी होती है । जहाँ तत्त्व न सत् हो सकता है, न असत् हो सकता है, न सत् और असत् दोनों हो सकता है, न अनुभय हो सकता है (ये चारों पक्ष एक साथ हों या भिन्न भिन्न) वहाँ सापेक्ष अवक्तव्यता है । निरपेक्ष अवक्तव्यता के लिए यह बात नहीं है । वहाँ तो तत्त्व को सीधा 'वचन से अगम्य' कह दिया जाता है । इस के रूप में जो अवक्तव्यता है वह सापेक्ष अवक्तव्यता है । ऐसा समझना चाहिये ।

उपनिषदों में सत्, असत्, सदसत् और अवक्तव्य ये चारों पक्ष मिलते हैं, यह हम लिख चुके हैं । बौद्ध त्रिपिटक में भी ये चार पक्ष मिलते हैं । सान्तता और अनन्तता, नित्यता और अनित्यता आदि प्रश्नों को बुद्ध ने अव्याकृत कहा है । उसी प्रकार इन चारों पक्षों को भी अव्याकृत कहा गया है । उदाहरण के लिए निम्न प्रश्न अव्याकृत हैं :—

- २—त्रिप्रदेशी स्कन्ध स्यात् आत्मा नहीं है ।
 ३—त्रिप्रदेशी स्कन्ध स्यात् अवक्तव्य है ।
 ४—त्रिप्रदेशी स्कन्ध स्यात् आत्मा है और आत्मा नहीं है ।
 ५—त्रिप्रदेशी स्कन्ध स्यात् आत्मा है और (दो) आत्माएँ नहीं हैं ।
 ६—त्रिप्रदेशी स्कन्ध स्यात् (दो) आत्माएँ हैं और आत्मा नहीं है ।
 ७—त्रिप्रदेशी स्कन्ध स्यात् आत्मा है और अवक्तव्य है ।
 ८—त्रिप्रदेशी स्कन्ध स्यात् आत्मा है और (दो) आत्माएँ अवक्तव्य हैं ।
 ९—त्रिप्रदेशी स्कन्ध स्यात् (दो) आत्माएँ हैं और अवक्तव्य है ।
 १०—त्रिप्रदेशी स्कन्ध स्यात् आत्मा नहीं है और अवक्तव्य है ।
 ११—त्रिप्रदेशी स्कन्ध स्यात् आत्मा नहीं है और (दो) अवक्तव्य हैं ।
 १२—त्रिप्रदेशी स्कन्ध स्यात् (दो) आत्माएँ नहीं हैं और अवक्तव्य है ।
 १३—त्रिप्रदेशी स्कन्ध स्यात् आत्मा है, आत्मा नहीं है और ऐसा क्यों ?

- १—त्रिप्रदेशी स्कन्ध आत्मा के आदेश से आत्मा है ।
 २—त्रिप्रदेशी स्कन्ध पर के आदेश से आत्मा नहीं है ।
 ३—त्रिप्रदेशी स्कन्ध तद्गुण के आदेश से अवक्तव्य है ।
 ४—एक देश सदभाव पर्यायों से आदिष्ट है और एक देश असदभाव पर्यायों से आदिष्ट है, इसलिए त्रिप्रदेशी स्कन्ध आत्मा है और आत्मा नहीं है ।
 ५—एक देश सदभावपर्यायों में आदिष्ट है और दो देश असदभाव पर्यायों में आदिष्ट है, अतः त्रिप्रदेशी स्कन्ध आत्मा है और (दो) आत्माएँ नहीं हैं ।
 ६—दो देश सदभावपर्यायों से आदिष्ट है और एक देश

३—रत्नप्रभा पृथ्वी स्यात् अवक्तव्य है ।

यह कैसे ?

१—आत्मा के आदेश से आत्मा है ।

२—पर के आदेश से आत्मा नहीं है ।

३—उभय के आदेश से अवक्तव्य है ।

अन्य पृथ्वियों, देवलोकों और सिद्धशिला के विषय में भी यही बात कही गई है । परमाणु के विषय में पूछने पर भी यही उत्तर मिला । द्विप्रदेशी स्कन्ध के विषय में महावीर ने इस प्रकार उत्तर दिया—

१—द्विप्रदेशी स्कन्ध स्यात् आत्मा है ।

२—द्विप्रदेशी स्कन्ध स्यात् आत्मा नहीं है ।

३—द्विप्रदेशी स्कन्ध स्यात् अवक्तव्य है ।

४—द्विप्रदेशी स्कन्ध स्यात् आत्मा है और आत्मा नहीं है ।

५—द्विप्रदेशी स्कन्ध स्यात् आत्मा है और अवक्तव्य है ।

६—द्विप्रदेशी स्कन्ध स्यात् आत्मा नहीं है और अवक्तव्य है ।

यह कैसे ?

१—द्विप्रदेशी स्कन्ध आत्मा के आदेश से आत्मा है ।

२—पर के आदेश से आत्मा नहीं है ।

३—उभय के आदेश से अवक्तव्य है ।

४—एक अंश (देश) सदभावपर्यायों से आदिष्ट है और दूसरा अंश असदभावपर्यायों से आदिष्ट है, अतः द्विप्रदेशी स्कन्ध आत्मा है और आत्मा नहीं है ।

५—एक देश सदभावपर्यायों से आदिष्ट है और एक देश उभयपर्यायों से आदिष्ट है, अतएव द्विप्रदेशी स्कन्ध आत्मा है और अवक्तव्य है ।

६—एक देश असदभावपर्यायों से आदिष्ट है और दूसरा देश तदुभयपर्यायों से आदिष्ट है, अतः द्विप्रदेशी स्कन्ध आत्मा नहीं है और अवक्तव्य है ।

त्रिप्रदेशी स्कन्ध के विषय में पूछने पर निम्न उत्तर मिला—

१—त्रिप्रदेशी स्कन्ध स्यात् आत्मा है ।

- ४—एक देश आदिष्ट है सदभावपर्यायों से और एक देश आदिष्ट है असदभावपर्यायों से, अतएव चतुष्प्रदेशी स्कन्ध आत्मा और आत्मा नहीं है ।
- ५—एक देश आदिष्ट है सदभावपर्यायों से और अनेक देश आदिष्ट हैं असदभावपर्यायों से, अतः चतुष्प्रदेशी स्कन्ध आत्मा है और (अनेक) आत्माएँ नहीं हैं ।
- ६—अनेक देश आदिष्ट है सदभावपर्यायों से और एक देश आदिष्ट है असदभावपर्यायों से, अतः चतुष्प्रदेशी स्कन्ध (अनेक) आत्मा है और आत्मा नहीं है ।
- ७—दो देश आदिष्ट हैं सदभावपर्यायों से और दो देश आदिष्ट असदभावपर्यायों से, अतः चतुष्प्रदेशी स्कन्ध (दो) आत्माएँ और (दो) आत्माएँ नहीं हैं ।
- ८—एक देश आदिष्ट है सदभावपर्यायों से और एक देश आदिष्ट है तदुभयपर्यायों से, अतः चतुष्प्रदेशी स्कन्ध आत्मा है और अवक्तव्य है ।
- ९—एक देश आदिष्ट है असदभावपर्यायों से और अनेक देश आदिष्ट हैं तदुभयपर्यायों से, अतः चतुष्प्रदेशी स्कन्ध आत्मा है और (अनेक) अवक्तव्य है ।
- १०—अनेक देश आदिष्ट हैं सदभावपर्यायों से और एक देश आदिष्ट है तदुभयपर्यायों से, अतः चतुष्प्रदेशी स्कन्ध (अनेक) आत्माएँ है और अवक्तव्य है ।
- ११—दो देश आदिष्ट हैं सदभावपर्यायों से और दो देश आदिष्ट हैं तदुभय पर्यायों से, अतः चतुष्प्रदेशी स्कन्ध (दो) आत्माएँ हैं और (दो) अवक्तव्य हैं ।
- १२—एक देश आदिष्ट है असदभावपर्यायों से और एक देश आदिष्ट है तदुभय पर्यायों से, अतएव चतुष्प्रदेशी स्कन्ध आत्मा नहीं है और अवक्तव्य है ।
- १३—एक देश आदिष्ट है असदभावपर्यायों से और अनेक देश आदिष्ट हैं तदुभय पर्यायों से, अतएव चतुष्प्रदेशी स्कन्ध आत्मा नहीं है और (अनेक) अवक्तव्य है ।

असद्भावपर्यायों से आदिष्ट है, अतएव त्रिप्रदेशी स्कन्ध (दो) आत्माएँ हैं और आत्मा नहीं है ।

७—एक देश सदभावपर्यायों से आदिष्ट है और दूसरा देश तदुभयपर्यायों से आदिष्ट है, अतः त्रिप्रदेशी स्कन्ध आत्मा है और अवक्तव्य है ।

८—एक देश सदभावपर्यायों से आदिष्ट है और दो देश तदुभय पर्यायों से आदिष्ट है, अतएव त्रिप्रदेशी स्कन्ध आत्मा है और (दो) अवक्तव्य है ।

९—दो देश सदभावपर्यायों से आदिष्ट हैं और एक देश तदुभय पर्यायों से आदिष्ट है, इसलिए त्रिप्रदेशी स्कन्ध (दो) आत्माएँ हैं और अवक्तव्य है ।

१०—एक देश आदिष्ट है असद्भावपर्यायों से और दूसरा देश आदिष्ट है तदुभय पर्यायों से, अतएव त्रिप्रदेशी स्कन्ध आत्मा नहीं है और अवक्तव्य है ।

११—एक देश आदिष्ट है असद्भावपर्यायों से और दो देश आदिष्ट हैं तदुभय पर्यायों से, अतः त्रिप्रदेशी स्कन्ध आत्मा नहीं है और (दो) अवक्तव्य हैं ।

१२—दो देश असद्भावपर्यायों से आदिष्ट हैं और एक देश तदुभय पर्यायों से आदिष्ट है, अतः त्रिप्रदेशी स्कन्ध (दो) आत्माएँ नहीं है और अवक्तव्य है ।

१३—एक देश सदभावपर्यायों से आदिष्ट है, एक देश असद्भावपर्यायों के आदिष्ट है, और एक देश तदुभय पर्यायों से आदिष्ट है, अतएव त्रिप्रदेशी स्कन्ध आत्मा है, आत्मा नहीं है और अवक्तव्य है ।

चतुष्प्रदेशी स्कन्ध के विषय में प्रश्न करने पर महावीर ने १६ भंगों में उत्तर दिया । इस उत्तर का स्पष्टीकरण इस प्रकार है—

१—चतुष्प्रदेशी स्कन्ध आत्मा के आदेश से आत्मा है ।

२—चतुष्प्रदेशी स्कन्ध पर के आदेश से आत्मा नहीं है ।

३—चतुष्प्रदेशी स्कन्ध तदुभय के आदेश से अवक्तव्य है ।

(दो या तीन) आत्माएँ हैं और (दो या तीन) आत्माएँ नहीं हैं (सद्भावपर्यायों में यदि दो देश लेने हों तो असद्भावपर्यायों में तीन देश लेने चाहिए और सद्भावपर्यायों में यदि तीन देश लेने हों तो असद्भावपर्यायों में दो देश लेने चाहिए) ।

८, ९, १०—चतुष्प्रदेशी स्कन्ध के समान हैं ।

११—दो या तीन देश आदिष्ट हैं सद्भावपर्यायों से और दो या तीन देश आदिष्ट हैं तदुभयपर्यायों से, अतएव पंचप्रदेशी स्कन्ध (दो या तीन) आत्माएँ हैं और (दो या तीन) अवक्तव्य है ।

१२, १३, १४—चतुष्प्रदेशी स्कन्ध के समान समझना चाहिए ।

१५—दो या तीन देश आदिष्ट हैं तदुभयपर्यायों से, और दो या तीन देश आदिष्ट हैं असद्भावपर्यायों से अतएव पंच-प्रदेशी स्कन्ध (दो या तीन) आत्माएँ नहीं हैं और (दो या तीन) अवक्तव्य है ।

१६—चतुष्प्रदेशी स्कन्ध के समान हैं ।

१७—एक देश सद्भावपर्यायों से आदिष्ट है, एक देश असद्भावपर्यायों से आदिष्ट है और अनेक देश तदुभयपर्यायों से आदिष्ट हैं अतः पंचप्रदेशी स्कन्ध आत्मा है, आत्मा नहीं है और (अनेक) अवक्तव्य हैं ।

१८—एक देश सद्भावपर्यायों से आदिष्ट है, अनेक देश असद्भावपर्यायों से आदिष्ट हैं, और एकदेश तदुभयपर्यायों से आदिष्ट है, अतः पंचप्रदेशी स्कन्ध आत्मा है, (अनेक) आत्माएँ नहीं हैं और अवक्तव्य है ।

१९—एक देश सद्भावपर्यायों से आदिष्ट है, दो देश असद्भावपर्यायों से आदिष्ट हैं, और दो देश तदुभयपर्यायों से आदिष्ट हैं, अतः पंचप्रदेशी स्कन्ध आत्मा है, (दो) आत्माएँ नहीं हैं और (दो) अवक्तव्य हैं ।

२०—अनेक देश आदिष्ट हैं सद्भावपर्यायों में, एक देश आदिष्ट है असद्भावपर्यायों से, और एक देश आदिष्ट है तदुभयपर्यायों में, अतः पंचप्रदेशी स्कन्ध (अनेक) आत्माएँ हैं, आत्मा नहीं है और अवक्तव्य है ।

२१—दो देश आदिष्ट हैं सद्भावपर्यायों से, एक देश आदिष्ट

- १४—अनेक देश आदिष्ट हैं असद्भावपर्यायों से और एक देश आदिष्ट है तदुभयपर्यायों से अतएव चतुष्प्रदेशी स्कन्ध (अनेक) आत्माएँ नहीं है और अवक्तव्य है ।
- १५—दो देश आदिष्ट है असद्भावपर्यायों से और दो देश आदिष्ट हैं तदुभय पर्यायों से, अतएव चतुष्प्रदेशी स्कन्ध (दो) आत्माएँ नहीं हैं और (दो) अवक्तव्य हैं ।
- १६—एक देश सदभावपर्यायों से आदिष्ट है, एक देश असद्भावपर्यायों से आदिष्ट है और एक देश तदुभयपर्यायों से आदिष्ट है, इसलिए चतुष्प्रदेशी स्कन्ध आत्मा है, नहीं है और अवक्तव्य है ।
- १७—एक देश सदभावपर्यायों से आदिष्ट है, एक देश असद्भावपर्यायों से आदिष्ट है और दो देश तदुभय पर्यायों से आदिष्ट हैं, इसलिए चतुष्प्रदेशी स्कन्ध आत्मा है, नहीं है और (दो) अवक्तव्य हैं ।
- १८—एक देश सदभावपर्यायों से आदिष्ट है, दो देश असद्भावपर्यायों से आदिष्ट हैं और एक देश तदुभय पर्यायों से आदिष्ट है, इसलिए चतुष्प्रदेशी स्कन्ध आत्मा है, (दो) नहीं है और अवक्तव्य है ।
- १९—दो देश सदभावपर्यायों से आदिष्ट है, एक देश असद्भावपर्यायों से आदिष्ट है, और एक देश तदुभयपर्यायों से आदिष्ट है, इसलिए चतुष्प्रदेशी स्कन्ध (दो) आत्माएँ हैं, नहीं है और अवक्तव्य है ।
- चतुष्प्रदेशी स्कन्ध का १९ भंगों में उत्तर देकर पंचप्रदेशी स्कन्ध के विषय में २२ भंगों में उत्तर देते हैं—
- १—पंचप्रदेशी स्कन्ध आत्मा के आदेश से आत्मा है ।
 - २—पंचप्रदेशी स्कन्ध पर के आदेश से आत्मा नहीं है ।
 - ३—पंचप्रदेशी स्कन्ध तदुभय के आदेश से अवक्तव्य है ।
 - ४,५,६—चतुष्प्रदेशी स्कन्ध के समान हैं ।
 - ७—दो या तीन देश आदिष्ट हैं, सदभावपर्यायों से और दो या तीन देश आदिष्ट हैं असद्भावपर्यायों से अतएव पंचप्रदेशी स्कन्ध

गुण भी रहते हैं। घटरूप गुणी के देश की दृष्टि से देखा जाय तो अस्तित्व और अन्य गुणों में कोई भेद नहीं।

संसर्ग—जिस प्रकार अस्तित्व गुण का घट से संसर्ग है उसी प्रकार अन्य गुणों का भी घट से संसर्ग है। इसलिए संसर्ग की दृष्टि से देखने पर अस्तित्व और इतरगुणों में कोई भेद दृष्टिगोचर नहीं होता। संसर्ग में भेद की प्रधानता होती है और अभेद की अप्रधानता। सम्यन्ध में अभेद की प्रधानता होती है और भेद की अप्रधानता।

शब्द—जिस प्रकार अस्तित्व का प्रतिपादन 'है' शब्द द्वारा होता है उसी प्रकार अन्य गुणों का प्रतिपादन भी 'है' शब्द से होता है। 'घट में अस्तित्व है,' 'घट में कृष्णत्व है,' 'घट में कठिनत्व है' इन सब वाक्यों में 'है' शब्द घट के विविध धर्मों को प्रकट करता है। जिस 'है' शब्द से अस्तित्व का प्रतिपादन होता है उसी 'है' शब्द से कृष्णत्व, कठिनत्व आदि धर्मों का भी प्रतिपादन होता है। अतः शब्द की दृष्टि से भी अस्तित्व और अन्य धर्मों में अभेद है। अस्तित्व की तरह प्रत्येक धर्म को लेकर सकलादेश का संयोजन किया जा सकता है।

सकलादेश के आधार पर जो सप्तभंगी बनती है उसे प्रमाणसप्तभंगी कहते हैं। विकलादेश की दृष्टि से जो सप्तभंगी बनती है वह नमसप्तभंगी है। सप्तभंगी क्या है? एक वस्तु में अविरोधपूर्वक विधि और प्रतिषेध की विकल्पना सप्तभंगी है। प्रत्येक वस्तु में कोई भी धर्म विधि और निषेध उभयस्वरूप वाला होता है, यह हम देख चुके हैं। जब हम अस्तित्व का प्रतिपादन करते हैं तब नास्तित्व भी निषेधरूप में हमारे सामने उपास्थित हो जाता है। जब हम सत् का प्रतिपादन करते हैं तब असत् भी सामने आ जाता है। जब हम नित्यत्व का बधन करते हैं तब अनित्यत्व भी निषेध रूप में सम्मुख उपस्थित हो जाता है। किसी भी वस्तु के विधि और निषेध रूप दो पक्ष वाले धर्म का बिना विरोध के प्रतिपादन करने से जो सात प्रकार के विकल्प बनते हैं वह सप्तभंगी है। विधि और निषेधरूप धर्म का वस्तु में कोई विरोध नहीं है।

१ — प्रदणवशादेकस्मिन् वस्तुन्यविरोधेन विधिप्रतिषेधविकल्पना सप्तभंगी।

है असद्भावपर्यायों से, और दो देश आदिष्ट हैं तदुभय-पर्यायों से, अतः (दो) आत्माएँ हैं, आत्मा नहीं है और (दो) अवक्तव्य हैं ।

२२—दो देश आदिष्ट हैं सदभावपर्यायों में, दो देश आदिष्ट है असद्भावपर्यायों से, और एक देश आदिष्ट है तदुभय-पर्यायों से, अतः पंचप्रदेशी स्कन्ध (दो) आत्माएँ हैं, (दो) आत्माएँ नहीं है और अवक्तव्य है ।

इसी प्रकार पट्टप्रदेशी स्कन्ध के २३ भंग किए गए हैं । २२ का पूर्ववत् निर्देश किया गया है और २३ वाँ भंग इस प्रकार है—

दो देश सदभावपर्यायों से आदिष्ट है, दो देश असद्भावपर्यायों से आदिष्ट है और दो देश तदुभय पर्यायों से आदिष्ट है, अतएव पट्टप्रदेशी स्कन्ध (दो) आत्माएँ हैं, (दो) आत्माएँ नहीं है और (दो) अवक्तव्य हैं ।

उपर्युक्त भंगों को देखने से हम इस निर्णय पर पहुँचते हैं कि साद्वाद से फलित होने वाली सप्तभंगी वाद के आचार्यों की सूझ ही है । यह आगमों में मिलती है और वह भी अपने प्रभेदों के साथ । २३ भंगों तक का विकास भगवती सूत्र के उपर्युक्त सूत्र में मिलता है । यह तो एक दिग्दर्शन मात्र है । नाना प्रकार के विकल्पों का आधार पर अनेक भंगों का निर्माण किया जा सकता है, यह वक्ता के बुद्धिकौशल पर निर्भर है । इन सब भंगों का निचोड़ त्तम भंग है । अस्ति, नास्ति, अनुभय (अवक्तव्य), उभय (अस्ति-अस्ति), अस्ति-अवक्तव्य, नास्ति-अवक्तव्य, अस्ति-नास्ति-अवक्तव्य ।

इन सात में भी प्रथम चार मुख्य हैं—अस्ति, नास्ति, अनुभय और उभय । इन चार में भी दो मौलिक हैं—अस्ति और नास्ति । तत्त्व के मुख्य रूप से दो पहलू हैं । दोनों परस्पराश्रित हैं । 'अस्ति' 'नास्ति' पूर्वक है और 'नास्ति' 'अस्ति' पूर्वक । वाद के दार्शनिकों ने सात भंगों पर ही विशेष भार दिया और साद्वाद और एकार्थक हो गए । भंग सात ही क्यों होते हैं, अधिक या

प्रत्येक भंग को निश्चयात्मक समझना चाहिए, अनिश्चयात्मक व सन्देहात्मक नहीं। इसके लिए कई बार 'ही' (एव) का प्रयोग भी होता है जैसे कथंचित् घट है ही.....आदि। वह 'ही' निश्चितरूप से घट का अस्तित्व प्रकट करता है। 'ही' का प्रयोग न होने पर भी प्रत्येक कथन को निश्चयात्मक ही समझना चाहिए। स्याद्वाद सन्देह व अनिश्चय का समर्थक नहीं है, यह पहले कहा जा चुका है। चाहे 'ही' का प्रयोग हो, चाहे न हो, किन्तु यदि कोई वचन-प्रयोग स्याद्वाद सम्बन्धी है तो यह निश्चित है कि वह 'ही' पूर्वक ही है। इसी प्रकार कथंचित् या स्यात् शब्द के विषय में भी समझना चाहिए। स्यात् का प्रयोग न होने पर भी वह अर्थात् समझ लिया जाता है। यही स्याद्वाद या अनेकान्तवाद की विशेषता है।

'कथंचित् घट है' इसका क्या अर्थ है? किस अपेक्षा से घट है स्वरूप की अपेक्षा से घट है और पररूप की अपेक्षा से घट नहीं है। सब स्वरूप की अपेक्षा से है और पररूप की अपेक्षा से नहीं है। यदि ऐसा न हो तो सब सत् हो जाए अथवा स्वरूप की कल्पना ही असम्भव हो जाए। कोई भी पदार्थ स्वरूप की दृष्टि से सत् है और पररूप की दृष्टि से असत् है। यदि वह एकान्तरूप से सत् हो तो सत्य और सर्वदा उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि वह हमेशा सत् है। जो हमेशा सत् होता है वह कदाचित् नहीं होता। स्वरूप क्या है और पररूप क्या है, इसका अनेक दृष्टियों से विचार किया जा सकता है। हम कुछ दृष्टियों से यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि स्वरूप और पररूप का क्या अभिप्राय है? स्वरूप से क्या समझना चाहिए? पररूप का क्या अर्थ लेना चाहिए?

नाम, स्थापना, द्रव्य, और भाव से जिसकी विवक्षा होती है वह स्वरूप या स्वारमा है। वक्ता के प्रयोजन के अनुसार अर्थ का स्वरूप

१—अप्रयुक्तोऽपि सद्यत्र स्वारकारोऽप्यन्वि प्रतीयते ।

विधो निषेधेऽन्यत्र पुनसथोत् प्रयोजकः ॥

—मयीदस्य, २।१।११

२—मयंमन्त्रि स्वरूपेण पश्येण नास्ति च ।

मन्दथा मयंमहवं स्वान् स्वरूपस्याप्यमम्भवः ॥

नों पक्ष एक ही वस्तु में अविरोध रूप से रहते हैं। यह दिखाने के लिए 'अविरोधपूर्वक' अंश का प्रयोग किया गया है।

घट के अस्तित्व धर्म को लेकर जो सप्तभंगी बनती है, वह इस प्रकार है :—

१—कथंचित् घट है।

२—कथंचित् घट नहीं है।

३—कथंचित् घट है और नहीं है।

४—कथंचित् घट अवक्तव्य है।

५—कथंचित् घट है और अवक्तव्य है।

६—कथंचित् घट नहीं है और अवक्तव्य है।

७—कथंचित् घट है, नहीं है और अवक्तव्य है।

प्रथम भंग विधि की कल्पना के आधार पर है। इसमें घट के अस्तित्व का विधिपूर्वक प्रतिपादन है।

दूसरा भंग प्रतिषेध की कल्पना को लिए हुए है। जिस अस्तित्व का प्रथम भंग में विधिपूर्वक प्रतिपादन किया गया है उसी का इसमें निषेधपूर्वक प्रतिपादन है। प्रथम भंग में विधि की स्थापना की गई है। दूसरे में विधि का प्रतिषेध किया गया है।

तीसरा भंग विधि और निषेध दोनों का क्रमशः प्रतिपादन करता है। पहले विधि का ग्रहण करता है और बाद में निषेध का। यह भंग प्रथम और द्वितीय दोनों भंगों का संयोग है।

चौथा भंग विधि और निषेध का युगपत् प्रतिपादन करता है। दोनों का युगपत् प्रतिपादन होना वचन के सामर्थ्य के बाहर है, अतः इस भंग को अवक्तव्य कहा गया है।

पाँचवाँ भंग में विधि और युगपत् विधि और निषेध दोनों का प्रतिपादन करता है। प्रथम और चतुर्थ के संयोग से यह भंग बनता है।

छठे भंग निषेध और युगपत् विधि और निषेध दोनों का कथन है। यह भंग द्वितीय और चतुर्थ दोनों का संयोग है।

सातवाँ भंग क्रम से विधि और निषेध और युगपत् विधि और निषेध का प्रतिपादन करता है। यह तृतीय और चतुर्थ भंग का संयोग है।

प्रत्येक भंग को निश्चयात्मक समझना चाहिए, अनिश्चयात्मक या सन्देहात्मक नहीं। इसके लिए कई बार 'ही' (एव) का प्रयोग भी होता है जैसे कथञ्चित् घट है ही.....आदि। वह 'ही' निश्चितरूप से घट का अस्तित्व प्रकट करता है। 'ही' का प्रयोग न होने पर भी प्रत्येक कथन को निश्चयात्मक ही समझना चाहिए। स्याद्वाद सन्देह या अनिश्चय का समर्थक नहीं है, यह पहले कहा जा चुका है। चाहे 'ही' का प्रयोग हो, चाहे न हो, किन्तु यदि कोई वचन-प्रयोग स्याद्वाद सम्बन्धी है तो यह निश्चित है कि वह 'ही' पूर्वक ही है। इसी प्रकार कथञ्चित् या स्यात् शब्द के विषय में भी समझना चाहिए। स्यात् का प्रयोग न होने पर भी वह अर्थात् समझ लिया जाता है। यही स्याद्वाद या अनेकान्तवाद की विशेषता है।

'कथञ्चित् घट है' इसका क्या अर्थ है? किस अपेक्षा से घट है। स्वरूप की अपेक्षा से घट है और पररूप की अपेक्षा से घट नहीं है। सब स्वरूप की अपेक्षा से है और पररूप की अपेक्षा से नहीं है। यदि ऐसा न हो तो सब सत् हो जाए अथवा स्वरूप की कल्पना ही अमम्भव हो जाए। कोई भी पदार्थ स्वरूप की दृष्टि से सत् है और पररूप की दृष्टि से असत् है। यदि वह एकान्तरूप से सत् हो तो मग्न और सर्वदा उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि वह हमेशा सत् है। ओं हमेशा सत् होता है वह कदाचित् नहीं होता। स्वरूप क्या है और पररूप क्या है, इसका अनेक दृष्टियों से विचार किया जा सकता है। हम कुछ दृष्टियों से यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि स्वरूप और पररूप का क्या अभिप्राय है? स्वरूप से क्या समझना चाहिए? पररूप का क्या अर्थ लेना चाहिए?

नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव से जिसकी विवक्षा होती है वह स्वरूप या स्वात्मा है। वक्ता के प्रयोजन के अनुसार अर्थ का ग्रहण

१—अप्रवृत्तो वि मयत्र स्वात्कारोऽर्थात् प्रतीयते ।

विधो निवेद्येऽन्यत्र मृगसर्पेत् प्रयोजकः ॥

—मपीयस्वय, २।१:६१

२—नयेमन्ति स्वरूपेण पररूपेण नास्ति च ।

अन्यथा सर्वमस्त्वं स्यात् स्वरूपस्याप्यनम्भवः ॥

एक ही क्षण में घट की सारी अवस्थाएँ उपलब्ध हो जाएँ। ऐसी अवस्था में अतीत, वर्तमान और अनागत का कोई भेद ही न रहे।

द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की दृष्टि से स्वरूप और परस्पर विवेचन करना अनुचित न होगा। यद्यपि ऊपर के विवेचन में इनका समावेश हो जाता है, तथापि विशेष स्पष्टीकरण के लिए यह उपयोगी होगा। घट का द्रव्य मिट्टी है। जिस मिट्टी से घट बना है उसका अपेक्षा से वह सत् है। अन्य द्रव्य की अपेक्षा से वह सत् नहीं है। क्षेत्र का अर्थ स्थान है। जिस स्थान पर घट है उस स्थान की अपेक्षा से वह सत् है। अन्य स्थानों की अपेक्षा से वह असत् है। काल के विषय में कहा जा चुका है। जिस समय घट है उस समय की अपेक्षा से वह सत् है और उस समय से भिन्न समय की अपेक्षा से असत् है। भाव का अर्थ है पर्याय या आकार विशेष। जिस आकार या पर्याय का घट है उसका अपेक्षा से वह सत् है। तद्वितर आकारों या पर्यायों की अपेक्षा से वह असत् है। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव की अपेक्षा से वह सत् है। परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और परभाव की अपेक्षा से घट नहीं है। कथञ्चित् या स्यात् शब्द का प्रयोग यही सूचित करने के लिए है। इनमें प्रत्येक पदार्थ की मर्यादा का ज्ञान होता है। उसकी सीमा का पता लगता है। इसके अभाव में एकान्तवाद का भय रहता है। अनेकान्तवाद के लिए यह मर्यादा अनिवार्य है।

✓ दोष-परिहार :

स्याद्वाद का क्या अर्थ है व उनका दर्शन के क्षेत्र में कितना महत्त्व है, यह दिखाने का यथासम्भव प्रयत्न किया गया है। अब हम स्याद्वाद पर आने वाले कुछ आरोपों का निराकरण करना चाहते हैं। स्याद्वाद के वास्तविक अर्थ में अपरिचित बड़े-बड़े दार्शनिक भी उस पर मिथ्या आरोप लगाने में नहीं चूके। उन्होंने अज्ञानवश ऐसा किया या जानकर, यह कहना कठिन है। जैसे भी किया हो, किन्तु किया अवश्य। धर्मशास्त्रियों ने स्याद्वाद को पागलों का प्रलाप कहा और जैनों को 'निर्गन्ध' बताया।

करना स्वात्मा का ग्रहण कहलाता है। यह प्रयोजन भाषा के विविध प्रयोगों में भ्रूलकता है। एक शब्द प्रयोजन के अनुसार अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है। प्रत्येक शब्द का मोटे तौर पर चार अर्थों में विभाग किया जाता है। इसी अर्थ-विभाग को न्यास कहते हैं। ये विभाग हैं- नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। सामान्य तौर पर किसी का एक नाम रख देना नाम निक्षेप है। मूर्ति, चित्र आदि स्थापना निक्षेप है। भूत या भविष्यत् काल में रहने वाली योग्यता का वर्तमान में आरोप करना द्रव्य निक्षेप है। वर्तमान कालीन योग्यता का निर्देश भावनिक्षेप है। इन चारों निक्षेपों में रहने वाला जो विवक्षित अर्थ है वह स्वरूप अथवा स्वात्मा कहलाता है। स्वात्मा से भिन्न अर्थ परात्मा या पररूप है। विवक्षित अर्थ की दृष्टि से घट है और तदितर दृष्टि से घट नहीं है। यदि इतर दृष्टि से भी घट हो तो नामादि व्यवहार (निक्षेप) का उच्छेद हो जाय।

स्वरूप का दूसरा अर्थ यह है कि विवक्षित घट-विशेषका जो प्रतिनियत संस्थानादि है वह स्वात्मा है। दूसरे प्रकार का संस्थानादि परात्मा है। प्रतिनियत रूप से घट है। इतर रूप से नहीं। यदि इतर रूप से भी घट हो तो सब घटात्मक हो जाय। पट आदि किसी का स्वतन्त्र अस्तित्व न रहे।

काल की अपेक्षा से भी स्वात्मा और परात्मा का अर्थ-ग्रहण होता है। घट की पूर्व और उत्तर काल में रहने वाली कुशूल, कपालादि अवस्थाएँ परात्मा हैं। तदन्तरालवर्ती अवस्था स्वात्मा है। घट कुशूल, कपालादिअन्तरालवर्ती अवस्था की दृष्टि से सत् है, कुशूल, कपालादि अवस्थाओं की दृष्टि से सत् नहीं है। यदि इन अवस्थाओं की दृष्टि से भी सत् होता तो उस समय ये भी उपलब्ध होती। कपालादि अवस्थाओं के लिए पुरुष को प्रयत्न न करना पड़ता।

स्वात्मा और परात्मा का एक अर्थ यह भी है कि प्रतिक्षणभावी द्रव्य की जो पर्यायोत्पत्ति है वह स्वात्मा है और अतीत एवं अनागत पर्यायविनाश तथा पर्यायोत्पत्ति है वह परात्मा है। प्रत्युत्पन्न पर्याय की अपेक्षा से घट है और अतीत एवं अनागत पर्याय की अपेक्षा से घट नहीं है। यदि अतीत एवं अनागत पर्यायों की अपेक्षा से घट सत् हो तो

को आश्रय देती है। दोनों की सत्ता से ही वस्तु का स्वरूप पूर्ण होता है। एक के अभाव में पदार्थ अधूरा है। जब एक वस्तु द्रव्यदृष्टि से नित्य और पर्यायदृष्टि से अनित्य मालूम होती है तो उसमें विरोध का कोई प्रश्न ही नहीं है। विरोध वही होता है जहाँ विरोध की प्रतीति हो। विरोध की प्रतीति के अभाव में भी विरोध की कल्पना करना सत्य को चुनौती देना है। जैन ही नहीं, बौद्ध भी चित्रज्ञान में विरोध नहीं मानते। जब एक ही ज्ञान में चित्रवर्ण का प्रतिभास हो सत्ता है और उस ज्ञान में विरोध नहीं होता तो एक ही पदार्थ में दो विरोधी धर्मों की सत्ता मानने में क्या हानि है। नैययिक चित्रवर्ण की सत्ता मानते ही है। एक ही वस्त्र में संकोच और विकास हो सकता है, एक ही वस्त्र रक्त और अरक्त हो सकता है, एक ही वस्त्र पिहित और अर्थाहित हो सकता है, ऐसी दशा में एक ही पदार्थ में भेद और अभेद, नित्यता और अनित्यता, एकता और अनेकता की सत्ता क्यों विरोधी है, पर समझ में नहीं आता। इसलिए स्याद्वाद पर यह आरोप लगाना कि यह परस्पर विरोधी धर्मों को एकत्र आश्रय देता है, मिथ्या है। स्याद्वाद प्रतीति को यथार्थ मानकर ही आगे बढ़ता है। प्रतीति में जैसा प्रतिभास होता है और जिसका दूसरी प्रतीति से स्पन्दन नहीं होता, वही निरर्थक यथार्थ है—प्रव्यभिचारो है—प्रविरोधो है।

२—यदि वस्तु भेद और अभेद उभयात्मक है तो भेद का साधक भिन्न होगा और अभेद का आश्रय उसमें भिन्न। ऐसी दशा में वस्तु का एकरूपता समाप्त हो जाएगी। एक ही वस्तु द्विरूप हो जाएगी।

यह दोष भी निराधार है। भेद और अभेद का भिन्न-भिन्न साधक मानने की कोई आवश्यकता नहीं। जो वस्तु भेदात्मक है वही वस्तु अभेदात्मक है। उसका जो परिवर्तन धर्म है, वह भेद की प्रतीति का कारण है। उसका जो प्रोच्य धर्म है, वह अभेद की प्रतीति का कारण है। ये दोनों धर्म अलग-अलग वस्तु के धर्म हैं। ऐसा कहना ठीक नहीं कि वस्तु का एक धर्म भेद या परिवर्तन धर्म वाला है और दूसरा धर्म अभेद या प्रोच्य धर्म युक्त है। वस्तु के टुकड़े-टुकड़े करने अनेक धर्मों की मत्ता स्वीकृत करना स्याद्वादी को दृष्ट नहीं। जब हम वस्त्र को संकोच और विकासमान कहते हैं, तब हमारा तात्पर्य एक ही वस्त्र से होता है।

मान्तरक्षित ने भी यही बात कही। स्याद्वाद, जो कि सत् और असत्, एक और अनेक, भेद और अभेद, सामान्य और विशेष जैसे परस्पर विरोधी तत्त्वों को मिलाता है, पागल व्यक्ति की दीखलाहट है। इसी प्रकार शकर ने भी स्याद्वाद पर पागलपन का आरोप लगाया। एक ही श्वास उष्ण और शीत नहीं हो सकता। भेद और अभेद, नित्यता और अनित्यता, यथार्थता और अयथार्थता, सत् और असत्, अन्वकार और प्रकाश की तरह एक ही काल में एक ही वस्तु में नहीं रह सकते। इसी प्रकार के अनेक आरोप स्याद्वाद पर लगाए गए हैं। हम जितने आरोप लगाये गए हैं, अथवा लगाए जा सकते हैं उन सब का एक-एक करके निराकरण करने का प्रयत्न करेंगे।

१—विधि और निषेध परस्पर विरोधी धर्म हैं। जिस प्रकार एक ही वस्तु नील और अनील दोनों नहीं हो सकती, क्योंकि नीलत्व और अनीलत्व विरोधी वर्ण हैं, उसी प्रकार विधि और निषेध परस्पर विरोधी होने से एक ही वस्तु में नहीं रह सकते। इसलिए यह कहना विरोधी है कि एक ही वस्तु भिन्न भी है और अभिन्न भी है, सत् भी है और असत् भी है, वाच्य भी है और अवाच्य भी है। जो भिन्न है वह अभिन्न कैसे हो सकता है। जो एक है वह एक ही है, जो अनेक है वह अनेक ही है। इसी प्रकार अन्य धर्म भी पारस्परिक विरोध सहन नहीं कर सकते। स्याद्वाद इस प्रकार के विरोधी धर्मों का एकत्र समर्थन करता है। इसलिए वह सदोष है।

यह दोपारोपण मिथ्या है। प्रत्येक पदार्थ अनुभव के आधार पर इसी प्रकार का सिद्ध होता है। एक दृष्टि से वह नित्य प्रतीत होता है और दूसरी दृष्टि से अनित्य। एक दृष्टि से एक मालूम होता है और दूसरी दृष्टि से अनेक। स्याद्वाद यह नहीं कहता कि जो नित्यता है वही अनित्यता है या जो एकता है वही अनेकता है। नित्यता और अनित्यता, एकता और अनेकता आदि धर्म परस्पर विरोधी हैं यह सत्य है, किन्तु उनका विरोध अपनी दृष्टि से है, वस्तु की दृष्टि से नहीं। वस्तु दोनों

१—तत्त्वसंग्रह ३.११-३२७

२—शारीरकभाष्य २.२।३३

स्याद्वाद को संकर दोष का सामना तब करना पड़ता, जब भेद अभेद हो जाता या अभेद भेद हो जाता। आश्रय एक होने पर अर्थ यह नहीं होता कि आश्रित भी एक हो जाए। एक ही आश्रय में अनेक आश्रित रह सकते हैं। एक ही ज्ञान में विप्रवर्ण या प्रविभाग होता है, फिर भी सब वर्ण एक नहीं हो जाते। एक ही वस्तु में सामान्य और विशेष दोनों रहते हैं, फिर भी सामान्य और विशेष एक नहीं हो जाते। भेद और अभेद का आश्रय एक ही पदार्थ है, किन्तु वे दोनों एक नहीं हैं। यदि वे एक होते तो एक ही की प्रतीति होती, दोनों की नहीं। जब दोनों की भिन्न भिन्न रूप में प्रतीति होती है, तब उन्हें एक रूप कैसे कहा जा सकता है ?

५—जहाँ भेद है वहाँ अभेद भी है और जहाँ अभेद है वहाँ भेद भी है। दूसरे शब्दों में जो भिन्न है वह अभिन्न भी है और जो अभिन्न है वह भिन्न भी है। भेद और अभेद दोनों परस्पर बदले जा सकते हैं। इनका परिणाम यह होगा कि स्याद्वाद को व्यतिकर दोष का सामना करना पड़ेगा।

जिस प्रकार संकर दोष स्याद्वाद पर नहीं लगाया जा सकता, उसी प्रकार व्यतिकर दोष भी स्याद्वाद का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दोनों धर्म स्वतन्त्ररूप से वस्तु में रहते हैं और उनकी प्रतीति उभयरूप में होती है। ऐसी दशा में व्यतिकर दोष की कोई सम्भावना नहीं। जब भेद की प्रतीति स्वतन्त्र है और अभेद की स्वतन्त्र, तब भेद और अभेद के परिवर्तन की आवश्यकता ही क्या है ! ऐसी स्थिति में व्यतिकर दोष का कोई अर्थ नहीं। भेद का भेद रूप में और अभेद का अभेद रूप में ग्रहण करना, यही स्याद्वाद का अर्थ है। अतः यहाँ व्यतिकर जैसी बात चीज ही नहीं है।

६—सर्व भेदाभेदात्मक होने से किसी निश्चित धर्म का निर्गम्य होने पाएगा। जहाँ किसी निश्चित धर्म का निर्गम्य नहीं होगा तब संशय उत्पन्न हो जाएगा, और जहाँ संशय होगा वहाँ सर्व का ज्ञान ही नहीं होगा।

वही वस्त्र संकोचशाली होता है और वही विकासशाली । यह नहीं कि उसका एक हिस्सा संकोच धर्म वाला है और दूसरा हिस्सा विकास धर्म वाला है । वस्तु के दो अलग अलग विभाग करके भेद और अभेद रूप दो भिन्न भिन्न धर्मों के लिए दो भिन्न भिन्न आश्रयों की कल्पना करना त्यादाद को मर्यादा से बाहर है । वह तो एकरूप वस्तु को ही अनेक धर्मयुक्त मानता है ।

३—वह धर्म जिसमें भेद की कल्पना की जाती है और वह धर्म जिसमें अभेद को स्वीकृत किया जाता है, दोनों का क्या सम्बन्ध होगा ? दोनों परस्पर भिन्न हैं या अभिन्न ? भिन्न मानने पर पुनः यह प्रश्न उठता है कि वह भेद जिसमें रहता है उससे वह भिन्न है या अभिन्न ? इस प्रकार अनवस्था का सामना करना पड़ेगा । अभिन्न मानने पर भी वही दोष आता है । यह अभेद जिसमें रहेगा वह उससे भिन्न है अभिन्न ? दोनों अवस्थाओं में पुनः सम्बन्ध का प्रश्न खड़ा होता है । इस प्रकार किसी भी अवस्था में अनवस्था से मुक्ति नहीं मिल सकती ।

अनवस्था के नाम पर यह दोष भी त्यादाद के सिर पर नहीं मड़ा जा सकता । जैनदर्शन यह नहीं मानता कि भेद अलग है और वह भेद जिसमें रहता है वह धर्म अलग है । इसी प्रकार जैन दर्शन यह भी नहीं मानता कि अभेद भिन्न है और अभेद जिसमें रहता है वह धर्म उससे भिन्न है । वस्तु के परिवर्तनशील स्वभाव को ही भेद कहते हैं और उसके अपरिवर्तनशील स्वभाव का नाम ही अभेद है । भेद नामक कोई भिन्न पदार्थ आकर उससे सम्बन्धित होता हो और उसके सम्बन्ध से वस्तु में भेद की उत्पत्ति होती हो, यह बात नहीं है । इसी प्रकार अभेद भी कोई स्वतन्त्र पदार्थ नहीं है, जो किसी सम्बन्ध से वस्तु में रहता हो । दस्तु स्वयं ही भेदाभेदात्मक है । ऐसी दशा में इस प्रकार के सम्बन्ध का प्रश्न ही नहीं उठता । जब सम्बन्ध का प्रश्न ही व्यर्थ है तब अनवस्था दोष की व्यर्थता स्वतः सिद्ध है, यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं ।

४—जहाँ भेद है वहीं अभेद है और जहाँ अभेद है वहीं भेद है । भेद और अभेद का भिन्न-भिन्न आश्रय न होने से दोनों एकरूप हो जाएँगे । भेद और अभेद की एकरूपता का अर्थ होगा संकर दोष ।

कोई आपत्ति नहीं। वस्तु का विश्लेषण करने पर प्रथम दो भङ्ग घबर स्वीकृत करने पड़ते हैं। विवक्षाभेद से २३ भङ्गों की रचना भगवतीसू में पहले देख ही चुके हैं।

१०—स्याद्वाद को मानने वाले केवलज्ञान की सत्ता में विश्वास न रख सकते, क्योंकि केवलज्ञान एकान्तरूप से पूर्ण होता है। उसकी उत्पत्ति के लिए वाद में किसी की अपेक्षा नहीं रहती।

स्याद्वाद और केवलज्ञान में तत्त्वज्ञान की दृष्टि से कोई भेद नहीं है केवली वस्तु को जिस रूप से जानेगा, स्याद्वादी भी उसे उसी रूप से जानेगा। अन्तर यह है कि केवली जिस तत्त्व को साक्षात् जानेगा—प्रत्यक्ष ज्ञान से जानेगा, स्याद्वादी छद्मस्थ उसे परोक्षरूप से जानेगा—श्रुतज्ञान आधार से जानेगा। केवलज्ञान पूर्ण होता है, इसका अर्थ यही है कि वह साक्षात् आत्मा से होता है और उस ज्ञान में किसी प्रकार की बाधा या सम्भावना नहीं है। पूर्णता का यह अर्थ नहीं कि वह एकान्तवादी हो गया तत्त्व को तो वह सापेक्ष-अनेकान्तात्मक रूप में ही देखेगा। इतना ही नहीं उसमें उत्पाद, व्यय और धीव्य ये तीनों धर्म रहते हैं। काल जैसे पदार्थ परिवर्तन करता है वैसे ही केवलज्ञान में भी परिवर्तन करता है। जैन दर्शन केवलज्ञान को क्लृप्तस्थानित्य नहीं मानता। किसी वस्तु की सतत वर्तमान और अनागत-ये तीन अवस्थाएँ होती हैं। जो अवस्था आज अनागत है वह कल वर्तमान होती है। जो आज वर्तमान है वह कल भूत में परिणत होती है। केवलज्ञान आज की तीन प्रकार की अवस्थाओं को आज की दृष्टि से जानता है। कल का जानना आज से भिन्न हो जाएगा, क्योंकि आज जो वर्तमान है कल वह भूत होगा और आज जो अनागत है कल वह वर्तमान होगा। यह ठीक है कि केवली तीनों कालों को जानता है, किन्तु जिस पर्याय को उमने, फल भविष्यत् रूप से जाना था उसे आज वर्तमान रूप से जानता है। इस प्रकार काल-भेद से केवली के ज्ञान में भी भेद आता रहता है। वस्तु की अवस्था के परिवर्तन के साथ-साथ ज्ञान की अवस्था भी बदलती रहती है। इसलिए केवलज्ञान भी कथंचित् अनित्य है और कथंचित् नित्य। स्याद्वाद और केवलज्ञान में विरोध की कोई सम्भावना नहीं।

यह दोष भी व्यर्थ है। भेदाभेदात्मक तत्त्व का भेदाभेदात्मक ज्ञान होना संशय नहीं है। संशय तो वहाँ होता है जहाँ यह निर्णय न हो कि तत्त्व भेदात्मक है या अभेदात्मक है या भेद और अभेद उभयात्मक है? जब यह निर्णय हो रहा है कि तत्त्व भेद और अभेद उभयात्मक है, तब यह कैसे कहा जा सकता है कि किसी निश्चित धर्म का निर्णय नहीं होगा। जहाँ निश्चित धर्म का निर्णय है वहाँ संशय पैदा नहीं हो सकता। जहाँ संशय नहीं वहाँ तत्त्वज्ञान होने में कोई बाधा नहीं। इसलिए संशयाश्रित जितने भी दोष हैं, स्याद्धाद के लिए सब निरर्थक हैं। ये दोष स्याद्धाद पर नहीं लगाए जा सकते।

७—स्याद्धाद एकान्तवाद के बिना नहीं रह सकता। स्याद्धाद कहता है कि प्रत्येक वस्तु या धर्म सापेक्ष है। सापेक्ष धर्मों के मूल में जब तक कोई ऐसा तत्त्व न हो, जो सब धर्मों को एक सूत्र में बाँध सके, तब तक वे धर्म टिक ही नहीं सकते। उन को एकता के सूत्र में बाँधने वाला कोई-न-कोई तत्त्व, अवश्य होना चाहिए, जो स्वयं निरपेक्ष हो। ऐसे निरपेक्ष तत्त्व को सत्ता मानने पर, स्याद्धाद का यह सिद्धान्त कि प्रत्येक वस्तु सापेक्ष है, खरिडत हो जाता है।

स्याद्धाद जो वस्तु जैसी है उसे वैसी ही देखने के सिद्धान्त का प्रतिपादन करता है। सब पदार्थों या धर्मों में एकता है, इसे स्याद्धाद मानता है। भिन्न-भिन्न वस्तुओं में अभेद मानना स्याद्धाद को अभीष्ट है। स्याद्धाद यह नहीं कहता कि अनेक धर्मों में कोई एकता नहीं है। विभिन्न वस्तुओं को एक सूत्र में बाँधने वाला अभेदात्मक तत्त्व अवश्य है, किन्तु ऐसे तत्त्व को मानने का यह अर्थ नहीं कि स्याद्धाद एकान्तवाद हो गया। स्याद्धाद एकान्तवाद तब होता जब वह भेद का खरिडन करता—अनेकता का निरस्कार करता। अनेकता में एकता मानना स्याद्धाद को प्रिय है, किन्तु अनेकता का निषेध करके एकता को स्वीकृत करना, उसकी मर्यादा से बाहर है। 'सर्वमेकं सद्विद्वेषात्' अर्थात् सब एक है, क्योंकि सब मन् है—इस सिद्धान्त को मानने के लिए स्याद्धाद तैयार है, किन्तु अनेकता का निषेध करके नहीं, अपितु उसे स्वीकृत करके। एकान्तवाद अनेकता का निषेध करता है—अनेकता को अर्थार्थ मानता है—भेद को मिथ्या कहता है, जब कि अनेकान्तवाद एकता के साथ-साथ अनेकता को भी

•
•
•

महावीर ने केवलज्ञान होने के पहले चित्र—विचित्र पंख वाले एक बड़े पुंस्कोकिल को स्वप्न में देखा। इस स्वप्न का विश्लेषण करने पर स्याद्वाद फलित हुआ। पुंस्कोकिल के चित्रविचित्र पंख अनेकान्तवाद के प्रतीक हैं। जिस प्रकार जैनदर्शन में वस्तु की अनेकरूपता की स्थापना स्याद्वाद के आधार पर की गई, उसी प्रकार बौद्ध दर्शन में विभज्यवाद के नाम पर इसी प्रकार का अंकुर स्फुटित हुआ, किन्तु उचित मात्रा में पानी और हवा न मिलने के कारण वह मुरझा गया और अन्त में नष्ट हो गया। स्याद्वाद को समय-समय पर उपयुक्त सामग्री मिलती रही; जिससे वह आज दिन तक बराबर बढ़ता रहा। भेदाभेदवाद, सदसद्वाद, नित्यानित्यवाद, निर्वचनीयानिर्वचनीयवाद, एकानेकवाद, सदसत्कार्यवाद आदि जितने भी दार्शनिक वाद हैं सबका आधार स्याद्वाद है, जैन दर्शन के आचार्यों ने इस सिद्धान्त की स्थापना का युक्तिसंगत प्रयत्न किया। प्रागमों में इसका काफी विकास दिखाई देता है। जैनदर्शन में स्याद्वाद का इतना अधिक महत्त्व है कि आज स्याद्वाद जैनदर्शन का अर्थ बन गया है। जैनदर्शन का अर्थ स्याद्वाद के रूप में लिया जाता है। जहाँ जैनदर्शन का नाम आता है, अन्य सिद्धान्त एक ओर रह जाते हैं और स्याद्वाद या अनेकान्तवाद याद आ जाता है। वास्तव में स्याद्वाद जैन दर्शन का प्राण है। जैन आचार्यों के सारे दार्शनिक चिन्तन का आधार स्याद्वाद है।

सातः

नयवाद

द्वयार्थिक और पर्यायार्थिक दृष्टि

द्वयार्थिक और प्रदेशार्थिक दृष्टि

व्यापहारिक और नैश्चयिक दृष्टि

अर्थनय और शब्दनय

नय के भेद

नयों का पास्परिक सम्बन्ध

है। सकलादेश की विवक्षा सकल धर्मों के प्रति है, जब कि विकलादेश की विवक्षा विकल धर्म के प्रति है। यद्यपि दोनों यह जानते हैं कि वस्तु अनेक धर्मात्मक है—अनेकान्तात्मक है, किन्तु दोनों के कथन की मर्यादा भिन्न-भिन्न है। एक का कथन वस्तु के सभी धर्मों का ग्रहण करता है, जबकि दूसरे का कथन वस्तु के एक धर्म तक ही सीमित है। अनेकान्तात्मक वस्तु के कथन की दो प्रकार की मर्यादा के कारण स्याद्वाद और नय का भिन्न-भिन्न निरूपण है। स्याद्वाद सकलादेश है और नय विकलादेश है।

द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक दृष्टि:

वस्तु के निरूपण की जितनी भी दृष्टियाँ हैं, दो दृष्टियों में विभाजित की जा सकती हैं। वे दो दृष्टियाँ हैं द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। द्रव्यार्थिक दृष्टि में सामान्य या अमेदमूलक समस्त दृष्टियों का समावेश हो जाता है। विशेष या भेदमूलक जितनी भी दृष्टियाँ हैं सब का समावेश पर्यायार्थिक दृष्टि में हो जाता है। आचार्य सिद्धसेन ने इन दोनों दृष्टियों का समर्थन करते हुए कहा कि भगवान् महावीर के प्रवचन में मूलतः दो ही दृष्टियाँ हैं—द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। शेष सभी दृष्टियाँ इन्हीं की शाखा-प्रशाखाएँ हैं^१। महावीर का इन दो दृष्टियों से क्या अभिप्राय है, यह भी आगमों को देखने से स्पष्ट हो जाता है। भगवती सूत्र में नारक जीवों की शाश्वतता और अशाश्वतता का प्रतिपादन करते हुए कहा गया है कि अव्युच्छित्तिनय की अपेक्षा में नारक जीव शाश्वत है, और व्युच्छित्तिनय की अपेक्षा से वह अशाश्वत है।^२ अव्युच्छित्तिनय द्रव्यार्थिक दृष्टि का ही नाम है। द्रव्यदृष्टि से देखने पर प्रत्येक पदार्थ नित्य मालूम होता है। इसीलिए द्रव्यार्थिक दृष्टि अमेदगामी है—सामान्यमूलक है—अन्वयपूर्वक है। व्युच्छित्तिनय का दूसरा नाम है पर्यायार्थिक दृष्टि। पर्यायदृष्टि से देखने पर वस्तु अनित्य

१—'स्याद्वादः सकलादेशो नगो विकलसंकषा'।

—तथीयस्त्रय, ६।६।६२

२—सन्मति तर्क प्रकरण, १।३

३—७।२।२७६

नयवाद

श्रुत के दो उपयोग होते हैं—सकलादेश और विकलादेश । सकलादेश को प्रमाण या स्याद्वाद कहते हैं । विकलादेश को नय कहते हैं । धर्मान्तर की अविवक्षा से एक धर्म का कथन, विकलादेश कहलाता है । स्याद्वाद या सकलादेश द्वारा सम्पूर्ण वस्तु का कथन होता है । नय अर्थात् विकलादेश द्वारा वस्तु के एक देश का कथन होता है । सकलादेश में वस्तु के समस्त धर्मों की विवक्षा होती है । विकलादेश में एक धर्म के अतिरिक्त अन्य धर्मों की विवक्षा नहीं होती । विकलादेश इसीलिए सम्यक् माना जाता है कि वह अपने अवक्षित धर्म के अतिरिक्त जितने भी धर्म हैं उनका प्रतिषेध नहीं करता, अपितु उन धर्मों के प्रति उसका उपेक्षाभाव होता है । शेषों से उसका कोई प्रयोजन नहीं होता । प्रयोजन के अभाव में वह न धर्मों का न तो विधान करता है और न प्रतिषेध । सकलादेश और विकलादेश दोनों की दृष्टि में साकल्य और वैकल्य का अन्तर

न्यूनाधिकता होती रहती है। पर्यायों के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है। वे नियत संख्या में नहीं मिलते। जिस प्रकार पर्यायदृष्टि से भगवान् महावीर ने वस्तु का विचार किया है उसी प्रकार प्रदेश दृष्टि से भी पदार्थ का चिन्तन किया है। उन्होंने कहा है कि मैं द्रव्य दृष्टि से एक हूँ, ज्ञान और दर्शनरूप पर्यायों की दृष्टि से दो हूँ, प्रदेशों की दृष्टि से अक्षय हूँ, अव्यय हूँ, अवस्थित हूँ। यहाँ पर महावीर ने प्रदेश दृष्टि का उपयोग एकता की सिद्धि के लिए किया है। सख्या की दृष्टि से प्रदेश नियत हैं, अतः उस दृष्टि से आत्मा अक्षय है, अव्यय है, अवस्थित है। प्रदेशदृष्टि का उपयोग अनेकता की सिद्धि के लिए भी किया जाता है। द्रव्यदृष्टि से वस्तु एकरूप मालूम होती है, किन्तु वही वस्तु प्रदेशदृष्टि से अनेकरूप दिखाई देती है, क्योंकि प्रदेश अनेक हैं। आत्मा द्रव्य दृष्टि से एक है, किन्तु प्रदेश दृष्टि से अनेक है, क्योंकि उसके अनेक प्रदेश हैं। इसी प्रकार धर्मास्तिकाय द्रव्यदृष्टि से एक है, किन्तु प्रदेशदृष्टि से अनेक है। अन्य द्रव्यों के विषय में भी यही बात समझनी चाहिए। जब किसी वस्तु का द्रव्यदृष्टि से विचार किया जाता है तब द्रव्याधिक नय का उपयोग किया जाता है। प्रदेशदृष्टि से विचार करते समय प्रदेशाधिक नय काम में लाया जाता है।

व्यावहारिक और नैश्चयिक दृष्टि :

व्यवहार और निश्चय का भगड़ा बहुत पुराना है। जो वस्तु जैसी प्रतिभासित होती है उसी रूप में वह सत्य है या किसी अन्य रूप में? कुछ दार्शनिक वस्तु के दो रूप मानते हैं—प्रातिभासिक और पारमाथिक। चार्वाक आदि दार्शनिक प्रतिभास और परमार्थ में किसी प्रकार का भेद नहीं करते। उनकी दृष्टि में इन्द्रियगम्य तत्त्व पारमाथिक है। महावीर ने वस्तु के दोनों रूपों का समर्थन किया और अपनी-अपनी दृष्टि से दोनों को यथार्थ बताया। इन्द्रियगम्य वस्तु का स्थूल रूप व्यवहार की दृष्टि से यथार्थ है। इस स्थूल रूप के अतिरिक्त वस्तु का सूक्ष्म रूप भी होता है, जो इन्द्रियों का विषय नहीं हो सकता। वह केवल श्रुत या आत्मप्रत्यक्ष का विषय होता है। यही नैश्चयिक दृष्टि है। व्यावहारिक दृष्टि और नैश्चयिक दृष्टि

मालूम होती है—अज्ञाद्वय प्रतीत होती है। इसीलिए पर्यायार्थिक दृष्टि भेदगामी है—विशेषमूलक है। हम किसी भी दृष्टि को लें, वह या तो भेदमूलक होगी या अभेदमूलक, या तो विशेषमूलक होगी या सामान्यमूलक। उक्त दो प्रकारों को छोड़कर वह अन्यत्र कही नहीं जा सकती। इसीलिए मूलतः द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक ये दो ही दृष्टियाँ हैं, और इन दो दृष्टियों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो नय हैं। अन्य दृष्टियाँ इन्हीं के भेद-प्रभेद-शाखा-प्रशाखाओं के रूप में हैं।

द्रव्यार्थिक और प्रदेशार्थिक दृष्टि :

द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक दृष्टि की भाँति द्रव्यार्थिक और प्रदेशार्थिक दृष्टि से भी पदार्थ का कथन हो सकता है। द्रव्यार्थिक दृष्टि एकता का प्रतिपादन करती है, यह हम देख चुके हैं। प्रदेशार्थिक दृष्टि अनेकता को अपना विषय बनाती है। पर्याय और प्रदेश में यह अन्तर है कि पर्याय द्रव्य की देश और कालकृत नाना अवस्थाएँ हैं। एक ही द्रव्य देश और काल के भेद से विविध रूपों में परिवर्तित होता रहता है। इसके विविध रूप ही विविध पर्याय हैं। द्रव्य के अवयव प्रदेश कहे जाते हैं। एक द्रव्य के अनेक अंश हो सकते हैं। एक-एक अंश एक-एक प्रदेश कहलाता है। पुद्गल का एक परमाणु जितना स्थान घेरता है वह एक प्रदेश है। जैन दर्शन के अनुसार कुछ द्रव्यों के प्रदेश नियत हैं और कुछ के अनियत। जीवके प्रदेश सर्व देश और सर्व काल में नियत है। उनकी संख्या न कभी बढ़ती है, न कभी घटती है। वे जिस शरीर को व्याप्त करते हैं उसका परिणाम घट-बढ़ सकता है, किन्तु प्रदेशों की संख्या उतनी ही रहती है। यह कैसे हो सकता है, इसका समाधान करने के लिए दीपक का दृष्टान्त दिया जाता है। जैसे एक ही दीपक के उतने ही प्रदेश छोटे कमरे में भी आ सकते हैं और बड़े कमरे में भी, उसी प्रकार एक ही आत्मा के उतने ही प्रदेश छोटे शरीर को भी व्याप्त कर सकते हैं और बड़े शरीर को भी। घर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय के प्रदेश तो नियत हैं। पुद्गलास्तिकाय के देशों का कोई निश्चित नियम नहीं। उनमें स्कन्ध के अनुसार

ग्रहण करता है, तो वह सम्पूर्ण वस्तु का ग्रहण करता है, यह स्वतः सिद्ध है। यह शंका ठीक नहीं। सकलादेश में प्रधान और गौण भाव नहीं होता। वह समान रूप से सब धर्मों का ग्रहण करता है, जब कि नैगम नय में वस्तु के धर्मों का प्रधान और गौण भाव से ग्रहण होता है।

धर्म और धर्मों का गौण और प्रधान भाव से ग्रहण करना भी नैगम नय है। किसी समय धर्म की प्रधान भाव से विवक्षा होती है और धर्मों की गौण भाव से। किसी समय धर्मों की मुख्य विवक्षा होती है और धर्म की गौण। इन दोनों दशाओं में नैगम की प्रवृत्ति होती है। 'सुख जीव-गुण है' इस वाक्य में सुख प्रधान है, क्योंकि वह विशेष्य है और जीव गौण है, क्योंकि वह सुख का विशेषण है। यहाँ धर्म का प्रधान भाव से ग्रहण किया गया है और धर्मों का गौण भाव से। 'जीव सुखी है' इस वाक्य में जीव प्रधान है, क्योंकि वह विशेष्य है और सुख गौण है, क्योंकि वह विशेषण है। यहाँ धर्मों की प्रधान भाव से विवक्षा है और धर्म की गौण भाव से।

कुछ लोग नैगम को संकल्पमात्रग्राही मानते हैं। जो कार्य किया जाने वाला है, उस कार्य का संकल्पमात्र नैगम नय है। उदाहरण के लिए एक पुरुष कुल्हाड़ी लेकर जंगल में जा रहा है। मार्ग में कोई व्यक्ति मिलता है और पूछता है—'तुम कहाँ जा रहे हो?' वह पुरुष उत्तर देता है—'मैं प्रस्थ लेने जा रहा हूँ।' यहाँ पर वह पुरुष वास्तव में लकड़ी काटने जा रहा है। प्रस्थ तो बाद में वनेगा। प्रस्थ के संकल्प को दृष्टि में रखकर वह पुरुष उपर्युक्त ढंग में

१—यद्वा नैगमो नैगमः, धर्मधर्मिणोर्गुणप्रधानभावेन विपर्ययत्वात्।
'जीवगुणः सुखम्' इत्यत्र हि जीवस्याप्राधान्यम् विशेषणत्वात्,
सुखस्य तु प्राधान्यम्, विशेष्यत्वात्। 'सुखी जीवः' इत्यादौ तु
जीवस्य प्राधान्यम्, न सुखादेः, विपर्ययत्वात्।

—नयप्रकाशस्तववृत्तिः ५०-१०

२—धर्मसंकल्पमात्रग्राही नैगमः।

—तत्त्वार्थराजवातिक १।३।२

में यही अन्तर है कि व्यावहारिक दृष्टि इन्द्रियाश्रित है, अतः स्थूल है, जब कि नैश्चयिक दृष्टि इन्द्रियातीत है, अतः सूक्ष्म है। एक दृष्टि से पदार्थ के स्थूल रूप का ज्ञान होता है, और दूसरी से पदार्थ के सूक्ष्म रूप का। दोनों दृष्टियाँ सम्यक् हैं। दोनों यथार्थता का ग्रहण करती हैं।

महावीर और गौतम के बीच एक संवाद है। गौतम महावीर से पूछते हैं—“भगवन् ! पतले गुड (फाणित) में कितने वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श होते हैं !” महावीर उत्तर देते हैं—गौतम ! इस प्रश्न का उत्तर दो नयों से दिया जा सकता है। व्यावहारिक नय की दृष्टि से, वह मधुर है और नैश्चयिक नय की अपेक्षा से वह पाँच वर्ण, दो गन्ध, पाँच रस और आठ स्पर्श वाला है। इसी प्रकार गन्ध, स्पर्श आदि से सम्बन्धित अनेक विषयों को लेकर व्यवहार और निश्चय नय से उत्तर दिया है। इन दो दृष्टियों से उत्तर देने का कारण यह है कि वे व्यवहार को भी सत्य मानते थे। परमार्थ के आगे व्यवहार की अपेक्षा नहीं करना चाहते थे। व्यवहार और परमार्थ दोनों दृष्टियों को समान रूप से महत्त्व देते थे।

अर्थनय और शब्दनय :

आगमों में सात नयों का उल्लेख है। अनुयोगद्वारसूत्र में शब्द, समभिरुद्ध और एवंभूत को शब्दनय कहा गया है। वाद के दार्शनिकों ने सात नयों के स्पष्ट रूप से दो विभाग कर दिए—अर्थनय और शब्दनय। आगम में जब तीन नयों को शब्दनय कहा गया, तो शेष चार नयों को अर्थनय कहना युक्तिसंगत ही है। जो नय अर्थ को अपना विषय बनाते हैं, वे अर्थनय हैं। प्रारम्भ के चार नय—नैगम, संग्रह, व्यवहार और ऋजुसूत्र अर्थ को विषय करते हैं, अतः वे अर्थनय हैं। अन्तिम तीन नय शब्द, समभिरुद्ध और एवंभूत शब्द को विषय करते हैं, अतः वे शब्दनय हैं। इन सातों नयों के

१—भगवती सूत्र १८।६

२—अनुयोगद्वारसूत्र, १५६, त्यानांग सूत्र, ७।५५२

३—‘तिहं सदनयाणं’ अनुयोगद्वारसूत्र १४८।

प्रकार हैं—पर और अपर । पर सामान्य सत्ता सामान्य को कहते हैं, जो प्रत्येक पदार्थ में रहता है । अपर सामान्य, पर सामान्य के द्रव्य, गुण आदि भेदों में रहता है । द्रव्य में रहने वाली सत्ता पर सामान्य है, और द्रव्य का जो द्रव्यत्व सामान्य है वह अपर सामान्य है । इसी प्रकार गुण में सत्ता पर सामान्य है और गुणत्व अपर सामान्य है । द्रव्य के भी कई भेद-प्रभेद होते हैं । उदाहरण के लिए जीव द्रव्य का एक भेद है जीव में जीवत्व सामान्य अपर सामान्य है । इस प्रकार जितने भी अपर सामान्य हो सकते हैं उन सबका ग्रहण करने वाला नय अपर संग्रह है । पर संग्रह और अपर संग्रह दोनों मिलकर, जितने भी प्रकार के सामान्य या अभेद हो सकते हैं, सबका ग्रहण करते हैं । संग्रह नय सामान्यग्राही दृष्टि है ।

व्यवहार—संग्रह नय द्वारा गृहीत अर्थ का विधिपूर्वक ग्रहण करना, व्यवहार नय है । जिस अर्थ का, संग्रह नय ग्रहण करता है उस अर्थ का विशेष रूप से बोध कराना हो, तब उसका पृथक्करण करना पड़ता है । संग्रह तो सामान्य मात्र का ग्रहण कर लेता है, किन्तु वह सामान्य किरूप है, इसका विश्लेषण करने के लिए व्यवहार का आश्रय लेना पड़ता है । दूसरे शब्दों में संग्रहगृहीत सामान्य का भेदपूर्वक ग्रहण करना, व्यवहार नय है । यह नय भी उपर्युक्त दोनों नयों की भाँति द्रव्य का ही ग्रहण करता है, किन्तु इसका ग्रहण भेदपूर्वक है, अभेदपूर्वक नहीं । इसलिए इसका अन्तर्भाव द्वैतार्थिक नय में है, पर्यायार्थिक नय में नहीं । इसकी विधि इस प्रकार है—पर संग्रह सत्ता सामान्य का ग्रहण करता है । उसका विभाजन करते हुए व्यवहार कहता है—मत् क्या है ? जो मत् है वह द्रव्य है या गुण ? यदि वह द्रव्य है तो जीव द्रव्य है या अजीव द्रव्य ? केवल जीव द्रव्य कहने से भी काम नहीं चल सकता । वह जीव नारक है, देव है, मनुष्य है या तिर्यञ्च है ? इस प्रकार व्यवहार नय वहाँ तक भेद करता जाता है, जहाँ पुनः भेद की सम्भावना न

उत्तर देता है। उसका यह उत्तर नैगम नय की दृष्टि से ठीक है। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति किसी दुकान पर कपड़ा लेने के लिए जाता है और उसमें कोई पूछना है कि तुम कहीं जा रहे हो तो वह उत्तर देता है कि जरा कोट मिलाना है। वास्तव में वह व्यक्ति कोट के लिए कपड़ा लेने जा रहा है, न कि कोट मिलाने के लिए। कोट तो बाद में सिया जाएगा, किन्तु उस संकल्प को दृष्टि में रखते हुए वह कहता है कि कोट मिलाने जा रहा है।

संग्रह—सामान्य या भ्रमेद का ग्रहण करने वाली दृष्टि संग्रह नय है। स्वजाति के विरोधी के विना समस्त पदार्थों का एकत्व में संग्रह करना, संग्रह कहलाता है। यह हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ सामान्य-विशेषात्मक है, भेदाभेदात्मक है। इन दो धर्मों में से सामान्य धर्म का ग्रहण करना और विशेष धर्म के प्रति उपेक्षाभाव रखना संग्रह नय है। यह नय दो प्रकार का है—पर और अपर। पर संग्रह में सकल पदार्थों का एकत्व अभिप्रेत है। जीव अजीवादि जितने भी भेद हैं, सब का सत्ता में समावेश हो जाता है। कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है, जो सत् न हो। दूसरे शब्दों में जीवा-जीवादि सत्ता सामान्य के भेद हैं। एक ही सत्ता विभिन्न रूपों में दृष्टिगोचर होती है। जिस प्रकार नीलादि आकार वाले सभी जान, 'ज्ञान-सामान्य' के भेद हैं, उसी प्रकार जीवादि जितने भी हैं, सब सत् हैं। पर संग्रह कहता है कि 'सब एक है, क्योंकि सब सत् है।' सत्ता सामान्य की दृष्टि से सब का एकत्व में अन्तर्भाव हो जाता है। अपर संग्रह द्रव्यत्वादि अपर सामान्यों का ग्रहण करता है। सत्ता सामान्य, जो कि पर सामान्य अथवा महा सामान्य है, उसके ममान्यरूप अवान्तर भेदों का ग्रहण करना, अपर संग्रह का कार्य है। सामान्य के दो

१—जीवाजीवभ्रमेदा यदन्तर्लीनास्तदस्ति सत् ।

एकं यथा स्वनिर्भासि ज्ञानं जीवः स्वपर्यैः ॥

—तषीयस्त्रय, २।५।३१

२—सर्वमेकं सदविशेषात् ।

प्रकार हैं—पर और अपर । पर सामान्य सत्ता सामान्य को कहते हैं, जो प्रत्येक पदार्थ में रहता है । अपर सामान्य, पर सामान्य के द्रव्य, गुण आदि भेदों में रहता है । द्रव्य में रहने वाली सत्ता पर सामान्य है, और द्रव्य का जो द्रव्यत्व सामान्य है वह अपर सामान्य है । इसी प्रकार गुण में सत्ता पर सामान्य है और गुणत्व अपर सामान्य है । द्रव्य के भी कई भेद-प्रभेद होते हैं । उदाहरण के लिए जीव द्रव्य का एक भेद जीव में जीवत्व सामान्य अपर सामान्य है । इस प्रकार जितने भी अपर सामान्य हो सकते हैं उन सबका ग्रहण करने वाला नय अपर संग्रह है । पर संग्रह और अपर संग्रह दोनों मिलकर, जितने भी प्रकार के सामान्य या अभेद हो सकते हैं, सबका ग्रहण करते हैं । संग्रह नय सामान्यग्राही दृष्टि है ।

व्यवहार—संग्रह नय द्वारा गृहीत अर्थ का विधिपूर्वक अवहरण करना, व्यवहार नय है । जिस अर्थ का, संग्रह नय ग्रहण करता है उस अर्थ का विशेष रूप से बोध कराना हो, तब उसका पृथक्करण करना पड़ता है । संग्रह तो सामान्य मात्र का ग्रहण कर लेता है, किन्तु वह सामान्य किरूप है, इसका विद्वेषण करने के लिए व्यवहार का आश्रय लेना पड़ता है । दूसरे शब्दों में संग्रहगृहीत सामान्य का भेदपूर्वक ग्रहण करना, व्यवहार नय है । यह नय भी उपर्युक्त दोनों नयों की भाँति द्रव्य का ही ग्रहण करता है, किन्तु इसका ग्रहण भेदपूर्वक है, अभेदपूर्वक नहीं । इसलिये इसका अन्तर्भाव द्रव्याधिक नय में है, पर्यायाधिक नय में नहीं । इसकी विधि इस प्रकार है—पर संग्रह सत्ता सामान्य का ग्रहण करता है । उसका विभाजन करते हुए व्यवहार कहता है—सत् क्या है ? जो सत् है वह द्रव्य है या गुण ? यदि वह द्रव्य है तो जीव द्रव्य है या अजीव द्रव्य ? केवल जीव द्रव्य कहने से भी काम नहीं चल सकता । वह जीव नारक है, देव है, मनुष्य है या तिर्यञ्च है ? इस प्रकार व्यवहार नय वहाँ तक भेद करता जाता है, जहाँ पुनः भेद की सम्भावना न

हो। इस नय का मुख्य प्रयोजन व्यवहार की निवृत्ति है। भेदन सामान्य के बोध से या कथन से हमारा व्यवहार नहीं बन सकता। व्यवहार के लिए हमेशा भेदबुद्धि का आश्रय लेना पड़ता है। यह भेदबुद्धि परिस्थिति की अनुकूलता को दृष्टि में रखते हुए अन्तिम भेदतक बढ़ सकती है, जहाँ पुनः भेद न हो सके। दूसरे शब्दों में, वह अन्तिम विशेष का ग्रहण कर सकती है। व्यवहारगृहीत जिनके पर्यायों के रूप में नहीं होते, अपितु द्रव्य के भेद के रूप में होते हैं। इसलिए व्यवहार का विषय भेदात्मक और विशेषात्मक होते हुए भी द्रव्यरूप है, न कि पर्यायरूप। यही कारण है कि द्रव्याधिक और पर्यायाधिक नयों में से व्यवहार का मनावेला द्रव्याधिक नय में निज गया है। नैगम, संग्रह और व्यवहार, इन तीनों नयों में द्रव्याधिक नय में अन्तर्भाव होता है। नैगम चार नयों में से एक है।

ऋजुसूत्र—भेद अथवा पर्याय की विवक्षा में जो अन्तर्भाव है वह ऋजुसूत्र नय का विषय है। जिस प्रकार संज्ञा का निज अन्तर्भाव अथवा अन्तर्भाव है उसी प्रकार ऋजुसूत्र का निज अन्तर्भाव अन्तर्भाव है। यह नय सूत्र और नदिव्यक्त को संज्ञा करने के लिये अन्तर्भाव का ग्रहण करता है। अन्तर्भाव की परिभाषा अन्तर्भाव का ही होती है। सूत्र और नदिव्यक्त का ही अन्तर्भाव है। अन्तर्भाव वार तात्कालिक परिणाम को ही अन्तर्भाव का अन्तर्भाव है। अन्तर्भाव अपना प्रवृत्ति-भेद करता है। अन्तर्भाव में अन्तर्भाव की ही प्रतिभाम होता है कि जो अन्तर्भाव है अन्तर्भाव है। अन्तर्भाव अन्तर्भाव वस्तु से उसका कोई अन्तर्भाव नहीं करता। अन्तर्भाव अन्तर्भाव कि वह सूत्र और नदिव्यक्त का अन्तर्भाव है। अन्तर्भाव के अन्तर्भाव के अन्तर्भाव और अन्तर्भाव-दृष्टि अन्तर्भाव है। अन्तर्भाव अन्तर्भाव है कि अन्तर्भाव अन्तर्भाव अन्तर्भाव अन्तर्भाव है। अन्तर्भाव अन्तर्भाव के अन्तर्भाव अन्तर्भाव है।

१—व्यवहारानुसूत्रम् अन्तर्भावम् अन्तर्भावम् ।
 नयमा अन्तर्भावम् अन्तर्भावम् अन्तर्भावम् ।
 २—भेदं प्रादुर्भावान्तरिकम् अन्तर्भावम् अन्तर्भावम् ।
 ३—अन्तर्भावम् अन्तर्भावम् अन्तर्भावम् ।

व्युत्पत्ति के अनुसार भिन्न-भिन्न अर्थ का प्रतिपादन करता है। उदाहरण के लिये हम इन्द्र, शक्र और पुरन्दर इन तीन शब्दों को लें। शब्दनय की दृष्टि से देखने पर इन तीनों शब्दों का एक ही अर्थ होता है। यद्यपि ये तीनों शब्द भिन्न-भिन्न व्युत्पत्ति के आधार पर बनते हैं, किन्तु इनके वाच्य अर्थ में कोई भेद नहीं है। इसका कारण यह है कि इन तीनों का लिंग एक ही है। समभिरूढ यह मानने के लिये तैयार नहीं। वह कहता है कि यदि लिंग-भेद, संख्या-भेद आदि से अर्थभेद मान सकते हैं, तो शब्दभेद से अर्थभेद मानने में क्या हानि है! यदि शब्दभेद से अर्थभेद नहीं माना जाय, तो इन्द्र और शक्र दोनों का एक ही अर्थ हो जाय। इन्द्र शब्द की व्युत्पत्ति 'इन्द्रनादिन्द्रः' अर्थात् 'जो शोभित हो वह इन्द्र है' इस प्रकार है। 'शक्रनाच्छक्रः' अर्थात् 'जो शक्तिशाली है वह शक्र है' यह शक्र की व्युत्पत्ति है। 'पूरदारणात् पुरन्दरः' अर्थात् 'जो नगर आदि का ध्वंस करता है वह पुरन्दर है' इस प्रकार के अर्थ को व्यक्त करने वाला पुरन्दर शब्द है। जब इन शब्दों की व्युत्पत्ति भिन्न-भिन्न है तब इनका वाच्य अर्थ भी भिन्न-भिन्न ही होना चाहिए। जो इन्द्र है वह इन्द्र है, जो शक्र है वह शक्र है, और जो पुरन्दर है वह पुरन्दर है। न तो इन्द्र शक्र हो सकता है, और न शक्र पुरन्दर हो सकता है। इसी प्रकार नृपति, भूपति, राजा इत्यादि जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं, सब में अर्थभेद है।

एवम्भूत—समभिरूढनय व्युत्पत्तिभेद से अर्थ-भेद मानने तक ही सीमित है, किन्तु एवम्भूतनय कहता है कि जब व्युत्पत्ति-सिद्ध अर्थ घटित होता हो तभी उस शब्द का वह अर्थ मानना चाहिए। जिस शब्द का जो अर्थ होता हो, उसके होने पर ही उस शब्द का प्रयोग करना एवम्भूत नय है। इस लक्षण को इन्द्र, शक्र और पुरन्दर शब्दों के द्वारा ही स्पष्ट किया जाता है। 'जो शोभित होता है वह इन्द्र है' इस व्युत्पत्ति को दृष्टि में रगते हुए जिस समय वह इन्द्रासन पर शोभित हो रहा हो, उमी समय उमे इन्द्र कहना चाहिए। शक्ति का प्रयोग करते समय या अन्य कार्य करते समय उनके लिए इन्द्र शब्द का प्रयोग करना ठीक नहीं। जिन समय वह

। इस नय का मुख्य प्रयोजन व्यवहार की सिद्धि है। केवल सामान्य के बोध से या कथन से हमारा व्यवहार नहीं चल सकता। व्यवहार के लिए हमेशा भेदबुद्धि का आश्रय लेना पड़ता है। यह भेदबुद्धि परिस्थिति की अनुकूलता को दृष्टि में रखते हुए अन्तिम भेद तक बढ़ सकती है, जहाँ पुनः भेद न हो सके। दूसरे शब्दों में, यह अन्तिम विशेष का ग्रहण कर सकती है। व्यवहारगृहीत विशेष परिणामों के रूप में नहीं होते, अपितु द्रव्य के भेद के रूप में होते हैं। इसलिए व्यवहार का विषय भेदात्मक और विशेषात्मक होते हुए भी द्रव्यरूप है, न कि पर्यायरूप। यही कारण है कि द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयों में से व्यवहार का समावेश द्रव्यार्थिक नय में किया गया है। नैगम, संग्रह और व्यवहार, इन तीनों नयों का द्रव्यार्थिक नय में अन्तर्भाव होता है। शेष चार नय पर्यायार्थिक के भेद हैं।

ऋजुसूत्र—भेद अथवा पर्याय की विवक्षा से जो कथन है वह ऋजुसूत्र नय का विषय है। जिस प्रकार संग्रह का विषय सामान्य अथवा अभेद है उसी प्रकार ऋजुसूत्र का विषय पर्याय अथवा भेद है। यह नय भूत और भविष्यत् की उपेक्षा करके केवल वर्तमान का ग्रहण करता है। पर्याय की अवस्थिति वर्तमान काल में ही होती है। भूत और भविष्यत् काल में द्रव्य रहता है। मनुष्य कई बार तारकालिक परिणाम की ओर झुक कर केवल वर्तमान को ही अपना प्रवृत्ति-क्षेत्र बनाता है। ऐसी स्थिति में उसकी बुद्धि में ऐसा विश्वास होता है कि जो वर्तमान है वही सत्य है। भूत और भावी वस्तु से उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता। इसका अर्थ यह नहीं कि वह भूत और भावी का निषेध करता है। प्रयोजन के अभाव में उनकी ओर उपेक्षा-दृष्टि रखता है। वह यह मानता है कि वस्तु की प्रत्येक अवस्था भिन्न है। इस क्षण की अवस्था में और दूसरे क्षण की

१—व्यवहारानुकूल्यात् प्रमाणानां प्रमाणात् ।

नान्यथा बाध्यमानानां ज्ञानानां तत्प्रसंगतः ॥

—लघीयस्त्रय, ३।६।७०

२—'भेदं प्राधान्यतोऽन्विच्छन् ऋजुसूत्रनयो मतः ।'

—लघीयस्त्रय, ३।६।७१



अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा हो; उसी समय उसे शक्र कहना चाहिए। आगे और पीछे शक्र का प्रयोग करना, इस नय की दृष्टि में ठीक नहीं। ध्वंस करते समय ही उसे पुरन्दर कहना चाहिए, पहले या बाद में नहीं। इसी प्रकार नृपति, भूपति, राजा आदि शब्दों के प्रयोग में भी समझना चाहिए।

नयों का पारस्परिक सम्बन्ध :

उत्तर-उत्तर नय का विषय पूर्व-पूर्व नय से कम होता जाता है। नैगम नय का विषय सबसे अधिक है, क्योंकि वह सामान्य और विशेष-भेद और अभेद दोनों का ग्रहण करता है। कभी सामान्य को मुख्यता देता है और विशेष का गौण रूप से ग्रहण करता है, तो कभी विशेष का मुख्यरूप से ग्रहण करता है और सामान्य का गौण-रूप से अवलम्बन करता है। संग्रह का विषय नैगम से कम हो जाता है, वह केवल सामान्य अथवा अभेद का ग्रहण करता है। व्यवहार का विषय संग्रह से भी कम है, क्योंकि वह संग्रह द्वारा गृहीत विषय का ही कुछ विशेषताओं के आधार पर पृथक्करण करता है। ऋजुसूत्र का विषय व्यवहार से कम है, क्योंकि व्यवहार त्रैकालिक विषय की सत्ता मानता है, जब कि ऋजुसूत्र वर्तमान पदार्थ तक ही सीमित रहता है, अतः यहीं से पर्यायार्थिक नय का प्रारम्भ माना जाता है। शब्द का विषय इससे भी कम है, क्योंकि वह काल, कारक, लिंग, संख्या आदि के भेद से अर्थ में भेद मानता है। समभिरुद्ध का विषय शब्द से कम है; क्योंकि वह पर्याय-व्युत्पत्तिभेद से अर्थभेद मानता है, जब कि शब्द पर्यायवाची शब्दों में किसी तरह का भेद अङ्गीकार नहीं करता। एवम्भूत का विषय समभिरुद्ध से भी कम है, क्योंकि वह अर्थ को तभी उस शब्द द्वारा वाच्य मानता है, जब अर्थ अपनी व्युत्पत्तिमूलक क्रिया में लगा हुआ हो। अतएव यह स्पष्ट है कि पूर्व पूर्व नय की अपेक्षा उत्तर उत्तर नय सूक्ष्म और सूक्ष्मतर होता जाता है। उत्तर उत्तर नय का विषय पूर्व पूर्व नय के विषय पर ही अवलम्बित रहता है। प्रत्येक का विषय-क्षेत्र उत्तरोत्तर कम होने से इनका पारस्परिक पौर्वापर्य सम्बन्ध है।

कर्मवाद, नियतिवाद एवं इच्छास्वातंत्र्य :

प्राणी अनादि काल से कर्म परम्परा में पड़ा हुआ है। पुरातन कर्मों के योग एवं नवीन कर्मों के बन्धन की परम्परा अनादि काल से चली आरही है। जीव अपने कृत कर्मों को भोगता हुआ नवीन कर्मों का उपार्जन करता रहता है। ऐसा होते हुए भी यह नहीं कहा जा सकता कि प्राणी एकान्त रूप से कर्मों के अधीन है अर्थात् वह कर्मों का बन्धन रोक ही नहीं सकता। यदि प्राणी का प्रत्येक कार्य कर्माधीन ही माना जाए तो वह अपनी आत्मशक्ति का स्वतन्त्रतापूर्वक उपयोग कैसे कर सकेगा। प्राणी को सर्वथा कर्माधीन मानने पर इच्छा-स्वातन्त्र्य का कोई मूल्य नहीं रह जाता। परिणामतः कर्मवाद नियतिवाद के रूप में परिणत हो जायगा।

कर्मवाद को नियतिवाद अथवा अनिवार्यतावाद नहीं कह सकते। कर्मवाद यह नहीं मानता कि प्राणी जिस प्रकार कर्म का फल भोगने में परतन्त्र है उसी प्रकार कर्म का उपार्जन करने में भी परतन्त्र है। कर्मवाद यह मानता है कि प्राणी को स्वोपाजित कर्म का फल किसी न किसी रूप में अवश्य भोगना पड़ता है किन्तु जहाँ तक नवीन कर्म के उपार्जन का प्रश्न है, वह अमुक सीमा तक स्वतन्त्र होता है। यह सत्य है कि कृतकर्म का भोग किये बिना मुक्ति नहीं हो सकती किन्तु यह अनिवार्य नहीं कि अमुक समय में अमुक कर्म का उपार्जन हो ही। आन्तरिक शक्ति तथा बाह्य परिस्थिति को दृष्टि में रखते हुए प्राणी अमुक सीमा तक नये कर्मों का उपार्जन रोक सकता है। यही नहीं, वह अमुक सीमा तक पूर्वकृत कर्मों को शीघ्र अथवा देर से भी भोग सकता है। इस प्रकार कर्मवाद में सीमित इच्छास्वातन्त्र्य स्वीकार किया गया है।

कर्म का अर्थ :

'कर्म' शब्द का अर्थ साधारणतया कार्य, प्रवृत्ति अथवा क्रिया किया जाता है। कर्मकाण्ड में यज्ञ आदि क्रियाएँ कर्म के रूप में प्रचलित हैं। पौराणिक परम्परा में अतनियम आदि क्रियाएँ कर्मरूप मानी जाती हैं। जैन परम्परा में कर्म दो प्रकार का माना गया है :

कर्मवाद

भारतीय दार्शनिक चिन्तन में कर्मवाद का महत्त्वपूर्ण स्थान है। सुख, दुःख एवं अन्य प्रकार के सांसारिक वैचित्र्य के कारण की सृज करते हुए भारतीय चिन्तकों ने कर्म-सिद्धान्त का अन्वेषण किया। जीव अनादि काल से कर्मवश हो विविध भवों में भ्रमण कर रहा है। जन्म-मरण का मूल कर्म है। जीव अपने शुभ एवं अशुभ कर्मों के साथ पर भव में जाता है। जो जैसा करता है वह वैसा ही फल पाता है। एक प्राणी दूसरे प्राणी के कर्मफल का अधिकारी नहीं होता। कर्मवाद किसी न किसी रूप में भारत की समस्त दार्शनिक एवं नैतिक विचारधाराओं में विद्यमान है तथापि इसका जो सुविकसित रूप जैन परम्परा में उपलब्ध होता है वह अन्यत्र उपलब्ध नहीं होता। कर्मवाद जैन विचारधारा एवं आचार परम्परा का अविच्छेद्य अंग है।

गृहीत परमाणुओं के समूह का कर्मरूप से आत्मा के साथ बद्ध होना जैन कर्मवाद की परिभाषा में प्रदेश-बन्ध कहलाता है। इन्हीं परमाणुओं की ज्ञानावरणादि रूप परिणति को प्रकृतिबन्ध कहते हैं। कर्मफल के काल को स्थिति-बन्ध तथा कर्मफल की तीव्रता-मदता को अनुभाग-बन्ध कहते हैं। कर्म बँधते ही फल देना प्रारम्भ नहीं कर देते। कुछ समय तक वे वैसे ही पड़े रहते हैं। कर्म के इस काल को श्रवाधाकाल कहते हैं। श्रवाधाकाल के व्यतीत होने पर ही बद्धकर्म फल देना प्रारम्भ करते हैं। कर्मफल का प्रारम्भ ही कर्म का उदय कहलाता है। कर्म अपने स्थिति-बन्ध के अनुसार उदय में आते रहते हैं एवं फल प्रदान करते हुए आत्मा से अलग होते रहते हैं। इसी को निर्जरा कहते हैं। जिस कर्म का जितना स्थिति-बन्ध होता है वह उतनी ही श्रवधि तक उदय में आता रहता है। जब आत्मा से समस्त कर्म अलग हो जाते हैं तब जीव कर्ममुक्त हो जाता है। आत्मा की इसी अवस्था को मोक्ष कहते हैं।

कर्मप्रकृति :

जैन कर्मशास्त्र में कर्म की आठ मूल प्रकृतियाँ मानी गई हैं।^१ ये प्रकृतियाँ प्राणी को भिन्न-भिन्न प्रकार के अनुकूल एवं प्रतिकूल फल प्रदान करती हैं। इन आठ प्रकृतियों के नाम ये हैं : १-ज्ञानावरण, २-दर्शनावरण, ३-वेदनीय ४-मोहनीय, ५-प्रायु, ६-नाम, ७-गोत्र, ८-अन्तराय। इनमें से ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय—ये चार घाती प्रकृतियाँ हैं क्योंकि इनसे आत्मा के चार मूल गुणों—ज्ञान, दर्शन, मुग्ध और वीर्य का घात होता है। शेष चार प्रकृतियाँ अघाती हैं क्योंकि ये आत्मा के किसी गुण का घात नहीं करतीं। ज्ञानावरण कर्मप्रकृति आत्मा के ज्ञान गुण का घात करती है। दर्शनावरण कर्मप्रकृति आत्मा के दर्शन गुण का घात करती है। मोहनीय कर्मप्रकृति से आत्मसुग्ध का घात होता है। अन्तराय कर्मप्रकृति के कारण वीर्य अर्थात् आत्मशक्ति का

१—देखिये—कर्मग्रन्थ प्रथम भाग तथा

द्रव्यकर्म और भावकर्म । कामंण जाति का पुद्गल अर्थात् जड़तत्त्व विशेष जो कि आत्मा के साथ मिलकर कर्म के रूप में परिणत होता है, द्रव्यकर्म कहलाता है । राग-द्वेषात्मक परिणाम को भावकर्म कहते हैं ।

आत्मा और कर्म का सम्यन्ध प्रवाहतः अनादि है । जीव पुराने कर्मों का विनाश करता हुआ नवीन कर्मों का उपाजन करता रहता है । जब तक प्राणी के पूर्वोपाजित समस्त कर्म नष्ट नहीं हो जाते एवं नवीन कर्मों का उपाजन बंद नहीं हो जाता तब तक उसकी भवबन्धन से मुक्ति नहीं होती । एक बार समस्त कर्मों का विनाश हो जाने पर पुनः नवीन कर्मों का उपाजन नहीं होता क्योंकि उस अवस्था में कर्मोपाजन का कारण विद्यमान नहीं रहता । आत्मा की इसी अवस्था को मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण अथवा सिद्धि कहते हैं ।

कर्मबन्ध का कारण :

जैन परम्परा में कर्मोपाजन के दो कारण माने गये हैं : योग और कपाय । शरीर, वाणी और मन की प्रवृत्ति को योग कहते हैं । क्रोधादि मानसिक आवेगों को कपाय कहते हैं । वैसे तो प्रत्येक प्रकार का योग अर्थात् क्रिया कर्मोपाजन का कारण है किन्तु जो योग कपाययुक्त होता है उससे होने वाला कर्मबन्ध विशेष बलवान् होता है जबकि कपायरहित क्रिया से होने वाला कर्मबन्ध अति निर्बल व अल्पायु होता है । दूसरे शब्दों में कपाययुक्त अर्थात् राग-द्वेषजनित प्रवृत्ति ही कर्मबन्ध का महत्त्वपूर्ण कारण है ।

कर्मबन्ध की प्रक्रिया:

सम्पूर्ण लोक में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ कर्मयोग्य परमाणु विद्यमान न हों । जब प्राणी अपने मन, वचन अथवा तन से किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति करता है तब उसके आस-पास चारों ओर से कर्मयोग्य परमाणुओं का आकर्षण होता है अर्थात् जितने क्षेत्र में आत्मा विद्यमान होती है उतने ही क्षेत्र में विद्यमान परमाणु उसके द्वारा उस समय ग्रहण किये जाते हैं । प्रवृत्ति की तरतमता के अनुसार परमाणुओं की मात्रा में भी तारतम्य होता है ।

दर्शनावरण कर्म कहलाता है। संसार के समस्त प्रकालिक पदार्थों का सामान्यावबोध केवलदर्शन कहलाता है। इस प्रकार के दर्शन को आवृत्त करने वाला कर्म केवलदर्शनावरण कर्म कहलाता है। सोये हुए प्राणी का थोड़ी सी आवाज से जग जाना निद्रा कहलाता है। जिस कर्म के उदय से इस प्रकार की निद्रा आती है उसका नाम निद्राकर्म है। सोये हुए प्राणी का बड़े जोर से चिल्लाने, हाथ से जोर से हिलाने आदि पर बड़ी कठिनाई में जगना निद्रानिद्रा कहलाता है। तन्निमित्तक कर्म को निद्रानिद्रा कर्म कहते हैं। पड़े-गड़े या बँटे-बँटे नोंद निकालना प्रचना कहलाता है। तन्निमित्तक कर्म को प्रचलाकर्म कहते हैं। चलते-फिरते नोंद लेने का नाम प्रचनाप्रचना है। तन्निमित्तभूत कर्म को प्रचलाप्रचला कर्म कहते हैं। दिन में अथवा रात में मोचे हुए कार्यविशेष को निद्रावस्था में सम्पन्न करने का नाम स्त्यानद्धि है। जिम कर्म के उदय से इस प्रकार की नोंद आती है उसे स्त्यानद्धि कर्म कहते हैं।

वेदनीय कर्म की दो उत्तर प्रकृतियाँ हैं : माता वेदनीय और असाता वेदनीय। जिस कर्म के उदय से प्राणी को अनुकूल विषयों की प्राप्ति से सुख का अनुभव होता है उसे माता वेदनीय कर्म कहते हैं। जिस कर्म के उदय से प्रतिकूल विषयों की प्राप्ति से दुःख का संवेदन होता है उसे असाता वेदनीय कर्म कहते हैं। आत्मा को विषयनिरपेक्ष स्वरूपसुख का अनुभव बिना किसी कर्म के उदय के स्वतः होता है। इस प्रकार का विशुद्ध सुख आत्मा का स्वधर्म है।

मोहनीय कर्म की मुख्य दो उत्तरप्रकृतियाँ हैं : दर्शन मोहनीय कर्म और चारित्र्य मोहनीय कर्म। जो पदार्थ जंसा है उसे वंसा ही नमस्कृत का नाम दर्शन है। यह तत्त्वार्थ-श्रद्धानरूप आत्मगुण है। इस गुण का घात करने वाला कर्म दर्शनमोहनीय कहलाता है। जिस आचरण विशेष के द्वारा आत्मा अपने यथार्थ स्वरूप को प्राप्त करता है उसे चारित्र्य कहते हैं। चारित्र्य का घात करने वाला

घात होता है। वेदनीय कर्मप्रकृति अनुकूल एवं प्रतिकूल संवेदन अर्थात् सुख-दुःख के अनुभव का कारण है। आयु कर्मप्रकृति के कारण नरकादि विविध भवों की प्राप्ति होती है। नाम कर्मप्रकृति विविध गति, जाति, शरीर आदि का कारण है। गोत्र कर्मप्रकृति प्राणियों के उच्चःव एवं नीचत्व का कारण है।

ज्ञानावरण कर्म की पाँच उत्तरप्रकृतियाँ हैं : १-मतिज्ञानावरण, २-श्रुतज्ञानावरण, ३-अवधिज्ञानावरण, ४-मनःपर्यायज्ञानावरण, ५-केवलज्ञानावरण। मतिज्ञानावरण कर्म मतिज्ञान अर्थात् इन्द्रियों व मन से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को आच्छादित करता है। श्रुत-ज्ञानावरण कर्म श्रुतज्ञान अर्थात् शास्त्रों अथवा शब्दों के पठन तथा श्रवण से होने वाले अर्थज्ञान का निरोध करता है। अवधिज्ञानावरण कर्म अवधिज्ञान अर्थात् इन्द्रिय तथा मन की सहायता के बिना होने वाले हृषी पदार्थों के ज्ञान को आवृत्त करता है। मनःपर्याय-ज्ञानावरण कर्म मनःपर्यायज्ञान अर्थात् इन्द्रिय व मन की सहायता के बिना समनस्क जीवों के मनोगत भावों को जानने वाले ज्ञान को आच्छादित करता है। केवल-ज्ञानावरण कर्म केवलज्ञान अर्थात् लोक के अतीत, वर्तमान एवं अनागत समस्त पदार्थों को युगपत् जानने वाले ज्ञान को आवृत्त करता है।

दर्शनावरण कर्म की नव उत्तर प्रकृतियाँ हैं : १-चक्षुर्दर्शनावरण, २-अचक्षुर्दर्शनावरण, ३-अवधिदर्शनावरण, ४-केवलदर्शनावरण, ५-निद्रा, ६-निद्रानिद्रा, ७-प्रचला, ८-प्रचलाप्रचला, ९-स्त्यानद्धि। आँखों द्वारा पदार्थों के सामान्य धर्म के ग्रहण को चक्षुर्दर्शन कहते हैं। इस प्रकार के दर्शन में पदार्थ का साधारण आभास होता है। चक्षुर्दर्शन को आवृत्त करने वाला कर्म चक्षुर्दर्शनावरण कर्म कहलाता है। आँखों के अतिरिक्त अन्य इन्द्रियों तथा मन से पदार्थों का जो सामान्य प्रतिभास होता है उसे अचक्षुर्दर्शन कहते हैं। इस प्रकार के दर्शन को आवृत्त करने वाला कर्म अचक्षुर्दर्शनावरण कर्म कहलाता है। इन्द्रियों तथा मन की सहायता के बिना ही आत्मा द्वारा हृषी पदार्थों का सामान्य बोध होना अवधिदर्शन कहलाता है। इस प्रकार के दर्शन को आवृत्त करने वाला कर्म अवधि-

नोकपाय के नव भेद हैं : १-हास्य, २-रति, ३-अरति, ४-शोक, ५-भय, ६-जुगुप्सा, ७-स्त्रीवेद, ८-पुरुषवेद, ९-नपुंसकवेद। नपुंसकवेद का अर्थ स्त्री और पुरुष दोनों के साथ संभोग करने की कामना के अभाव के रूप में नहीं अपितु तीव्रतम कामाभिनाषा के रूप में है जिसका लक्ष्य स्त्री और पुरुष दोनों हैं।

आयु कर्म की उत्तरप्रकृतियाँ चार हैं : १-देवायु, २-मनुष्यायु, ३-निर्यञ्चायु, ४-नरकायु। आयु कर्म की विविधता के कारण प्राणी देवादि गतियों में जीवन यापन करता है। आयु कर्म के क्षय से प्राणी की मृत्यु होती है। आयु दो रूपों में उपलब्ध होती है : अपवर्तनीय और अनपवर्तनीय। बाह्य निमित्तों से आयु का कम होना अर्थात् नियत समय से पूर्व आयु का समाप्त होना अपवर्तनीय आयु कहलाता है। इसी का नाम अकालमृत्यु है। किसी भी कारण से कम न होने वाली आयु को अनपवर्तनीय आयु कहते हैं।

नाम कर्म की एकसौ तीन उत्तर प्रकृतियाँ हैं। ये चार श्रेणियों में विभक्त हैं : पिण्डप्रकृतियाँ, प्रत्येकप्रकृतियाँ, प्रसदराक और स्यावरदशक। पिण्डप्रकृतियों में निम्नोक्त पचहत्तर प्रकार के कार्यों से सम्बन्धित कर्मों का समावेश है। (१) चार गतियाँ—देव, नरक, निर्यञ्च और मनुष्य; (२) पाँच जातियाँ—एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय, (३) पाँच शरीर—श्रीदारिक, वैक्रिय, आहारक, तैजस और कामण; (४) तीन उपांग—श्रीदारिक, वैक्रिय और आहारक तैजस और कामण शरीर के उपांग नहीं होते); (५) पन्द्रह बन्धन—श्रीदारिक-श्रीदारिक, श्रीदारिक-तैजस, श्रीदारिक-कामण, श्रीदारिक-तैजस-कामण, वैक्रिय-वैक्रिय, वैक्रिय-तैजस, वैक्रिय-कामण, वैक्रिय-तैजस-कामण, आहारक-आहारक, आहारक-तैजस, आहारक-कामण, आहारक-तैजस-कामण, तैजस-तैजस, तैजस-कामण और कामण-कामण; (६) पाँच संघातन—श्रीदारिक, वैक्रिय, आहारक, तैजस और कामण; (७) छः संहनन—वज्ररूपभनारान, ऋषभनारान, नारान, घर्ष-नारान, कीलिक और सेवार्त; (८) छः संस्थान—गमजतुरस, न्यग्रोधपरिमण्डन, नादि, कुडज, वामन और हृण्ड; (९) शरीर के

कर्म चारित्र्य-मोहनीय कहलाता है । दर्शनमोहनीय कर्म के पुनः तीन भेद हैं। सम्यक्त्वमोहनीय, मिथ्यात्वमोहनीय, मिश्रमोहनीय । सम्यक्त्वमोहनीय के कर्म-परमाणु (दलिक) शुद्ध होते हैं । यह कर्म स्वच्छ परमाणुओं वाला होने के कारण तत्त्वरुचिरूप सम्यक्त्व में बाधा नहीं पहुँचाता । इसके उदय से आत्मा को स्वाभाविक सम्यक्त्व अर्थात् कर्मनिरक्षेप धायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होने पाती । परिणामतः उसे सूक्ष्म पदार्थों के चिन्तन में शंकाएँ हुआ करती हैं । मिथ्यात्व मोहनीय के कर्मपरमाणु अशुद्ध होते हैं । इस कर्म के उदय से प्राणी हित को अहित समझता है तथा अहित को हित । विपरीत बुद्धि के कारण उसे तत्त्व का यथार्थ बोध नहीं होने पाता । मिश्र-मोहनीय के कर्मपरमाणु अर्धविशुद्ध होते हैं । इस कर्म के उदय से जीव को 'न तो तत्त्वरुचि होती है न अतत्त्वरुचि । इसीलिए इसे नम्यकमिथ्यात्व मोहनीय भी कहते हैं । यह सम्यक्त्व मोहनीय व मिथ्यात्व मोहनीय का मिश्रित रूप है । मोहनीय के दूसरे मुख्य भेद चारित्र्य मोहनीय के दो उपभेद हैं : कपाय मोहनीय और नोकपाय मोहनीय । कपाय मोहनीय चार प्रकार का है : क्रोध, मान, माया, और लोभ । क्रोधादि चारों कपाय तीव्रता-मन्दता की दृष्टि से पुनः चार-चार प्रकार के हैं : अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन । इस प्रकार कपाय मोहनीय कर्म के कुल सोलह भेद होते हैं जिनके उदय से प्राणी में क्रोधादि कपाय उत्पन्न होते हैं । अनन्तानुबन्धी क्रोधादि के प्रभाव से जीव अनन्त काल तक संसार में भ्रमण करता है । यह कपाय सम्यक्त्व का घात करता है । अप्रत्याख्यानावरण कपाय के उदय से देवविरतिरूप थावकधर्म की प्राप्ति नहीं होने पाती । प्रत्याख्यानावरण कपाय के उदय से सर्वविरतिरूप श्रमणधर्म की प्राप्ति नहीं होने पाती । संज्वलन कपाय के प्रभाव से श्रमण यथाख्यात चारित्र्यरूप सर्वविरति प्राप्त नहीं कर सकता । कपायों के साथ जिनका उदय होता है अथवा जो कपायों को उत्तेजित करते हैं उन्हें नोकपाय कहते हैं ।

१ — कपायसङ्घवतित्वात् कपायप्रेरणादपि ।

अथवा पर्याप्त सामग्री के रहने पर भी जिसके कारण अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति न हो वह लानान्तराय कर्म है। भोग की सामग्री उपस्थित हो एवं भोग करने की इच्छा भी हो फिर भी जिस कर्म के उदय से प्राणी भोग्य पदार्थों का भोग न कर सके वह भोगान्तराय कर्म है। इसी प्रकार उपभोग्य वस्तुओं का उपभोग न कर सकना उपभोगान्तराय कर्म का फल है। जो पदार्थ एक बार भोगे जाते हैं वे भोग्य कहलाते हैं तथा जो बार-बार भोगे जाते हैं वे उपभोग्य कहलाते हैं। अन्न, जल, फल आदि भोग्य पदार्थ हैं। वस्त्र, आभूषण, स्त्री आदि उपभोग्य पदार्थ हैं। जिस कर्म के उदय से प्राणी अपने वीर्य अर्थात् सामर्थ्य-शक्ति-बल का साहते हुए भी उपयोग न कर सके उसे वीर्यान्तराय कर्म कहते हैं।

कर्मों की स्थिति :

जैन कर्मग्रंथों में ज्ञानावरण आदि कर्मों की विभिन्न स्थिति बताई गई है जिसके कारण वे उतने समय तक उदय में रहते हैं। यह स्थिति जो कि न्यूनतम एवं अधिकतम रूपों में मिलती है, इस प्रकार है :

कर्म	अधिकतम समय	न्यूनतम समय
ज्ञानावरण	तीसकोटाकोटि सागरोपम	अन्तमुहूर्त
दर्शनावरण	"	"
वेदनीय	"	चारह मुहूर्त
मोहनीय	सत्तर कोटाकोटि सागरोपम	अन्तमुहूर्त
श्रायु	तैंतीस सागरोपम	"
नाम	बीस कोटाकोटि सागरोपम	आठ मुहूर्त
गोत्र	"	"
अन्तराय	तीस कोटाकोटि सागरोपम	अन्तमुहूर्त

१—सागरोपम आदि के स्वरूप के लिए देखिए—

पाँच वर्ण—कृष्ण, नील, लोहित, हारिद्र और सित; (१०) दो गन्ध—सुरभिगन्ध और दुरभिगन्ध; (११) पाँच रस—तिक्त, कटु, कषाय, आम्ल और मधुर; (१२) आठ स्पर्श—गुरु, लघु, मृदु, कर्कश, शीत, उष्ण, स्निग्ध और रुक्ष; (१३) चार आनुपूर्वियाँ—देवानुपूर्वी, मनुष्यानुपूर्वी, तिर्यञ्चानुपूर्वी और नरकानुपूर्वी; (१४) दो गतियाँ—शुभविहायोगति और अशुभविहायोगति। प्रत्येक प्रकृतियों में निम्नोक्त आठ प्रकार के कार्यों से सम्बन्धित कर्मों का समावेश है: पराघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, अगुरुलघु, तीर्थकर, निर्माण और उपघात। त्रसदशक में निम्नलिखित से सम्बन्धित दस प्रकार के कर्मों का समावेश है: त्रस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय और यशःकीर्ति। स्थावरदशक में त्रसदशक से विपरीत दस प्रकार की कर्मप्रकृतियाँ समाविष्ट हैं जो निम्नलिखित से सम्बन्धित हैं: स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और अयशःकीर्ति। इन एकसौ तीन कर्मप्रकृतियों के आधार पर प्राणियों के शारीरिक वैविध्य का निर्माण होता है। इस प्रकार शरीर-रचना का कारण नाम कर्म है।^१

गोत्र कर्म की दो उत्तर प्रकृतियाँ हैं: उच्च और नीच। जिस कर्म के उदय से प्राणी उत्तमकुल में जन्म ग्रहण करता है उसे उच्चगोत्र कर्म कहते हैं। जिस कर्म के उदय से प्राणी का जन्म नीच अर्थात् असंस्कायी कुल में होता है उसे नीचगोत्र कर्म कहते हैं।

अन्तराय कर्म की पाँच उत्तर-प्रकृतियाँ हैं: दानान्तराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय और वीर्यन्तराय। जिस कर्म के उदय से दान करने का उत्साह नहीं होता वह दानान्तराय कर्म है। जिस कर्म का उदय होने पर उदार दाता की उपस्थिति में भी दान का लाभ-प्राप्ति न हो सके वह लाभान्तराय कर्म है

१—विशेष विवेचन के लिए देखिए—कर्मविपाक (पं० सुखलालजी कृत हिन्दी अनुवाद सहित) पृ० ५८-१०५; *Outlines of Karma in Jainism*, पृ० १०-३

प्रकार का होता है। प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध और प्रदेशबन्ध। इन चारों का वर्णन किया जा चुका है।

२—सत्ता—वृद्ध कर्म-परमाणु निर्जरा अर्थात् क्षयपर्यन्त आत्म से सम्बद्ध रहते हैं। इसी अवस्था का नाम सत्ता है। इस अवस्था में कर्म फल प्रदान नहीं करते।

३—उदय—कर्म की फल प्रदान करने की अवस्था को उदय कहते हैं। इस अवस्था में कर्म-पुद्गल अपनी प्रकृति के अनुसार फल देकर नष्ट हो जाते हैं।

४—उदीरणा—नियत समय से पूर्व कर्म का उदय में आना उदीरणा कहलाता है। जिस प्रकार प्रयत्नपूर्वक नियत काल से पहले फल पकाये जा सकते हैं उसी प्रकार प्रयत्नपूर्वक नियत समय से पूर्व वृद्धकर्म भोगे जा सकते हैं। सामान्यतया जिस कर्म का उदय जारी होता है उसके सजातीय कर्म की ही उदीरणा संभव होती है।

५—उद्वर्तना—वृद्धकर्मों की स्थिति और रस का निश्चय बन्धन के समय विद्यमान कपाय की तीव्रता-मन्दता के अनुसार होता है। उसके बाद की स्थिति विशेष अथवा भाव विशेष के कारण उस स्थिति एवं रस में वृद्धि होना उद्वर्तना कहलाता है। इसे उत्कर्षण भी कहते हैं।

६—अपवर्तना—वृद्ध कर्मों की स्थिति एवं रस में भावविशेष के कारण कमी होने का नाम अपवर्तना है। यह अवस्था उद्वर्तना से विपरीत है। इसे अपकर्षण भी कहते हैं।

७—संक्रमण—एक प्रकार के कर्म-परमाणुओं की स्थिति आदि का दूसरे प्रकार के कर्म-परमाणुओं की स्थिति आदि में परिवर्तन अथवा परिणामन होना संक्रमण कहलाता है। इस प्रकार के परिवर्तन के लिए जैन आचार्यों ने कुछ निश्चित मर्यादाएँ अर्थात् मीमाएँ बना रखी हैं।

८—उपशमन—कर्म की जिस अवस्था में उदय अथवा उदीरणा संभव नहीं होती किन्तु उद्वर्तना, अपवर्तना एवं संक्रमण की संभावना का अभाव नहीं होता उसे उपशमन कहते हैं। जिस प्रकार

कर्मफल की तीव्रता-मन्दता :

कर्मफल की तीव्रता और मन्दता का आधार तन्निमित्तक कपायों की तीव्रता-मन्दता है। जो प्राणी जितना अधिक कपाय की तीव्रता से युक्त होगा उसके अशुभ कर्म उतने ही प्रबल एवं शुभ कर्म उतने ही निर्बल होंगे। जो प्राणी जितना अधिक कपायमुक्त एवं विशुद्ध होगा उसके शुभ कर्म उतने ही अधिक प्रबल एवं अशुभकर्म उतने ही अधिक दुर्बल होंगे।

कर्मों के प्रदेश :

प्राणी अपनी कायिक आदि क्रियाओं द्वारा जितने कर्मप्रदेश अर्थात् कर्मपरमाणु आकृष्ट करता है वे विविध प्रकार के कर्मों में विभक्त होकर आत्मा के साथ बद्ध होते हैं। आयु कर्म के हिस्से में सबसे कम भाग आता है। नाम कर्म को उससे कुछ अधिक हिस्सा मिलता है। गोत्र कर्म का हिस्सा भी नाम कर्म जितना ही होता है। इससे कुछ अधिक भाग ज्ञानावरण, दर्शनावरण एवं अन्तराय को प्राप्त होता है। इन तीनों का भाग समान रहता है। इससे भी अधिक भाग मोहनीय के हिस्से में आता है। सबसे अधिक भाग वेदनीय को मिलता है। इन परमाणुओं का पुनः अपनी-अपनी उत्तर प्रकृतियों में विभाजन होता है।

कर्म की विविध अवस्थाएँ :

जैन कर्मसाहित्य में कर्म की विविध अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। इनका मोटे तौर पर ग्यारह भेदों में वर्गीकरण किया जा सकता है। ये भेद इस प्रकार हैं : १-बन्धन, २-सत्ता, ३-उदय, ४-उदीरणा, ५-उदवर्तना, ६-अपवर्तना, ७-संक्रमण ८-उपशमन, ९-निवृत्ति, १०-निकाचन, ११-अवाध।

१-बन्धन—आत्मा के साथ कर्म-परमाणुओं का बंधना अर्थात् नीर-क्षीरवत् एक रूप हो जाना बन्धन कहलाता है। बन्धन चार

१-देखिए—आत्ममीमांसा, पृ० १२८-१३१ ;

Jaina Psychology, पृ० २५-६.



राख से आवृत्त अग्नि आवरण हटते ही अपना कार्य करना प्रारम्भ कर देता है उसी प्रकार उपशमन अवस्था में रहा हुआ कर्म उस अवस्था के समाप्त होते ही अपना कार्य प्रारम्भ कर देता है अर्थात् उदय में आकर फल देना प्रारम्भ कर देता है ।

६—निषत्ति—जिसमें उदीरणा और सक्रमण का सर्वथा अभाव रहता है किन्तु उद्वर्तना व अपवर्तना की असंभावना नहीं होती उसे निषत्ति कहते हैं ।

१०—निकाचन—जिसमें उद्वर्तना, अपवर्तना, संक्रमण एवं उदीरणा इन चारों अवस्थाओं का अभाव रहता है उसे निकाचन कहते हैं । इस अवस्था का अर्थ है कर्म का जिस रूप में बन्ध हुआ है उसी रूप में उसे भोगना ।

११—अवाध—बंधने के बाद अमुक समय तक किसी प्रकार का फल न देने की कर्म की अवस्था का नाम अवाध अवस्था है । इस प्रकार की अवस्था के काल विशेष को अवाधा-काल कहते हैं ।

कर्म और पुनर्जन्म :

कर्म और पुनर्जन्म का अविच्छेद्य सम्बन्ध है । कर्म की सत्ता स्वीकार करने पर तद्फलरूप परलोक अथवा पुनर्जन्म की सत्ता भी स्वीकार करनी पड़ती है । जैन कर्म साहित्य में समस्त संसारी जीवों का समावेश चार गतियों में किया गया है : मनुष्य, तिर्यञ्च, नारक और देव । मृत्यु के पश्चात् प्राणी अपने गति नाम कर्म के अनुसार इन चार गतियों में से किसी एक गति में उत्पन्न होता है । जब जीव एक शरीर छोड़ कर दूसरा शरीर धारण करने वाला होता है तब आनुपूर्वी नाम कर्म उसे अपने उत्पत्तिस्थान पर पहुँचा देता है । गत्यन्तर के समय जीव के साथ केवल दो प्रकार के शरीर रहते हैं : तैजस और कार्मण । अन्य प्रकार के शरीर—श्रीदारिक अथवा वैक्रिय का निर्माण वहाँ पहुँचने के बाद प्रारम्भ होता है ।

परिशिष्ट

- तत्त्वार्थ-भाष्य-टीका—सिद्धसेनगणि
 तत्त्वार्थ-राजवार्तिक—अकलंक
 तत्त्वार्थ-लोकवार्तिक—विद्यानन्दी
 तत्त्वार्थ सार—अमृतचन्द्र
 तत्त्वार्थसूत्र-विवेचन—पं० सुखलालजी
 तत्त्वार्थाधिगम सूत्र—उमास्वाति
 तर्कसंग्रह—अन्न भट्ट
 त्रिशिका—वसुवन्धु
 दशवैकालिक-निर्युक्ति—भद्रवाहु
 दशवैकालिक-वृत्ति—हरिभद्र
 दीर्घनिकाय
 द्रव्यसंग्रह—नेमिचन्द्र
 द्रव्यसंग्रह-वृत्ति—ब्रह्मदेव
 धवला (पट्खण्डागम-टीका)—वीरसेन
 ध्यानशतक—जिनभद्र
 नन्दी सूत्र
 नन्दी सूत्र-वृत्ति—हरिभद्र
 नन्दी सूत्र-वृत्ति—मलयगिरि
 नयकणिका—विनयविजय
 नय प्रकाशस्तव वृत्ति
 नियमसार—कुन्दकुन्द
 न्यायकन्दली—श्रीधर
 न्यायविन्दु—धर्मकीर्ति
 न्यायविन्दु-टीका—धर्मोत्तर
 न्यायभाष्य—वात्स्यायन
 न्यायमजरी—जयन्त
 न्यायवार्तिक—उद्योतकर
 न्यायसूत्र—गौतम
 न्यायावतार—सिद्धसेन
 न्यायावतार—वार्तिक-वृत्ति—सं०-पं०, दलमुख मालवगिर्या

ग्रन्थ-सूची

अनुयोगद्वार सूत्र

अन्ययोगव्यवच्छेद—द्वार्त्रिशिका—हेमचन्द्र

अष्टसहस्री—विद्यानन्दी

आचारांग सूत्र

आत्ममीमांसा—पं० दलसुख मालवणिया

आप्तमीमांसा—समन्तभद्र

आवश्यकनिर्युक्ति—भद्रबाहु

ईशोपनिषद्

उत्तराध्ययन सूत्र

ऋग्वेद

कठोपनिषद्

कर्मग्रन्थ, भाग १-५—देवेन्द्रसूरि

कर्मग्रन्थ, भाग ६—चन्द्रमहत्तर

कर्मग्रन्थ सार्थ—जीवविजय

कर्मविपाक—पं० सुखलालजी

गोम्मटसारः जीवकाण्ड—नेमिचन्द्र

छान्दोग्यउपनिषद्

जैनतर्कभाषा—यशोविजय

जैन दार्शनिक साहित्य का सिंहावलोकन—

पं० दलसुखभाई मालवणिया

जैनधर्म का प्राण—पं० सुखलाल जी

ज्ञानविन्दुप्रकरण—यशोविजय

ज्ञानार्णव—शुभचन्द्र

तत्त्वत्रय—लोकाचार्य

तत्त्वसंग्रह

तत्त्वार्थ-भाष्य—उमास्वाति

- वेदान्तसिद्धान्तमुक्तावली—प्रकाशानन्द
 वैशेषिक सूत्र—कणाद
 शाङ्करभाष्य—शंकराचार्य
 श्रेताश्वतरोपनिषद्
 शान्तिपर्व (महाभारत)
 शास्त्रवात्तिसमुच्चय—हरिभद्र
 श्रमण—ब० ३ अ० १
 श्रीभाष्य—रामानुज
 श्लोकवार्तिक—कुमारिल
 षड्दर्शनसमुच्चय—हरिभद्र
 सन्मतितर्कप्रकरण—सिद्धसेन
 समयसार—कुन्दकुन्द
 समवायांग सूत्र
 सर्वदर्शन संग्रह—माधवाचार्य
 सर्वार्थसिद्धि—पूज्यपाद
 संयुक्तनिकाय
 सांख्यकारिका—ईश्वरकृष्ण
 सांख्यतत्त्वकौमुदी—वाचस्पति मिथ
 सांख्यप्रवचन-भाष्य—विज्ञानभिक्षु
 सांख्यप्रवचन सूत्र—कपिल
 सांख्यसूत्र-वृत्ति—अनिरुद्ध
 सिद्धहेम—हेमचन्द्र
 सूत्रकृतांग
 स्थानांगसूत्र
 स्याद्वादमंजरी—मल्लिपेण
 स्याद्वादरत्नाकर—वादिदेव

- परीक्षामुख—मारिणकयनन्दी
 पंचसंग्रह—चन्द्रपिमहत्तर
 पंचास्तिकायसार—कुन्दकुन्द
 प्रज्ञापना सूत्र
 प्रमाणनयतत्त्वालोक—वादिदेव
 प्रमाणमीमांसा—हेमचन्द्र
 प्रमाण वातिक
 प्रमेयकमलमातण्ड—प्रभाचन्द्र
 प्रवचनसार—कुन्दकुन्द
 प्रशस्तपादभाष्य—प्रशस्तपाद
 प्राकृत व्याकरण—हेमचन्द्र
 बुद्धचरित—अश्वघोष
 बौद्धदर्शन और वेदान्त—डा० चन्द्रधर शर्मा
 भगवती सूत्र
 भगवद्गीता
 मज्झिमनिकाय
 महाभाष्य—पतंजलि
 माध्यमिककारिका—नांगार्जुन
 मीमांसा-सूत्र-शाबरभाष्य—शबरस्वामी
 मुक्तावली—विश्वनाथ
 मुण्डकोपनिषद्
 योगसूत्र—पतंजलि
 रत्नाकरावतारिका (प्रमाणनयतत्त्वालोक-टीका)—रत्नप्रभ
 राजप्रश्नीय सूत्र
 लघीयसूत्रय—अकलंक
 लघीयसूत्रय-टीका—अकलंक
 लंकावतार सूत्र
 विशुद्धिमार्ग
 विशेषावश्यक भाष्य—जिनभद्र
 विशतिका—वसुबन्धु

- Cosmology : Old and New—G. R. Jain.
Critical History of Greek Philosophy—Stace.
Doctrine of Karman in Jain
Philosophy—Glaserapp.
History of Philosophy—Thilly.
History of Western Philosophy—Russell.
Indian Philosophy—C. D. Sharma.
Jaina Philosophy of Non-Absolutism
—S. K. Mookerjee.
Jaina Psychology—M. L. Mehta.
Life and Philosophy in Contemporary British
Philosophy—Bosanquet.
Outlines of Jaina Philosophy—M. L. Mehta.
Outlines of Karma in Jainism—M. L. Mehta.
Principles of Philosophy—H.M. Bhattacharya.
Problems of Philosophy—Russell.
Prolegomena to an Idealistic Theory of
Knowledge—N. K. Smith.
Sacred Books of the East, Vol. 22.
Studies in Jaina Philosophy—N. M. Tatia.
Varieties of Religious Experience
—William James.

	पृष्ठ		पृष्ठ
वेदान्त	५२—५४	कार्मण	१६३
आनुपूर्वी	३५३	काल	१६६—२०२
आप्त	२७२	कूटस्थनित्य	३२२
आयु	३४८	केवलज्ञान	२३८—२३९
आराधक	२७७	कोटाकोटि	२८४
आहारक	१६३	गुणचन्द्रसूरि	११३
इन्द्रिय	२१२—२१३	गुणरत्न	११३
ईहा	२१६	गुहलघुपर्याय	२०४
उत्पाद	२७६	गोत्र	३४६
उत्सर्पिणी	२८३	गौतम	२७८—१८५
उदय	३४७—३५६	चक्षुदर्शनावरण	३४९
उदाहरण	२७१	चारित्रपर्याय	२८८
उदीरणा	३५५	चूलिका	८५
उदद्योत	१६१	चन्द्रप्रभ	११०
उद्वर्तना	३५५	चन्द्रसेन	११३
उपनय	२७१—२७२	छाया	१६१
उपमान	२५०—२५१	छेद	८५
उपशम	३५५	जगत्	२६—४१
उपांग	८५—३५२	जमालि	२८३
उमास्वाति	६१—६३	जयन्ती	२७८
एकानेकवाद	३१३	जिनेश्वर	११०
एकान्तवाद	२७६, २८०, २८१	जीवन	३७—३६
एकान्तवाद	२७७	जैनदर्शन	६८—६६
एवंभूत	३३१	जैनधर्म	६६
श्रीदारिक	१६२—१६३	जैनपरम्परा	७७—८३
कर्म	३४६	ज्ञान	१५६—१६२,
कर्मप्रकृति	३४८		२३६—२५५,
कर्मवाद	३४५—३४६		२५२—२५७
कर्मवादी	२८५	ज्ञानचन्द्र	११३

शब्दानुक्रमणिका

	पृष्ठ		पृष्ठ
	१०४—१०६	अवधिज्ञान	२३२—२३५
तु	३५२	अवसर्पिणी	२८३
	३००	अव्याकृत	२८३—२८५
पर्याय	२०४—२८८	अव्युत्थितिनय	२८६
नावरण	३४६	असत्कार्यवाद	२८२
	१७६—१८३	असद्भावपर्याय	३०१
स्काय	१६६—१६७	अस्तिकाय	१४६—१५०
	१०८—११०	अशुभविहायोगति	३५३
द	२७६	अश्लेशी	२७६
वन्धी	३५१	अंग	८५
नीय	३५२	आकाश	१६७—१६८
	३४८—३५४	आगम	८५—६१
र्त	३५४		२५१—२५२, २७२
नीय	२८०—२८२	आगमयुग	८३—८४
वन्ध	३५६	आतप	१६१
	२४७—२५०	आत्मा	१५१—१५६
न-युग	११६—१२१		१६३—१७८
वाद	२७६—२७७	आदर्शवाद	४१—५४
स्थापना-युग	६४—१०४	प्लेटो	४४—४५
	३५५	वकले	४५—४६
य	३५२	कान्ट	४६—४८
द	२७७—२८२	हीगल	४८
यान	३५१	ब्र डले	४८—४९
	१०६	वोसांक्रेट	४९—५०
	२८१	शून्यवाद	५१
	३३१	योगान्तर	५२
	११५—२१८		

	पृष्ठ		पृष्ठ
प्रकृति बन्ध	३४८-३५६	भारतीय संस्कृति	६६-७१
प्रकीर्णक	८५	भाव	२८३-२१२
प्रचला	३४६	भाव दृष्टि	२८६
प्रचला प्रचला	३४६	भेद	१६०
प्रतिज्ञा	२७०	भेदवाद	२८१
प्रत्यक्ष	२४६, २६६-२६२	भंग	३००
प्रत्यभिज्ञान	२६४-२६६	भेदाभेदवाद	१३६-१४६
प्रत्याख्यान	२७६-३५१	मतिज्ञान	२११-२१२
प्रदेश दृष्टि	२६०-३३०	मन	२१३-२१५
प्रदेश बन्ध	३५६	मनःपर्ययज्ञान	२३५-२३७
प्रभाचन्द्र	१०६-११०	मल्लवादी	१०२-१०३
प्रमाणशास्त्र-व्यवस्था-युग		महावीर	२७६
	१०४-११३	माणिक्यनन्दी	१०६
प्रमाण सप्तभंगी	३१०	मिथ्यात्वमोहनीय	३४६
प्रामाण्य	२५५-२५७	मिश्रमोहनीय	३५१
बंध	१८४-१८६	मुक्त	२७६
बन्धन	३५५	मूल	८५
बुद्ध	२७७	मेरुतुंग	११३
ब्राह्मण संस्कृति	७२-७४	मोहनीय	३५२
भारतीय परम्परा	३०-३७	यथाख्यात चारित्र	३५१
चार्वाक	३०-३६	यथार्थवाद	५४-६४
जैन	३१	जडाद्वैतवाद	५६
बौद्ध	३२-३३	द्वैतवाद	५६
सांख्य	३३	नानार्थवाद	४६-६०
योग	३४	मीमांसा	६०
न्याय	३४-३५	सांख्य	६०-६१
वैशेषिक	३५	विशिष्टाद्वैतवाद	६१
पूर्व मीमांसा	३५-३६	द्वैतवाद (मध्व)	६१
वेदान्त			६१

	पृष्ठ		पृष्ठ
ज्ञानवाद	२०६—२११	नय	३२७
तत्त्व	२७६	नयवाद	३२७
तत्त्वार्थसूत्र	६४	नयसप्त भंगी	३१०
तम	१६०—१६१	नाम	३१२—३४८
तर्क	२६५—२६६	नव्यन्याय-युग	११४—११५
तिर्यञ्च	३३६	निकाचन	३५५—३५७
तीर्थ कर	३५३	निगमन	२७२
तैजस	१६३—२३६	नित्यानित्यवाद	३२३—३२५
	३५२—२४५	निद्रा	३४६
घस	२७६	निद्रानिद्रा	३४६
घसदसक	३५२	नियतिवाद	३४६
दर्शन	११—१४, १६—२१, २६—२६, ३७—३६,	निधत्ति	३५५—३५७
दर्शनपर्याय	२८८	निवंचनीय	२८०—२८२
दर्शनावरण	३४८	निर्जरा	३४८
दर्शनोपयोग	१६३	निर्वाण	३४७
देशपरिक्षेपी	३३३	नीच गोत्र	३५३
दृष्टान्त	२७१	नैगम	३३२
द्रव्य	१३३	नोकपाय	३५१
	१४६—१५०	पक्ष	२७०
	२८३—३१२	परम्परसिद्ध	२७६
द्रव्यदृष्टि	२८६—३१६	परमाणु	२८८
द्रव्याधिकनय	२८५—२८६	परार्थानुमान	२६८—२७२
धर्म	५—११, १६—१८, २१—२२, २८२	परोक्ष	१६३—२२७
धर्मकीर्ति	३१४	पर्याय	१३३—१३६
धर्मभूषण	११३	पर्यायदृष्टि	२८६
धर्मास्तिकाय	१६४—१६६	पर्यायाधिक नय	२८६
धारणा	२२१—२२२	पात्रकेशरी	१६३—१०४
ध्रोव्य	२७६	पुद्गल	१७८—१७६, १८८—१६१, ३२६

	पृष्ठ		पृ
संहनन	३५२	स्थापना	३१
साधन	२६७—२६६	स्थावर	२७
साधुविजय	११३	स्थावरदशक	३५
साम्प्रत	३३३	स्थितिवन्ध	४५
सिद्धपि	१०६	स्थूलता	१६
सिद्धसेन	६३—६६, ३२८—३३२	स्याद्वाद	२७६—२७
सिंहगणि	१०३	स्वप्न	२७
सूक्ष्मता	१६०	स्मृति	२४—२६
सोमतिलक	११३	हरिभद्र	१०६—१०
सोमिल	२६०	हेतु	२१७—२१
स्कन्ध	१८३—१८६	हेमचन्द्र	१११—११२, २१
स्त्यानद्धि	३४६		

	पृष्ठ		पृष्ठ
वैभाषिक	६२	दारीर	१६२—१६४
सौत्रान्तिक	६२—६२	दाकटायन	१०८
चार्वाक	६२—६३	शान्त्याचार्य	२१२
जैनदर्शन	६३—६४	शुभविहायोगति	३५३
यशस्वत्सागर	११५	शैलेशीय	२७६
योगविजय	११४—११५	श्रमण	७६—७७
योगन	२८४	श्रमण धर्म	३५१
रत्नप्रभसूरि	११२—११३	श्रमण संस्कृति	७४—७६
रत्नप्रभा	३००	श्रुतज्ञान	२२७—२२६
राजेश्वर	११३	सकलादेश	३०८—३२७
रामचन्द्रसूरि	११३	सत्	१२६—१३३
रूपी	१४६	सत्कार्यवाद	२८२
लोक	१२६—१२८	सत्ता	३५५
वादिराज	११०	सद्भावपर्याय	३०१
वासीदेवसूरि	११०—१११	सद्सत्कार्यवाद	३२३
विकलादेश	३०८—३२७	सप्त भंगी	२६६
विज्ञान	१४—१६, १८—२२	समन्तभद्र	६६—१०२
विद्यानन्द	१०७—१०८	समभिरूढ़	३३१—३३२
विभज्यवाद	२७७—२८३	सम्यक्त्वमोहनीय	३५१
विमलदास	११५	सर्वं परिक्षोणी	३३३
वेदनीय	३४८	संकर दोष	३१७
वेदान्त	३२१	संक्रमण	३५५—३५६
वैक्रिय	१६३—३५२	संग्रह	३३२
व्यतिकर दोष	३१८	संघात	१८४—१८८
व्यय	२७६	संघातन	३५२
व्यवहार	३३२	संजयबेलगुठी पुत्र	२६८
व्युच्छित्तिनय	२८६	संज्वलन	३५१
शब्द	१८८—२८६	संसारि	२७६
शब्दनय	३३१	संस्थान	१६०, ३३६—३५२

दो हजार वर्षों के बाद प्रथम बार

उपाध्याय श्री अमर मुनि जी

तथा

पं० श्री कमल मुनि जी

के द्वारा

सुसम्पादित होकर प्रकाशित

निशीथ महाभाष्य

चार भागों में राज संस्करण

मूल्य मात्र सी रुपये

